खण्ड-381, अंक-1
सोमवार, 15 आषाढ़, शक संवत् 1909
(6 जुलाई, 1987 ई0)

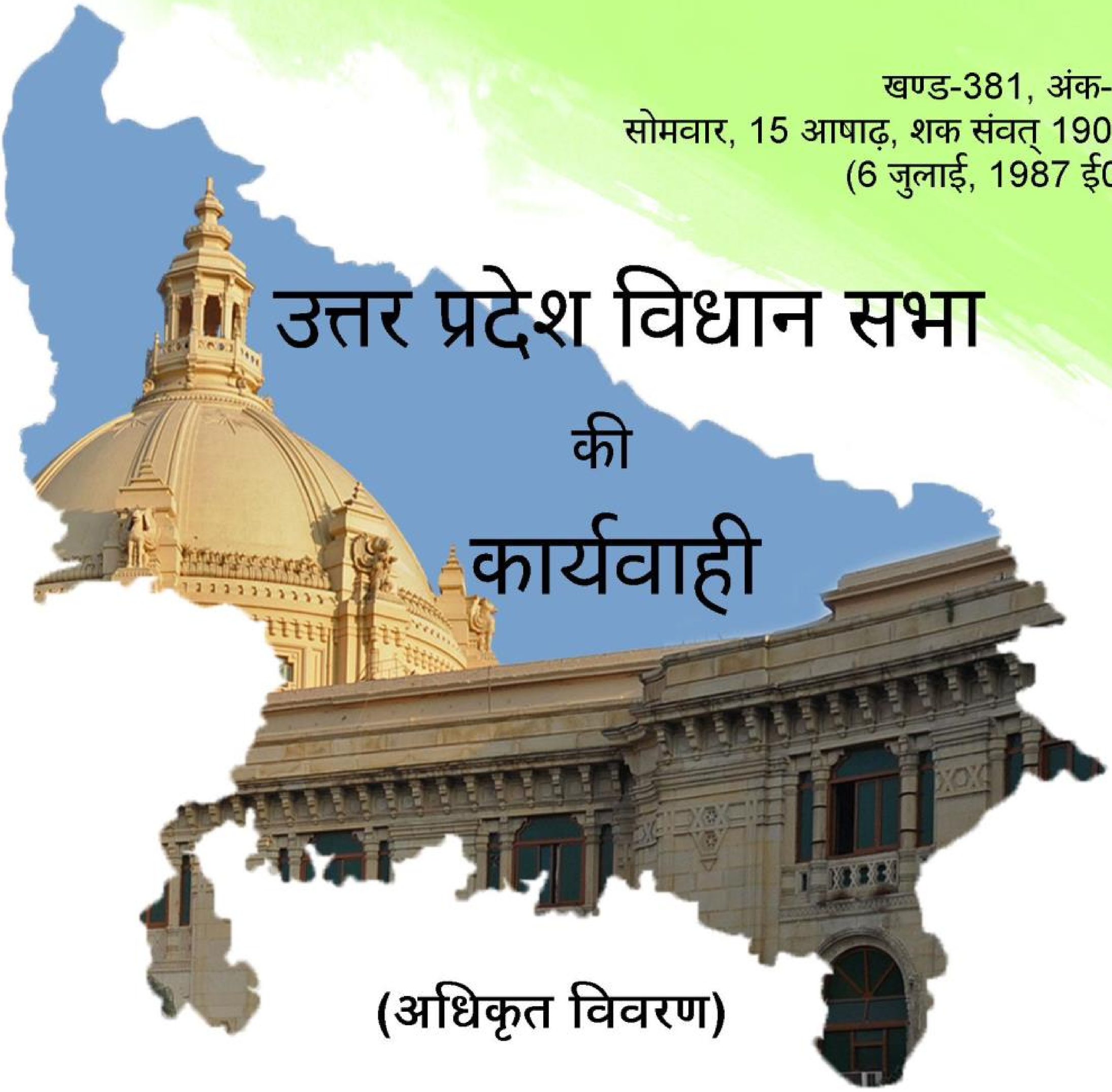

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 381 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| .. .. .. .. | |
| राज्यपाल, मन्त्रि परिषद् तथा नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी अधिष्ठाता मण्डल .. .. .. | क–घ |
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | 1–2 |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. | 3–86 |
| प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. .. .. | 87 |
| गढ़वाल मण्डल के मुख्यालय पौड़ी में पेयजल संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. .. | 88 |
| फिरोजाबाद आगरा में ट्रांस्फार्मर बर्स्ट हो जाने से क्षतिग्रस्त को क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 88 |
| अंशकालीन नलकूप चालकों को सहायक अभियन्ता तृतीय खण्ड, विधूना इटावा द्वारा ड्यूटी न ज्वाइन करने देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 89 |
| ग्राम चिरौड़ी, विकास खण्ड लोनी, गाजियाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 89 |
| तहसील व नगर पालिका क्षेत्र, जालौन में नागरिक सुविधाओं के अभाव में नागरिकों को असुविधा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 89 |
| सीतापुर के हुसैनपुर घाट तथा खैराबाद परसेड़ी की सीमा पर गद्दीपुर घाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 90 |
| मुहाफिजखाना (माल), फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. .. | 90 |
| औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं .. .. .. .. | 95 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. .. .. | 96 |
| कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं .. .. .. | 97–108 |
| वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान–अनुदान–संख्या–10–ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) .. .. .. | 109–163 |
| अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्ध सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गुटबन्दी के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा .. .. .. .. | 164–171 |
| नत्थियां .. .. .. .. | 172–183 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## राज्यपाल

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ

## मंत्रि-परिषद्

1–श्री वीर बहादुर सिंह—मुख्य मंत्री एवं मंत्री सामान्य प्रशासन, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग, पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, पर्वतीय विकास, नागरिक उड्डयन, सार्वजनिक निर्माण, वित्त न्याय, गन्ना विकास, वन, पर्यटन, सास्कृतिक कार्य, राष्ट्रीय एकीकरण, सूचना, पूर्त धर्मस्व, सिंचाई, खाद्य तथा रसद, आबकारी एवं मद्य निषेध, उद्योग, पशुधन, जेल एवं राजनैतिक पेंशन, नियोजन ।

2–श्री बल्देव सिंह आर्य—राजस्व मंत्री, राजस्व, अभाव तथा सहायता एवं पुनर्वास ।

3–श्री लोकपति त्रिपाठी—जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री ।

4–श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—हरिजन कल्याण, समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण मंत्री ।

5–डा0 संजय सिंह—परिवहन मंत्री ।

6–श्री नरेन्द्र सिंह—कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, उद्यान एवं फल उपयोग।

7–श्री श्याम सूरत उपाध्याय—ग्राम विकास, पंचायती राज, क्षेत्रीय विकास, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री ।

8–श्री अरुण कुमार सिंह (सदस्य विधान परिषद्)—सहकारिता मंत्री ।

9–श्री सुनील शास्त्री—ऊर्जा मंत्री ।

10–श्री सिब्ते रजी (सदस्य विधान परिषद्)—शिक्षा, मुस्लिम वक्फ मंत्री ।

11–श्री गोपीनाथ दीक्षित—गृह मंत्री ।

12–श्री अम्मार रिजवी (सदस्य विधान परिषद्)—संसदीय कार्य मंत्री।

13–श्री सईदुल हसन—श्रम, सेवायोजन मंत्री।

## राज्य मंत्री

1–श्री हुकुम सिंह—संसदीय कार्य, खाद्य एवं रसद तथा पशुधन मंत्री ।

2–श्री जफर अली नकवी—वन मंत्री ।

3–श्रीमती पद्मा सेठ—नगर विकास, जल सम्पूर्ति एवं नगर भूमि तथा आवास मंत्री ।

4–श्री शिव बालक पासी—कृषि मंत्री ।

5–श्री ओम प्रकाश रिछारिया—वित्त तथा नियोजन मंत्री ।

6–श्री गौरी शंकर—राजस्व मंत्री ।

7–श्री मानपाल सिंह—खाद्य तथा रसद मंत्री ।

8–श्री प्रमोद कुमार तिवारी—ऊर्जा एवं पर्यटन मंत्री ।

9–श्री भोला शंकर मौर्य—सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण मंत्री ।

10–श्री निसार अहमद अंसारी (सदस्य विधान परिषद्)—लघु उद्योग एवं हथकरघा मंत्री ।

11–श्री राम अवतार दीक्षित—पर्वतीय विकास मंत्री ।

12–श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—गृह, न्याय एवं जेल मंत्री ।

13–श्री चेतराम गंगवार—प्राविधिक शिक्षा, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं ग्राम्य विकास मंत्री ।

14–श्री राम नरेश शुक्ल—सामान्य प्रशासन, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री ।

15–श्री सीताराम निषाद—मत्स्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

16–कु0 सरस्वती अम्माल (सदस्य विधान परिषद्)—श्रम मंत्री ।

17–श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—शिक्षा मंत्री ।

18–श्री प्रवीण कुमार शर्मा—उच्च शिक्षा मंत्री ।

19–श्री सुरेन्द्र सिंह—सहकारिता मंत्री ।

20–श्रीमती दीपा (सदस्य विधान परिषद्)—पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, विज्ञान एवं प्रोद्योग, सांस्कृतिक कार्य तथा सूचना मंत्री ।

21–श्री राम नाथ मुन्शी—आबकारी तथा गन्ना विकास मंत्री ।

**उप मंत्री**

श्रीमती प्रेमीला बद्ध्वार मेहरा—पर्यटन मंत्री।

**नेता, विरोधी दल**

श्री सत्यपाल सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

---

**अध्यक्ष**

श्री नियाज हसन

**उपाध्यक्ष**

श्री त्रिलोक चन्द्र

**सचिव**

श्री भाल चन्द्र शुक्ल

विधान सभा उत्तर प्रदेश

## अधिष्ठाता मण्डल

1—श्रीमती कमला साहनी (बस्ती) ।

2—डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा) ।

3—श्री खान गुफरान जाहिदी (फतेहपुर) ।

4—श्री जयदीप सिंह बरार (बरेली) ।

5—श्री भगवती सिंह विशारद (उन्नाव) ।

6—श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी (उन्नाव) ।

7—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (बाराबंकी) ।

8—कुंवर रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद) ।

9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (सीतापुर) ।

10—डा0 शिवानन्द नौटियाल (गढ़वाल) ।

विधान सभा सदस्य

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 6 जुलाई, 1987

---

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

---

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

| | |
|---|---|
| अकबर अहमद डम्पी, श्री | नैनीताल |
| अकबर हुसैन बाबर, श्री | फैजाबाद |
| अचल सिंह, श्री | फतेहपुर |
| अतर सिंह यादव, श्री | एटा |
| अमीर आलम खां, श्री | मुजफ्फरनगर |
| अशोक [illegible]ेयी, श्री | हरदोई |
| अशोक सेहरा, श्री | आगरा |
| दयवीर सिंह राठौर, श्री | एटा |
| ोम प्रकाश रिछारिया, श्री | झांसी |
| मवती, श्रीमती | बिजनौर |
| ल किशन पाण्डेय, श्री | पिथौरागढ़ |
| कमलेश कुमार पाठक, श्री | इटावा |
| कमाल अहमद रिजवी, श्री | खीरी |
| कल्यान सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| काजी मुहीउद्दीन, श्री | सहारनपुर |
| काशी सिंह ऐरी, श्री | पिथौरागढ़ |
| करन पाल सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| कशोरी लाल सकलानी, श्री | देहरादून |
| करपत राम, श्री | वाराणसी |
| गया प्रसाद वर्मा, श्री | इटावा |
| गोपीनाथ दीक्षित, श्री | उन्नाव |
| गौरी शंकर भइया, श्री | बलिया |
| जगमोहन सिंह यादव, श्री | मैनपुरी |
| जमुना प्रसाद बोस, श्री | बांदा |
| जय नारायण शर्मा, श्री | मेरठ |
| वाहर सिंह यादव, श्री | इलाहाबाद |
| हरी लाल त्रिवेदी, श्री | कानपुर |
| कर विक्रम सिंह, श्री | बस्ती |
| — श्री | आजमगढ़ |
| | जौनपुर |
| वन्द्र कुमार सिंह, श्री | ललितपुर |
| रेन्द्र सिंह चौधरी, श्री | कानपुर |
| रेन्द्र सिंह यादव, श्री | फर्रूखाबाद |
| रेश पाल सिंह यादव, श्री | बदायूं |
| निर्भय पाल शर्मा, श्री | सहारनपुर |

| | |
|---|---|
| पद्मा सेठ, श्रीमती | सीतापुर |
| परमाई लाल, श्री | हरदोई |
| पारसनाथ यादव, श्री | जौनपुर |
| प्रभु दयाल, प्रधान | मेरठ |
| फरीद महफूज किदवई, श्री | बाराबंकी |
| फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां) | गोण्डा |
| फागू चौहान, श्री | आजमगढ़ |
| फूल सिंह सौदाई, श्री | मुजफ्फरनगर |
| बद्री सिंह, श्री | जालौन |
| बलवीर सिंह यादव, श्री | मैनपुरी |
| बलराम यादव, श्री | आजमगढ़ |
| बल्देव सिंह आर्य, श्री | उत्तरकाशी |
| बसन्त सिंह गहलौत, श्री | बिजनौर |
| बाबू राम यादव, श्री | मैनपुरी |
| बालेश्वर, श्री | देवरिया |
| बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री | सीतापुर |
| बेनी प्रसाद वर्मा, श्री | बाराबंकी |
| भगवान दास, श्री | मुरादाबाद |
| भगौती सिंह, श्री | लखनऊ |
| भोला शंकर मौर्य, श्री | बदायूं |
| मंगलदेव, श्री | गोण्डा |
| मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री | बस्ती |
| महाराज सिंह, चौधरी | इटावा |
| महावीर सिंह, श्री | सहारनपुर |
| महेन्द्र भाटी, श्री | गाजियाबाद |
| मित्रसेन, श्री | फैजाबाद |
| मुलायम सिंह यादव, श्री | इटावा |
| मुस्तमन्द अली खां, श्री | मथुरा |
| मुहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर |
| मोहम्मद अबरार अहमद इंजीनियर, श्री | बदायूं |
| मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां) | मुरादाबाद |
| रमाकान्त, श्री | आजमगढ़ |
| रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री | एटा |
| राकेशधर त्रिपाठी, श्री | इलाहाबाद |

| | |
|---|---|
| राज किशोर सिंह, श्री | वाराणसी |
| राजेन्द्र सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| राजेन्द्र सिंह, श्री | फर्रुखाबाद |
| रामगोविन्द चौधरी, श्री | बलिया |
| रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री | बाराबंकी |
| राम जनम, श्री | आजमगढ़ |
| रामनन्दिनी वर्मा, श्रीमती | फर्रुखाबाद |
| राम पाल वर्मा, श्री | हरदोई |
| राम लक्षन, श्री | गोरखपुर |
| राम सजीवन, श्री | बांदा |
| राम शरण दास, श्री | सहारनपुर |
| राम सागर, श्री | बाराबंकी |
| रेवती रमण सिंह, कुंवर | इलाहाबाद |
| लक्ष्मी नारायण, श्री | मथुरा |
| लालता प्रसाद निषाद, चौधरी | गाजीपुर |
| लाल प्रताप सिंह, श्री | प्रतापगढ़ |
| विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री | बलिया |
| विष्णु देव, श्री | आजमगढ़ |
| वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री | गोरखपुर |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | एटा |
| वीरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| शारदा देवी, श्रीमती | गोरखपुर |
| शारदानन्द अंचल, श्री | बलिया |
| शिव बालक पासी, श्री | रायबरेली |
| शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री | गोरखपुर |
| शेर बहादुर सिंह, श्री | फैजाबाद |
| श्रीं प्रकाश, श्री | आजमगढ़ |
| संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री | वाराणसी |
| संजय सिंह, डा0 | सुल्तानपुर |
| सईदुज्जमा, श्री | मुजफ्फरनगर |
| सखावत हुसैन, श्री | मुरादाबाद |
| सन्तन बड़थ्वाल, श्री | चमोली |
| सरस्वती देवी, श्रीमती | अल्मोड़ा |
| सीताराम निषाद, श्री | फैजाबाद |
| सुखदा मिश्रा, श्रीमती | इटावा |
| सुग्रीव सिंह, श्री | देवरिया |
| सुरेन्द्र कपिल, श्री | सहारनपुर |
| सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री | बांदा |
| सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री | रायबरेली |
| सुरेन्द्र सिंह, श्री | गाजीपुर |
| सुरेन्द्र चन्द्र, श्री | नैनीताल |
| सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री | अलीगढ़ |
| सैयद अली अशरफी, श्री | पीलीभीत |
| सैयद सईदुल हसन, श्री | बुलन्दशहर |
| हफीज भारती, श्री | आजमगढ़ |
| हरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| हर्ष वर्धन, श्री | गोरखपुर |
| हृदय नरायन दीक्षित, श्री | उन्नाव |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 6 जुलाई, 1987 ई0

### अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### लखनऊ विश्वविद्यालय में उ0 प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 34 (2) का उल्लंघन

**1—कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत कितने अध्यापक उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 34(2) का उल्लंघन करके एक से अधिक लाभ के पद पर कार्य कर रहे हैं ? क्या मंत्री जी उक्त धारा 34(2) का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)—

शून्य ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(कुंवर मानवेन्द्र सिंह के अनुपस्थित होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, रुचि है ।

मान्यवर, क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उत्तर उन्होंने सदन में दिया है, इसकी किससे जांच कराई गयी और किन तथ्यों के आधार पर जांच की गयी ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, नत्थी-क के पहले सवाल का उत्तर दिया है जो कुंवर मानवेन्द्र सिंह ने उठाया था । इसकी सूचना यूनीवर्सिटी से मंगाई गई थी, उसी आधार पर शासन यह सूचना दे रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

मेरे मन में यह आशंका थी, इसीलिए मैं जानना चाहता था । जिनके खिलाफ आरोप लगाये गये थे, उन्हीं से जांच कराई गयी । तो क्या विश्वविद्यालय से भिन्न बाहर की किसी एजेन्सी से जांच कराकर क्या मा0 मंत्री जी तथ्यों की जानकारी करायेंगे और मा0 सदस्य ने जो यह सूचना दी है, उसको सही मानकर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा —

मान्यवर, वैसे बहुत कुछ संतुष्टि कर ली गयी है, लेकिन गुप्ताजी जो बात कह रहे हैं, उसको दिखवा देंगे ।

---

नोट:—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की रुचि पर लिया गया ।

श्री मैनेजर सिंह –

मा0 मंत्री जी ने तीन बार कहा कि प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न नहीं उठता, तो क्या कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और शास्त्रीजी की ओर से तीन बार यह जवाब दिया गया है ।

(हंसी)

**श्री शमशाद अहमद आयोग की सिफारिशों को लागू किये जाने की मांग**

**2–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने तथा ग्राम विकास योजनाओं को अधिक गतिशील बनाने की दृष्टि से श्री शमशाद अहमद आयोग द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और वे कब तक लागू कर दी जायेंगी ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी, सुदृढ़ एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाये जाने तथा उनके वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने हेतु श्री शमशाद अहमद की अध्यक्षता में गठित पंचायती राज ग्रामीण वित्त आयोग की मुख्य संस्तुतियां इस प्रकार हैं:–

> पंचायती राज संस्थाओं के गठन में सुधार किया जाय, जिला परिषदों द्वारा जिले स्तर की योजनाओं को तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन, सभी जिला परिषदों में सम्पत्ति व विभव कर लागू करना, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पर जिला परिषद् का नियंत्रण, पंचायती राज संस्थाओं का समय पर चुनाव कराना आदि । आयोग की संस्तुतियों का शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है, तदुपरान्त अग्रिम कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी –

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पंचायती राज ग्रामीण वित्त आयोग की रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई और किनके द्वारा उसका परीक्षण कराया जा रहा है, उसकी प्रगति क्या है और कब तक परीक्षण का कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, 31 जुलाई, 1986 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, परीक्षण के लिए शासन स्तर पर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं, विशेष सचिव, पंचायती राज, इसके सदस्य हैं संयुक्त सचिव, पंचायती राज और निदेशक, पंचायती राज ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, कब तक परीक्षण कार्य पूर्ण हो जायेगा, उत्तर माननीय मंत्रीजी ने नहीं दिया।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह समिति परीक्षण कर रही है, जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जायगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इस समिति ने आयोग की संस्तुति के बारे में अब तक कोई अन्तरिम रिपोर्ट दी है कि नहीं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पंचायतों का चुनाव समय पर कराये जायंगे, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप ग्राम पंचायतो का चुनाव आयोग की संस्तुति के अनुसार शीघ्र करायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण हो रहा है और यह समिति जब रिपोर्ट दे देगी उसके बाद विचार किया जायेगा।

श्री जयदीप सिंह बरार –

आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सभी जिला परिषदों में सम्पत्ति व विभव कर लागू करना, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उन्हीं लोगों पर लगाये जायें जिनकी आय 15,000 रुपये से ऊपर हो । क्या शासन इस बात पर विचार करेगा कि किसी निश्चित आय की सीमा के ऊपर ही यह सम्पत्ति व विभव कर लगाया जाय ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

बरार जी का सुझाव उत्तम है उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

आयोग ने जो संस्तुतियां भेजी हैं उन संस्तुतियों को कब से लागू करेंगे ताकि जिला परिषदों का सफल संचालन हो सके । जैसा कि बरार जी ने कहा, क्या इस प्रकार की कोई नीति बनायेंगे कि सम्पत्ति व विभव कर में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को किसी प्रकार से उत्पीड़ित न किया जाय ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय –

जैसा कि मैंने पहले बताया आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है और यह कार्य कर रही है । मैं कोशिश करूंगा कि यह समिति जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दे और जहां तक यह बात कही गयी कि गरीबों को विभव और सम्पत्ति कर से परेशानी न हो, इस पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

श्री मैनेजर सिंह –

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा पर जिला परिषद् का नियन्त्रण, इस बात को देखते हुए कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से तमाम शिकायतें आ रही हैं तो क्या आप तात्कालिक प्रभाव से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को जिला परिषद् को सुपुर्द करने पर विचार करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय –

मान्यवर, इन सभी पहलुओं पर 3 सदस्यीय समिति विचार कर रही है और ज्यों ही उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

यह जो योजना बनायी गयी है यह जिला परिषद् द्वारा ही योजना बनाने के सम्बन्ध में है या उसको रिप्लेस करने के सम्बन्ध में है? क्या इसमें विधायकों के लिए भी कोई स्थान रखा गया है, उनकी राय जाने के लिए या नहीं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, आयोग की रिपोर्ट जिला परिषद् के माध्यम से होती है। यह उनकी रिपोर्ट है, अब 3 सदस्यीय समिति उसका परीक्षण कर रही है और उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री अजीत सिंह सेठी–

जनपद स्तर पर जो सड़कों का निर्माण है, विभाग के अन्दर अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, क्या इस योजना को गतिशील बनाने के लिए हमारे मंत्री जी कोई कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह विभिन्न विकास की योजनाएं जिला परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न संसाधनों से होती हैं। ग्रामीण अंचलों में सड़कों के बनवाने का काम केन्द्र सरकार की कई स्कीमें हैं, इनके द्वारा तथा एन0 आर0 पी0 व एन0 आर0 इ0 पी0 द्वारा आदि बनवाई जाती हैं, सभी सड़कों का निर्माण पी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा करवाना सम्भव नहीं होगा। इसलिए इस पर विचार कर पाना भी संभव न होगा।

डा0 बंगाली सिंह–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो तीन सदस्यीय समिति बनाई है, उसी के भरोसे समस्त कार्य करेंगे अथवा कुछ अपने भरोसे भी करेंगे? दूसरा यह कि इस समिति की रिपोर्ट कब आयी और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, हम जल्दी से जल्दी समिति से चाहेंगे कि वह अपनी रिपोर्ट दे दें ताकि उस पर क्रियान्वयन भी जल्दी किया जा सके।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, शमशाद अहमद आयोग ने जो संस्तुति की है कि जिला परिषद् द्वारा जिला योजना तैयार कराई जाए, यह केन्द्रीय स्तर पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में जो नीति प्रदेशों को भेजी गयी हैं क्या उसके विरुद्ध नहीं है? यदि उसके विरुद्ध है तो इसे राज्य सरकार लागू कर पाने में कैसे समर्थ होगी, जबकि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत सा धन अंकित है जो केन्द्र से मिलता है और राज्य सरकार को केन्द्र के निर्देशों का पालन करना पड़ता है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला स्तर पर भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक इन समितियों व कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। भारत सरकार की गाईड-लाईन से हटकर कोई भी काम नहीं होता है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या पांचवीं संस्तुति में यह उल्लेख किया गया है कि चुनाव पूर्णरूप से समय पर कराए जाएं और इसी बात को मा0 मंत्री जी स्वयं सदन में भी कह चुके हैं कि इसका परीक्षण कराया जा रहा है। क्या उस संस्तुति में यह भी उल्लेख है कि चुनाव पूर्णरूप से अब सीधे मतदान प्रणाली द्वारा कराया जाए?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इस बात का अध्ययन मैंने नहीं किया है कि उन्होंने कौन सी प्रणाली निर्धारित की है। यही विचार किया है कि चुनाव समय पर हो जाने चाहिए।

श्री शारदा प्रताप–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस प्रश्न के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि गांव सभाओं व गांव पंचायतों के चुनाव कब हुए थे और उनका टर्म कब पूरा हो रहा है और अब इनके चुनाव कब तक करा देंगे क्या कोई स्पष्ट तिथि माननीय मंत्री जी बतायेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

किस तारीख को गांव सभाओं के चुनाव हुए थे, इसकी सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। गांव सभा व पंचायतों का चुनाव फिलहाल कराने का इरादा सरकार का नहीं है।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, मैं अपने पूर्व प्रश्न में एक प्रश्न और जोड़ना चाहता हूं कि ब्लाक स्तर पर जो योजना तैयार करके भेजी जाती है, उन्हीं के आधार पर जिला योजना तैयार की जाती है और इसमें नीचे के स्तर तक जन-प्रतिनिधि भागीदार होता है। ऐसे केन्द्र के निर्देश हैं। मा0 शमशाद अहमद आयोग ने जो संस्तुति की है कि जिला परिषद् जिला योजना तैयार करे तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गये निर्देशों में परिवर्तन की शक्ति राज्य सरकार को कैसे मिल जायेगी, यह स्पष्ट करें?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, वैसे तो अभी विचार हो रहा है कि जिला योजना जिस तरह से बनाई जा रही है, उसी तरह से बनाई जाय या जिला परिषदों के द्वारा बनाई जाय, लेकिन मैं मा0 सदस्य को बता देना चाहता हूं कि जिला परिषद जिला योजना बनाएंगी तो उसमें कहां भारत सरकार के निर्देशों की अवहेलना हो जायेगी, क्योंकि जिला परिषदों में भी तो जन-प्रतिनिधि हैं। वे तैयार करते हैं तो कोई प्रतिकूल बात न होगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री बलराम यादव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय**

*2–श्री सूर्य प्रताप शाही (अनुपस्थित) तथा श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में भी लागू करने का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और उसे कब तक प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो इस अभियान को प्रदेश में लागू करने के कारण क्या हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

जी हां।

प्रत्येक प्राइमरी विद्यालय के लिये भवन तथा अन्य आवश्यक भौतिक एवं शैक्षिक साधन की व्यवस्था करना। भारत सरकार द्वारा धनराशि की स्वीकृति मिलने पर क्रियान्वयन होगा। प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न में पूछा है कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम है, उसका क्या स्वरूप है? और उस संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भौतिक साधन, शैक्षिक साधन तथा भवन आदि उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार से धन-राशि मांगी गयी है। जब वह धनराशि आ जायेगी, तो लागू हो जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का संबंध केवल वित्तीय विषयों से है, या और भी कुछ चीजों से उसका सम्बन्ध है?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, नयी शिक्षा नीति में आपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यक्रम मुख्य रूप से केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाये जाने का निर्णय लिया है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे ऐसे विद्यालय हैं, जो खुले हुए प्राइमरी विद्यालय हैं, उनको पूर्ण रूप से सुसज्जित करना है, साधन सम्पन्न बनाना है। टाट-पट्टी, ब्लैक बोर्ड इत्यादि उपलब्ध कराना है। क्या इस तरह की साज-सज्जा होगी, इसका भी निर्णय केन्द्र सरकार ने ले लिया है। भारत सरकार से इस सम्बन्ध में जब वित्त मिलेगा, तभी कार्यवाही शुरू करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने इसे वित्तीय मामला बता दिया, उन्होंने कहा कि जब हमको भारत सरकार से पैसा मिलेगा, तभी योजना कार्यान्वित की जायेगी। लेकिन, योजना के स्वरूप ब्लैक बोर्ड, टाट-पट्टी आदि साज-सज्जा की सम्प्रति जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जो राज्य सरकार की सम्प्रति जिम्मेदारी है, उसका पालन राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। 60 फीसदी विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड नहीं हैं, टाट-पट्टी नहीं है और न ही कोई और आवश्यक उपकरण हैं। इस सम्बन्ध में शासन की नीति क्या है? जिन विद्यालयों में न ब्लैक बोर्ड हैं, न टाट-पट्टी हैं और न कोई आवश्यक उपकरण हैं, उस सम्बन्ध में राज्य सरकार का जो दायित्व है, उस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कर रही है?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, राज्य सरकार अपने साधनों के हिसाब से इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है। यह केवल उ0 प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों की दशा नहीं है, परन्तु भारत में पिछड़े हुए जो प्रदेश हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन सबमें ऐसी स्थिति है। माननीय प्रधान मंत्री ने विशेष तौर से नयी शिक्षा नीति के तत्वावधान में इसे लिया है। केन्द्र सरकार वरीयता के आधार पर, ऐसे विद्यालयों में, जहां टाट-पट्टी नहीं हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं हैं, पशु-पक्षी के चित्र इत्यादि नहीं हैं, जो साधन हमको उपलब्ध करायेगी, वह भी हम इसमें लगायेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों से विकास शुल्क नाम की चीज ली जा रही है? यदि हां, तो इसका निर्णय किस स्तर से हुआ और यह कितनी ली जा रही है और इसके रखरखाव का क्या प्रबन्ध है?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, यह प्रश्न मुख्य रूप से आपरेशन ब्लैक बोर्ड से सम्बन्धित है फिर भी मैं माननीय सदस्य को इतना सूचित करना चाहूंगा कि विकास शुल्क स्थानीय स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए बहुत ही छोटे पैमाने पर लिया जा रहा है। यह जितना भी पैसा है, जो वहां से इकट्ठा किया जाता है, गांव प्रधान और प्रधानाध्यापक के मिले जुले हुए खाते के द्वारा ही उसका संचालन होता है।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया था कि वित्तीय साधनों का अभाव है, जिसके कारण विद्यालयों में टाट पट्टी, ब्लैक बोर्ड आदि नहीं हैं। वित्तीय साधन के अभाव में इन जर्जर विद्यालयों में, जिनके भवन नहीं हैं और टेलीविजन लगाये गये हैं, इस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का औचित्य क्या है? जब वित्तीय साधनों का अभाव है, भवन नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं हैं, टाट-पट्टी नहीं है, तो टेलीविजन का औचित्य क्या है?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करूंगा कि कहीं कहीं ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन, माननीय सदस्य यह कदापि न समझें कि पूरे प्रदेश के अन्दर ऐसी स्थिति है। प्रदेश के कुछ विद्यालयों के अन्दर टेलीविजन दिया जाना प्रारम्भ किया गया है। आज बढ़ता हुआ जो हमारा ज्ञान है, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी मेथाडोलाजी पढ़ाने की बदल रही है। कुछ विद्यालयों में टी0 वी0 के जरिये पढ़ाई के कार्यक्रम दिखाते हैं और उसका प्रभाव अच्छा भी पड़ रहा है। उसके कैसेट और फिल्म तैयार की जाती है। इस तरह से यह कहना कि यह उचित काम नहीं है, और जनता का धन बरबाद किया जा रहा है, यह बात सही नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि विकास शुल्क का धन प्रधानाध्यापक और प्रधान के सम्मलित खाते में हो रहा है, जबकि विकास शुल्क का धन प्रधानाध्यापक मण्डल स्तर पर एस0 डी0 आई0 के निर्देशन में जमा किया जा रहा है, जिससे इस पैसे का बहुत बड़ा दुरूपयोग हो रहा है। जनपद बलिया को ही ले लिया जाय। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, योजना तो हमेशा सदुपयोग के लिए बनाई जाती है, न कि दुरूपयोग के लिए। माननीय सदस्य किसी विशेष प्रकरण की सूचना देंगे तो उसकी जांच कराई जायेगी।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि वित्तीय संसाधनों के अभाव में हम समस्त स्कूलों में टाट-पट्टी, ब्लैक-बोर्ड आदि चीजें उपलब्ध कराने में अक्षम हैं । उत्तर प्रदेश को राजस्व का वह धन जो अध्यापकों को वेतन के रूप में दिया जाता है और भवन की स्थिति जर्जर होने के कारण बच्चों का जीवन असुरक्षित है, तो क्या माननीय मंत्री ऐसे स्कूलों को बन्द कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

ऐसे स्कूलों को बन्द करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। जहां पर भवन नहीं हैं या भवन जर्जरावस्था में हैं, तो ऐसी जगह हम भवन उपलब्ध कराने का तत्परता के साथ प्रयास कर रहे हैं । 1985-86 में 1224 विद्यालयों के लिए धन उपलब्ध कराया गया, 1986-87 में 846 विद्यालयों के लिए आर0 एल0 जी0 पी0 योजना के तहत धन उपलब्ध करवाया गया । इस वर्ष भी नये भवनों (प्राइमरी विद्यालयों के लिए) के लिए बजट में 8 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गये हैं । केन्द्र सरकार से भी हम इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं, हमें आशा है कि इतना ही धन हमें वहां से उपलब्ध हो जायेगा । हम प्रयास कर रहे हैं कि इस स्थिति को सुधारा जाय ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बरेली में 40 परसेन्ट प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जहां ब्लैक बोर्ड नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह बरेली जाकर इन्हें देख सकते हैं । क्या माननीय मंत्री जी इन स्कूलों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने हेतु आदेश निर्गत करने का कष्ट करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, हम केन्द्र सरकार के इस निर्णय से बहुत खुश हैं कि 1990 तक, जिन विद्यालयों में टाट पट्टियां नहीं हैं, जहां भवन नहीं हैं और जहां ब्लैक बोर्ड नहीं हैं, उपलब्ध करा दिये जायेंगे । 1987-88 में केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार 20 परसेन्ट विकास खण्डों का सर्वेक्षण करायेंगे और सर्वेक्षण के बाद, जो भी बुनियादी जरूरतें होंगी, उनकी सम्पूर्ति उन पाठशालाओं में की जायेगी ।

कर्नल केशरी सिंह–

कुछ समय पहले जिलों में यह सूचना दी गई थी, कि जिस गांव में दो-दो प्राईमरी विद्यालय हैं, उसमें से एक प्राईमरी विद्यालय पड़ोस वाले गांव में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और इस संबंध में हम लोगों से भी संस्तुतियां ली गई थीं । खैर, अब तो सत्र शुरू हो गया है लेकिन इस सत्र की समाप्ति के बाद ऐसे स्कूलों को ट्रान्सफर कर दिया जायेगा ?

मेरा प्रश्न यह है कि क्या नियम बनायेंगे कि उन स्कूलों में स्थानान्तरण स्कूल सत्र में न करके उसके बाद किया जायेगा या अभी फौरन किया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

विद्यार्थियों के हित को सामने रखकर ही कोई कार्यवाही की जायगी ।

श्री कनक सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्कूलों की रिपेयर होनी है, उसमें आधा ग्राम सभा जमा करती है और आधा सरकार, लेकिन यहां की ग्राम पंचायतें इस दशा में नहीं हैं कि आधा पैसा दे सकें, तो क्या माननीय मंत्री जी उन स्कूलों को पूरा पैसा देकर रिपेयर कराने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

भवन बनाने की योजना के बारे में विस्तृत रूप से कह दिया है । इस प्रकार से जो मैंने बात रखी है, वही निश्चित योजना है, इसके अतिरिक्त कोई योजना नहीं है ।

**माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षकों द्वारा सात सूत्रीय मांगों के बारे में ज्ञापन दिया जाना**

*3–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 14 अप्रैल, 1987 को उ0 प्र0 सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षण आरगनाइजेशन के तत्वावधान में माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षकों ने शांति जुलूस निकाल कर मुख्य मंत्री के आवास पर अपनी सात सूत्रीय मांगों के संदर्भ में कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री सिब्ते रजी–

मुख्य मंत्री कार्यालय से उत्तर प्रदेश सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षक आर्गनाइजेशन का पत्र/ज्ञापन दिनांक 14-4-87 प्राप्त हुआ । इसकी प्रमुख मांग सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन वितरण अधिनियम के अंतर्गत लेने की है । शेष मांगें संलग्न हैं ।

सम्प्रति वेतन वितरण अधिनियम के अंतर्गत लेने की प्रमुख मांग विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 172 पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मांग पत्र में 7 मांगे थीं, 7 में से एक मांग के बारे में माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि विचाराधीन है, जो शेष 6 मांगें हैं, उनके बारे में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी–

शेष 6 मांगों में पहली मांग है शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को सेवा सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें सेवा सुरक्षा अधिनियम में सम्मिलित किया जाय, तो ऐसे किसी अधिनियम की जानकारी नहीं है । दूसरी मांग है छात्र/छात्रा संख्या के आधार पर की जाने वाली छंटनी रोक कर वर्षों से कार्यरत स्थाई शिक्षकों/शिक्षिकाओं को सेवा सुरक्षा देते हुए समायोजित किया जाय, तो इसका सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता । तीसरी मांग है कि अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करायी जाय, इस संबंध में वेतन वितरण अधिनियम के अंतर्गत आने पर ही इस पर विचार करने का प्रश्न उठेगा । 30 बालिका विद्यालयों के संबंध में शासनादेश दिनांक 5-6-87 जारी किया गया है । चौथी मांग है शैक्षिक अर्हता, प्रशिक्षण एवं वरीयता के आधार पर सी0 टी0 वेतनक्रम में पदोन्नति प्रदान की जाय, तो वर्तमान नियमों

में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है । पांचवीं मांग है कि 1974 की सीलिंग में किन्हीं कारणोंवश अनुदान सूची में आने से वंचित रह गये विद्यालयों को सम्मिलित किया जाय, तो यह बिन्दु स्पष्ट नहीं है । छठी मांग है कि सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी वेतन वितरण अधिनियम में सम्मिलित किया जाय, तो इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जो प्रकरण शासन के विचाराधीन है, उस पर निर्णय होने में कितना समय और लग जायेगा?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, यथाशीघ्र

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

**जनपद वाराणसी में प्राइवेट बसों को तथा अनु0 जाति को आरक्षण कोटे के अनुसार परमिट का दिया जाना**

*1--श्री मूल चन्द्र--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में प्रत्येक सड़क पर प्राइवेट बसों के कितने परमिट दिये गये ? क्या अनु0 जाति को आरक्षण कोटे के आधार पर परमिट दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या पुनः आवेदन पत्र मांग कर उन्हें परमिट दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद वाराणसी में वर्ष 1986 तक विभिन्न सड़कों पर कुल 366 परमिट दिये गये हैं । प्रत्येक सड़क पर कितने परमिट दिये गये हैं, यह सूचना संलग्नक में दी गयी है ।

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण के आधार पर रिक्तियां होने पर, सम्बन्धित संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट अर्ह होने पर दिये जाते हैं । पुनः आवेदन-पत्र मांगने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 173-174 पर)

श्री मूल चन्द--

मान्यवर, अनुसूचित जाति में जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं उन्होंने आवेदन पत्र दिया था परमिट मिलने के लिये, मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या इस विभाग में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कोटा है ? दूसरी बात यह कि 1986 में कुल कितने परमिट दिये गये जिनमें से अनुसूचित जाति के लोगों के कितने प्रार्थना पत्र थे और उन्हें परमिट क्यों नहीं दिया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

यह शासनादेश जारी हुआ है 23 मई, 1983 को और इस वर्ष तक कुल 366 परमिट दिये गये जिसमें से 5 परमिट अनुसूचित जाति के प्रार्थना पत्रों के आधार पर दिये गये थे ।

श्री मूल चन्द–

मेरा कहने का मतलब यह है कि 1986 में कितने परमिट दिये गये और उनमें से अनुसूचित जाति के लिये कितने परमिट दिये गये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

1986 तक कुल 366 परमिट दिये गये । परमिट के लिये 17 प्रार्थना पत्र अनुसूचित जाति के लोगों के आये थे, उनमें से जो प्रार्थना पत्र उपयुक्त पाये गये उनके आधार पर उनको परमिट दिया गया।

डा0 बंगाली सिंह–

मंत्री जी के प्रश्नोत्तर के संबंध में कि जनपद वाराणसी में वर्ष 1986 तक विभिन्न सड़कों पर कुल 366 परमिट दिये गये, किन्तु वर्ष 1986 में कितने प्रार्थना पत्र परमिट के लिये अनुसूचित जाति के लोगों के आपको प्राप्त हुए और उनको परमिट न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

17 प्रार्थना पत्र अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के प्राप्त हुए थे उनमें केवल पांच प्रार्थना पत्र ही उपर्युक्त पाये गये और उनको परमिट दे दिया गया । यह जी0 ओ0 1983 में हुआ है और 1986 तक कुल 366 परमिट दिये गये । जो 1986 में 17 प्रार्थना पत्र अनुसूचित जाति के लोगों के प्राप्त हुए उनमें से 6 प्रार्थनापत्र में अभिव्यक्ति सुनिश्चित नहीं थी, तीन प्रार्थना पत्र अवैध थे, तीन में जिन मार्गों का उल्लेख किया गया था वहां आरक्षित कोटा था नहीं । जो पांच प्रार्थना पत्र उपर्युक्त पाये गये उनको परमिट जारी कर दिया गया ।

श्री फजले मसूद–

मान्यवर, अभी पिछले दिनों में जिन लोगों को परमिट अलाट किये गये उनके पास बसें नहीं थीं, उन लोगों ने परमिट लेकर उन्हें ब्लैक में उठा दिया, क्या उनके खिलाफ मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

यदि निश्चित सूचना देंगे, अवैध काम यदि किसी ने किया होगा तो जरूर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का इसमें आरक्षण है ? यदि है, तो क्या वह पर्वतीय क्षेत्र के लिये भी है ? यदि हां, तो किन लोगों को वहां परमिट दिये गये हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

आरक्षण का कोटा पूरे प्रदेश में लागू है ।

श्री अजीत सिंह सेठी–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आरक्षण कोटा के अंतर्गत हरिजनों को परमिट दिया गया है और यह मानते हुए कि प्रदेश भर में ऐसे परमिट नहीं के बराबर है तो क्या मंत्री जी आप मण्डलायुक्तों को निर्देश देंगे कि आरक्षण कोटा के बारे में वे कड़ाई से अमल करें और उनको पूरा कोटा दें?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह प्राविधान है ।

श्री फजलुल बारी–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश साम्प्रदायिक सौहार्द समिति बनायी गयी है और उसके जो महामंत्री हैं, उनको 5 परमिट दिये गये हैं, उनकी कितनी बसें लगी हुई हैं ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया है, वह केवल वाराणसी से सम्बन्धित है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, जिस प्रकार से और परमिट पूरे देश में फ्री कर दिये गये हैं, क्या इस तरह की व्यवस्था बस के परमिटों में भी करने का आश्वासन देंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

इस प्रश्न से यह कहां सम्बन्धित है?

श्री राम आसरे शर्मा–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक साम्प्रदायिक सौहार्द समिति है, उसके महामंत्री श्री एम0 एच0 खान हैं, उनके नाम से 5 परमिट जारी किये गये हैं और उनके पास एक भी बस नहीं है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इस सवाल का क्या ताल्लुक है?

श्री राम आसरे शर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उससे संबंधित यह प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने कहा है, कि बहुत से लोग हैं जिन्हें परमिट दिये गये हैं, लेकिन बसें नहीं हैं । उसी संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री एम0 एच0 खान के नाम से 5 परमिट जारी किये गये हैं और उनके पास एक भी बस नहीं है, क्या यह सत्य है ? यदि हां तो क्या परमिट कैंसिल करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अगर आपके पास सूचना हो तो दे दें ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, वाराणसी के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को देने के बारे में यह प्रश्न था, खां साहेब से कोई इस प्रश्न का संबंध नहीं है । इसकी सूचना नहीं है ।

(प्रश्न सं0 2 पुकारे जाने पर)

श्री मूल चन्द–

मान्यवर, मेरा तो सवाल रह ही गया . . . .

श्री अध्यक्ष–

अब मैं आगे बढ़ गया हूं । आप बैठे । माननीय सदस्य कहते हैं कि मेरा प्रश्न नहीं आया है। आप बैठें।

[सोमवार, दिनांक 6 जुलाई, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री मूल चन्द–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

**बोर्ड द्वारा इंटर के परीक्षा प्रमाण पत्रों का छात्रों को वितरित न किया जाना**

*2–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1978 एवं 79 के इण्टर के परीक्षा प्रमाण-पत्र बोर्ड द्वारा आज तक छात्रों में वितरित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या वे उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनके कारण प्रमाण-पत्र वितरण में विलम्ब हुआ है, कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, वर्ष 1978 के केवल इंटर पूरक परीक्षा के 1434 प्रमाण-पत्रों का प्रेषण शेष है । ये प्रमाण-पत्र भी तैयार करा लिये गये हैं और इन्हें वितरण हेतु प्रेषित किया जा रहा है ।

वर्ष 1979 के कुल 3,31,861 प्रमाण पत्रों में से 3,18,975 प्रमाण पत्र वितरण हेतु भेजे जा चुके हैं । 12,886 प्रमाण-पत्र भेजने शेष हैं और इन अवशेष प्रमाण-पत्रों के प्रेषण का कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है ।

विलम्ब का मुख्य कारण राजकीय प्रेस, इलाहाबाद द्वारा मुद्रित प्रमाण पत्र अत्यधिक विलम्ब से उपलब्ध कराया जाना तथा प्रमाण पत्र लेखकों का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होना है विलम्ब का दोषी कोई अधिकारी नहीं पाया गया, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

**वन विभाग के अधिकारी, श्री दिवाकर चौहान आदि द्वारा आगरा के गल्ला व्यापारी को लूटा जाना**

*3–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद के ग्राम नौगवां के निकट दि0 26-5-85 को गल्ला व्यापारी ध्रुव सिंह निवासी करकौली थाना भटसेना को वन विभाग के अधिकारी, दिवाकर चौहान आदि ने लूटा और उसे गोली मार दी ? यदि हां, तो इस संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

प्राप्त सूचना के अनुसार वन विभाग के फारेस्टर श्री श्रवण लाल दिवाकर मय स्टाफ के साकुरी खुर्द के जंगल में दिनांक 25/26-5-85 की रात्रि में गश्त पर थे । 4 बजे

सुबह उन्हें लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दी । टार्च की रोशनी में श्री दिवाकर ने चार आदमियों को देखा । उनमें से एक आदमी ने उनकी ओर फायर किया । फारेस्टर की तरफ से भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया जिसके बाद चीख सुनाई दी और वे लोग भाग खड़े हुए । फारेस्टर ने टार्च की रोशनी में भागते हुए अभियुक्तगण जो ध्रुव, वीरबल, सोराम व छोटे थे, को पहचान लिया । मौके पर तीन ऊंट, कटी हुई काफी लकड़ी और लकड़ी काटने के औजार मिले । उजाला होने पर खून की बूंदें दिखाई दीं और उनके संकेत पर वह चले तो गुवरोठ के पास ध्रुव मरा पड़ा मिला ।

श्री श्रवण दिवाकर की सूचना पर थाना फतेहाबाद पर मु0 अ0 सं0 88/धारा 382/411/307 भा0 द0 वि व 26 फारेस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ । बाद विवेचना दिनांक 3-8-85 को अभियुक्तगण बीरवल, सोराम, छोटे के विरुद्ध मफरूरी में आरोप पत्र प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आप मेरा प्रश्न देखें । इसमें साफ लिखा है कि ध्रुव सिंह जो एक गल्ला व्यापारी था उसको 26-5-85 को आपके वन विभाग के अधिकारी दिवाकर चौहान आदि ने लूटा और बाद में गोली मार दी । मैंने यह सवाल पूछा था । मंत्री जी ने जो उत्तर पढ़ा उसमें कहा गया कि उन्हें लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दी और उस पर उन्होंने टार्च डाली । एक आदमी ने फायर कर दिया और वह मर गया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ध्रुव सिंह एक गल्ला व्यापारी था और जो लकड़ी वह काट रहा था वह जंगल में सूखी पड़ी लकड़ी थी या हरी लकड़ी थी ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके बाप ने तथा गांव के चार आदमियों ने दरख्वास्त दी है, नौगवां के प्रधान ने भी इस सम्बन्ध में बयान दिया है कि मृत व्यक्ति को पहले लूटा गया और बाद में उसको गोली मार दी, इसकी आप जांच करायेंगे या नहीं ? मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है । एक नौजवान को 4 बजे सुबह लूट कर मार दिया गया, जिसका बयान नौगवां के प्रधान ने भी दिया है, इसकी आप जांच करायेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, पहली बात तो मैं यह बताना चाहता हूं कि मृतक व्यक्ति गल्ले का व्यापारी नहीं था । ध्रुव सिंह का एक आपराधिक इतिहास भी रहा है । वह 396 जैसी संगीन जुर्म उस पर चल चुके हैं। दो बार लूट के मामले में 21/78/396 तथा 21/70/392 के जुर्म उस पर चल चुके हैं । वह व्यापारी नहीं है । जहां तक लोगों द्वारा दरख्वास्त देने का सवाल है, प्रश्न में कहीं भी प्रार्थना-पत्र देने का जिक्र नहीं है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पुनः बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि आपके पास जो सूचना आयी है वह पुलिस ने दिवाकर चौहान को बचाने के लिये लिखी है। मैं कहना चाहता हूं कि ध्रुव सिंह के पिता तथा 4 अन्य आदमियों ने पुलिस में जो दरख्वास्त दी उस पर कोई जांच हुई है । नौगवां के प्रधान ने वहां के एस0 डी0 एम0 के सामने बयान दिया है । वह पत्रावली आपके पास नहीं आयी है । मैं जानना चाहता हूं कि लकड़ी काटने पर फारेस्ट डिपार्टमेंट का कोई आदमी गोली मार दे, यह कहां तक उचित है। इसकी जांच आप सी0 आई0 डी0 से करायेंगे ताकि सारा प्रकरण सामने आ जाय?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, गोली चलाने की बात फारेस्टर की तरफ से तब आयी जब उस पर पहले खुद फायरिंग की गई और तब आत्म-रक्षा के लिये फारेस्टर ने फायरिंग की।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मृतक ध्रुव सिंह के पास कोई गोली मिली, कोई कट्टा मिला । उन चार आदमियों के पास मिला जो थाने में गये । श्रीमन्, यह मेरा आंखों देखा किस्सा है सुबह 4 बजे का किस्सा है । क्या मंत्री जी इस सारे प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 से चैक-अप करा देंगे ।

**जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कोतवाली शहर में दर्ज अपराध संख्या 720/82 में नामजद अभियुक्तों की संख्या**

*4–श्री शिव नारायण मिश्र (अनुपस्थित)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत थाना कोतवाली शहर के अपराध संख्या 720 धारा 147, 148, 149, 307 आई0पी0 सी0 दिनांक 13-12-82 में कितने अभियुक्त नामजद थे तथा उनके नाम तथा पते क्या है ? क्या नामजद अभियुक्त, श्री जे0 के0 मिश्रा अवर अभियन्ता नलकूप को जान से मार डालने के प्रयास में गये थे? क्या दोषी व्यक्ति शातिर किस्म के अराजक तत्व हैं और उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई अभियोग पत्र प्रेषित है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

अपराध संख्या-720/82 में 3 अभियुक्त नामजद थे जिनके नाम व पते निम्न लिखित हैं :–

1–प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी व

2–हरिश्चन्द्र त्रिपाठी पुत्रगण राम मूर्ति त्रिपाठी निवासी चांदा, थाना चांदा सुल्तानपुर ।

3–मुक्तिधाम श्रीवास्तव पुत्र श्री रूद्र प्रताप श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता नलकूप खण्ड, सुल्तानपुर ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार नामांकित अभियुक्तों ने अपने साथियों के साथ श्री जे0 के0 मिश्र अवर अभियन्ता नलकूप को जान से मार डालने का प्रयास किया था। लेकिन डाक्टरी परीक्षण के पश्चात प्राण घातक चोट सिद्ध नहीं हो सकी थी, जिसके फलस्वरूप अभियोग को धारा 146/148/324 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित कर दिया गया था अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त अपराध के अलावा और किसी आपराधिक इतिहास का उल्लेख पुलिस अभिलेखों में नहीं पाया गया । आरोप पत्र न्यायालय में विचाराधीन है ।

*5–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जनपद बस्ती, थाना खेसरहा के थानाध्यक्ष द्वारा वहां के निवासियों के घरों में लूट पाट**

*6–श्री दिवाकर विक्रम सिंह (अनुपस्थित)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र बावत ग्राम अकोल्ही थाना खेसरहा, जनपद बस्ती के ग्रामवासियों को तत्कालीन थानाध्यक्ष खेसरहा आंदान सिंह द्वारा अकारण रात में घरों में घुस कर मारने और फर्जी मुकदमा बनाकर बन्द करने के मामले की जांच कराने हेतु गृह सचिव को दिनांक 27 अथवा 28 नवम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अब तक इस मामले की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा और जांच आख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश के कतिपय जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी के रिक्त पद**

*7–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन से जनपद ऐसे हैं जिनमें 11-3-86 तक बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं थे ?

श्री सिब्ते रजी–

दिनांक 11-3-86 तक निम्नलिखित मण्डलों/जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं थे :–

| क्र0सं0 | मण्डल | जनपद |
|---|---|---|
| 1. | आगरा | आगरा |
| 2. | इलाहाबाद | फतेहपुर |
| 3. | फैजाबाद | बाराबंकी |
| 4. | झांसी | (1) जालौन |
| | | (2) ललितपुर |
| 5. | कुमायूं मंडल | पिथौरागढ़ |
| 6. | लखनऊ | खीरी |
| 7. | मेरठ | बुलन्दशहर |

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो स्थान अभी बताये इनमें कब से बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं थे और आज भी वहां पर हैं या नहीं ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, आगरा में 1-10-85 से फतेहपुर में 30-11-85 से बाराबंकी में दिसम्बर, 85 से जालौन में 24-2-86 से, ललितपुर में फरवरी, 86 से पिठौरागढ़ में 23-9-85 से खीरी में 31-7-85 से बुलन्दशहर में 23-9-85 से नहीं थे । अब यहां पर कर दिये गये हैं आगरा में जुलाई 86, फतेहपुर 1-7-86 बाराबंकी 5-7-86, जालौन में 12-7-86,

ललितपुर में 26-7-86 पिठौरागढ़ में 5-7-86, खीरी में 5-7-86 और बुलन्दशहर में 4-10-86 से बेसिक शिक्षा अधिकारी पोस्ट कर दिये गये हैं।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

माननीय मंत्री जी ने बरेली का नाम नहीं लिया वहां पर भी बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, तो क्या वहां पर पोस्ट कर दिया गया है या पुराने को ही रखा गया है ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, जो मैंने उत्तर दिया वह इससे संबंधित नहीं था। माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बरेली में बेसिक शिक्षा अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया है उसके स्थान पर शीघ्र दूसरा बी0एस0ए0 भेज दिया जायेगा।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन जनपदों की सूचना मिल गयी और यहां पर बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त कर दिये गये। तो वर्तमान में कौन-कौन जनपद ऐसे हैं जहां बी0एस0ए0 नहीं है, प्रोन्नत करके वहां पर कर दीजिये ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, प्रतापगढ़, बहराइच, आजमगढ़, बरेली और फर्रुखाबाद यह 5 जिले ऐसे हैं जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं हैं यह कुछ स्थानान्तरण के कारण और कुछ सेवा निवृत हो जाने के कारण खाली हुये हैं। इन पर नियुक्त करने की व्यवस्था की जा रही है।

*8–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जिला सीतापुर के अन्तर्गत थाना संधना की पुलिस द्वारा एक हरिजन की पिटाई एवं उसकी मृत्यु**

*9–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि मार्च, 87 के प्रथम सप्ताह में थाना संधना जिला सीतापुर की पुलिस द्वारा थाने की सीमा के भीतर एक हरिजन को इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गयी? क्या यह भी सही है कि जब मृतक मारा जा रहा था तब थानाध्यक्ष भी सामने थाने में मौजूद थे तथा पिटाई देखते रहे? यदि हां, तो पुलिस तथा थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गया प्रसाद उर्फ फन्ने पुत्र हंसा हरिजन निवासी भट्ठापुरवा मजरे जैनापुर थाना संधना जनपद सीतापुर के पास नाजायज शस्त्र होने की सूचना, दिनांक 2-3-87 को थाने पर प्राप्त हुई। थाना संधना के दो कानि0 गवाहों के साथ गया प्रसाद के घर पहुंचे और इस संबंध में पूछ ताछ की। गया प्रसाद ने सिपाहियों को देखते ही बांके से वार किया जिससे एक कानि0 एवं एक गवाह घायल हो गये। बाद में गवाहों एवं सिपाहियों ने गया प्रसाद को पकड़ लिया एवं थाने लाये। इस संबंध में थाना संधना पर मु0अ0सं0 33/37 धारा 307/324 भा0दं0वि0 व मु0अ0 सं0 33/87 धारा 25 बी आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ। दिनांक 2-3-87 को ही थाने में गया प्रसाद की मृत्यु हो गयी। मृतक की मां द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उक्त दोनों कानि0 एवं एक गवाह के विरुद्ध

मु0 अ0 सं0 32ए/87 धारा 304 भा0 दं0 वि0 थाने पर पंजीकृत किया गया । उपरोक्त दोनों अभियोगों की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा प्रचलित है।

थानाध्यक्ष की मौजूदगी में मृतक को थाने के भीतर मारने पीटने की बात असत्य है । अतः थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । घटना से संबंधित दोनों कानि0 को निलम्बित कर दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस मृतक जिसको सैकड़ों लोगों ने देखा कि पुलिस ने मारा, थाने में मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । मेरी जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष वहां मौजूद थे लेकिन आपने कहा कि नहीं थे, तो इस जानकारी का आधार क्या है? मान्यवर, सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी इसमें हो रही है तो मैं जानना चाहता हूं कि मृतक को थानाध्यक्ष की प्रेजेन्स (मौजूदगी) में मारा जा रहा था कि नहीं, जिसके संबंध में लोगों ने लिखकर दिया था कि थानाध्यक्ष की मौजूदगी में मारा जा रहा था, यह बिन्दु सी0 आई0 डी0 जांच में संदर्भित है कि नहीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यही कुछ ऐसी संदिग्ध बातें थीं जिनके आधार पर शासन ने स्वयं ही सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी का निर्णय लिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी ने असत्य उत्तर दिया है कि मृतक को थानाध्यक्ष की मौजूदगी में नहीं मारा गया । इसलिये यह बात इंक्वायरी में संदर्भित है कि नहीं यह बता दें और दूसरी बात यह भी जानना चाहता हूं कि मृतक ने बांके से मारा तो सिपाही और गवाह की क्या मेडिकल रिपोर्ट है, यदि हां तो वह बता दें ।

(मंत्री जी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, पुलिस मृतक के यहां नाजायज असलहे की इत्तिला पाकर गयी थी, वहां मारपीट हुई और मुल्जिम पकड़ लिया गया और नाजियों की तरह पुलिस ने थाने में उसको मारमार कर मार डाला, तो मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस ऐसा गैस चेम्बर बना ले जिससे मुल्जिम को आसानी से वहां बन्द करके मारा जा सके। तो मैं जानना चाहता हूं कि मृतक के पास कौन सा असलहा बरामद हुआ ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, पहला प्रश्न गुप्त जी का था इंजरी रिपोर्ट के बारे में, तो इंजरी रिपोर्ट इस तरह से है–

कांस्टेबिल श्री लाल साहेब पांडेय को दो चोटें आयी हैं–पहली चोट कंटूजन 4 से0मी0×2 से0मी0 लेफ्ट साइड फेस पर, दूसरी चोट गंभीर है–गहरा घाव 2 से0मी0×0.25 से0मी0 मसल के नीचे तक लेफ्ट साइड में खून भी बह रहा था । रिपोर्ट में लिखा है कि शार्प वीपन से कटिंग है ।

श्रीमती लल्ली के जो चोट आयी है उसके बारे में लिखा है कंटूजन 14×9 से0मी0 बायीं ओर।

इसी प्रकार दूसरे गवाह श्री राम मनोहर को दो चोटें आयी हैं–पहली चोट ।

एब्राजन 8×2 से0मी0 दाहिने पैर के घुटने में।

दूसरी चोट–

गहरा घाव 2×0·25 से0मी0 दाहिने पैर के मसल में हुआ है । यह तेज धार हथियार से घाव है ।

श्री शारदा प्रताप–

असलहा कौन सा बरामद हुआ यह बता दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

असलहा के बारे में बतायें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह जांच के लिये सारा प्रकरण सी0आई0डी0 को दे दिया गया है जिसमें जांच से सब चीजें आ जायेंगी।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

असलहे के बारे में बतायें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, बांका ही मिला जिससे मृतक ने वार किया था।बाकी सूचना जांच से आ जायेगी ।

डा0 अच्युतानन्द तिवारी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे थानाध्यक्ष हैं जिन पर हत्या के आरोप हैं, इसलिये क्या उनको निलम्बित करके जांच करायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसमें दो कांस्टेबिल निलम्बित कर दिये गये हैं । थानाध्यक्ष के संबंध में जो कहा गया तो थानाध्यक्ष उपस्थित था, लेकिन उनके सामने घटना हुई यह सिद्ध नहीं हुआ ।

*10–श्री किरन पाल सिंह–

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

**ग्राम्य विकास योजना को टाउन एरिया क्षेत्रों पर लागू किये जाने की मांग**

*11–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1986 संयुक्त सचिव श्री वी0 एस0 पाण्डेय ने अपने अ0 अशा0 पत्र संख्या सी एम (वि0 को0) एम-1ल/72-85-86, दिनांक 25 अगस्त, 1986 के द्वारा सचिव, ग्राम्य विकास के पास एकीकृत ग्राम्य विकास योजना को टाउन एरिया क्षेत्रों पर लागू करने के सम्बंध में भेजा था? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक लागू कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना की टाउन एरिया क्षेत्रों पर लागू करने के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री जी के पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1986 के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 अगस्त, 1986 प्राप्त हुआ था। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना भारत सरकार की नीति के अनुसार केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू है।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार ने वहां के निर्बल वर्ग और युवकों के लिये तरक्की के लिये यह एकीकृत योजना लागू किया है। हम लोगों के क्षेत्रों में टाउन एरियाज जो गांव का रूप है वहां तमाम निर्बल वर्ग के लोग बेरोजगार हैं जो हम लोगों के यहां पहुंचने पर सवाल करते हैं, जैसे हमारा क्षेत्र में काकोरी जो टाउन एरिया और ब्लाक भी है के लोग पूछते हैं, जिसके संबंध में मैंने मुख्य मंत्री जी को 20 अगस्त को एक पत्र लिखा था कि टाउन एरियाज में भी भारत सरकार से संस्तुति की जाये कि एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के तहत धन उपलब्ध कराया जाये जिससे उनके भी रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो सके, तो क्या माननीय मंत्री जी इस योजना को शहरी क्षेत्रों में- टाउन एरिया में भी लागू करने के लिये भारत सरकार से संस्तुति करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जैसा मैंने पहले बताया एकीकृत विकास योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू है और टाउन एरिया और शहरी क्षेत्रों में इसको कवर नहीं किया जा सकता है भारत सरकार की नीति के अनुसार। लेकिन शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी, जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग हैं, विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाएं चालू की गई हैं और उनका लाभ शहरी क्षेत्रों के लोगों को मिल रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा–

विभिन्न विभागों द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके नाम क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

शेड्यूल कास्ट्स फाइनेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन, जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में लोगों को 6 हजार रुपया तक कर्ज उपलब्ध कराया जाता है और उसमें 3 हजार की सब्सिडी है और इसी तरह 20 हजार रुपया बैंकों से कर्ज दिलाया जाता है और उसमें 4 प्रतिशत तक केवल ब्याज लिया जाता है। इसी तरह ट्रेनिंग के लिए भी शहरी क्षेत्र के युवकों हेतु व्यवस्था है। यू0 पी0 माइनारिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन की भी स्थापना की गई है, जिसके जरिये माइनरिटी कम्युनिटीज के लोगों को इमदाद दी जाती है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लाएमेंट की स्कीम भी शहरी इलाके में लागू है, जिसके अन्तर्गत 25 हजार रुपया तक बेरोजगार युवकों को कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। उसमें 25 फीसदी उसको सब्सिडी भी मिलती है। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं, जिसमें शहरी क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें मदद दी जाती है।

श्री अजीत सिंह सेठी–

जिन टाउन एरियाज में 80 प्रतिशत या उससे अधिक हरिजन तबके के लोग रहते हैं, क्या उनमें एकीकृत ग्रामीण विकास योजना लागू करने की मंत्री जी कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–
जी नहीं।

## हाईस्कूल स्तर तक अनिवार्य समान और सस्ती शिक्षा लागू करने की मांग

*12–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–
क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के शैक्षिक पिछड़ेपन को दृष्टिगत करते हुए हाईस्कूल स्तर तक अनिवार्य समान और सस्ती शिक्षा लागू कराने हेतु कोई नीति बनाने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–
जी नहीं। क्योंकि वित्तीय संसाधनों के सीमित होने के कारण हाईस्कूल स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य करना और "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 30(1) के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा उन्हें प्रशासित करने का अधिकार प्राप्त होने के कारण शिक्षा की समान नीति लागू करने सम्भव नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–
मान्यवर, मंत्री जी ने हाईस्कूल तक और 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा न देने के दो कारण बताए हैं। पहला तो वित्तीय संसाधनों की कमी और दूसरे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) की बाधा का उल्लेख किया है, किन्तु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों के लिए 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा, तो क्या संविधान लागू होने के बाद से अब तक राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी विफल रही है कि इसके लिए अब तक इनके पास आर्थिक संसाधन नहीं हो पाए हैं? और जो मंत्री जी ने संविधान की धारा 30(1) का उल्लेख किया है, तो उसमें कहीं भी इस बात का प्राविधान नहीं है कि भाषा या धर्म के आधार पर कोई रुकावट आ रही हो तो अनुच्छेद–30 में कहा गया गया है कि–"धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।" तो जब नयी शिक्षा नीति लागू हो रही है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार की सारी नीतियां इतनी खराब रही हैं कि वित्तीय संसाधन नहीं जुटा पाए क्या इसलिए निःशुल्क सामान्य और सस्ती शिक्षा लागू नहीं करेंगे?

श्री सिब्ते रजी–
मान्यवर, माननीय सदस्य ने तीन शब्द रखे जिसमें कहा गया निःशुल्क, सामान्य और सस्ती शिक्षा, अब मान्यवर, इन शब्दों का अलग-अलग विश्लेषण किया जाए तो बात बहुत लम्बी हो जायेगी। वित्तीय संसाधन इतने कम नहीं हैं कि प्रदेश शासन कुछ न कर सके। 85-86 के आकड़ों के आधार पर प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा के करीब 5 हजार,722 विद्यालय चल रहे हैं जिसमें 44 लाख लड़के पढ़ रहे हैं। इसमें व्यक्तिगत 5 लाख इण्टरमीडिएट में तथा डेढ़ लाख बच्चे हाईस्कूल में बैठे हैं। हाई स्कूल और

इण्टर में इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा में करीब एक करोड़ 20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। करीब 22 लाख जूनियर हाई स्कूल में बच्चे पढ़ाये जा रहे हैं करीब तीन लाख अध्यापकों का वेतन शासन वहन कर रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात कही गयी अनुच्छेद–45 पढ़ना चाहूंगा जिसमें कहा गया है–"इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।" मान्यवर, यह बात 1960 में कही गई थी। इस संविधान में कहा गया है कि प्रारम्भ से 10 वर्ष की अवधि से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे तो मान्यवर प्रयास बड़ा ही व्यापक शब्द है, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। करीब 72 हजार प्राथमिक स्कूल हैं उससे लड़के लाभान्वित हो रहे हैं, तो मान्यवर माननीय सदस्य नयी शिक्षा नीति को गलत संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास न करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्कूलों की गिनती के माध्यम से छात्रों की गिनती के माध्यम से, बड़ा अच्छा भाषण दिया है और स्थिति को अच्छा बताया है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में शिक्षा का हमारे यहां का स्तर तीसरे नम्बर पर है, तो क्या माननीय मंत्री जी शिक्षा के पिछड़ेपन को देखते हुए अनिवार्य और सस्ती शिक्षा लागू करने का कष्ट करेंगे ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आंकड़े बताये हैं तथा जो अनुच्छेद-45 में दिया गया है, उसके अनुसार कितने बच्चे, कितने स्कूलों में इस बार गये हैं ।

श्री सिब्ते रजी–

इसका प्राविधान बजट में कर दिया गया है ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने संविधान के अनुच्छेद 45 का उद्धरण दिया और उसके आधार पर बताने का प्रयास किया कि उसमें यह लिखा है कि सरकार प्रयास करेगी । इस अनुच्छेद में 10 साल के अंदर 6 से 14 साल के बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिये जाने का संकल्प था । 1950 से संविधान लागू हुआ और 10 साल बीत गये हैं सरकार इस प्रयास में सफल नहीं हो सकी है । वैसे तो यह सरकार कभी सफल नहीं हो सकती । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई निश्चित अवधि निर्धारित करेंगे कि इस तिथि तक 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर दी जायगी ?

श्री सिब्ते रजी–

जहां तक निःशुल्क शिक्षा का प्रश्न है कक्षा 6 तक बालकों की शिक्षा निःशुल्क है । जहां तक बालिकाओं का प्रश्न है हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क है और इस वर्ष इंटरमीडिएट तक शिक्षा निःशुल्क कर दी गयी है । कब तक हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर देंगे इस पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार मंथन हुआ है और यह 6 से 11 साल के बच्चों को 1990 तक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने की संकल्पना की गयी है और 1995 तक 11 से 14 साल के बच्चों के लिए जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा उपलब्ध कराने की संकल्पना की गयी है । उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सरकार की संकल्पना से अपने को जोड़ा है और सतत प्रयास कर रहे हैं कि जो उद्देश्य 27-28 साल पहले रखा गया है उसकी प्राप्ति शीघ्र कर सकें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मान्यवर, शिक्षा एक व्यापक और अहम शब्द है । देश और प्रदेश के उत्थान के लिये शिक्षा के क्षेत्र में एक कमी हम महसूस करते आ रहे हैं कि राष्ट्रीय चरित्र की निरंतर कमी आती जा रही है । तो माननीय मंत्री जी क्या विचार करेंगे कि राष्ट्रीय चरित्र सुधरे इसके लिए हर कक्षा में चरित्र सम्बन्धी शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे ताकि जो राष्ट्रीय चरित्र गिरता चला जा रहा है उसका उत्थान हो सके ।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, नैतिक शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम का भाग बनाया गया है । जूनियर हाई स्कूल तक के स्तर पर यह लागू है और माध्यमिक स्तर पर इसको लागू करने के सिलसिले में काम शुरू हो गया है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 48.2 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं । मंत्री जी ने बताया कि वित्तीय संसाधनों की कमी है । तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो हैं उनके लिये अनिवार्य रूप से और नि:शुल्क रूप से और एक समान शिक्षा लागू करने का कष्ट करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, कमजोर वर्गों को उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको प्रोत्साहित करें और उनको अपने बच्चे स्कूल भेजने से जो नुकसान होता है उसको किस तरह से कम्पनसेट करें। तो यह एक लम्बा सवाल है। हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में अलग-अलग तरह के विद्यालय हमारे प्रदेश में चल रहे हैं । वैसे तो सारे देश में भी तरह-तरह के विद्यालय चल रहे हैं जिससे कि हमारे देश और प्रदेश के बच्चों को एक समान शिक्षा का अवसर नहीं मिलता है । शिक्षा का स्तर भी सरकारी विद्यालयों, प्राइवेट विद्यालय और पब्लिक स्कूलों में अलग-अलग है । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का कोई विचार है ?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, सम्प्रति शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने का कोई विचार शासन का नहीं है ।

*13–डा0 दिनेश जौहरी–

[दिनांक 22-6-87 को अता0 प्र0 सं0 97 द्वारा उत्तरित]

---

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 12 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

**जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल व पिथौरागढ़ को एन0 आर0 ई0 पी0 के अंतर्गत आवंटित की गई धनराशि**

*14–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 86-87 के प्रथम त्रैमासिक में जनपद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ व नैनीताल को एन0 आर0 ई0 पी0 (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना) के अंतर्गत अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी है और इस धनराशि को आवंटन करते समय क्या मापदण्ड अपनाया गया है ? क्या यह भी सही है कि सीमान्त जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों की संख्या कहीं ज्यादा है ? यदि हां, तो इन जनपदों को रा0 ग्रा0 रो0 यो0 में कम धन आवंटन करने का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1986-87 के प्रथम त्रैमास में जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल को क्रमशः 34 लाख/30 लाख तथा 42 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं ।

भारत सरकार की मार्ग निर्देशिका में जनपदों को धन आवंटन करने हेतु निम्न माप दण्ड निर्धारित किये गये हैं:–

(क) जिले में कृषि मजदूरों और सीमान्त कृषकों की जनसंख्या का 50 प्रतिशत भार

(ख) भार जिले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की संख्या का 50 प्रतिशत भार दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऊपर क व ख से स्थिति स्पष्ट है ।

*15–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[9वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 15 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

*16–श्री महेन्द्र भाटी–

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

**जिला विकास अधिकारी, उन्नाव द्वारा उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि-विकास बैंक से प्राप्त पत्र पर की गई कार्यवाही**

*17–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास अधिकारी, उन्नाव को सामान्य प्रबन्धक प्रशासन उ0 प्र0 राज्य सहकारी विकास बैंक, लखनऊ के पत्र संख्या सी-86/शिकायत/1962/पुरवा 86-87 दिनांक 30-9-86 की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है जिसमें यह उल्लेख है कि श्री पी0 एस0 एम0 चौहान, ए0 डी0 ओ0, एम0 आई0, विकास खण्ड हिलौली, उन्नाव के द्वारा तैयार किये गये प्रमाण पत्रों व ऋण पत्रावलियों की अग्रिम आदेश तक मान्यता न दी जाय ? यदि हां, तो उक्त पत्र के परिपालन में जिला विकास अधिकारी ने क्या कार्यवाही की है ? क्या यह सही है कि उक्त पत्र की अवहेलना करते हुए श्री पी0 एस0 एम0 चौहान के द्वारा तैयार किये गये प्रमाण पत्रों और ऋण पत्रावलियों के आधार पर जिला विकास अधिकारी ने ऋण भुगतान किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्न में वर्णित उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक का पत्र दिनांक 30-9-86 जिला विकास अधिकारी उन्नाव के अभिलेखों के अनुसार उन्हें प्राप्त होना नहीं पाया जाता है । संदर्भित पत्र के संबंध में शाखा प्रबंधक, उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा पुरवा जनपद उन्नाव से जानकारी की गई तथा यह पाया गया कि संदर्भित पत्र समस्त शाखा प्रबंधकों को संबोधित है तथा जिला विकास अधिकारी को पृष्ठांकित है । इन आदेशों के अनुपालन में बैंक शाखा द्वारा श्री पी0 एस0 एम0 चौहान, ए0 डी0 ओ0 विकास खंड हिलौली द्वारा तैयार की गई ऋण पत्रावलियों को ऋण भुगतान हेतु स्वीकार नहीं किया गया । चूंकि ऋण का भुगतान बैंक शाखा द्वारा किया जाता है अतएव जिला विकास अधिकारी के स्तर से श्री चौहान के हस्ताक्षर से प्रस्तुत ऋण पत्रावलियों तथा प्रमाण पत्र पर ऋण भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*18–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ]

**प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चस्तरीय शिक्षा तक एक समान पाठ्यक्रम नियम लागू करने की मांग**

*19–श्री मयंकर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चस्तरीय शिक्षा तक एक समान पाठ्यक्रम एक समान शिक्षा व्यवस्था तथा सुविधा का नियम प्रदेश में लागू करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

ऐसा कोई नियम नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**कोतवाली जौनपुर की पुलिस द्वारा श्री वशिष्ठ नारायण की हत्या**

*20–श्री कल्यान सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रश्नकर्ता के दिनांक 23-6-86 के पत्र के साथ श्रीमती मीरा सेठ पत्नी मृतक श्री वशिष्ठ नारायण सेठ मुहल्ला साहूतला थाना कोतवाली जौनपुर जिला जौनपुर का दिनांक 23-6-87 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कोतवाली जौनपुर की पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखाकर दिनांक 12/13 जून, 1986 की रात्रि को उनके पति श्री वशिष्ठ नारायण सेठ (भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष जौनपुर) की नृशंस हत्या किए जाने का गम्भीर आरोप लगाया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र क्या है और अब तक सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र तथा श्रीमती मीरा सेठ के उक्त प्रार्थना पत्र को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

श्रीमती मीरा सेठ का दिनांक 23-6-86 का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्रश्न में उल्लिखित आशय के आरोप लगाये गये हैं । प्रश्नगत मामले मैजिस्ट्रीयल जांच प्रचलित है । प्रार्थना पत्र सदन के पटल पर रखने का कोई औचित्य नहीं है ।

**अतारांकित प्रश्न**

1–कुंवर रेवती रमण सिंह,

श्री गौरी शंकर भैया तथा

श्री मैनेजर सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

**शासन द्वारा नये शस्त्रों के लाइसेंस जारी किये जाने पर रोक**

**2–श्री मैनेजर सिंह–**

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नये शस्त्रों के संबंध में शासन ने एक नीति बना रखी है जिससे कि नये शस्त्रों के लाइसेन्स नहीं दिये जा रहे हैं जब कि असामाजिक तत्वों के पास पहले ही से सभी तरह के शस्त्र मौजूद हैं ? यह भी देखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करके वे सभी हथियार अपने पास रखे रहते हैं और इसी से हर तरह के जरायम का कार्य करते हैं ? क्या शासन इस पर विचार करेगा कि ऐसे मामले की समुचित कार्यवाही करने के लिए और स्थगन समाप्त करने के लिए ऐसे मामले में वकील इसी कार्य के लिए नियुक्त किये जायं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सामान्यतया शस्त्रों के नये लाइसेंस जारी करने पर रोक लगी हुई है । परन्तु यह कहना कठिन है कि असामाजिक तत्वों के पास पहले ही से सभी तरह के शस्त्र मौजूद हैं । शस्त्रों के लाइसेंस काफी छानबीन के उपरान्त जारी किये जाते हैं । यदि लाइसेंस जारी करने के उपरान्त किसी लाइसेंसी की अवांछनीय/असामाजिक गतिविधियां प्रकाश में आती हैं, तो उस के निलम्बन /निरस्तीकरण के संबंध में कार्यवाही की जाती है। फलस्वरूप ऐसे कुछ लाइसेंस माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं ।

शस्त्र लाइसेंसों के निलम्बन/निरस्तीकरण से संबंधित रिट याचिकाओं के विरोध हेतु या उनमें पारित स्थगन आदेश को समाप्त कराने के लिए अलग से वकील की नियुक्ति करने से कोई विशेष लाभ होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है ।

3–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

4-5–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**वाराणसी मंडल के हाईस्कूलों को अनुदान सूची में लिये जाने की मांग**

6—श्री दीप चंद्र सोनकर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-3-85 को वाराणसी मंडल में कितने हाई स्कूल ऐसे थे जो अनुदान सूची में नहीं थे तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने की व्यवस्था है ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना के अनुसार वाराणसी मण्डल में 54 विद्यालय 31-3-85 को अनुदान सूची में नहीं थे ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1987-88 में वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में मान्यता प्राप्त हाईस्कूलों को अनुदान सूची पर लिये जाने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

**राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्ध कार्यालय, नैनीताल में कार्यरत श्री जगदीश सहाय की मृत्यु के बाद उनके पुत्र को सेवा में लिये जाने की मांग**

7—श्री मयंकर सिंह—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश सहाय श्रीवास्तव, सहायक लेखाधिकारी, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, टनकपुर (नैनीताल) की दिनांक 20 जून, 1986 को सेवाकाल में ही मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित (छोटे पुत्र) को सेवा में लिये जाने के संबंध में मृतक की पत्नी श्रीमती शिवरानी श्रीवास्तव तथा श्री अफसर यू0 अहमद, विधायक, बस्ती का कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक मृतक के आश्रित को सेवा में न लिये जाने का क्या कारण रहा तथा क्या मंत्री जी मृतक के आश्रित (छोटे पुत्र) नवीन कुमार श्रीवास्तव को सेवा में लेने के बारे में कोई कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या यह भी सच है कि मृतक के आश्रितों को फण्ड, ग्रेच्युटी तथा पेंशन का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

परिवहन मंत्री (डा0 संजय सिंह)—

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित दोनों पत्र प्राप्त हुए थे और उस पर निगम द्वारा कार्यवाही की गयी । मृतक आश्रित की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल है तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर वह चतुर्थ श्रेणी पद के लिए उपयुक्त थे, परन्तु चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में स्वीकृत से अधिक कार्मिक कार्यरत होने के कारण इन्हें नियुक्ति प्रदान करने में कठिनाई आ रही थी । अब निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार हाईस्कूल उत्तीर्ण मृतक आश्रित को परिचालक पद पर लिए जाने की व्यवस्था की जा चुकी है और उन्हें भी परिचालक पद हेतु औपचारिकतायें पूर्ण करने के निर्देश क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा दिये गये हैं ।

मृतक आश्रितों को फण्ड तथा बीमे का भुगतान किया जा चुका है । पेंशन तथा ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए तेजी से कार्यवाही की जा रही है । श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध गबन के एक मामलें में अनुशासनिक प्रकरण उनकी मृत्यु के पूर्व से चल रहा था, जिसके निस्तारण के तुरन्त बाद ये भी भुगतान करा दिये जायेंगे ।

8–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

[दिनांक 3-3-86 को अता0 प्र0 सं0 101 द्वारा उत्तरित]

**प्रौढ़-शिक्षा अधिकारी, आगरा द्वारा अनुगमन-कार्य कर्ताओं आदि के चयन की तिथियां बदलने के संबंध में**

9–श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि वर्तमान प्रौढ़-शिक्षा अधिकारी, आगरा जो एटा, अलीगढ़ एवं मथुरा का भी कार्य देख रहे हैं, ने अपने कार्यकाल में उक्त जनपदों में अनुगमन-कार्यकर्ताओं एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो इन नियुक्तियों में साक्षात्कार की तिथियां कितनी बार बदली गयीं और क्यों ? क्या चयनित अभ्यर्थियों की सूची सूचना पटों पर भी लगाई गई थी ? यदि हां, तो किन-किन तिथियों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

वर्तमान जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी आगरा जिनके पास अलीगढ़, एटा तथा मथुरा का भी कार्यभार है, ने अपने कार्यकाल 21 जुलाई, 1983 से अब तक की अवधि में अनुगमन कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां आगरा एवं मथुरा जनपदों में और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां आगरा, अलीगढ़, एटा और मथुरा जनपदों में की ।

आगरा जनपद में अनुगमन कार्यक्रम 1985-86 में लागू हुआ । चयन हेतु साक्षात्कार की तिथि 20-2-85 निश्चित हुई । यह तिथि नहीं बदली गयी । वर्ष 1986-87 में अनुगमन कार्यकर्ताओं के चयन की तिथियां तीन बार बदली गयीं । पहली तिथि 24-12-86 रखी गयी जो चयन समिति के सदस्यों के उपस्थित न होने के कारण निरस्त करनी पड़ी । दूसरी बार चयन की तिथि 4 फरवरी, 1987 निर्धारित की गयी परन्तु उसे भी अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों के उपलब्ध न रहने के कारण निरस्त करना पड़ा । तीसरी बार 13-2-87 की निर्धारित तिथि को चयन कराया जा सका ।

मथुरा में अनुगमन कार्यक्रम वर्ष 1985-86 में लागू हुआ । इसके कार्यकर्ताओं का चयन वर्तमान जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के पूर्वाधिकारी ने किया था ।

(क) चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों में जीप चालक के पद के लिए तिथियां मथुरा में दो बार बदली गयी । पहली तिथि 22-7-86 निश्चित हुई जिसमें हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के उपस्थित न होने के कारण तिथि में परिवर्तन करना पड़ा । दूसरी तिथि 6-8-87 को केवल दो अभ्यर्थियों के आने के कारण तिथि बदली गयी । अन्तिम तिथि 26-8-86 को निश्चित हुई जिसमें चयन सम्पन्न हुआ ।

(ख) मथुरा में मशीन चालक के पद के लिये तिथि 8-7-86 निश्चित की गयी जिसमें सेवा योजना कार्यालय से सूची न प्राप्त होने के कारण उसमें परिवर्तन करना पड़ा । दूसरी बार 16-12-86 को डुप्लीकेटिंग मशीन के संचालन की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों के उपस्थित न होने के कारण तिथि में परिवर्तन करना पड़ा । तीसरी बार 10-1-87 निर्धारित की गई जब साक्षात्कार और चयन सम्पन्न हो सके ।

(ग) जनपद आगरा, एटा और अलीगढ़ में 1984 में तीन जीप चालकों के साक्षात्कार में तिथियां तीन बार बदलनी पड़ी । प्रथम बार दिनांक 10-7-84 की तिथि निश्चित हुई जिसमें कम अभ्यर्थी उपस्थित होने के कारण तिथि निरस्त की गयी । दूसरी बार 28-8-84 को सेवा योजना कार्यालय से नाम न आ पाने के कारण तिथि बदली गयी । 26-9-84 को तीसरी बार आयोजित करने पर चयन सम्पन्न हुआ ।

(घ) 1986-87 में पुन: आगरा में जीप चालक का एक पद और स्वीकृत होने पर चयन की तिथि तीन बार बदली गयी । प्रथम बार 22-7-86 को चयन समिति के सदस्यों के न आने के कारण दूसरी बार 5-8-86 को कम अभ्यर्थियों के आने के कारण और तीसरी बार 29-8-86 को चयन समिति के अध्यक्ष को लखनऊ बुला लिये जाने के कारण चयन की तिथियों में परिवर्तन करना पड़ा । आगरा का यह पद जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, आगरा ने नवम्बर, 1986 में स्थानान्तरण से भर दिया ।

(ङ) 1986-87 में जनपद अलीगढ़ में तिथि एक बार बदली गयी । दिनांक 20-3-87 को कम अभ्यर्थियों के आने के कारण तिथि बदली गयी । दिनांक 7-4-87 को चयन कर दिया गया ।

चयनित अभ्यर्थियों को जिन तिथियों में नियुक्ति आदेश दिये गये वे उन्हीं तिथियों में कार्यालय के सूचना पट पर लगा दिये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद आगरा, मथुरा, अलीगढ़ एवं एटा के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का भौतिक सत्यापन**

10—श्री सरदार सिंह—

क्या प्रौढ़ शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि जनपद-आगरा, मथुरा, अलीगढ़ एवं एटा के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कागजों पर चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शासन सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति गठित कर इन केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कराने का कष्ट करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद गोण्डा, विधान सभा क्षेत्र मुजहना में गर्ल्स हाईस्कूल खोलने की मांग**

11—श्री रामपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि विधान सभा क्षेत्र मुजहना जनपद गोण्डा में कोई गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार मुजहना क्षेत्र के रूपईडीह विकास खण्ड के खरगूपुर टाउन एरिया में उक्त विद्यालय खोलने पर विचार करेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

नहीं ।

12—श्री अचल सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

13—श्री अंचल सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**प्रदेश में आग्नेयस्त्रों के नये लाइसेंस जारी किये जाने पर प्रतिबंध**

14—श्री शारदा प्रताप—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आग्नेयस्त्रों के नये लाइसेंस जारी न करने के क्या कारण हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि जिन व्यक्ति के परिवार में हत्या या डकैती अथवा जिन परिवारों को सरकार स्वयं असुरक्षित समझती है उनको नये लाइसेंस सुरक्षा हेतु प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

अपराधों में आग्नेयास्त्रों के अधिकाधिक प्रयोग को रोकने तथा प्रदेश की शांति-व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आग्नेयास्त्र के नये लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जिनके यहां डकैती पड़ जाती है या लूट हो जाती है अथवा हत्या हो जाती है या अन्य कोई जघन्य अपराध हो जाता है जिसके फलस्वरूप संबंधित व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है, उनके सम्बन्ध में आवश्यक छानबीन करने के उपरान्त उपयुक्त व्यक्तियों को नियमानुसार लाइसेंस प्रदान किये जाते हैं।

**राजकीय इण्टर कालेज, मुन्सयारी पिथौरागढ़ के हाईस्कूल व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के अघोषित परीक्षाफल**

15—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय इण्टर कालेज मुन्सयारी में शिक्षा सत्र 1984 में हाईस्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से बैठे कितने परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनका परीक्षाफल दिनांक 1 जुलाई, 86 तक घोषित नहीं किया गया है ? इन परीक्षार्थियों के परीक्षाफल को इस प्रकार विलम्बित करने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? सरकार ने इन परीक्षाफलों को तुरन्त प्रकाशित करने तथा उत्तरदायी अधिकारी को दण्डित करने हेतु क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

राजकीय इण्टर कालेज, मुन्सयारी पिथौरागढ़ से हाईस्कूल व्यक्तिगत परीक्षा, 1984 में 52 परीक्षार्थी पंजीकृत हुये थे इनमें से 13 सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुये। परीक्षा में सम्मिलित 39 परीक्षार्थियों मे से 32 का परीक्षाफल घोषित है। शेष 7 का परीक्षाफल परीक्षा की अर्हता सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त किया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

**एस0 आई0 श्री टी0 आर0 वर्मा द्वारा श्रीमती, अनार कुंवर, निवासिनी ग्राम आलमपुर रानी के खेत की फसल की लूट**

16—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती अनार कुंवर विधवा श्री यादव चन्द्र सिंह निवासी ग्राम आलमपुर रानी थाना बरला के खेत की फसल की लूट बरला थाने के एस0 आई0 श्री टी0 आर0 वर्मा ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अनुचित रीति से सुपुर्दगी देकर करा दी ? श्रीमती अनार कुंवर द्वारा लूट की शिकायत किये जाने पर परगना मजिस्ट्रेट अतरौली ने पुलिस अधीक्षक (देहात अलीगढ़) को अपने कार्यालय के पत्र सं0 391 दिनांक 11-6-85 द्वारा एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराके फसल बरामद करने के लिये लिखा था ? यदि हां, तो पुलिस विभाग ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती अनार कुंवर निवासी ग्राम आलमपुर रानी के खाता सं0 56 व 57 की भूमि के संबंध में श्रीमती अनार कुंवर व सुशील कुमार आदि के मध्य काफी समय से झगड़ा चल रहा था। शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से दिनांक 7-2-85 को उपरोक्त भूमि की फसल को उपनिरीक्षक श्री टी0 आर0 वर्मा द्वारा बिना किसी आदेश के कुर्क करके श्री रक्षपाल सिंह निवासी रमेपुर की सुपुर्दगी में दे दी गई । श्रीमती अनार कुंवर द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर परगना मजिस्ट्रेट अतरौली ने अपने आदेश सं0 391, दिनांक 11-6-85 द्वारा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अलीगढ़ को उचित कार्यवाही करने के आदेश दिए । प्रश्नगत मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जांच से उपनिरीक्षक श्री टी0 आर0 वर्मा को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध कार्यवाही करके उनका सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोक दिया गया है ।

**जू0 हा0 जंगल कौड़िया, गोरखपुर के प्रधान अध्यापक द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के बारे शिकायत**

17—श्रीमती शारदा देवी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जू0हा0 स्कूल जंगल कौड़िया गोरखपुर के प्रधान अध्यापक द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार व अनियमितता के विरुद्ध क्षेत्रीय विधायक माननीय भृगुनाथ भट्ट व अखिल भारतीय पासी विकास मण्डल गोरखपुर के महामंत्री साथी श्री छेदी लाल व माननीय विधायक श्री लालचन्द्र निषाद व स्वयं प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 86 व 23 जुलाई, 86 से 20 अप्रैल, 87 तक जिला प्रशासन व शासन को कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वह शिकायत क्या थी तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

मा0 विधायक श्री भृगुनाथ भट्ट का पत्र दिनांक 23-7-86 व अखिल भारतीय पासी विकास मण्डल के महामंत्री श्री छेदी लाल का शिकायती पत्र दिनांक 14-7-86 प्राप्त हुये थे। शिकायत में श्री सिंह, प्रधानाध्यापक जू0हा0 स्कूल जंगल कौड़िया गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितता के आरोप लगाये गये थे। जांच में श्री सिंह के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुये। अतः उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**थाना अध्यक्ष, पनियरा, जनपद गोरखपुर के खिलाफ शिकायती-पत्र**

18—श्रीमती शारदा देवी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना-पनियरा के मुड़िला बाजार के श्री बालमुकुन्द वर्मा व श्री राम आसरे प्रसाद वर्मा ने एक शिकायती पत्र थानाध्यक्ष पनियरा के विरुद्ध जिलाधिकारी व ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को दिनांक 18-10-86 को दिया गया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

**जनपद गोरखपुर के थानों में हरिजन बनाम स्वर्ण के पंजीकृत मुकदमें**

19—श्रीमती शारदा देवी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में 1 जनवरी, 85 से 20 अप्रैल, 87 तक प्रत्येक थानों में कितने हरिजन बनाम स्वर्ण के मुकदमें पंजीकृत किये गये तथा उन पंजीकृत मुकदमों में कितने नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई? जिला पुलिस प्रशासन ने हरिजन उत्पीड़न रोकने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

20—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

21—श्री शिव नारायण मिश्र—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**जनपद सुल्तानपुर चांदा मार्ग पर सिटी बस चलाने की मांग**

22—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मार्ग 56 सुल्तानपुर से चांदा पर परिवहन निगम की आय को बढ़ाने व जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हनुमानगंज ब्लाक भदैया (दुम्हुआ) कामतागंज लम्भुआ चांदा के लिए सिटी बस चलवाने की कृपा करेंगे ? क्या यह भी सही है कि इस मार्ग पर लगभग 100 टैक्सी अवैध रूप से चलती हैं जिससे परिवहन निगम को हानि हो रही है ? यदि हां, तो क्या इस हानि को समाप्त करने तथा जनता की सुविधा के लिए सिटी बस चलवाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह—

सुल्तानपुर-चांदा मार्ग पर निगम द्वारा 14 अप व 14 डाउन फेरे तथा लम्भुआ चांदा ढक्का मार्ग पर 10 अप तथा 10 डाउन फेरे शटल सेवा के रूप में संचालित किए जा रहे हैं।

निगम द्वारा नगर बस सेवा का संचालन केवल 20 कि0मी0 की परिधि में ही किया जाता है। प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 33 कि0मी0 है। अतएव इस मार्ग पर नगर बस सेवा का संचालन संभव नहीं है। हां, भारी संख्या में टैक्सियों का संचालन इस मार्ग पर होने के कारण निगम की आय कुप्रभावित हो रही है।

जी नहीं।

निगम द्वारा पूर्व से ही उपरोक्तानुसार इस मार्ग पर 24 अप तथा 24 डाउन सेवाए संचालित की जा रही है, जो वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त है। पर्याप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फैजाबाद, ग्राम सभा कैथी नसीर थाना मालीपुर में कतिपय लोगों के घरों पर पड़ी डकैती**

23—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा कैथी नसीर थाना मालीपुर जनपद फैजाबाद में विगत वर्ष चार हरिजनों क्रमशः श्री मुरली, श्री राम लौट, श्री फिरतू तथा श्री राम किशोर के यहां पड़ी डकैतियों में आज तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? डकैती के अभियुक्त श्री तीरथ राम शुक्ला के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो उसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

इस संबंध में मु0अ0सं0-130/85 धारा 394 भा0द0वि0 बनाम 3-4 नफर बदमाश नाम पता अज्ञात सूरत शिनाख्त कायम होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान में प्रकाश में आये अभियुक्त सिद्धू वर्मा उर्फ राजेन्द्र प्रसाद को नाजायज कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसने उपरोक्त अपराध स्वीकार करते हुए अपने साथ (1) रमापति नाई (2) ठाकुर प्रसाद यादव (3) जगदीश सिंह को भी सम्मिलित रहना बताया। अभियुक्त रमापति नाई व ठाकुर प्रसाद न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। अभियुक्त जगदीश सिंह की हत्या हो गयी। तीनों अभियुक्तों की कार्यवाही शिनाख्त कराई गई, जिसमें शिनाख्त में गवाहों द्वारा पहचाने न जाने के कारण अन्तर्गत धारा 169 जा0 फौ0 में रिहा हो गये। अतः मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी। उपरोक्त मुकदमें में श्री तीरथ राम शुक्ला का नाम न तो प्रथम सूचना में आया और न विवेचना के दौरान ही प्रकाश में आया, इसलिये इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

**जिला बहराइच के अपर परगनाधिकारी श्री भगेलू राम द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट**

24—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जिला बहराइच के अपर परगनाधिकारी श्री भगेलू राम द्वारा थाना कोतवाली, जनपद बहराइच में 6-7-86 को जिला परिषद के कर्मचारियों द्वारा एक एन0 आर0 ई0 पी0 योजना का गेहूं चुराये जाने की रिपोर्ट लिखाई गई? यदि हां, तो उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

पुलिस द्वारा विवेचना किये जाने पर जिला परिषद् के एक कर्मचारी श्री चन्द्रिका प्रसाद यादव, स्टोर कीपर एवं दो गैर सरकारी व्यक्ति सर्वश्री मो0 याकूब व पो0 फारुख के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने की दशा में दिनांक 8-4-87 को उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है।

25–श्री राम सजीवन–

[दिनांक 22-6-87 अता0 प्र0 सं0 54 द्वारा उत्तरित]

26–27–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

28–29–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ क्षेत्र के कई मार्गों पर पुलिया बनाने की मांग**

30–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्मित बरतर टटी मार्ग व महमूदपुर नं0 ढक मार्ग तथा सूजावलपुर बढानू मार्ग पर पुलियां अभी तक क्यों नहीं बनवाई गयी? उक्त तीनों मार्गों पर पुलिया बनवा कर खड़ंजा लगवाने का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

31–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

32–33–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

**सिविल पुलिस के सब-इन्सपेक्टर दीवान तथा सिपाही की पोस्टिंग में अपनाई गई नीति**

34–श्री अफजाल अंसारी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल पुलिस के सब इन्सपेक्टर दीवान तथा सिपाही की पोस्टिंग के विषय में यह नीति अपनाई गयी है कि उन्हें गृह जनपद के सीमावर्ती जिलों में तैनात नहीं किया जायगा? यदि हां, तो क्या इन्हें कड़ाई से लागू करने की कार्यवाही की जा रही है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां। नीति का अनुपालन चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है।

35–श्री अफजाल अंसारी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के कतिपय ग्रामों में सम्पर्क मार्ग बनाने की मांग**

36—श्री अफजाल अंसारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के कुछ ग्रामों को सम्पर्क मार्ग द्वारा सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र इसी वर्ष प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सियाड़ी गोंडी, सोनोडी, मुरटेव, सिलाइच, शक्कर, मीरानपुर, केशवपुर, बरेजपुर, सुखपुरा, कमालपुरा नत्थनपुर, चकपहाड़, महरूपुर, तमलपुरा इत्यादि गांव वर्तमान आबादी के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता के अन्तर्गत आते हैं? यदि हां, तो क्या इन गांवों को वरीयता के आधार पर सम्पर्क मार्ग द्वारा सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय आवश्यक निर्देश देंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

उक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने की कार्यवाही की गयी।

सन् 1971 की जनगणना के अनुसार केवल सोनोडी एवं तमलपुरा गांव ही ऐसे हैं जिनकी आबादी 1500 या उससे अधिक है। शेष गांवों की आबादी 1500 से कम होने के कारण न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए निर्धारित मानक के अनुसार केवल उक्त दोनों गांवों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का निर्माण कार्य स0 नि0 विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है।

37—श्री राज किशोर सिंह—

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 152 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित]

38—39—श्री राज किशोर सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जिला मिर्जापुर ग्राम मस्लाधरपुर थाना चील्ड के सब-इन्सपेक्टर व पुलिस कर्मियों द्वारा एक हरिजन के घर में लूटपाट**

40—श्री मूलचन्द—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मस्लाधरपुर थाना चील्ड जिला मिर्जापुर में दिनांक 25-3-86 को 10 बजे रात में थाना चील्ड के सब इंसपेक्टर व 6 पुलिस कर्मियों ने शराब के नशे में मोती लाल हरिजन के घर पर धावा बोला और मोतीलाल तथा औरतों को मार पीट कर जेवरात लूट लिये, जिसकी सूचना सांसद श्री उमाकान्त मिश्र ने उच्चाधिकारियों को लिखित रूप में दी तथा दिनांक 4-4-86 को गृह सचिव को भी लिख कर दिया? यदि हां, तो क्या भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में मा0 सांसद श्री उमाकान्त मिश्र के 27-3-86 के पत्र के साथ श्री देवशरण हरिजन ग्राम मलाधरपुर, थाना चील्ड, मिर्जापुर का दिनांक रहित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। प्रश्नगत प्रकरण में कराई गई जांच से विदित हुआ कि दिनांक 25-3-86 को ग्राम मलाधरपुर निवासी अद्धा खटिक की झोपड़ी को होलिका में जला देने की बात को लेकर उक्त ग्राम के हरिजनों एवं खटिकों के मध्य झगड़ा प्रारम्भ हुआ। लगभग 10-11 बजे रात्रि का नि0 श्री बांके लाल चौबे जो गश्त में गए थे शोरगुल की आवाज सुनकर मौके पर गए और दोनों पक्षों के मध्य बीच-बचाव कराने का प्रयास किया। स्थिति शान्त न होते देख कानि0 बांके लाल ने गांव के चौकीदार भाईलाल हरिजन द्वारा थाना सूचना भिजवाई। सूचना प्राप्त होते ही अन्य पुलिसजन घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस पार्टी को देखकर मारपीट करने पर आमादा हरिजन व खटिक दोनों दलों के लोग भाग गये। दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107×116 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। जांच से पुलिस कर्मियों के नशे में होने तथा महिलाओं को मारपीट कर जेवर छीन लेने के आरोप निराधार एवं असत्य पाये गये। जांच से उपनिरीक्षक श्री हरी लाल कश्यप मोती लाल हरिजन के साथ दुर्व्यवहार करने के दोषी पाए गए। अतः उनके विरुद्ध पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 478 ए के अन्तर्गत कार्यवाही सम्पन्न कर उनकी चरित्र पंजिका में दुश्चरित्र लेख अंकित कर दिया गया।

## जनपद वाराणसी स्थित भदोही गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल, अल्पसंख्यक स्वरूप विषयक मामला

41—श्री मूलचन्द—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भदोही गर्ल्स हायर सेकेण्डरी स्कूल, सोशल एण्ड एजुकेशनल वेल फेयर एकेडमी भदोही वाराणसी जो कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं संचालित है और इसके सभी सदस्य मुस्लिम समुदाय के हैं भारतीय संविधान की धारा 30(1) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था है जिसे मुस्लिम अल्पसंख्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कायम किया गया है? क्या विद्यालयों को मुस्लिम अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20-11-79 को शासन को प्रेषित किया गया था जिसको मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षक वाराणसी ने अपनी संस्तुति देकर निदेशक इलाहाबाद को भेज दिया था? क्या उक्त विद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

नहीं। सम्प्रति यह विद्यालय उ0 प्र0 शासन द्वारा भारतीय संविधान की धारा 30(1) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक संस्था नहीं मानी गयी क्योंकि इसके मूल स्मृति-पत्र को देखने से विदित है कि इसकी सदस्यता ईस्लाम धर्म के अनुयायियों तक सीमित नहीं है और न ही इसके उद्देश्यों में ईस्लाम धर्म के पोषण करने वाले कोई बीज ही निहित पाये गये हैं।

**भदोही वाराणसी वाया चौरी रोड के आराजी न0 20 पर दुकानों का निर्माण**

42—श्री मूलचन्द—

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भदोही जिला वाराणसी में भदोही वाराणसी वाया चौरी रोड पर आराजी नं0 20 जो कि वक्फ अल औलाद है और वक्फ कमिश्नर वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है नगरपालिका भदोही व जिला कलक्टर वाराणसी उसे पी0 डब्लू0 डी0 की पटरी मानकर पी0 डब्लू0 डी0 से नो आब्जेक्शन प्रमाण पत्र देकर दुकाने बनाने जा रहे हैं? क्या सरकार उसे रोकने के लिए कार्यवाही करेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत आराजी राजस्व अभिलेखों के अनुसार वक्फ सम्पत्ति है।

यह वक्फ सम्पत्ति सुन्नी वक्फ बोर्ड में अभी पंजीकृत नहीं है। बोर्ड को परामर्श दिया गया है उसे शीघ्र नियमानुसार पंजीकृत कराकर उसकी सुरक्षा के निमित्त हर सम्भव कार्यवाही करें।

**जनपद अलीगढ़ के एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के लाभार्थियों की लम्बित अनुदान पत्रावलियां**

43—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के लाभार्थियों की वर्ष 1980 से 84 तक चार वर्षों की कितनी अनुदान पत्रावलियां जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्यालय में लम्बित हैं? इन पत्रावलियों के निष्पादन न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या अनुदान की राशि के लाभार्थियों के ऋण खातों में समायोजित न होने से लाभार्थियों को अनावश्यक रूप से ब्याज देना पड़ रहा है और ऋण का भुगतान न होने पर दूसरी किश्त नहीं मिल पा रही है? यदि हां, तो इस प्रकार की अनियमितताओं से योजना का उद्देश्य सार्थक न होने देने के लिए कौन से अधिकारी दोषी हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय अलीगढ़ में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को अनुदान देने सम्बन्धी वर्ष 1980 से 84 तक की कोई अनुदान पत्रावली भुगतान हेतु लम्बित नहीं है। फलस्वरूप किसी लाभार्थी को अनुदान की दूसरी किश्त मिलने में परेशानी का अनुभव नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

44—श्री हर्ष वर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

45 से 47—मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

**जनपद बस्ती विकास खण्ड खेसरहा के जू0 हा0 स्कूल मरवटिया में कार्यरत चपरासी का वेतनमान**

48–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के विकास खण्ड खेसरहा के जू0हा0 स्कूल मरवटिया बाजार में कार्यरत चपरासी श्री धनराज पुत्र श्री महंगू किस साल से सेवारत हैं ? चपरासी के पद का वेतन मान क्या है ? श्री धनराज को मात्र 37.90 भुगतान करने का क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी–

5 जनवरी 1975 से सेवारत है।

पूर्णकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन क्रम निम्नवत् हैं:–

रु0 305-5-330 द0रो0 6-360 द0रो0-6-390

अंशकालिक कर्मचारी होने के कारण।

**जनपद आगरा में नये थाने तथा चौकियों के स्थान परिवर्तन**

49–श्री विजय सिंह राणा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में 31-3-87 को कितने नये थाने तथा नयी चौकियां खोली गयीं हैं और कहां-कहां ? इनके स्थान चयन का आधार क्या है ? क्या आवश्यकता के अनुरूप स्थान चयन में परिवर्तन संभव हो सकता है ? यदि हां, तो कब और कैसे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

**जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम्य गुमरापुर के निकट काली नदी में नाव डूबने से मृत्यु**

50–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाल में ही फर्रुखाबाद जिले में वर्ष 1986 में जलालाबाद में 3 कि0 मी0 उत्तर में गुमरापुर गांव के निकट उफनाती काली नदी में एक नाव डूब जाने से लगभग 15 व्यक्ति जिनमें अधिकतर छात्र थे डूब कर मर गये थे ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

फर्रुखाबाद जिले में जलालाबाद से 3 कि0 मी0 उत्तर में स्थित ग्राम गुमरापुर के निकट उफनाती काली नदी में दिनांक 23 अगस्त, 1986 को प्रातः 8 बजे एक नाव डूब गयी जिससे 7 व्यक्ति डूबकर मर गये । इन डूबे हुये व्यक्तियों में से छात्रों की संख्या 6 थी।

दिनांक 23-8-86 को ग्राम गुमरापुर के निकट काली नदी के घाट पर मल्लाह रूप सिंह पुत्र निज्जा ने अपनी कम क्षमता की डोंगी पर 19 व्यक्तियों को बैठाकर व साइकिल तथा अन्य सामान भी लाद लिया। उसके बाद जब नाव नदी की धार में पहुंची तो अत्यधिक वजन से असंतुलित हो जाने से नाव नदी में डूब गयी तथा जो 12 व्यक्ति तैरना जानते थे वे तैर कर बाहर निकल आये तथा शेष 7 व्यक्ति नदी में डूब कर मर गये । जिनमें

व्यक्तियों के शव जनता के सहयोग से बाहर निकाल लिये गये परन्तु 3 व्यक्तियों के शव नदी के तेज बहाव तथा पानी गहरा होने के कारण बरामद नहीं हो सके । मल्लाह द्वारा जानबूझ कर लापरवाही बरतने से नाव के डूब जाने से 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के आरोप में मल्लाह के विरूध्द धारा 282/304 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत थाना गुरूसहायगंज में अपराध संख्या 380/86 पंजीकृत किया गया । विवेचनोपरान्त अभियोग में आरोप पत्रप्रेषित कर दिया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है । डूबे हुए सातों व्यक्तियों के अभिभावकों/आश्रितों को जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद द्वारा पांच-पांच हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है ।

**जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत थाना सदर में श्रीमती रानी रस्तोगी की जहर देकर हत्या**

51—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर थाना सदर में दिनांक 26-12-84 को श्रीमती रानी रस्तोगी पत्नी श्री विजय कुमार रस्तोगी की जहर देकर हत्या किये जाने का जो मामला घटित हुआ उसका पोस्ट मार्टम कब हुआ ? विसरा कब एकत्र किया गया ? विसरा परीक्षण हेतु कब आगरा भेजा गया तथा आगरे से रिपोर्ट कब आई?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती रानी रस्तोगी पत्नी श्री विजय कुमार रस्तोगी के शव का पोस्ट मार्टम दिनांक 27-12-84 को हुआ था तथा विसरा भी पोस्ट मार्टम किए जाने के समय ही एकत्र किया गया था । विसरा परीक्षण हेतु दिनांक 16-8-86 को रसायनिक परीक्षण केन्द्र आगरा भेजा गया और परीक्षण रिपोर्ट अभी अपेक्षित है

**हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सीतापुर के बारे में आडिट रिपोर्ट**

52—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उच्च शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 इलाहाबाद के आडिटरों द्वारा हिन्दू कन्या महाविद्यालय सीतापुर में 22 फरवरी, 86 का जो आडिट (मार्च 85 का आडिट) रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उसका आडिट आपत्ति (पृष्ठ 9 का पैरा संख्या 3) क्या है तथा उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सिब्ते रजी—

आडिट आख्या के पृष्ठ 8 पर तीसरे अनुच्छेद में आपत्ति संख्या 13 उल्लिखित है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

आडिट आख्या पर महाविधालय की अनुपालन आख्या मांगी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 175 पर)

53—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

54—श्री शिव नारायण मिश्र—

[6वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 99 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जिला देवरिया के अन्तर्गत लार थाना निवासी श्री काशी की फसल की पुलिस द्वारा लूट**

55–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के अन्तर्गत लार थाना निवासी काशी आदि ग्राम रोपन छपरा की गाटा संख्या 622, 619, 641 की फसल स्थगन आदेश दिनांक 25 मार्च, 86 के बावजूद पुलिस द्वारा कटवा व लुटवा ली गयी तथा क्या इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री गृह सचिव पुलिस महानिरीक्षक आदि अधिकारियों को तार क्रमशः 28 29 व 31 मार्च का प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त सूचना पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में कोई तार प्राप्त नहीं हुआ है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

56–श्री काशी सिंह एरी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

**प्रदेश में स्थापित थानों के लिए भवन निर्माण की मांग**

57–श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुल स्थापित थानों में से कितने थाने ऐसे हैं जिनके पास अपने भवन नहीं हैं ? भवनहीन थानों के पुलिस कर्मियों के कठिनाईयों तथा उनके कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए थानों को भवन युक्त करने की राज्य सरकार के पास क्या योजना है ? सरकार प्रदेश के सभी थानों को कब तक भवन युक्त करा देगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में स्थापित कुल 1339 थानों में से 319 थाने ऐसे हैं जिनके पास अपने भवन नहीं हैं और वे किराये के भवनों में कार्यरत हैं । सरकारी भवनों में कार्यरत 1020 थानों में से 223 थाने अनुपयुक्त भवनों में हैं। इस प्रकार 542 थाने ऐसे हैं जिनके भवन निर्माण की आवश्यकता है। प्रश्नगत थानों को भवन युक्त बनाने के लिये शासन कृत संकल्प है किन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों आदि को देखते हुए इसे चरण बद्ध ढंग से क्रियान्वित कराये जाने की योजना है। प्रथम चरण 1985–90 में 291 थानों के भवनों को निर्मित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । द्वितीय चरण 1990-95 में शेष 251 थानों के भवनों को निर्मित कराये जाने का प्रयास किया जाएगा।

**लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता पद हेतु विज्ञापित पद पर नियुक्ति**

58–श्री दीप चन्द्र सोनकर—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग इलाहाबाद उ0 प्र0 के फरवरी, माह सन् 86 के विज्ञापन संख्या 12/85-86 के अन्तर्गत जो पद सहायक अभियन्ता के लिए विज्ञापित किए गये थे उनकी नियुक्ति हुई या नहीं ? यदि हुई तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग से संस्तुति न प्राप्त होने के कारण ।

**जनपद मथुरा के अपर जिलाधिकारी श्री सी0 एल0 पुष्कर द्वारा निर्बल वर्ग के लोगों के लिए सिलाई मशीनों का विशेष फर्म से खरीद**

59—श्री सरदार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री की जानकारी में है कि श्री सी0 एल0 पुष्कर जनपद मथुरा में अपर जिलाधिकारी परियोजना रहे थे और आपने कार्यकाल में उन्होंने निर्बल वर्ग के लोगों को सिलाई की मशीनों का आवंटन मथुरा की एक फर्म विशेष से ही क्रय करके कराया था ? यदि हां, तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों से एक फर्म विशेष से ही क्रय कराने का औचित्य क्या था ? क्या शासन फर्म का नाम व आवंटियों के नाम व पते सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । मथुरा में स्थित एक फर्म मै0 रघुनाथ राय एण्ड सन्स द्वारा ट्राइसेम योजनान्तर्गत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निःशुल्क प्रशिक्षण दिये जाने का प्राविधान था । यह भी प्राविधान रखा गया था कि फर्म को योजना में अनुमन्य प्रशिक्षण व्यय तथा प्रशिक्षार्थियों को छात्रवेतन के रूप में मिलने वाली धनराशि को सम्मिलित कर बिना किसी ऋण की आवश्यकता के प्रशिक्षार्थियों/लाभार्थियों को रोजगार में स्थापित करने हेतु सिलाई मशीनें उपलब्ध करा दी जायं । यह योजना जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित की गयी थी । अतएव जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा योजना के अनुरूप समस्त इच्छुक लाभार्थियों को मशीनें उपलब्ध करा दी गयीं । स्पष्ट है कि योजना लाभार्थियों के हित में थी और उनकी सहमति के उपरान्त ही कार्यान्वित की गयी थी ।

आवंटियों/लाभार्थियों के नाम व पते की सूची विस्तृत है अतएवं पूर्ण विवरण मेरे कक्ष में देखे जा सकते हैं ।

**खण्ड विकास अधिकारी, राया जनपद मथुरा के विरुद्ध शिकायत**

60—श्री सरदार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री की जानकारी में है कि खण्ड विकास अधिकारी राया, जनपद मथुरा के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 1986 को मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था, जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव ग्राम्य विकास को भेज दिया गया था ? यदि हां, तो प्रकरण की किस अधिकारी ने जांच की, जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

शिकायती-पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच हेतु परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मथुरा को नामित किया गया है । जांच की कार्यवाही चल रही है । सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

**पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अन्वेषणात्मक छिद्रण खंड के मुख्यालय का निर्धारण**

61—श्री सरदार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री की जानकारी में है कि शासन ने अगस्त, 1986 में अन्वेषणात्मक छिद्रण कार्यों की प्राथमिकता और आवश्यकता को देखते हुए खण्ड प्रथम का मुख्यालय मथुरा में निर्धारित किया था ? क्या यह भी सही है कि अब यह प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया है और पश्चिमी उ0 प्र0 के लिए किसी भी अन्वेषणात्मक छिद्रण खण्ड के मुख्यालय का निर्धारण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन पश्चिमी उ0 प्र0 में इसकी आवश्यकता को देखते हुए मुख्यालय मथुरा में निर्धारित करने का कष्ट करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

पश्चिमी उ0 प्र0 के बिजनौर, रुड़की बरेली एवं शाहजहांपुर क्षेत्रों में अन्वेषणात्मक एवं छिद्रण कार्य हेतु एक नये खण्ड की स्थापना मुरादाबाद में किये जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान समय में जनपद मथुरा में, किसी अन्वेषणात्मक एवं छिद्रण खण्ड का मुख्यालय की स्थापना का प्रस्ताव, नहीं है ।

62—63—श्री हर्ष वर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

64—65—श्री भगौती सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

**मेरठ जनपद के विकास खण्डों में राजकीय जीपों की व्यवस्था**

66—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद में किस-किस विकास खण्ड के पास राजकीय जीप है और किस-किस विकास खण्ड के पास राजकीय जीप नहीं है और जिन विकास खण्डों के पास राजकीय जीपें नहीं हैं उनमें कब तक जीपों की व्यवस्था करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मेरठ जनपद के सभी विकास खण्डों में राजकीय जीप उपलब्ध है । केवल विकास खण्ड सरूरपुर की जीप भारी मरम्मत के कारण खड़ी है ।

**ग्राम्य विकास के अन्तर्गत वरिष्ठ कर्मचारियों को नियमित करने की नीति**

67—श्री शारदा प्रताप—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्य प्रभारित अधिष्ठान में 10 वर्षों से कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारियों को नियमित करने की नीति घोषित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों के लिए अलग से कोई विशिष्ट नीति बनाए जाने का मामला शासन में विचाराधीन नहीं है ।

**जनपद बस्ती विकास खण्ड इटवा व खुनियांव के अवर अभियंता के खिलाफ शिकायत**

68—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खण्ड इटवा व खुनियांव में क्षेत्र समिति द्वारा वर्ष 1985-86 व 86-87 में कराये गये कार्यों जो अवर अभियंता श्री एन0 के0 सिंह द्वारा कराये गये थे, में गम्भीर अनियमितता की शिकायत ग्राम्य विकास अभिकरण के सहायक अभियन्ता श्री आजाद ने सी0 डी0 ओ0 बस्ती को अपनी रपट में प्रेषित की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद बस्ती विकास खण्ड इटवा व खुनियांव में क्षेत्र समिति द्वारा वर्ष 1985-86 में कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में श्री फरहत हुसैन आजाद, सहायक अभियंता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा गम्भीर अनियमितता की शिकायत से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रेषित की गई है । दुरुपयोग की गई धनराशि की वसूली मुख्य विकास अधिकारी बस्ती के आदेशानुसार दोषी अवर अभियन्ता श्री एन0 के0 सिंह, एवं खण्ड विकास अधिकारी, इटवा तथा खुनियांव से की जा रही है ।

वर्ष 1986-87 के कार्यों के सम्बन्ध श्री आजाद द्वारा कोई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है ।

**प्रदेश में पुलिस बल संख्या बढ़ाने की मांग**

69—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस बल संख्या प्रति एक हजार जनसंख्या पर क्या है ? क्या इसको बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

उत्तर प्रदेश में पुलिस बल संख्या प्रति एक हजार की जनसंख्या पर 1.36 है । इसको बढ़ाने हेतु समय-समय पर स्टाफ की स्वीकृति की गई है ।

**जनपद सीतापुर ब्लाक परसेण्डी, ग्राम सभा मिरीकिल्लीपुर में जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण की मांग**

70—श्री मुस्तमन्द अली खां तथा श्री कुशलपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर ब्लाक परसेण्डी में ग्राम सभा मिरीकिल्लीपुर के नाम से जूनियर हाई स्कूल शासन के द्वारा स्वीकृत हुआ है ? क्या शासन ने ग्राम प्रधान से भूमि तथा नजरी नक्शा मांगा है और ग्राम प्रधान ने भूमि प्रबंध समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके तथा नजरी नक्शा लगाकर बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर को दिया ? यदि हां, तो अभी तक मिरीकिल्लीपुर में भवन निर्माण का कार्य क्यों प्रारम्भ नहीं हुआ ? क्या जिला अधिकारी स्वीकृत स्थान को बदलना चाहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जी हां ।

भूमि स्थल विवादित होने के कारण ।

जी हां ।

ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में खतिहान हेतु अंकित है ।

**जनपद सीतापुर ब्लाक परसेण्डी के प्रधान द्वारा ग्राम सभा मिरीकिल्लीपुर में जू0 हा0 स्कूल के भवन का निर्माण न होने पर धरना**

71—श्री मुस्तमन्द अली खां तथा श्री कुशलपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मिरीकिल्लीपुर ब्लाक परसेण्डी जनपद सीतापुर के प्रधान श्री अब्दुल समद ने अप्रैल, 1987 में कोई प्रार्थना-पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर को इस आशय का दिया है कि यदि शासन द्वारा स्वीकृत जूनियर हाई स्कूल मिरीकिल्लीपुर गाटा सं0 114 रकबा एक एकड़ का प्रस्ताव व नजरी नक्शा दिया है उस पर भवन निर्माण न हुआ तो पहली मई, 1987 से जिला बेसिक शिसा अधिकारी के कार्यालय पर अनिश्चित कालीन धरना देंगे ? यदि हां, तो वह प्रार्थना-पत्र क्या है और उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

जिलाधिकारी, सीतापुर के स्तर से प्रस्तावित भूखण्डों का स्थलीय जांच कराकर प्राइमरी पाठशाला गजरवेजीरपुर के प्रांगण में उपलब्ध भूमि पर जू0 हा0 स्कूल के भवन निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 176 पर)

72—श्री अचल सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जनपद बदायूं में विशेष परिचालक प्रशिक्षण के अन्तर्गत एक शिशिक्षु लिपिक की नियुक्ति की मांग**

73—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक बदायूं परिक्षेत्र के अधीन दिनांक 22 जुलाई, 1982 से 5 अगस्त, 82 तक विशेष परिचालक प्रशिक्षण दिया गया था ? यदि हां, तो इन्में से कितनों को नियुक्त कर लिया गया है ? क्या यह सत्य है कि इनमें से एक शिशिक्षु ने विभाग के आदेशानुसार गारन्टी राशि भी रु0 1000/- एस0 एस0 सी0 एफ0/1-685506 दिनांक 21-1-82 द्वारा जमा कर दी थी जिसकी पंजीकरण संख्या 1445 है ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति को कब तक नियुक्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह—

जी हां । उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बदायूं डिपो में वर्ष 1982 में 22 जुलाई, 82 से 5 अगस्त, 82 तक कुछ शिशिक्षु लिपिकों को विशेष परिचालक प्रशिक्षण तत्कालीन उ0 प्रधान प्रबन्धक (उत्तरी जोन) के आदेशों पर दिया गया था । यह भी सच है कि उनमें से कुछ शिशिक्षुओं से प्रतिभूति की राशि भी जमा करायी गयी थी । इनमें से एक नाम श्री बद्री सिंह विष्ट का है जिन्होंने प्रतिभूति की राशि जमा की थी जिसकी पंजीकरण संख्या 1445 है ।

इन शिशिक्षुओं को परिचालक पद का प्रशिक्षण देना तथा प्रतिभूति जमा करना अनियमित कार्य था । दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । जमा की गयी प्रतिभूति की राशि लौटायी जा रही है ।

**गोरखपुर से पिपराइच तक सिटी बस सेवा आरम्भ करने की मांग**

74—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर में पहली मार्च, 1986 से सिटी बस सेवा गोरखपुर से पिपराइच तक चालू करने का सरकार का कोई प्रोग्राम था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने सिटी बस सेवा आरम्भ कर दी है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एक शटल सेवा गोरखपुर से पिपराइच तक दिनांक 10-3-87 से संचालित की गयी है । इसके अतिरिक्त गोरखपुर से पडरौना वाया पिपराइच कप्तानगंज तक बस सेवा भी संचालित है ।

**जनपद गोरखपुर के कतिपय विद्यालयों को अनुदान देने की मांग**

75—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के पं0 दीन दयाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपराइच एवं डा0 श्यामा प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लुहसी, पिपराइच को अनुदान देने पर शासन विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1987-88 में वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में मान्यता प्राप्त हाईस्कूलों को अनुदान सूची पर लिये जाने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

**गोरखपुर से पिपराइच होते हुए पडरौना तक राज्य सड़क परिवहन निगम की अधिक गाड़ियां चलाने की मांग**

76—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर में गोरखपुर से पिपराइच होते हुए पडरौना तक उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की 12 गाड़ियां चलाई जाती हैं? यदि नहीं, तो इस समय मार्ग पर कितनी गाड़ियां चल रही हैं? क्या सरकार 12 गाड़ियां इस मार्ग पर चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह—

जी नहीं।

वर्तमान में इस मार्ग पर 4 बसें संचालित की जा रही हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त मार्ग पर संचालित सेवाओं का औसत लोडफैक्टर लगभग 60 प्रतिशत ही प्राप्त हो रहा है। अतएव अतिरिक्त बसें चलाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

**बरेली नगर स्थित पुराना शहर क्षेत्र के कृषकों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा की मांग**

77—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली नगर स्थित पुराना शहर क्षेत्र के कृषकों की बहुत सी उपजाऊ भूमि रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के लिए कुछ वर्ष पूर्व अधिग्रहीत की गई थी, किन्तु अभी तक किसानों को न तो भूमि का मुआवजा दिया गया है और न ही उनके आश्रितों को विश्वविद्यालय में नियुक्त ही किया गया है, जिसके कारण यह सभी परिवार भारी आर्थिक संकट में फंस गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को उक्त भूमि का मुआवजा एवं उनके आश्रितों को विश्वविद्यालय में नियुक्ति दिलाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी —

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के लिए बरेली नगर के पास स्थित जगतपुर लाला बेगम, डोहरा, नवादा जोगियान तथा हरूनगला ग्रामों की भूमि अर्जित की गयी थी।

मुआवजे का भुगतान कर दिया है।

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार संलग्न सूची में उल्लिखित सेवायोजित किए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 177 पर)

**श्री राम भरत पाण्डेय द्वारा हसनगंज थाने में (लखनऊ) चोरी के बाबत लिखाई गई रिपोर्ट**

78—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में स्थित हसनगंज थाने में श्री राम भरत पाण्डेय द्वारा दिनांक 14-12-84 को एक बड़ी चोरी के संबंध में कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना हसनगंज जनपद लखनऊ के अभिलेखों के अनुसार दिनांक 14-12-84 को श्री राम भरत पान्डेय द्वारा किसी अभियोग का पंजीकृत कराया जाना नहीं पाया गया। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

**जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दशरथपुर, जौनपुर के नाम परिवर्तन में विधिक कार्यवाही**

79–डा0 शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कनक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दशरथपुर, जौनपुर का नाम पं0 द्वारिका प्रसाद पाण्डेय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दशरथपुर कर दिया गया है ? यदि हां, तो नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में क्या-क्या आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी कौन है तथा उसके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी –

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दशरथपुर, जौनपुर का नाम द्वारिका प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दशरथपुर जौनपुर किया गया है ।

उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी मण्डल ने शिक्षा संहिता की धारा 16(16) के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 27-8-84 द्वारा नाम परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की है ।

**पं0 द्वारिका प्रसाद पाण्डेय उ0 मा0 विद्यालय दशरथपुर के प्रबंधक पद पर सरकारी कर्मचारी का होना**

80–डा0 शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कनक सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस विद्यालय के वर्तमान प्रबन्धक एक सरकारी कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी –

जी हां ।

प्रबन्ध समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है । जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर ने प्रबन्ध संचालक नियुक्त करने हेतु उप शिक्षा निदेशक वाराणसी को लिखा है ।

**पं0 द्वारिका प्रसाद पाण्डेय उ0 मा0 विद्यालय, दशरथपुर में की गई अनियमित नियुक्तियां**

81–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालय में कितने शिक्षक/चपरासी वर्तमान तथा भूतपूर्व प्रबन्धक के निकट सम्बन्धी हैं ? यदि हां, तो उनका नाम आदि का विवरण क्या है तथा इन अनियमित नियुक्तियों के लिए कौन उत्तरदायी है और शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी –

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कमला प्रसाद द्विवेदी, सहायक अध्यापक, प्रबंधक के पुत्र के साले हैं तथा श्री दिनेश कुमार पाण्डेय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्तमान प्रबंधक के पुत्र तथा भूतपूर्व प्रबंधक के पौत्र हैं ।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत बने विनियमों के अध्याय 3 के विनियम 4 के अनुसार लड़के का साला संबंधी की श्रेणी में नहीं आता है तथा इनकी नियुक्ति 8 जुलाई, 1973 को प्रबंधक से संबंध होने के पूर्व हुई थी । श्री दिनेश कुमार पाण्डेय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति 21 दिसम्बर, 1978 को हुई । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नियुक्ति अधिकारी प्रधानाचार्य हैं, वे ही इस अनियमित नियुक्ति के दोषी हैं । जिला विद्यालय निरीक्षक ने श्री पाण्डेय की सेवा समाप्ति करने हेतु प्रधानाचार्य को निर्देश दिया है ।

शिक्षा निदेशक को निर्देश दिये जा रहे हैं कि वह सम्पूर्ण प्रकरण को स्वयं देखकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें ।।

82–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**श्री करन सिंह, निवासी मोहल्ला गांगवान कस्बा कोसी कलां की गिरफ्तारी**

83–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि जनपद मथुरा के जिलाधिकारी ने आदेशित कर 22-12-86 को श्री करन सिंह पुत्र श्री रोशन लाल निवासी मोहल्ला, गांगवान कस्बा कोसी-कलां को धारा 3 (क)/4 उ0 प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अध्यादेश, 1986 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा था जिसमें दिनांक 17-4-87 को इलाका पुलिस ने अन्तिम रिपोर्ट लगा दी है ? यदि हां, तो श्री करन सिंह के खिलाफ की गई कार्यवाही में कौन-कौन अधिकारी दोषी है और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका कोसीकलां, जनपद मथुरा द्वारा दिनांक 19-12-86 को दी गयी इस सूचना कि नेशनल हाई वे पर नगर पालिका के क्रीड़ास्थल का निर्माण ठेकेदार वासुदेव द्वारा कराया जा रहा है, जिस पर श्री करन सिंह तथा उसके साथियों ने कब्जा कर लिया, पर अपराध संख्या:261/86 धारा 447 भा0 द0 वि0 का मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 22-12-86 को श्री करन सिंह द्वारा गिरफ्तारी के समय उप निरीक्षक के साथ हाथापाई करने व गिरफ्तारी में बाधा उत्पन्न करने तथा भागने की कोशिश करने पर उसके विरुद्ध अपराध संख्या : 266/86 धारा 353/332 भा0 द0 वि0 तथा 3(क)/4 उ0 प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया । साक्ष्य के अभाव में अ0 सं0 261/86 धारा 447 भा0 द0 वि0 में 17-4-87 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी । अपराध संख्या 266/86 धारा 332/353 भा0दं0वि0 व 3 (क)/4 गिरोहबन्द अधिनियम के अभियोग में अंतिम रिपोर्ट दिनांक 1-7-87 को न्यायालय में प्रेषित की गयी ।

जिला-स्तरीय जांच से कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

84—श्री हर्ष वर्धन—

[सदन की सेवा से निलंम्बित होने के कारण हटाया गया]

85—श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

86—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]

87—श्री हर्ष वर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**प्रदेश में अरेबिक व परशियन बोर्ड के अन्तर्गत चल रहे मदरसों की संख्या**

88—श्री मोहम्मद मसूद खां—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अरेबिक व परशियन इक्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत कुल कितने और कौन-कौन से मदरसे चल रहे हैं तथा क्या उसमें कोई लड़कियों का मदरसा है और पिछले चार साल के अन्दर कोई नया मदरसा ग्रान्ट इन एड आया ? यदि हां, तो कौन ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचनानुसार कुल 327 मदरसे चल रहे हैं जिनकी सूची संलग्न†परिशिष्ट "क-I" तथा "क-II" पर है। इनमें 32 मदरसे लड़कियों के हैं। पिछले 4 वर्ष में 18 मदरसे अनुदान सूची पर आये जिनकी सूची संलग्न†परिशिष्ट "ख" पर है।

**जनपद फैजाबाद के मया ब्लाक में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के लिए भवन निर्माण की मांग**

89—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के मया ब्लाक में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों में से कितने पाठशाला स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन जर्जर एवं खतरनाक स्थिति में हैं और कितने विद्यालय पूरी तरह से भवनहीन हैं ? इन विद्यालयों के भवन निर्माण कराने अथवा उनके भवनों की मरम्मत कराने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

जनपद फैजाबाद के मया ब्लाक के अन्तर्गत भवनहीन एवं जर्जर प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूलों की स्थिति निम्नवत् है :—

| | जर्जर भवनों की संख्या | भवनहीन विद्यालयों की संख्या |
|---|---|---|
| प्राइमरी पाठशाला | 38 | 9 |
| जू0 हा0 स्कूल | 1 | 1 |

शासन द्वारा सीमित संसाधन के अन्तर्गत जर्जर एवं भवन हीन विद्यालयों के मरम्मत तथा निर्माण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गये हैं।

†छापी नहीं गई।

**जनपद फैजाबाद स्थित विद्यालय भवनों की मरम्मत की मांग**

90—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी —

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के शिक्षा क्षेत्र भीटी में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कुल 74 परिषदीय विद्यालय हैं जिनमें से 10 विद्यालय भवन हीन हैं, 7 विद्यालयों के भवन अधूरे निर्माण करके छोड़ दिये गये हैं और 40 विद्यालयों के भवन जर्जर एवं खतरनाक स्थिति में हैं जिनमें जीवन का खतरा मोल लेकर ही बैठा जा सकता है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और इस कमी को दूर करने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

जनपद फैजाबाद के क्षेत्र भीटी में 75 परिषदीय विद्यालय हैं । इनमें से 19 विद्यालय भवनहीन हैं । 7 विद्यालयों के भवन अधूरे थे जिनमें से 4 विद्यालयों के भवनों का निर्माण प्रगति पर है । 25 विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में हैं । शासन द्वारा जनपद फैजाबाद के जर्जर विद्यालय भवनों के मरम्मत हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ।

**जनपद फैजाबाद स्थित विद्यालय भवनों की मरम्मत की मांग**

91—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों के 90 प्रतिशत भवन जर्जर एवं खतरनाक स्थिति में हैं अथवा उक्त विद्यालय पूरी तरह से भवनहीन हैं ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और इन विद्यालयों के भवन निर्माण कराने अथवा उनके भवनों की मरम्मत कराने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी —

जी हां ।

कटेहरी ब्लाक के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल भवनों की स्थिति निम्नवत है :—

| | |
|---|---|
| कुल विद्यालय | 67 |
| भवनहीन | 11 |
| मरम्मत योग्य | 35 |
| निर्माणाधीन | 4 |

प्रश्नगत विद्यालय भवनों का निर्माण जनपद की जिला योजना में कराये गये प्राविधान तथा जिला बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसार कराया जाता है ।

भवनों की मरम्मत की नयी प्रक्रिया के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति को अंक सहित प्रस्ताव अनुमोदित कराकर संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा अंक सहित मांग प्रस्तुत करने पर उसकी स्वीकृति वांछित मरम्मत कराने हेतु संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रदान की जाती है ।

**जनपद फैजाबाद में प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्रों की खुफिया जांच की मांग।**

92–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी –

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में अधिकांश प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र केवल कागज में चल रहे हैं और मौके पर उनका पता नहीं है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? यदि नहीं, तो इसकी उच्च स्तरीय खुफिया जांच कराने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री सिब्ते रजी –

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

93–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

94 से 96–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

97–98–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**राम गंगा कमाण्ड परियोजना की नवाबगंज कानपुर स्थित परिवहन कार्यशाला में निर्धारित योग्यता के अधिकारियों का अभाव**

99–श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि राम गंगा कमाण्ड परियोजना की नवाबगंज कानपुर स्थित परिवहन कार्यशाला का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी आटोमोबाइल का डिप्लोमा, डिग्री धारक नहीं है ? यदि हां, तो क्या शासन इनको हटाकर निर्धारित योग्यता वाले व्यक्तियों को रखेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

राम गंगा कमाण्ड परियोजना की पूल कार्यशाला (परिवहन कार्यशाला) को अध्यक्ष एवं प्रशासक, राम गंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर के आदेश दिनांक 8-11-86 द्वारा बन्द कर दिया गया है । वर्तमान में कार्यशाला में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं । अतः अब नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद में शीशम के पेड़ अवैध रूप से कटवाना**

100–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद की ग्राम सभा पैम्पुर रेपुरा के गाटा संख्या 850 में से खड़े 10 शीशम के पेड़ 17 अक्टूबर, 1986 को पुलिस थाना फिरोजाबाद उत्तर के सहयोग से कुछ व्यक्तियों ने काट लिए और जिससे ग्राम समाज का करीब 20,000 रुपया नुकसान हुआ ? यदि हां, तो दिनांक 26-10-86 को परगनाधिकारी के आदेश के बावजूद पेड़ काटने वालों के खिलाफ कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस थाना फिरोजाबाद उत्तर के सहयोग से कुछ व्यक्तियों द्वारा 10 शीशम के पेड़ प्रश्नगत गाटा से काटे जाने की बात सही नहीं पाई गई, बल्कि पूरन सिंह आदि, निवासी पैम्पुर रैपुरा, द्वारा इस संबंध में दी गई लिखित शिकायत की जांच से असलम खां पुत्र मोहम्मद शम्मी, निवासी मोहम्मद गंज, फिरोजाबाद द्वारा शीशम के आठ हरे पेड बिना वन विभाग की अनुमति से काटे जाने का मामला प्रकाश में आया जिसके आधार पर थाना उत्तर फिरोजाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 748/86, धारा 379 भा0 द0 वि0, 4/10 वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 14-12-86 को पंजीकृत हुआ तथा प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर असलम खां के विरुद्ध दिनांक 23-1-87 को आरोप-पत्र भेजा गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। पेड़ नये थे और उनकी कीमत लगभग रु0 2,000/-आंकी गई।

**जनपद आगरा के ग्राम आलमपुर की हरिजन महिला के साथ बलात्कार**

101–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के थाना नारखी के ग्राम आलमपुर के हरिजन द्वारिका प्रसाद की युवा पुत्र बधू गुड्डी दिनांक 24-12-86 को दिन के 3 बजे के करीब शौच को खेत में गई ? क्या यह सही है कि ग्राम गढीबरन के पं0 बासदेव पुत्र छदामी लाल ने जबरन पकड़ कर उसके साथ बलात्कार किया ? यदि हां, तो क्या गुड्डी दिनांक 24-12-86 को थाने पर पहुंची किन्तु दिनांक 25-12-86 तथा 26-12-86 तक थाने पर उसकी रपट नहीं लिखी गयी ? यदि हां, तो 26-12-86 को धारा 354 में रपट लिखने का क्या कारण है और क्या यह भी सत्य है कि गुड्डी के ससुर द्वारिका प्रसाद ने 4-1-87 को अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये किन्तु उस पर कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार अपने पति तथा ससुर, जो फिरोजाबाद गये थे, की अनुपस्थिति में गुड्डी थाने पर रिपोर्ट लिखाने गई थी किन्तु गांव वालों के समझाने-बुझाने पर बिना रिपोर्ट लिखाये वापस चली गई।

दिनांक 26-12-86 को अपने पति तथा ससुर के फिरोजाबाद से वापस आने पर सारी घटना का वर्णन उनसे किया। उक्त तिथि को ही उसके ससुर श्री द्वारिका प्रसाद द्वारा लिखित प्रथम सूचना थाने पर दी गई। लिखित प्रथम सूचना में अंकित तथ्यों के आधार पर अपराध अन्तर्गत धारा 354 में पंजीकृत किया गया।

रिपोर्ट लिखाने के पश्चात गुड्डी के ससुर श्री द्वारिका प्रसाद ने यह शिकायत की कि उसकी पुत्रवधू गुड्डी के साथ बलात्कार हुआ है। तदनुसार अभियोग अन्तर्गत धारा 376 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। अभियुक्त वासुदेव पुत्र छदामी लाल की गिरफ्तारी के बाद उसके विरुद्ध दिनांक 2-2-87 को आरोप पत्र भेजा गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री द्वारिका प्रसाद के प्रार्थना-पत्र दिनांक 4-1-87 की जांच पुलिस महानिरीक्षक, विशेष जांच से कराई जा रही है। जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है।

**जूनियर हाईस्कूल हजारीपुर, गोरखपुर में कार्यरत श्री शिवकुमार पाठक की मृत्यु के बाद उनके वारिस को उनके स्थान पर नियुक्त करने की मांग**

102—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाईस्कूल हजारीपुर, गोरखपुर में कार्यरत श्री शिव कुमार पाठक की मृत्यु दिनांक 23-8-78 को हुई थी ? यदि हां, तो क्या उनके वारिसों को देय धनराशि का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि उनके वारिस श्री अवनि कुमार पाठक व श्री राज कुमार पाठक को मृतक के स्थान पर नियुक्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी —

जी हां ।

भविष्य निधि तथा पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया गया है । सामूहिक जीवन बीमा निगम की धनराशि का भुगतान विवादित होने के कारण नहीं किया गया है ।

जी नहीं ।

नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

**जनपद उन्नाव थाना मांखी के दरोगा आदि के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग**

103—श्री मनोहर लाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में अक्टूबर, 86 में होने वाले दशहरा मेला में थाना मांखी के दरोगा कौशल व अन्य सिपाही ने शराब पीकर औरतों के साथ छेड़खानी की और जनता के द्वारा मना करने पर दरोगा कौशल ने मांखी से अतिरिक्त फोर्स मंगाकर निहत्थे ग्रामीणों पर लाठी बरसा करवाई थी तथा प्रधान सहित कई लोगों को थाने पकड़ ले गए थे ? क्या यह सच है कि इसकी शिकायत प्रश्नकर्ता ने तत्कालीन डी0 जी0 पुलिस से की थी और उन्होंने अपनी जांच जिले के अन्य अधिकारियों द्वारा करवाने के आदेश दिए थे लेकिन इसके बाद भी दरोगा उसी हल्के में मौजूद है और लोगों को परेशान कर रहा है ? यदि हां, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित घटना से संबंधित मा0 विधायक का पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ को जांच हेतु भेजा गया था । घटना की जांच क्षेत्राधिकारी, मड़ियांव लखनऊ द्वारा की गयी ।

जांच से उप निरीक्षक श्री कौशल के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए । निहत्थे ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने तथा शराब पीकर औरतों के साथ छेड़खानी के आरोप भी जांच से सही नहीं पाए गए । जांच से यह पाया गया कि ग्राम प्रधान शिव मंगल सिंह के लड़के मुन्नू सिंह एवं 7-8 अन्य अराजक तत्वों द्वारा मेले में शान्ति भंग तथा औरतों के साथ छेड़खानी की गई ।

उप निरीक्षक श्री कौशल अब थाना असोहा में तैनात है ।

**परीक्षा केन्द्र रा0 इ0 का0 देवीधुरा (पिथौरागढ़) के परीक्षार्थियों के परीक्षाफल विलम्ब से घोषित**

104—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि परीक्षा केन्द्र रा0 इ0 का0 देवीधुरा (पिथौरागढ़) के सभी हाईस्कूल एवं इण्टर के परीक्षार्थियों के वर्ष 1982-83 का परीक्षाफल दिनांक 31 मार्च, 1987 तक भी घोषित नहीं किया गया था ? क्या सरकार इस अतिशय विलम्ब की जिम्मेदारी लेते हुए परीक्षार्थियों की हुई क्षति की पूर्ति करेगी और दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? परीक्षाफल शीघ्र घोषित करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

राजकीय इण्टर कालेज, देवीधुरा, पिथौरागढ़ से वर्ष 1983 की परीक्षा में हाईस्कूल तथा इण्टर के क्रमशः 59 एवं 35 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे ।

हाईस्कूल के 57 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल डब्लू0 ए0 (नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए) के आरोप में रोके गए थे । इन पर नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 10-5-85 तक परीक्षाफल घोषित कर दिया गया, परन्तु उक्त परीक्षार्थियों में से 10 के अंक पत्र कतिपय प्रश्न पत्रों में अंक उपलब्ध न होने के कारण अपूर्ण रहे। केन्द्र व्यवस्थापक से उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त कर शेष 10 परीक्षाफल पूर्ण कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से दिनांक 30-6-87 को भेज दिए गए हैं ।

इण्टर में कुल 35 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे । सभी 35 परीक्षाफल डब्लू0 ए0 की सूची में रुके थे । दिनांक 13-5-85 तक 33 परीक्षाफल घोषित किये जा चुके थे । शेष दो में से एक परीक्षार्थी का परीक्षार्थित्व सी0 पी0 में तथा दूसरे का डब्लू0 ए0 में निरस्त हो गया था । उक्त घोषित परीक्षाफलों में छात्रों के कतिपय प्रश्न-पत्रों के उपलब्ध न होने के कारण परीक्षाफल अपूर्ण रहे । इन पर कार्यवाही कर पूर्ण परीक्षाफल दिनांक 30-6-87 को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से संबंधित केन्द्र व्यवस्थापक को प्रेषण हेतु भेज दिए गए हैं । परीक्षाफल घोषणा में विलम्ब संबंधित सहायक के असामयिक निधन के कारण हुआ है ।

105—श्री भगौती सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

106—श्री राज किशोर सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

107—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

108—श्री हर्ष वर्धन—

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

**उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा परिवहन निगम पलवल से बुलन्दशहर के बीच रोडवेज की बसें चलवाने की मांग**

109—श्री किरनपाल सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 तथा हरियाणा परिवहन निगम ने पलवल से बुलन्दशहर के बीच रोडवेज की बसें चलाने के लिए कोई समझौता गत वर्ष किया है ? यदि हां, तो उ0 प्र0 परिवहन निगम ने इस रूट पर अपनी बसें क्यों नहीं चलाई हैं जबकि हरियाणा राज्य परिवहन निगम की बसें पिछले छः माह से चल रही हैं ?

डाक्टर संजय सिंह—

जुलाई, 86 में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम तथा हरियाणा रोडवेज के बीच फरीदाबाद-पलवल-खुरजा-बुलन्दशहर मार्ग के साथ अन्य मार्गों के संबंध में बसें चलाने के लिए समझौता हुआ था ।

उक्त समझौते के अनुसार इस मार्ग पर, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा बसें नहीं चलानी हैं ।

**जनपद वाराणसी की तहसील चन्दौली के ग्राम जमसोती के भूमिहीनों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की मांग**

110—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी की तहसील चन्दौली के ग्राम जमसोती में जो कि पहाड़ में स्थित है, में भूमिहीनों की श्रेणी के कितने व्यक्ति हैं ? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले इन व्यक्तियों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्राम जमसोती विकास खण्ड नौगढ़ जनपद वाराणसी तहसील चकिया में स्थित है तथा उक्त ग्राम में 42 परिवार भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं ।

गरीबी रेखा से ऊपर उठाने हेतु 4 परिवारों को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराया गया तथा 12 भूमिहीन, अनुसूचित जाति के परिवारों को स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनान्तर्गत भूमि आवंटित की गई । शेष परिवारों को लाभान्वित कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

**जनपद वाराणसी में हरिजन उत्पीड़न के निराकरण की मांग**

111—श्री मूलचन्द—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, 1985 से लगातार जुलाई, 1986 तक जनपद वाराणसी में हरिजन सेल के डी0 आई0 जी0 द्वारा कुल कितने हरिजनों की समस्या की जांच कराई गई है ? जांच के पश्चात् क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में विशेष जांच प्रकोष्ठ में प्राप्त हरिजन उत्पीड़न संबंधी 117 प्रार्थना पत्रों में से 16 की जांच विशेष जांच प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा तथा शेष 101 प्रार्थना पत्रों की जांच ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी के माध्यम से कराई गई । पांच प्रार्थना पत्रों के आधार पर धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही, दो प्रार्थना पत्रों की जांच के पश्चात् मुकदमे कायम करवाए गए, एक प्रार्थना पत्र की जांच के पश्चात् दोषी पाए गए प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, एक प्रार्थना-पत्र की जांच के पश्चात् दोषी पाए गए कान्स0 को आदेश कक्ष में दण्डित किए जाने की संस्तुति की गई । तीन प्रार्थना पत्रों की जांच के पश्चात् हरिजनों की सुरक्षा हेतु स्थानीय पुलिस को लिखा गया । एक प्राथना पत्र की जांच के पश्चात् भूमि के आवंटन हेतु लिखा गया, एक प्रार्थना पत्र की जांच के पश्चात् विपक्षी द्वारा बकाया मजदूरी दिलाई गई, एक प्रार्थना पत्र की जांच के बाद मामला अपराध अनुसंधान विभाग को जांच हेतु लिखा गया, चार मामले भूमि विवाद से संबंधित न्यायालय में विचाराधीन पाए गए तथा शेष मामले जांच से असत्य एवं निराधार पाए गए ।

112–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

113-114–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज, बदायूं के प्रिंसिपल को कार्यभार ग्रहण कराये जाने की मांग**

115–इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्द बल्लभ पन्त डिग्री कालेज, कछला, बदायूं के प्रिंसिपल डा0 मनीराम मिश्र को कुलपति, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के आदेश दि0 11-10-85 के परिप्रेक्ष्य में कार्यभार क्यों नहीं ग्रहण कराया गया तथा उनके विगत अवधि अर्थात दिनांक 22 दिसम्बर, 1980 से 27 अक्टूबर, 1985 तक के अवशिष्ट वेतन का भुगतान बार-बार शिक्षा विभाग को लिखने पर भी अभी तक न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी–

कुलपति के आदेश दिनांक 11-10-85 के अन्तर्गत कालेज के प्रबन्धक ने डा0 मनीराम मिश्र को कार्यभार ग्रहण न कराके दिनांक 28-10-85 से पुनः निलंबित कर दिया। विश्वविद्यालय ने इस निलम्बन को अवैध एवं शून्य प्रभावी मानते हुए डा0 मिश्र को कार्यभार ग्रहण कराने के पुनः निर्देश दिए।

कुलपति ने डा0 मिश्र को 22-10-80 से तथा आगे के वेतन भुगतान के आदेश दिनांक 8-11-85 को पारित किए । इस आदेश के विरुद्ध प्रबंधतंत्र ने मा0 उच्च न्यायालय में रिट दायर करके स्थगन आदेश दिनांक 12-12-85 को प्राप्त कर लिए हैं । अवशिष्ट वेतन के भुगतान हेतु न्यायालय के कोई आदेश नहीं हैं ।

116-117—इन्जीनियर मोहम्मद अबरार अहमद—
[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

**प्रदेश के विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा के स्थान पर अन्य भाषा की व्यवस्था किए जाने की मांग**

118—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 117 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन 465 विद्यालयों में यदि कोई छात्र अंग्रेजी भाषा न पढ़ना चाहे तो उनके स्थान पर हिन्दी के अलावा कोई तीसरी भाषा कैसे पढ़ सकेगा अर्थात एक प्रकार से अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्य नहीं हो गई ?

श्री सिब्ते रजी—

नहीं । हाईस्कूल में अंग्रेजी भाषा अनिवार्य विषय के रूप में निर्धारित नहीं है । यदि प्रश्नगत 465 विद्यालय तीसरी भाषा भी छात्रों को पढ़ाना चाहते हों, तो उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद् को मान्यता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । मान्यता प्राप्त करने पर छात्र तीसरी भाषा भी उपहृत कर सकेंगे । तीसरी भाषा की मान्यता प्राप्त न करने की दशा में वहां के छात्रों के लिए उन दोनों भाषाओं ो, जिनमें विद्यालय मान्यता प्राप्त है, पढ़ने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं ।

**लखीमपुर-खीरी स्थित विद्यालय इण्टर कालेज, पलिया के प्रधानाचार्य के खिलाफ भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की जांच की मांग**

119—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर-खीरी स्थित बल्देव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलियां कलां खीरी के प्रधानाचार्य (श्री राजकुमार दीक्षित) के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक खीरी ने 8-8-84 को एवं उप शिक्षा निदेशक षष्ठ मंडल लखनऊ ने 17-2-86 को की ? यदि हां, तो जांच के परिणामस्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आए और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां । जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुर-खीरी ने प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र की दिनांक 8-8-84 को जांच की । उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ ने इस जांच आख्या की 17-2-86 को समीक्षा की ।

प्रधानाचार्य वित्तीय अनियमितताओं के लिए तथा अवैध शुल्क वसूल करने के दोषी पाए गए ।

प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुर-खीरी ने प्रबन्ध समिति को 2-3-87 को निर्देश दे दिए हैं ।

**वेतन निर्धारण में बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापकों को हुई हानि की पूर्ति की मांग**

120–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तदर्थ समिति बेसिक शिक्षक संघ, जूनियर बेसिक विद्यालय, गांधीनगर, सीतापुर की ओर से प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ शिक्षा सचिव को कोई इस आशय का मांग पत्र दिनांक 7-4-86 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला है कि नगर क्षेत्र के बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापकों को अन्य शिक्षकों की भांति वेतन निर्धारण में हुई हानि की पूर्ति हेतु जो विशेष भत्ता दिया जाता है वह प्रोन्नति प्राप्त शिक्षकों को भी समान रूप से मिलता रहे ? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

प्रोन्नति के उपरान्त उक्त भत्ता देय न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

**राष्ट्रीय महिला संस्थान, सीतापुर की प्रधानाचार्या के वेतन भुगतान की मांग**

121–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संक्षिप्त पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत सीतापुर में राष्ट्रीय महिला संस्थान सत्र वर्ष 1982-84 में चला था ? यदि हां, तो अभी तक संस्थान की प्रधानाचार्या के अन्तिम दो माह के वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया गया और कब तक भुगतान संभव हो सकेगा ?

श्री सिब्ते रजी–

शिक्षा विभाग द्वारा सीतापुर में इस प्रकार के किसी भी संस्थान का संचालन नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जिला फैजाबाद विकास खण्ड अकबरपुर में हरिजन आवास बनाने की योजना में धांधली**

122–श्री नत्थू लाल विकल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड अकबरपुर जिला फैजाबाद में वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में कितने हरिजन आवास बनाने की योजना कितनी लागत की स्वीकृत हुई थी ? उनमें से कब-कब, कितने-कितने आवास कितनी-कितनी लागत के व कितने-कितने किन-किन ग्रामों में बनाए गए हैं ? उक्त कार्य के लिए उक्त विकास खण्ड को कब-कब कितना धन दिया गया था और कब-कब कितना-कितना धन लगाया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त कार्य में भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो कब और किस अधिकारी द्वारा तथा जांच में अब तक क्या तथ्य प्रकाश में आए हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1984-85 में इन्दिरा आवास निर्माण की कोई योजना स्वीकृत नहीं थी और न ही कोई धन स्वीकृत हुआ था । वर्ष 1985-86 में विकास खण्ड अकबरपुर के लिए 37 आवासों की योजना स्वीकृत हुई थी और उन आवासों के लिए मुद्रांक 3 लाख 30 हजार अवमुक्त किये गये थे । वर्ष 1985-86 में कोई इन्दिरा आवास निर्मित नहीं हो पाये। वर्ष 1986-87 में पलयी कल्यानपुर में 36,000/- की लागत से छः वरहूपुर में 30,000/- की लागत से 5, कजरी नन्दापुर में 30,000/- की लागत से 5, गिरधर पट्टी में 30,000/- की लागत से 5 तथा रामपुर मंगुराडिला में 36,000/- की लागत से छः इन्दिरा आवास निर्मित हुए थे गिरधर पट्टी के 5 आवासों का 2,500/- का भुगतान शेष है जिसके लिए कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की जा रही है ।

विकास खण्ड अकबरपुर को 37 आवासों के लिए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद द्वारा दिसम्बर 1985 व जनवरी, 1986 में 2 किश्तों में 3 लाख 30 हजार रुपये खाद्यान्न सहित दिया गया था। इन इन्दिरा आवासों पर कुल मुद्रांक 2 लाख 22 हजार रुपये व्यय हुए ।

इन 37 इन्दिरा आवासों में 26 इन्दिरा आवासों के निर्माण का कार्य अवर अभियन्ता (ल0सि0) के पर्यवेक्षण में कराया जा रहा था जिनके निर्माण से संबंधित शिकायत की प्रारम्भिक जांच जिलाधिकारी, फैजाबाद के निर्देशानुसार सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फैजाबाद द्वारा अक्टूबर, 1986 में की गयी थी तथा पूर्ण जांच परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा करायी जा रही है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है । प्रारम्भिक जांच में इन इन्दिरा आवासों के निर्माण में कतिपय कमियां जैसे छत की छवाई तथा साइज से कम दरवाजे, खिड़कियां आदि लगाने की बात पायी गयी जिसे सुधारने के लिए खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है और अवर अभियन्ता (ल0सि0) का अकबरपुर से स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

## रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय में नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नामों की मांग

123–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय में वर्ष 85-86 तथा वर्ष 86-87 में 31 दिसम्बर, 86 तक किन-किन व्यक्तियों की स्थाई अथवा अस्थाई नियुक्ति किस-किस पद पर की गई है ? नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद यहां नियुक्तियां क्यों की गईं तथा नियुक्तियों के लिए विज्ञापन देकर प्रार्थना-पत्र आमंत्रित क्यों नहीं किए गए और नियुक्ति किए गए व्यक्तियों के नाम उनके मूल निवास स्थान पते सहित, क्या-क्या है ?

श्री सिब्ते रजी–

विवरण संलग्न है ।

विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने पर प्रतिबन्ध नहीं है ।

अध्यापकों के पदों की रिक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्ति इसके पूर्व दैनिक वेतन पर कार्यरत थे और

ये नियुक्तियां भी तदर्थ आधार पर की गयी थीं, अतः विश्वविद्यालय द्वारा इन नियुक्तियों को विज्ञापित करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी च आगे पृष्ठ 178 पर)

**जनपद शाहजहांपुर के रा0 उ0 मा0 विद्यालय, कलान के प्रधानाचार्य व अन्य शिक्षकों की दक्षता रोक का प्रकरण**

124—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कलान के प्रधानाचार्य व कई अन्य शिक्षकों की सन् 1985-86 की दक्षता रोक पार करने का प्रकरण उप शिक्षा निदेशक (सेवाएं—1) इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद के कार्यालय में काफी समय से लम्बित पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा कोई पत्र अप्रैल, 1987 में भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

केवल प्रश्न में उल्लिखित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के दक्षता रोक पार कराने के संबंध में प्रकरण प्राप्त हुआ था । प्रधानाध्यापक की दक्षता रोक 15-6-87 को पार कर दी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**श्री अशोक विद्यालय इण्टर कालेज कमाल जूड जिला मेरठ के भूतपूर्व प्रबंधक के विरुद्ध जांच आख्या**

125—श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अशोक विद्यालय इण्टर कालेज कमाला जूड जिला मेरठ के भूतपूर्व प्रबन्धक के विरुद्ध नायब तहसीलदार सरधना की जांच आख्या के आधार पर न्यायिक दण्डाधिकारी के आदेशानुसार दिनांक 29-9-85 को अ0 सं0 154 धारा 420/409 भा0 द0 सं0 थाना बिनौली जिला मेरठ पंजीकृत हुआ था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गृह मंत्री शीघ्र कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

126—श्री शारदा प्रताप—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

**लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा तथा विधान परिषद् की कार्यवाहियों को जिला पुस्तकालयों में व्यवस्थित करने हेतु अतिरिक्त धन की मांग**

127—श्री काशी सिंह एरी—

क्या शिक्षा मंत्री अपने विशेष कार्याधिकारी (पुस्तकालय) द्वारा प्रश्नकर्ता को भेजे गये पत्र सं0 630/15 (14) पु0 को-4 (5)/86 दिनांक 18 अक्टूबर, 1986 के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा तथा विधान परिषद् की कार्यवाहियों को जिला पुस्तकालयों में संकलित करने तथा उन्हें पाठकों को उपलब्ध कराने हेतु उक्त कार्यवाहियों के विभिन्न खण्डों की जिल्दसाजी तथा रख-रखाव हेतु क्या अतिरिक्त धन की व्यवस्था (1 अप्रैल 87 तक) भी कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्यवाहियों के विभिन्न खण्डों को मंगाने, उनकी जिल्दसाजी व रख-रखाव हेतु आवश्यक व्यवस्था किस तरह से सुनिश्चित की गयी है ?

श्री सिब्ते रजी—

विभिन्न जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने जनपद के राजकीय जिला पुस्तकालयों हेतु लोक सभा, राज्य सभा, विधान मण्डल तथा विधान परिषद् की कार्यवाहियों को नियमित रूप से संकलित कर पाठकों के लिये उपलब्ध करायें ।

उक्त कार्यवाहियों की जिल्दसाजी हेतु अलग से कोई धनराशि नहीं उपलब्ध करायी गयी है क्योंकि यह व्यय कार्यालय व्यय से वहन किया जाता है ।

**पर्वतीय संवर्ग में राष्ट्रीय पर्वों के उपलक्ष में अध्यापकों को प्राख्यान के हिसाब से भुगतान किये जाने की मांग**

128—श्री काशी सिंह एरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि हाई स्कूल व इण्टर कक्षाओं में अध्यापन हेतु पर्वतीय संवर्ग में शिक्षा सत्र 86-87 में दैनिक वेतन पर नियुक्तियां की गयी हैं जिन्हें प्रति कक्षा प्रति प्राख्यान के हिसाब से भुगतान किया जाता है ? यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय पर्वों (15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि) में इनकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है तथा तदैव वेतन नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या राष्ट्रीयता के परिपेक्ष्य में उपरोक्त दिवसों में भी उन्हें उपस्थिति अनिवार्यतया देने एवं इन दिनों के लिये दैनिक वेतन दिये जाने की राजाज्ञा जारी की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं, दैनिक वेतन पर नियुक्तियां नहीं की गई हैं वरन् अंशकालिक स्वयंसेवियों को प्रति लेक्चर निश्चित मानदेय राशि के भुगतान के आधार पर कक्षाओं में लेक्चर देने हेतु आमंत्रित किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद जौनपुर में सड़कों के निर्माण के पूर्व ही ह्यूम पाइप की आपूर्ति**

129—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा जो ह्यूम पाइप खरीदे गये हैं वे सड़कों का निर्माण किए बिना पहले ही गिरा दिये गये ? क्या मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वित्तीय वर्ष 1986-87 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रखण्ड-जौनपुर में उन्हीं मार्गों पर पाईपों की आपूर्ति ली गई थी, जिस पर मिट्टी का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था तथा पुलिया का निर्माण बहुत ही आवश्यक था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**अपराध शाखा हेतु सीक्रेट सर्विस फंड से दी गई धनराशि के ब्यौरे की मांग**

130—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1985-86 में अपराध शाखा के लिए कोई सीक्रेट सर्विस फंड दिया गया था ? यदि हां, तो कितना धन दिया गया और यह राशि नान गजटेड आफिसर व गजटेड आफिसरों द्वारा कितनी-कितनी खर्च की गयी और किन-किन कार्यों पर ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

वर्ष 1985-86 में अपराध शाखा के लिये "सीक्रेट सर्विस फंड" के अंतर्गत 1,76,0000 रु0 की धनराशि आवंटित की गई थी । यह धनराशि गोपनीय कार्यों हेतु दी जाती है। अतः गोपनीयता को दृष्टिगत रखते हुए इससे संबंधित व्यय के विषय में सूचना देना जनहित में न होगा ।

131 से 134—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

**जनपद सीतापुर के ग्राम पीतपुर स्थित पाठशालाओं के अध्यापकों को आवास भत्ता दिये जाने की मांग**

135—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा परिषद् के अधीन चलने वाले वह प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी (जूनियर हाईस्कूल) पाठशालायें कौन-कौन हैं जिनके अध्यापकों को सीतापुर नगरपालिका सीमा से 8 कि0 मी0 परिधि के भीतर होने के कारण आवास भत्ता दिया जाता है ? क्या यह सही है कि सीतापुर नगर के पड़ोस में ग्राम पीतपुर भी 8 कि0 मी0 के भीतर है परन्तु वहां स्थित पाठशालाओं के अध्यापकों को आवास भत्ता नहीं मिलता है ? यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार उन्हें शीघ्र ही उक्त भत्ता दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री सिब्ते रजी–

सूची संलग्न है ।

आवास भत्ता मिलता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 179–180 पर)

**जनपद बदायूं के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा क्रय की गई सामग्री में व्यय की गई धनराशि**

136–इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लालटेन, स्लेटें तथा मानचित्रों का अनौपचारिक शिक्षा के सम्बन्ध में वर्ष 1984-85 को क्रय किया था ? यदि हां, तो उन पर कितनी धनराशि किस-किस दर से व्यय की गयी है एवं इनकी निर्धारित दरें क्या हैं ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

रु0 98,650.95 पै0 इस हेतु व्यय किया गया है । दरें निम्नवत् हैं :–

1–लालटेनें 27–40 प्रति नग की दर से क्रय की गई ।

2–स्लेटें 3–23 प्रति नग ।

3–मानचित्र 10–00एवं 12–00 प्रति नग ।

**बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं द्वारा आदेशों के बावजूद गोपी राम शर्मा एजूकेशन स्टोर देहली से लालटेनों की आपूर्ति**

137–इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या यह सत्य है लालटेनों के क्रय हेतु सुधीर एण्ड कम्पनी कानपुर को सरकार द्वारा आदेश दिये गये हैं परन्तु बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं द्वारा यहां से क्रय न करके गोपी राम शर्मा एजूकेशनल स्टोर देहली से लालटेनें खरीदी गयी हैं जिन पर 28-50 रु0 प्रति लालटेन का भुगतान किया गया है, जबकि सुधीर एण्ड कम्पनी कानपुर की 15/-प्रति लालटेन की दर है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

लालटेनें एम0 डी0 एच0 इण्डस्ट्रीज, गाजियाबाद प्रधान कार्यालय एच-44 नवीन शाहदरा, दिल्ली से खरीदी गई सुधीर एण्ड कम्पनी कानपुर से लालटेनें खरीदने का न तो कोई सरकारी आदेश था और न ही इस फर्म ने कोटेशन दिया था ।

**बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेशों के बावजूद श्री पृथ्वी राज, आगरा से स्लेटों की आपूर्ति**

138–इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या यह भी सही है कि स्लेटों के क्रय हेतु सुधीर एण्ड कम्पनी कानपुर जो कि विभागीय आदेशानुसार रेट कान्ट्रेक्ट द्वारा सप्लायर हैं उनसे न लेकर श्री पृथ्वी राज आगरा से स्लेटें खरीदी गयी हैं, इसी तरह मानचित्र क्रय हेतु टेण्डर मांगे गये और

8-50 रु0 प्रति टेण्डर सबसे कम रेट आने के बावजूद एजूकेशनल सप्लायर लखनऊ से 12 रु0 प्रति मानचित्र खरीदे गये? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले की पूर्ण जांच करके पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

सुधीर एण्ड कम्पनी, कानपुर, की स्लेटें तथा उसकी दरें वर्ष 84-85 में अनुमोदित नहीं थीं नियमानुसार टेण्डर लेकर तुलनात्मक दृष्टि से कम रेट रु0 3-23 पै0 स्लेट प्रति की दर से मेसर्स पृथ्वी नाथ केला, आगरा से खरीदी गयीं।

जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

139–140–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

**गोरखपुर जिला परिषद् में कार्यरत जे0 ई0 में अनुसूचित जाति की संख्या**

141–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर जिला परिषद् में इस समय कुल कितने जे0 ई0 नियुक्त हैं? इनमें से कौन-कौन अनुसूचित जाति के हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्तमान समय में जिला परिषद् गोरखपुर में 6 अवर अभियन्ता नियुक्त हैं इनमें से एक अवर अभियन्ता श्री राम कृपाल अनुसूचित जाति के हैं। दूसरे अवर अभियन्ता श्री कैलाश नाथ खरवार के अनुसूचित जाति के होने के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

**जनपद गोरखपुर के जिला परिषद् में कार्यरत जे0 ई0 श्री कैलाश प्रसाद की अनुसूचित जाति के कोटे में नियुक्ति**

142–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के जिला परिषद् में कैलाश प्रसाद नामक किसी जे0 ई0 ने अनुसूचित जाति बनकर नियुक्ति पा ली है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त जे0 ई0 पिछड़ी जाति में आता है जिसके प्रमाण में खतौनी व शासनादेश का हवाला देते हुए भूतपूर्व विधायक श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ग्राम व पोस्ट विशुनपुरा-गोरखपुर ने माह दिसम्बर, 85 से अब तक अनेक शिकायती पत्र जिलाधिकारी गोरखपुर व शासन में जांच व कार्यवाही हेतु भेजा है? यदि हां, तो इस मामले की जांच कौन अधिकारी कब से कर रहे हैं और किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? पूरा विवरण क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री कैलाश नाथ, न कि कैलाश प्रसाद, खरवार नाम के अवर अभियन्ता जिला परिषद् गोरखपुर में वर्ष 1982 से नियुक्त हैं। इनकी नियुक्ति सेवायोजन कार्यालय

से अनुसूचित जाति आरक्षण कोटे में नाम भेजने पर नियमानुसार चयन प्रक्रिया के आधार पर हुई है। श्री फिरंगी प्रसाद विशारद भू0 पू0 विधायक द्वारा श्री कैलाश नाथ सरवार के अनुसूचित जाति के न होकर पिछड़ी जाति के अवर अभियन्ता होने की शिकायत जिलाधिकारी व शासन को की गयी है, उसकी जांच मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी गोरखपुर द्वारा संयुक्त रूप से की गयी उनकी जांच आख्या पर आवश्यक तथ्यों की पुष्टि निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण से कराई जा रही है।

**जनपद गोरखपुर के जिला परिषद् कार्यालय के जे0 ई0 के खिलाफ शिकायत**

143—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त जे0 ई0 के विरुद्ध शिकायत-कर्ता श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पूर्व विधायक (उपरोक्त) ने जिलाधिकारी गोरखपुर मुख्य मंत्री उ0 प्र0 लखनऊ से मांग की है कि फर्जी तौर पर जाति बदल कर सेवा में आने व धोखा देने तथा सरकारी धन कमाने पर धारा 409 व 420 भा0 द0 वि0 में रपट दर्ज कर कार्यवाही की जाय? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

**बोरिंग योजना के अन्तर्गत कृषकों को पम्पिंग सेट क्रय हेतु नगद धनराशि के भुगतान की मांग**

144—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत कृषकों को पम्पिंग सेट क्रय हेतु धनराशि नगद भुगतान करने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत निःशुल्क बोरिंग में कृषकों को पम्पिंग सेट क्रय हेतु धनराशि नगद भुगतान करने का प्रस्ताव फिलहाल शासन में विचाराधीन नहीं है। क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार निःशुल्क बोरिंग में कृषकों को पम्पिंग सेट क्रय हेतु एकाउण्टपेयी चेक द्वारा पम्पिंग सेट के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था भूमि विकास बैंक/व्यवसायिक बैंकों द्वारा दी जा रही है जिसमें कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती।

**गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच के कतिपय ग्रामों को रोजगार योजना के अन्तर्गत अधिक धन की मांग**

145—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच के भसेहा रामनगर, कंडजहां रुद्रपुर चिलबिलवा आदि ग्रामों के विकास के लिए ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत अधिक धनराशि उपलब्ध करा कर विकास कार्य करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच के ग्राम सभा चिलबिलवा, रुद्रपुर रामनगर करजहां एवं भेसवा में क्षेत्र समिति के द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को स्वीकृत कराकर पूर्ण कराया जा चुका है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त के अतिरिक्त कार्य प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोरखपुर के पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के कतिपय विकास खण्डों द्वारा चलाई गई ग्रामीण योजना के अन्तर्गत विकास कार्य हेतु आवंटित धनराशि**

146–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्डों द्वारा चलाई गई ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 84-85 में किन-किन ग्राम सभाओं में कितना-कितना धन किस-किस विकास कार्य के लिए आवंटित किया गया था? क्या यह सब कार्य पूरे कर लिये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार मौके की जांच करा कर सत्यता से अवगत करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

गोरखपुर जनपद के पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1984-85 में संलग्न† विवरणानुसार 131 ग्राम सभाओं में आवंटित 5.50 लाख रु0 की लागत से खड़ंजा, हाथनल, एवं पुलिया निर्माण के कार्य सम्पन्न कराये गये।

जी हां।

उपरोक्त कार्यों का स्थलीय सत्यापन कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड चरगांवा के प्रा0 पाठशाला की मरम्मत की मांग**

147–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड चरगांवा के ग्राम ज0 घूसड़ टोला बड़ी रेतवहिया का प्रा0 पाठशाला क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर को प्रा0 पा0 बड़ी रेतवहिया की मरम्मत कराने का आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

नई व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यालय का मरम्मत कार्य ग्राम शिक्षा समितियों को सौंप दिया गया है।

---

†छापा नहीं गया।

**हेड कान्सटेबिल श्री शिवराम सिंह, जिला हरदोई को जी0 पी0 एफ0 इत्यादि का भुगतान**

148–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि हेड कांस्टेबिल नं0 9 श्री शिवराम सिंह निवासी बांसा, थाना मल्लावां जिला हरदोई जो जनपद लखीमपुर खीरी से 1-7-85 को सेवा निवृत्त किया गया, को उनके जी0 पी0 एफ0, ग्रेच्युटी, बीमा, पेंशन एवं सेलेक्शन ग्रेड आदि के भुगतान अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं तथा भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा?

**श्री गोपी नाथ दीक्षित–**

जनपद खीरी के हेड कान्सटेबिल नं0 9 श्री शिवराम सिंह दिनांक 1-7-85 से नहीं बल्कि 1-6-85 से सेवा निवृत्त हुए थे। इनको सेलेक्शन ग्रेड देने के पश्चात् इनके पक्ष में पेंशन, ग्रेच्युटी, जी0 पी0 फण्ड का 90 प्रतिशत एवं बीमा की धनराशि के भुगतानादेश जारी किये जा चुके हैं।

149–150–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

**पुलिस लाइन, सुल्तानपुर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में श्री अयोध्या सिंह की मृत्यु**

151–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि पुलिस लाइन, सुल्तानपुर के वायरलेस स्टेशन पर नियुक्त कर्मचारी श्री अयोध्या सिंह की पुलिस लाइन में कुश्ती के आयोजन हेतु दिनांक 31 जुलाई, 1985 को बुलाया गया था और क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को 2 अगस्त, 1985 को हफीज नामक पहलवान ने पुलिस लाइन में पटक कर उसके सिर को घुटने से दबा कर गरदन की हड्डियां तोड़ दीं और इन चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी? यदि हां, तो क्या उसकी मृत्यु के पूर्व बयान लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उसका पोस्टमार्टम कराया गया था? यदि हां, तो उसमें मृत्यु का कारण क्या दर्शित किया गया है?

**श्री गोपी नाथ दीक्षित–**

पुलिस लाइन सुल्तानपुर में दिनांक 31-7-85 से कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें वायरलेस विभाग के मैसेंजर प्यून स्वर्गीय अयोध्या सिंह स्वेच्छा से सम्मिलित था।

दिनांक 2-8-85 को उक्त अयोध्या सिंह को कुश्तीस्थल पर चोटें आयी थीं, जिसकी वजह से उसकी बाद में काफी इलाज के बावजूद मृत्यु हो गयी थी।

जांच से हे0 कान्स0, ए0 पी0 हफीज अहमद द्वारा पटक कर चोट पहुंचाना और उन्हीं चोटों के कारण अयोध्या सिंह की मृत्यु होना प्रमाणित नहीं पाया गया।

मृत्यु के पहले अयोध्या सिंह का कोई बयान नहीं लिया गया था। स्व0 अयोध्या सिंह के शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में (1) मस्तिष्क में एक्स्ट्राड्यूरल राइट साइट हेमोटोमा बनने तथा (2) सरवाइकल वर्टिब्रा के फ्रैक्चर होने से शाक लगने से मृत्यु होना अंकित है।

**विकास खण्ड गंगीरी, जनपद अलीगढ़ में कार्यरत सहायक विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग**

152–श्री कल्यान सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास खण्ड, गंगीरी जनपद अलीगढ़ में कौन-कौन सहायक विकास अधिकारी ऐसे हैं, जो इसी विकास खण्ड में गत लगभग 10 वर्ष अथवा इससे भी अधिक अवधि से सेवारत हैं? इतनी लम्बी अवधि के बावजूद भी अभी तक इन लोगों का स्थानान्तरण न किए जाने के क्या कारण हैं तथा स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड गंगीरी में केवल एक सहायक विकास अधिकारी (सां0) श्री काली चरण यादव 10 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं। अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा श्री काली चरण यादव को भी जनपद अलीगढ़ से संख्याधिकारी कार्यालय इटावा में अर्थ एवं संख्या निरीक्षक के पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया है और उन्हें 1 जुलाई, 1987 को नये पद पर योगदान हेतु कार्यमुक्त भी कर दिया गया है।

**जनपद जौनपुर, थाना सरांग ख्वाजा के उपनिरीक्षक श्री सुभाष चन्द्र के खिलाफ जांच की मांग**

153–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21-3-86 को थाना सरांग ख्वाजा जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम कोइरी डीहा बाजार के कुछ सम्भ्रान्त व्यक्तियों को उप-निरीक्षक सुभाष चन्द्र द्वारा प्रतिशोध की भावना लेकर थाने में ले जाकर मारा पीटा गया व उनकी जेब से 2600/- रुपये ले लिए गये जिसकी एफ0 आई0 आर0 उक्त तिथि में उक्त थाने में दर्ज हुई थी? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे उप निरीक्षक के खिलाफ जांच कराकर निलम्बित करने का आदेश देगी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं।

ता0 21-3-87 को उप निरीक्षक श्री सुभाष चन्द्र जायसवाल द्वारा कोइरीडीहा बाजार से निम्नलिखित व्यक्तियों को सरेआम जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर फड़ से 13/- व जामा तलाशी से रु0 79/- बरामद किए गए थे :–

(1) राम प्यारे
(2) राम अवध
(3) चन्द लाल
(4) कामता प्रसाद
(5) लाला प्रसाद
(6) जिया लाल
(7) विश्वनाथ ।

उक्त के सम्बन्ध में थाना सराय ख्वाजा पर धारा 13 जुआ एक्ट के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

**देवरिया-बरहज रोड के बड़े चौराहे, गड़ेर पर सरकारी बसें रुकवाने की मांग**

154—श्री अर्जुन सिंह यादव—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सं0 18 के संबंध में क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जांच अधिकारी कौन था तथा किस आधार पर यह सूचना दी कि लम्बी दूरी के यात्री उपलब्ध नहीं हैं जो कि सत्य से परे एवं निराधार है? क्या मंत्री जी जनमत को ध्यान में रखते हुए पुनः इस पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर संजय सिंह—

वर्ष 1986 में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक देवरिया द्वारा जांच की गयी थी तथा उस समय की स्थिति के अनुसार दी गयी सूचना सही थी।

जी हां।

गड़ेर चौराहा से होकर आने-जाने वाली सभी मेल एवं पैसेन्जर बस सेवाओं के लिए गड़ेर चौराहा प्रयोगात्मक रूप में फेयर स्टापेज घोषित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊपर उत्तर दिया जा चुका है।

**प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बोरिंग असफल हो जाने के फलस्वरूप बोरिंग का 90 प्रतिशत शासन द्वारा वहन करने की मांग**

155—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार ने जुलाई 4, सन् 86 को प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में निःशुल्क बोरिंग हेतु लघु सीमान्त कृषकों एवं जनजाति के कृषकों हेतु कोई अतिरिक्त सुविधायें प्रदान की हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं? क्या अतिरिक्त सुविधाओं के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड एवं आगरा के खारे भूमिगत जल क्षेत्रों एवं गहरे बोरिंग वाले क्षेत्रों में भी कोई सुविधा प्रदान की गयी है? क्या यह सही है कि बोरिंग असफल होने पर बोरिंग का 90 प्रतिशत व्यय शासन के द्वारा वहन किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं। केवल आगरा मण्डल के जनपद आगरा, मथुरा, एटा एवं अलीगढ़ में खारे पानी के कारण असफल नलकूप पर 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 2500/- तक अनुदान की सुविधा उपलब्ध है।

जी हां। केवल बड़ी रिग मशीनों द्वारा निर्मित बोरिंग असफल होने पर कुल व्यय का 10 प्रतिशत अधिकतम रु0 1000/- कृषक द्वारा तथा शेष व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है।

156—श्री विष्णु देव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जिला परिषद् फैजाबाद को आवंटित धनराशि के आधार की मांग**

157—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1986-87 में जिला परिषद् फैजाबाद को कितनी रोड ग्रान्ट दी गयी और स्कूलों के भवनों के निर्माण अथवा मरम्मत के लिए कितनी ग्रान्ट दी गयी तथा उसी अवधि में जिला परिषद् सुल्तानपुर को इन्हीं मदों में कितना धन दिया गया? उक्त मदों में जिलों को धन आवंटित करने में सरकार की नीति और मानक क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1986-87 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों की सड़कों के अनुरक्षण हेतु जनपद फैजाबाद व सुल्तानपुर को क्रमशः 20,30,000 रुपये तथा 25,00,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। जिला परिषदों के स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेश के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी फैजाबाद व सुल्तानपुर को क्रमशः 6,35,526 रुपये तथा 7,76,754 रुपये आवंटित किये गये।

धनराशि का आवंटन सामान्यतः जनपद के विकास खण्ड की संख्या एवं प्रकार को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

**के0 एस0 साकेत पी0जी0 कालेज, फैजाबाद के भारतीय संस्कृति विभाग में रीडर के पद चयन में की गई गड़बड़ी में जांच की मांग**

158—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि के0 एस0 साकेत पी0 जी0 कालेज, फैजाबाद के प्राचीन इतिहास के विभागाध्यक्ष डा0 राम किशोर श्रीवास्तव का दिनांक 5-11-86 का प्रार्थना पत्र जिसमें अवध विश्वविद्यालय में इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग में रीडर के पद हेतु दिनांक 22-7-86 को हुए साक्षात्कार जिसका अनुमोदन अवध विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् ने भी दिनांक 13-9-86 को कर दिया है, में धांधली की शिकायत की गयी है, उन्हें मिल गया है? यदि हां, तो शिकायत क्या है तथा उसकी जांच किसके द्वारा करायी गयी तथा इस प्रकार की गड़बड़ी को रोकने और इसके दोषी लोगों को दण्डित करने में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

मुख्य शिकायतों का विवरण संलग्न है।

प्रश्नगत प्रकरण में डा0 राम किशोर श्रीवास्तव ने उ0 प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत कुलाधिपति को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जिस पर कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम होगा। अतएव, इस प्रकरण में शासन द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 181 पर)

**फैजाबाद में बन्दूक तथा रिवाल्वर लाइसेन्स धारकों को लाइसेन्स दिलाये जाने की मांग**

159—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जनपद फैजाबाद में अधिकारियों की लापरवाही के कारण ऐसे बहुत से मामलों में जिनमें लाइसेन्स धारकों की मृत्यु हो गयी है और उनके वारिसों द्वारा लाइसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, बन्दूकों तथा रिवाल्वर आदि के लाइसेन्स अभी तक नहीं बनाये गये हैं? यदि हां, तो इस बारे में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने और ऐसे सभी लम्बित मामलों में तुरन्त लाइसेन्स जारी करने में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में शासन को क्या कठिनाई है और इस बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी फैजाबाद को दिनांक 9-4-86 को भेजे गये शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार, जनपद फैजाबाद में मृतक शस्त्र लाइसेंसियों के उत्तराधिकारियों के लाइसेंस हेतु 133 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये। इनमें से 88 आवेदन-पत्रों पर शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत कर दिये गये हैं तथा 9 आवेदक अपात्र पाये जाने के कारण उनके आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये गये हैं। शेष 36 मामलों में जांच प्रचलित है। इस संबंध में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9-4-86 में कथित 3 आवेदकों में से 2 को आग्नेयास्त्र लाइसेंस स्वीकृत कर दिये गये तथा शेष एक आवेदक को लाइसेंस का पात्र न पाये जाने के कारण उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है।

**सदन के सदस्यों द्वारा सुरक्षा हेतु पुलिस की मांग**

160—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान सदन के कुल कितने सदस्यों ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की है और उसमें कुल कितने सदस्यों को पुलिस देकर सुरक्षा प्रदान की गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

**पं0 बनारसी दास शर्मा, ब्लाक प्रमुख, जनपद आगरा की बिना जांच किये गिरफ्तारी एवं एवं उनके आवेदन पर कार्यवाही की मांग**

161—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री बतायें की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के थाना फिरोजाबाद उत्तर की पुलिस ने दिनांक 5-6-86 की झगड़न्त घटना पर दिनांक 7-6-86 को परगनाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस फिरोजाबाद के दबाव पर अपराध संख्या 334/86 धारा 147/353/224/225 भा0 द0 सं0 कायम किया? यदि हां, तो क्या जांच अधिकारी ने बिना जांच और तहरीरी साक्ष्य को देखे अधिकारियों के दबाव में पं0 बनारसी दास

शर्मा ब्लाक प्रमुख को गिरफ्तार कर जेल भेजा? इस संबंध में पं0 बनारसी दास शर्मा के आवेदन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम-चरन, कुर्क अमीन, सहकारी बैंक, फिरोजाबाद ने दिनांक 7-6-86 को 12-10 बजे थाना फिरोजाबाद (उत्तर) पर लिखित तहरीर प्रस्तुत की कि सहकारी बैंक के बकाया धन की वसूली के सम्बन्ध में वारण्ट के साथ दिनांक 5-6-86 को श्री रिसाल सिंह, निवासी हिम्मतपुर, को गिरफ्तार करके ला रहे थे तभी रास्ते में श्री बनारसी दास शर्मा व उनके साथियों ने हमला कर गिरफ्तार शुदा श्री रिसाल सिंह को छुड़ा लिया। इस सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 334/86, तथा 147/353/224/225 भा0 दं0 वि0 बनारसी दास शर्मा, रिसाल सिंह तथा 6-7 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। हस्तक्षेपीय अपराध होने के कारण दिनांक 7-6-86 को अभियुक्त श्री बनारसी दास शर्मा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने कोई तहरीर साक्ष्य दाखिल नहीं किया, बल्कि अदालत में सफाई देने को कहा।

इस सम्बन्ध में पं0 बनारसी दास शर्मा द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र के आधार पर स्थानीय पुलिस द्वारा की गई विवेचना का चेक-अप शासन द्वारा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग से कराया गया।

अपराध शाखा की जांच के मध्य श्री बनारसी दास ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सके जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि श्री राजेश कुमार राय, क्षेत्राधिकारी फिरोजाबाद एवं श्री विक्रमाजीत तिवारी, तत्कालीन परगनाधिकारी ने किसी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण बनारसी दास शर्मा को झूठा फंसाने के लिए वादी श्री राम चरन सिंह एवं विवेचक को बाध्य किया हो।

अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा कुछ सुझाव दिये गये हैं और उनके आधार पर श्री बनारसी दास शर्मा आदि के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

**श्री बच्चू सिंह, प्रधान लिपिक, बक्शी का तालाब इन्टर कालेज, लखनऊ को पुनः कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच की मांग**

162–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान लिपिक श्री बच्चू सिंह बक्शी का तालाब इन्टर कालेज, लखनऊ की सेवायें सन् 1972 में समाप्त हो गयी थीं तथा श्री सिंह द्वारा सेवा संबंधी याचिका भी मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच से खारिज कर दी गयीं थीं? यदि हां, तो किस अधिकारी एवं नियम के द्वारा लगभग 8 साल बाद जून, 1980 में श्री सिंह को सेवा में लिया गया? जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ने सन् 1982 में श्री सिंह का वेतन किस आधार पर निर्धारित किया है? क्या प्रधान लिपिक श्री सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ के विरुद्ध वेतन संबंधी याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ ने इस याचिका के संबंध में क्या कार्यवाही की है? क्या शासन उपरोक्त विद्यालय के तत्कालीन साधिकार नियंत्रक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच करेगा?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

जी हां। श्री बच्चू सिंह के प्रत्यावेदन के आधार पर दिनांक 12-6-1980 को विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा तत्कालीन साधिकार नियंत्रक ने कार्यभार ग्रहण कराया।

तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक और लेखाधिकारी द्वारा प्रधान लिपिक का वर्ष 1982 में पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण किया गया।

जी हां। श्री बच्चू सिंह ने वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अपने अवशेष वेतन के भुगतान हेतु मा0 उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जो विचाराधीन है। जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा याचिका का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने इस सम्बन्ध में आवश्यक पत्रजात मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच को उपलब्ध करा दिया है।

इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से जानकारी मांगी जा रही है। यदि तत्कालीन साधिकार नियन्त्रक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध अनियमितताओं संबंधी कोई तथ्य प्रकाश में आयेंगे तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

**श्री सीताराम सिंह, कनिष्ठ लिपिक, उप विकास आयुक्त, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में दिये गये पत्र पर कार्यवाही की मांग**

163–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव प्रान्तीय अध्यक्ष उ0 प्र0 प्रि0 अ0 अ0 स0 सुधार समिति ने कोई पत्र दिनांक 23-4-87 को श्री सीताराम सिंह कनिष्ठ लिपिक उप विकास आयुक्त, गोरखपुर के भ्रष्टाचार से संबंधित दिया था? यदि हां, तो शिकायत क्या-क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

संक्षिप्त में शिकायतों का विवरण निम्नांकित है :–

श्री सीताराम सिंह विगत 10 वर्षों से एक ही पद पर (स्थापना विभाग) में कार्यरत हैं, श्री सिंह ने लगभग 5 लाख रुपये की धनराशि का मकान अपनी दो स्त्रियों, श्रीमती जानकी देवी व श्रीमती रुमझुम देवी के नाम खरीद कर बनवाया है। श्री सिंह पूर्णरूप से स्थापना का कार्य करते हैं। बिना कार्यालय अधीक्षक की टिप्पणी के उप विकास आयुक्त को भारी रकम देकर आदेश करवाने में सफल रहते हैं।

शिकायतों की जांच कराकर जांच आख्या भेजने हेतु उप विकास आयुक्त, गोरखपुर को आदेशित किया गया है।

**अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गोरखपुर के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग**

164—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोरखपुर के विरुद्ध चन्द माह पूर्व शिकायती-पत्र दिया है? यदि हां, तो इन पत्रों में वर्णित आरोपों की जांच कब और किस अधिकारी से करायी गयी तथा जांच रिपोर्ट क्या है? यदि जांच नहीं करायी गयी, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

उक्त पत्रों में वर्णित आरोपों की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक से कराने के आदेश दे दिये गये हैं। जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**दरबारी लाल शर्मा इन्टर कालेज, बरेली में हाईस्कूल परीक्षा में खुलेआम नकल की जांच की मांग**

165—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को हाईस्कूल की 1986 की दरबारी लाल शर्मा इण्टर कालेज रिठौरा केन्द्र (जनपद बरेली) की परीक्षा में भ्रष्टाचार एवं खुले आम नकल के संबंध में वहां के नागरिकों द्वारा 20-4-86 को भेजा गया शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ने इस मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त हुआ। शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त हुई आख्या के अनुसार शिकायतों की पुष्टि नहीं हो सकी।

परीक्षा केन्द्र की प्रमुख विषयों की उत्तर पुस्तकों का मार्जन भी करवाया गया, किन्तु सामूहिक नकल की शून्य सूचना प्राप्त हुयी। आरोप सिद्ध न होने के कारण किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री आर0के0 दुबे, उप प्रधान प्रबन्धक, बरेली के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच की मांग**

166—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व विधायक श्री भोला पाण्डेय द्वारा दिनांक 5-10-82 को श्री आर0 के0 दुबे, उप प्रधान प्रबन्धक, बरेली के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में शासन को लिखित रूप से अवगत कराया था ? यदि हां, तो क्या श्री दुबे के विरुद्ध जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह—

जी हां।

श्री आर0 के0 दुबे, तत्कालीन उप प्रधान प्रबन्धक, बरेली के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा कराई गई। जांच के फलस्वरूप उक्त आरोप सत्यापित नहीं पाये गये, अतः मामला समाप्त कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता है।

167—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

168—श्री राज किशोर सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

169—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

170—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

171—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

172—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**जिला परिषद्, मथुरा द्वारा संचालित स्वास्थ्य केन्द्र नगला संजा की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग**

173—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला परिषद् मथुरा द्वारा संचालित स्वास्थ्य केन्द्र नगला संजा, जनपद मथुरा को तोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या शासन उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नगत स्वास्थ्य केन्द्र को जिला परिषद् मथुरा की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण बन्द कर दिया गया है।

स्वास्थ्य संबंधी वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा को लिखा गया है।

174—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 128 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

175—श्री विष्णु देव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

176—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

177–श्री अफजाल अंसारी–

[दिनांक 2-7-87 को अता0 प्र0 सं0 190 द्वारा उत्तरित]

**पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों के विद्यालयों में निश्चित मानदेय राशि के भुगतान के आधार पर अंशकालिक स्वयं सेवियों की व्यवस्था**

178–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या सरकार को जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्र के जनपदों में अधिकांश विद्यालयों में अध्यापक उपलब्ध नहीं है?

क्या सरकार उन माध्यमिक विद्यालयों में योग्य व प्रशिक्षित बेरोजगार पढ़े लिखे नवयुवकों को शीघ्र चयनित कर वहां के विद्यालयों में अध्यापकों की पूर्ति करने पर विचार कर रही है जिससे वहां के छात्रों की पढ़ाई के नुकसान को बचाया जा सके? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, विद्यालयों में अध्यापकों की नियमित नियुक्तियां होने तक छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था में व्यवधान न होने देने के उद्देश्य से प्रति लेक्चर निश्चित मानदेय राशि के भुगतान के आधार पर कक्षाओं में लेक्चर देने हेतु अंशकालिक स्वयं सेवियों की व्यवस्था की गई है।

**विकास खंड कटेहरी, जनपद फैजाबाद की नहर की दो गूलों के संबंध में दिये गये शिकायती-पत्र पर जांच की मांग**

179–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 30-9-86 का पत्र श्री राम अवतार सिंह, प्रधान गांव सभा अशरफपुर बरवा, विकास खण्ड कटेहरी, जनपद फैजाबाद के प्रार्थना-पत्र के साथ शासन को मिल गया है जिसमें नहर की दो गूलों के सम्बन्ध में गम्भीर शिकायतें हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

शिकायती पत्र कोडरा माइनर के कुलाबा संख्या-1 तथा अमसिन रजवाहा कुलाबा संख्या-71 से संबंधित है। कोडरा माइनर कुलाबा संख्या-1 का कार्य वित्तीय वर्ष 1986-87 में पूरा किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत 0.162 कि0 मी0 पक्की गूल, 4 बड़ी संरचनायें तथा 4 छोटी संरचनाओं का निर्माण कराया गया है तथा कुलाबा संतृप्त हो गया है।

अमसिन रजवाहा कुलाबा संख्या-71 पर पक्का कार्य 1981-82 में हुआ था। कृषकों के अवरोध उत्पन्न करने एवं इकाई का स्थानान्तरण हो जाने के कारण कार्य अधूरा रह गया था। यह कार्य अब भूमि संरक्षण अधिकारी खण्ड-3 के द्वारा कराया जा रहा है। नहर में पानी न होने के कारण जो पक्का कार्य नहीं हो पाया था वह पानी आते ही पूर्ण हो जायेगा।

180–श्री अकबर हुसैन बावर–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

181—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा
श्री मैनेजर सिंह—
[चौथे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 174 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

182—श्री हर्ष वर्धन—
[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

**विकास खंड प्रतापपुर कमैचा,, जनपद सुलतानपुर के कतिपय ग्रामों की खुदाई में हुई अनियमितताओं की जांच**

183—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड प्रतापपुर कमैचा, जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत जो निम्न तालाबों परिगुड़ा कोथरा कला, भलहीपुर, राजेपुर फरमापुर, धरवासपुर कोथरा खुर्द को विकास खण्ड के द्वारा किस योजना के अंतर्गत खोदवाया गया, इसके खोदवाने का तात्पर्य क्या है? क्या इसकी एम0 बी0 क्षेत्र विकास अधिकारी एवं प्रमुख नान टेक्निकल अधिकारी ए0 डी0 ओ0 (पी) से कराया जबकि इसकी एम0 बी0, डी0 ओ0 (एम0 आई0) या ए0 डी0 ओ0 (आर0 इ0 सी0) से होनी चाहिये परन्तु ऐसा न कर इन तालाबों की खोदायी में भीषण अनियमिततायें करके धन का दुरुपयोग हुआ है ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रत्येक तालाब से कितनी घनफुट मिट्टी खोदी गयी तथा कितने गरीब लोगों को गेहूं या धान बांटा गया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

तालाबों की खुदाई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत करायी गयी ।

तालाब खुदवाने का तात्पर्य ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं मछली पालन व सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना था ।

कोथरा खुर्द व धरवासपुर की एम0 बी0 अवर अभियंता (ग्रा0 अ0 से0) द्वारा करायी गयी है । शेष तालाब की एम0 बी0 नहीं करायी गयी है ।

प्रत्येक तालाब में हुए मिट्टी के कार्य की मात्रा नगद की गयी भुगतान एवं गेहूं के रूप में दिये गये मजदूरी का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 182 पर)

**जनपद लखनऊ के सादुल्लानगर-एन मार्ग बंथरा खण्डदेव मार्ग-सकरा-दोना-रेवरी सम्पर्क मार्गों के निर्माण में हुए व्यय की मांग**

184—श्री शारदा प्रताप—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में सादुल्लानगर-एन मार्ग बंथरा खण्डदेव मार्ग सकरा-दोना-रेवरी सम्पर्क मार्ग का कार्य पूरा हो चुका है? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर शासन द्वारा कितना धन व्यय किया गया ? क्या पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद लखनऊ में सादुल्लानगर-एन संपर्क मार्ग में 2 कि0 मी0 की स्वीकृत लम्बाई में 2 कि0 मी0 संपर्क मार्ग पर मिट्टी का कार्य करके खड़न्जा पूरा कर दिया गया है। इस पर अब तक 2.65 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

बन्थरा खण्डदेव मार्ग की 2 कि0 मी0 स्वीकृत लम्बाई में से 1.56 कि0 मी0 तक मिट्टी का कार्य कराया जा चुका है तथा 38,690.00 रुपये व्यय हो चुके हैं ।

सकरा दोना रेवरी संपर्क मार्ग की 2 कि0 मी0 की स्वीकृत लंबाई पर मिट्टी का कार्य पूर्ण कर खड़न्जा पूर्ण करा दिया गया है तथा कुल 2,85,000.00 रु0 व्यय हो चुके हैं ।

**जनपद बस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जाने वाले कार्यों एवं उनको दी गई स्वीकृत धनराशि की मांग**

185—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में वर्ष 1984-85, 85-86 व 86-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत कितने कार्यदायी संस्थाओं को कुल कितने-कितने रुपये के स्वीकृत कार्यों को कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी और उन कार्यदायी संस्थाओं को उन कार्यों को कराये जाने हेतु कुल कितना-कितना धन वर्षवार अवमुक्त किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से संबंधित मांगी गयी सूचना निम्नवत् है:—

| वर्ष | कार्यदायी संस्थाओं की संख्या | स्वीकृत धनराशि | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1984—85 | 11 | 324.62 | 260.44 |
| 1985—86 | 14 | 752.07 | 382.82 |
| 1986—87 | 7 | 283.71 | 256.07 |

**जनपद बस्ती के विकास खंड रुधौली, साथा तथा खेसरहा में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत यातायात की सुविधा हेतु स्वीकृत की गई धनराशि**

186—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खण्ड रुधौली, साथा तथा खेसरहा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 1984-85, 85-86 तथा 86-87 में प्रत्येक वर्षवार तथा विकास खण्ड वार स्वीकृत कार्यों को पूर्ण अथवा नव निर्माण करने हेतु कुल कितना रुपया स्वीकृत किया गया था और विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को कितना-कितना रुपया इन स्वीकृत कार्यों हेतु अवमुक्त किया गया ? क्या मा0 मंत्री जी वर्षवार स्वीकृत कार्यों की सूची और प्रगति आख्या सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

बस्ती जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए विकास खण्ड रुधौली में 1984-85 में 8.03 लाख रु0, 1985-86 में 7.84 लाख रु0 तथा 1986-87 में 2.68 लाख रुपये, विकास खण्ड साथा 1984-85 में 3.40 लाख रु0, 1985-86 में 7.26 लाख रु0 1986-87 में 2.08 लाख रु0 एक विकास खण्ड खेसहरा में 1984-85 में 5.23 लाख रु0, 1985-86 में 9.84 लाख रु0 तथा 1986-87 में 4.91 लाख रु0 स्वीकृत कार्यों को पूर्ण अथवा नव निर्माण करने हेतु स्वीकृत किये गये थे। विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को विकासखण्ड रुधौली के लिए 1984-857.74 लाख रु0, 1985-86 में 7.84 लाख रु0 तथा 1986-87 में 2.53 लाख रु0 विकास खण्ड साथा के लिए 1984-85 में 3.15 लाख रु0, 1985-86 में 7.26 लाख रु0 तथा 1986-87 में 1.52 लाख रु0 एवं विकास खण्ड खेसरहा के लिए 84-85 में 5.17 लाख रु0 1985-86 में 9.84 लाख रु0 तथा 1986-87 में 4.91 लाख रु0 अवमुक्त किये गये थे।

वर्षवार स्वीकृत कार्यों की सूची एवं प्रगति आख्या परिशिष्ट "क" के रूप में संलग्न† है।

**उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के तत्कालीन सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की मांग**

187–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम गोविन्द चौधरी के प्रश्न दिनांक 9 सितम्बर, 1986 प्रश्न-2 नत्थी (ग) (द्वितीय सत्र 1986) में श्री रघुबर दयाल वर्मा के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के विरुद्ध सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध जांच रिपोर्ट निगम को देकर एक्शन लेने का द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या रही और क्या चीनी निगम अधिकारी के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

जांच रिपोर्ट में श्री सुदामा प्रसाद श्रीवास्तव, सामान्य प्रबन्धक, उत्तर राज्य चीनी निगम इकाई, घुघुली गोरखपुर के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लखनऊ द्वारा कराये जाने की संस्तुति की गई थी। जिसके अनुसार श्री सुदामा प्रसाद श्रीवास्तव के विरुद्ध विधिवत विभागीय जांच की जा रही है। इसके लिये मुख्यालय के मुख्य गन्ना विकास सलाहकार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री श्रीवास्तव को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर निगम मुख्यालय में सम्बद्ध कर लिया गया है।

---

†छापी नहीं गई।

**सैदाबाद सिरसा घाट से बनपुरा सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग**

188—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के तीसरे सोमवार (24-2-86) के अतारांकित प्रश्न सं0 44 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय रोजगार योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई क्या निर्धारित है ? क्या उक्त सम्पर्क मार्ग निर्धारित चौड़ाई के अनुसार उसके अनुरक्षण के साथ-साथ पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त सम्पर्क मार्ग पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से उसे क्षतिग्रस्त कर कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत मार्ग की ऊपरी चौड़ाई 6.00 मीटर न्यूनतम निर्धारित है। अनुरक्षण की धनराशि के विपरीत निर्धारित चौड़ाई के अनुसार कार्य को पूर्ण कराने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की आगामी बैठक में रक्खा जायेगा एवं उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त ही कार्यवाही सम्भव हो सकेगी । यह सही है कि काश्तकारों द्वारा मार्ग पर कब्जा कर लिया गया है जिसके संबंध में दिनांक 5-3-87 को थाना हंडिया, जनपद इलाहाबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है ।

**बस्ती जिले के हैसर बाजार विकास खण्ड के करनपुर गांव में बनी हरिजन बस्ती हुई धांधली के जांच की मांग**

189—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र 17-12-86 जो कि बस्ती जिले के हैसर बाजार विकास खण्ड के करनपुर ग्राम हरिजन आवास बनाने के संबंध में की गई अनियमितता और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध था, उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जांच कराई गयी । जांच में दोषी पाये गये ग्राम्य विकास अधिकारी श्री रा सूरत सिंह से 10 हजार रुपये की वसूली करने के आदेश दिये गये हैं । क्षेत्र समिति की निधि में उक्त कार्य हेतु अवशेष धनराशि से आवासों को पूर्ण कराने का कार्य कराया जा रहा है ।

**श्री विजय शंकर राय, सी0 ओ0 पिपराइच, गोरखपुर तथा श्री एस0 एन0 राय, थानाध्यक्ष के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग**

190—श्री सुखपाल पाण्डेय,
श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा
श्री किरन पाल सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा के ग्राम विशुनपुरा निवासी श्री फिरंगी प्रसाद विशारद भूतपूर्व विधायक व सांसद ने श्री एस0 एन0 राय जो उक्त थाने के थानाध्यक्ष अगस्त, 1985 से माह मार्च, 1986 तक रहे एवं थाने से सम्बन्धित तत्कालीन सी0 ओ0, पिपराइच श्री विजय शंकर राय के विरुद्ध उक्त अवधि में श्री विशारद ने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर डी0 आई0 जी0 रेंज, गोरखपुर, आई0 जी0 जोन-गोरखपुर, मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 व गृह सचिव, उ0 प्र0 आदि को तार व शिकायती पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो इन पत्रों की जांच कब किसने किया ? क्या यह सत्य है किसी भी जांच के अवसर पर श्री विशारद को नहीं बुलाया गया और उल्टे इन दोनों (तत्कालीन थानाध्यक्ष व सी0 ओ0, पिपराइच) ने थाना झंगहा के रजिस्टर नं0 8 में अनेक अपमानजनक, आधार हीन बातें लिख डाली हैं? यदि हां, तो क्या इसकी खुली जांच कराकर गलत प्रविष्टियों को समाप्त कराकर इससे सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**ग्रामीणा अभियंत्रण सेवा डिवीजन, मथुरा द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वाइज किये गये विकास कार्य**

191—श्री सरदार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री की जानकारी में हैं कि ग्रामीण अभियत्रण सेवा डिवीजन मथुरा ने वर्ष 1986-87 में जनपद में कुछ विकास कार्य किये हैं ? यदि हां, तो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वाइज कौन-कौन से कार्य कितनी लागत से कराये गये ? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वाइज किये गये कार्यों एवं लागत की सूची संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 183 पर)

**ब्लाक अकबरपुर, जिला कानपुर देहात के कालपी राजमार्ग से करौंसा तक लिंक रोड के निर्माण की मांग**

192—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि-श्री श्याम लाल एम0 एल0 सी0 का कोई पत्र दिनांक 7-3-87 संलग्नकों सहित, जो सचिव, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित है एवं जो ब्लाक अकबरपुर, जिला कानपुर देहात के कालपी राजमार्ग (पातेपुर) से करौंसा तक लिंक रोड के निर्माण कराये जाने से संबंधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

वर्ष 1986-87 में मार्च में मातेपुर करौंसा मार्ग 2 कि0मी0 मिट्टी का कार्य पूर्ण कराने हेतु 0.945 लाख रु0 का आवंटन ग्रामीण अभियन्ता सेवा, कानपुर को दिया गया है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त मार्ग पर 5 पुलिया निर्माण हेतु 1.00 लाख रु0 के आवंटन का प्राविधान कर दिया गया है । उक्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त गवर्निंग बाडी की बैठक में खड़ंजा निर्माण का प्रस्ताव रखा जायेगा । यदि गवर्निंग बाडी की स्वीकृति प्राप्त हुई तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस मार्ग को पक्का करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**उन्नाव में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण एवं उन पर व्यय**

193—श्री नरेश चन्द्र—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 में उन्नाव जिले में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी सड़कों के निर्माण की योजना है तथा उनमें मुख्य कौन-कौन हैं और इस पर कितना धन व्यय करने का अनुमान है ? क्या 1986 में प्रस्तावित सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**थाना चौक बाजार, जनपद गोरखपुर के ग्राम टीकर व मिश्रौलिया के कतिपय हरिजन व पिछड़ी जातियों के घरों में पड़ी डकैती**

194—श्री किरन पाल सिंह तथा

श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना चौक बाजार के ग्राम टीकर व मिश्रौलिया में विगत विधान सभा निर्वाचन वर्ष 1985 के चुनाव प्रचारकाल में कई घर हरिजनों व पिछड़ी जातियों के लूटे गये जिसकी सूचना इस क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज, गोरखपुर) के भूतपूर्व विधायक ने तत्कालीन डी0 आई0 जी0 रेंज गोरखपुर के श्री रामाश्रय प्रसाद को व्यक्तिगत रूप से मिलकर दिनांक 25-3-85 में दिया था और इस पत्र को उन्होंने तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर को अपने

कार्यालय के पत्रांक 420 दिनांक 27-4-85 द्वारा कार्यवाही व जांच हेतु प्रेषित किया था ? यदि हां, तो इस पत्र में किन-किन गांवों में पड़ी डकैतियों की सूचना किन-किन थानों से सम्बन्धित हैं तथा उस समय थाना चौक बाजार महाराजगंज कोठी भार धुधली निचलौल के थानाध्यक्षों के नाम क्या-क्या रहे हैं ? क्या सम्बन्धित विधायक के पत्र व कार्यवाही को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

थाना चौक बाजार, जनपद गोरखपुर के ग्राम टीकर व भिश्रौलिया में विगत विधान सभा निर्वाचन वर्ष, 1985 के चुनाव प्रचार काल में हरिजनों व पिछड़ी जातियों के घरों को लूटने से संबंधित कोई घटना घटित नहीं हुई । भूतपूर्व विधायक का प्रश्नगत प्रार्थनापत्र ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के कार्यालय में आना नहीं पाया गया । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । वर्ष 1985 में चुनाव प्रचार के समय थाना चौक बाजार, महराजगंज, कोठीभार, घुघुली, निचलौल में क्रमशः उप निरीक्षक सर्वश्री एस0 एन0 राय, हीरा सिंह, बी0 के0 सिंह, एस0 एन0 सिंह व महिमा प्रताप राव नामक थानाध्यक्ष नियुक्त रहे ।

**तत्कालीन थानाध्यक्ष, चौक बाजार, गोरखपुर श्री एस0 एन0 राय द्वारा डकैतियों को न लिखने व उनपर कार्यवाही न करने की शिकायत**

195–श्री किरन पाल सिंह तथा श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज, गोरखपुर से 1980 से 9 मार्च, 1985 तक यहां के विधायक श्री फिरंगी प्रसाद विशारद रहे और इन्होंने 1985 ई0 के विधान सभा निर्वाचन काल में तत्कालीन थानाध्यक्ष चौक बाजार (श्री एस0 एन0 राय) द्वारा डकैतियों के न लिखने व कार्यवाही न करने की सूचना दिनांक 25-3-85 में तत्कालीन डी0 आई0 जी0 (श्री रामाश्रय प्रसाद) रेंज गोरखपुर को दिया था जो उक्त पत्रांक व तिथि से ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो क्या श्री राय तत्कालीन थानाध्यक्ष चौक यहां से स्थानान्तरित करके थाना झंगहा गोरखपुर भेजे गए?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

श्री विशारद का दिनांक 25-3-85 का पत्र जो तत्कालीन थानाध्यक्ष, चौक बाजार श्री एस0 एन0 राय द्वारा डकैतियों को न लिखने व कार्यवाही न किये जाने के संबंध में है, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आना नहीं पाया गया । यह कहना गलत व निराधार है कि इसी कारण थानाध्यक्ष, चौक बाजार श्री एस0 एन0 राय को थाना चौक बाजार से थाना झंगहा स्थानान्तरित किया गया था।

**बहराइच जनपद के कतिपय ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने की मांग**

196–श्री मयंकर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने 1500 की आबादी वाले सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का आदेश दिया है ? यदि हां,

तो बहराइच जनपद में फखरपुर, हुजूरपुर, तेजवापुर तथा महसी विकास क्षेत्रों में वर्ष 1986 में कितने ग्रामों को सड़क से जोड़ा गया है तथा सन् 1987 में किन-किन 1500 आबादी वाले सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने ग्राम उपरोक्त विकास क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत 1500 आबादी वाले हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

वर्ष 1986-87 में बहराइच जनपद के विकास क्षेत्र फखरपुर, हुजूरपुर, तेजवापुर तथा महसी में क्रमशः दो, एक शून्य व दो ग्रामों को जोड़ा गया है ।

वर्ष 1987-88 में उपरोक्त विकास क्षेत्रों में 1500 अथवा उससे अधिक आबादी वाले निम्न ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना है:–

**विकास खण्ड फखरपुर**

(1) सगिहना
(2) मझगवां

**विकास क्षेत्र हुजूरपुर**

(1) खरगापुर
(2) ज्ञानापुर

**विकास क्षेत्र तेजवापुर**

(1) हेमरिया
(2) नरहरगोण्डा
(3) भकला गोपालपुर
(4) सिरजापुर

**विकास क्षेत्र महसी**

(1) शंकरपुर व भनौटी
(2) नौतला
(3) मरौवा

विकास खण्ड फखरपुर, हुजूरपुर, तेजवापुर व महसी में 1,500 अथवा उससे अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या क्रमशः 29, 14, 25 व 22 है ।

**वर्तमान विधायकों को अंगरक्षक के साथ हाउस गार्ड दिये जाने का आधार**

197–श्री शारदा प्रताप–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन वर्तमान विधायकों को अंगरक्षक के साथ दो-दो हाउस गार्ड भी दिए गये हैं और किस आधार पर शासन ने दिये हैं तथा कितने ऐसे विधायक हैं जिनको अभी तक शासन द्वारा अंगरक्षक नहीं दिये गये ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

वर्तमान विधायकों में से केवल जनपद फतेहपुर के विधायक श्री इन्द्रजीत सिंह के साथ अंगरक्षक के अतिरिक्त लखनऊ स्थित उनके आवास पर पी0 ए0 सी0 की एक

गार्ड तथा फतेहपुर स्थित उनके आवास पर पुलिस की एक सशस्त्र गार्ड लगी हुई है । माननीय विधायक के भूतपूर्व राज्य मंत्री होने के नाते उनके लखनऊ स्थित आवास पर पी0 ए0 सी0 की एक गार्ड शासन के आदेशानुसार लगी हुई है । फतेहपुर स्थित आवास पर पुलिस गार्ड की व्यवस्था सामान्य प्रबन्धों के अंतर्गत स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा लगाई गयी है । प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 226 माननीय विधायकों को अंगरक्षक प्रदान नहीं किये गये हैं ।

**श्री शिव शंकर यादव ग्राम हर्दी जनपद गोरखपुर को ग्रामवासियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने संबंधी पत्र पर कार्यवाही की मांग**

198—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मंत्री को श्री शिवशंकर यादव ग्राम हर्दी, थाना सहजनवा, जनपद गोरखपुर को उनके भाई तथा ग्राम वासियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये पत्र दिनांक 11-2-86 व 5-3-86 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता का दिनांक 5-3-86 का पत्र प्राप्त हुआ । मामले की जांच कराई गई । जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

**प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अब समय समाप्त हो गया।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मेरा अतारांकित प्रश्न 103 नम्बर पर है, वहां तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा लेकिन मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि इसमें गृहमंत्री जी का जो जवाब आया है, जो जवाब मुझे मिला है, यह बिल्कुल गलत है । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं मैं इसमें कोई प्रश्न तो पूंछ नहीं पाऊंगा। मान्यवर, मैं इसमें क्या करूं, लिखित दूं या क्या करूं, मैं बिल्कुल असहाय हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे देखूंगा।

श्री मनोहर लाल—

मैं आपको लिखित दूं ?

श्री अध्यक्ष—

हां।

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से शलाका के आधार पर 7 सूचनाएं स्वीकार की गई हैं । माननीय श्री पुष्कर सिंह रौधाण, श्री रघुवर दयाल वर्मा, माननीय आसान सिंह, माननीय रिछपाल सिंह बंसल, माननीय अरविन्द तिवारी जी, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, और माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचनाएं स्वीकृत हुई।

**गढ़वाल मण्डल के मुख्यालय पौड़ी में पेयजल संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री पुष्कर सिंह रौधाण--

मान्यवर, गढ़वाल मण्डल के मुख्यालय पौड़ी में 30 किलोमीटर दूर अलकनन्दा नदी से पम्प द्वारा पेयजल उपलब्ध होता है उक्त योजना जितनी जनसंख्या के लिए बनाई गई थी आज जनसख्या उससे दुगुनी हो चुकी है, इस योजना के पम्प बारबार खराब हो जाते हैं जिस कारण अक्सर पेयजल संकट पैदा हो जाता है। इस बार पौड़ी में अभूतपूर्व पेयजल संकट पैदा हो गया है (इस समय 12 बजकर 22 मिन्ट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए) नजदीक में कहीं पानी नहीं है, होटलों में खाना तो दूर चाय तक नहीं मिल पा रही है । पौड़ी में लोगों का आना जाना कम हो गया है स्थानीय लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। प्यास से तड़पती जनता आन्दोलित है, टैंकर्स द्वारा पेयजल उपलब्ध कराये जाने वाली अस्थाई व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, अधिशासी अभियन्ता, गढ़वाल जल संस्थान के कार्यालय के बाहर जनता द्वारा क्रमिक अनशन किया जा रहा है, जिला प्रशासन व्यवस्था करने में असमर्थ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए, इस समस्या के तुरन्त समाधान की शासन से मांग करता हूं।

**फिरोजाबाद आगरा में ट्रान्सफारमर बर्स्ट हो जाने से क्षतिग्रस्त को क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 4-7-1987 को फिरोजाबाद मोहल्ला गली बौहरान के पायारेलाल हलवाई के बराबर दो ट्रान्सफारमर रखे थे । विद्युत के लीक होने पर आग लग गई जिससे दोनों ट्रान्सफारमर में बर्स्ट हो गया और धू-धू करके जलने लगे। प्यारा लाल हलवाई की दुकान की दीवाल फट गयी और विद्युत करेन्ट समूची सड़क पर फैल गया और जिससे आने जाने वालों को विद्युत करेंट के झटके लगे। फायर ब्रिगेड ने बड़ी ही मुश्किल से आग पर काबू पाया और विद्युत विभाग के अधिकारी सूचना पाने पर नहीं पहुंचे।

दिनांक 5-7-1987 को मो0 रसूलपुर में पुलिया के पास विद्युत पोल से करेंट जमीन पर आ गया जिसमें एक ऊंट माल से लदा हुआ, एक भैंस और कई जानवर बिजली के झटकों से मर गये । लगभग दो घण्टे तक मार्ग अवरुद्ध रहा, बिजली का कोई भी कर्मचारी अभी तक घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। लोगों ने घेराव कर लाइन कटवाई तब दुर्घटना होने से बची।

अस्तु माननीय सदन के अनुरोध करना चाहता हूं कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को उनकी लापरवाही के लिये दण्डित किया जाये और उक्त हुई हानि की क्षतिपूर्ति करायी जाये।

**अंशकालीन नलकूप चालकों को सहायक अभियन्ता तृतीय खण्ड, विधूना, इटावा द्वारा ड्यूटी न ज्वाइन करने देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री आसान सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि अधिशासी अभियन्ता पब्लिक नलकूप सिंचाई निर्माण खण्ड उरई के पत्रांक 2079/पनामि खण्ड/दिनांक 8-6-87 के अनुसार 19 अंशकालीन नलकूप चालकों को तृतीय उपखण्ड विधूना इटावा में 25-6-87 तक ज्वाइन करना था, परन्तु सहायक अभियन्ता तृतीय उपखण्ड विधूना इटावा ने इन्हें ज्वाइन नहीं कराया तथा ज्वाइन कराने में 2-2 नसबन्दी केस मांग रहे हैं। इससे घोर रोष क्षोभ एवं असन्तोष व्याप्त है। मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उत्पीड़न की कार्यवाही रोककर इन्हें ज्वाइन कराया जाय।

**ग्राम चिरौड़ी विकास खण्ड लोनी गाजियाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री रिछपाल सिंह बंसल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, विकास खण्ड लोनी में एक प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र है, जो जन सुविधाओं के लिए पर्याप्त नहीं है, न्याय पंचायत चिरौड़ी व न्याय पंचायत औरंगाबाद रिस्तल की आबादी लगभग 70 हजार है, जिसमें कोई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि इन न्याय पंचायतों में कोई जच्चा बच्चा केन्द्र की भी समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे इस क्षेत्र की जनता में भारी रोष एवं असन्तोष व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि एक प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम चिरौड़ी में शीघ्र खुलवाने के निर्देश करें।

**तहसील व नगर पालिका क्षेत्र जालौन में नागरिक सुविधाओं के अभाव में नागरिकों को असुविधा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अरविन्द तिवारी—

श्रीमन्, मैं इस आदरणीय सदन के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि जनपद जालौन की तहसील व नगरपालिका क्षेत्र जालौन में नागरिक सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है। जालौन नगर जिसकी आबादी पचास हजार (पचास हजार) के लगभग है, उसमें मुहल्ला तोपखाना, फर्दानदीस, सहावनाका, दलालनपुरा, हरीपुरा, नरो भास्कर मुरली मनोहर, चुखी मोहाल, दरियाना, कद्दौरन, नझाई, बैठगंज आदि में सड़कों खड़ंजों एवं नालियों का सर्वथा अभाव है, बरसात आने वाली है और ऐसी सूरत में नागरिकों का जीवन अत्यन्त कष्टमय एवं नारकीय हो जाता है तथा जालौन नगर के कुछ मोहल्लों में वर्षा ऋतु में इस कदर पानी भर जाता है कि वहां की महिलाओं को कमर तक धोती उठाकर चलना पड़ता है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस दिशा में प्रभावी कदम उठाये जायें ताकि नागरिकों को सुविधा व राहत मिल सके।

**सीतापुर में हुसैनपुर घाट तथा खैराबाद परसेडी की सीमा पर गद्दीपुर घाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–**

मान्यवर, सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद में हुसैनपुर घाट तथा खैराबाद परसेडी की सीमा पर स्थित गद्दीपुर घाट पर काफी यातायात तथा आवागमन रहता है, परन्तु नदी पार करने के लिए पुल की कोई भी व्यवस्था न होने से जनता को बड़ी असुविधा होती है। हुसैनपुरा घाट के दोनों ओर सड़कें बन चुकी हैं। यह दोनों ही मार्ग आवागमन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अनेक बार जिला योजना तथा शासन का ध्यान सेतु निर्माण हेतु आकृष्ट किया गया, परन्तु कोई फल नहीं निकला। यदि सेतु तत्काल बनना सम्भव न हो, तो पीपे के पुल डाल कर यातायात के लिए, सुविधा प्रदान की जा सकती है।

अतएव लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर पुल बनवाने और जब तक पुल नहीं बनता तब तक पीपे का पुल रखवाने की मांग करता हूं।

**मुहाफिजखाना (माल) फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

**श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–**

मान्यवर, जनपद फैजाबाद के मुहाफिजखाना (माल) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार घूसखोरी और अभिलेखों को गायब कर दिये जाने, उनमें हेराफेरी करने आदि की गम्भीर शिकायतें हैं। इस स्थिति से समूचे जनपद में तीव्र आक्रोश व्याप्त है। इन्हीं बातों के विरोध में तथा मुहाफिजखाना के इन्चार्ज मजिस्ट्रेट को हटा कर पूरे तथ्यों की निष्पक्ष जांच कराकर इस भ्रष्टाचार में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर समूचे जनपद में अधिवक्तागण 16 मई, 87 से न्यायालयों का बहिष्कार कर रहे हैं। और अपनी उक्त मांगों के समर्थन में उन लोगों ने 26 मई, 87 को जनपद में 144 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत लगी निषेधाज्ञा को तोड़कर आयुक्त फैजाबाद मण्डल के समक्ष प्रदर्शन करके उनका घेराव किया था। वकीलों का यह भी आरोप है कि कमिश्नर महोदय भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं और आज कमिश्नर का पुनः घेराव होने वाला है। दूसरी तरफ कर्मचारी महासंघ ने भी किसी प्रकार की उत्पीड़क कार्यवाही होने पर आन्दोलन करने की धमकी दिया है, जिससे स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो गयी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।

**औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं**

**श्री उपाध्यक्ष–**

नियम 300 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं आज प्राप्त हुई हैं, जिसमें सत्य प्रकाश विकल जी की एक सूचना है।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन में औचित्य का यह प्रश्न लाना चाहता था कि 2 जुलाई से बजट के अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है, लेकिन जो बजट से सम्बन्धित साहित्य माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए, वह चर्चा के दिन से कम से कम दो दिन पहले मिलना चाहिए, ताकि जो सदस्य उसका अध्ययन करके, उस पर बोलना चाहते हैं, वह बोल सकें और जो माननीय सदस्य अपना ठोस सुझाव देना चाहते हैं, वह अपना ठोस सुझाव दे सकें। लेकिन मान्यवर, 2 तारीख को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का बजट था, उससे सम्बन्धित साहित्य उसी दिन माननीय सदस्यों को दिया गया, बल्कि आय-व्ययक का जो बजट था, उससे सम्बन्धित साहित्य दोपहर के बाद हम लोगों को मिला। मान्यवर, कृषि विभाग का जिस दिन बजट था, उसका भी साहित्य हम लोगों को बाद में मिला। जिस समय कृषि मंत्री का बजट दिया गया है। इसी प्रकार से ऊर्जा के साहित्य में भी पूरा साहित्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सम्बन्धित विभाग के बजट साहित्य को माननीय सदस्यों को चर्चा से दो दिन पहले उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वे उन पर ठीक से अध्ययन कर अपने विचार एवं सुझाव दे सकें। मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप शासन को इसके लिए निर्देशित करें।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह सही है कि बजट का साहित्य पहले माननीय सदस्यों को उपलब्ध हो जाना चाहिए किन्तु कभी-कभी ऐसी कठिनाई हमारे सामने आ जाती है कि हम इसे समय से नहीं उपलब्ध करा पाते लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि साहित्य समय से उपलब्ध हो जाया करे। कभी-कभी हमारे सामने ऐसी कठिनाई आ जाती है कि एकदम से जो अनुदान का दिन नियत होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है जैसे कल मेरा ही बजट है, पहले 11 को था लेकिन नेता विरोधी दल को कुछ कठिनाई थी जिसके कारण उसे बदलना पड़ा, यह कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है तब कठिनाई होती है।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 4 दिन पहले का है तो 4 दिन पूर्व मिलना चाहिए। आइन्दा ध्यान रखना चाहिए कि समय से मिल जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह आदरणीय सदन की परिपाटी रही है और परम्परा भी रही है तथा समय-समय पर अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय भी रहे हैं कि जब सदन की बैठकें हो रही हों, सदन के बाहर नीति सम्बन्धी घोषणायें नहीं करना चाहिए लेकिन इस सरकार का तरीका यह रहा है कि वह इस प्रकार के कार्य करती है। राजस्व मंत्री जी ने सदन की बैठकें होते हुए भी सन्दर्भित वक्तव्य दिया है। इस सम्बन्ध में मैं औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं और व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्देश 1979-84 में इस बात की व्यवस्था दी गई है। एक बार मैंने स्वयं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस समय मैंने कहा था कि माननीया मंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी जी ने कुछ नीति सम्बन्धी घोषणायें सदन से बाहर की हैं, उस समय आपकी पीठ से निर्देश दिया गया था कि मैं पूरा न

पढ़कर केवल इतना कहना चाहूंगा अपितु यह केवल औचित्य का प्रश्न ही माना गया कि इस सरकार ने इस तरह की घोषणा करके एक अत्यन्त विवादास्पद मामला खड़ा कर दिया। मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। इस तरह के बयान से भ्रम पैदा हो गया है कि बंटाई प्रथा समाप्त होने वाली है और जिस भूमि को जो जोतने वाले थे, वह भूमि उनकी हो जायेगी। मान्यवर, जागरण समाचार पत्र जो लखनऊ से प्रकाशित होता है, उसकी प्रतिलिपि मैंने आपके पास भेज दिया है, उसमें उल्लेख है कि इस विधान सभा के इस सत्र में इस तरह का कोई विधेयक नहीं आयेगा। राजस्व मंत्री जी को इस तरह का कोई वक्तव्य सदन से बाहर नहीं देना चाहिए था। बटाई प्रथा समाप्त करना या न समाप्त करना एक अलग बात है। मंत्री जी ने कहा बंटाई प्रथा समाप्त नहीं होगी। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी आखिर कब तक उनका शोषण होता रहेगा, आखिर ऐसी कोई स्थिति आयेगी कि नहीं। इस तरह इस विवादास्पद मामले में सदन में चर्चा होने की आवश्यकता थी और सदन में वक्तव्य दिया जाता। ऐसा न करके संसदीय परिपाटी का उल्लंघन किया है। इसलिए मान्यवर, इस सम्बन्ध में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि शासन की इस सम्बन्ध में जो नीति है कि बटाई प्रथा समाप्त नहीं की है या लागू ही रहने दिया जायेगा और इसमें अब फर्दर क्या नीति होगी आदि चीजों के सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी का एक वक्तव्य दिला दें ताकि स्थिति माननीय सदस्यगण के सामने आ जाए और वह इस बात को समझ सकें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, यह सही है कि जब सदन चल रहा हो और कोई मंत्री मण्डल का सदस्य चाहे उसमें मुख्य मंत्री हों या कोई राज्य मंत्री कोई नीति सम्बन्धी घोषणा सदन के बाहर कर दे जैसा कि माननीय गुप्त जी ने कहा, तो इस सम्बन्ध में मेरा आग्रह यह है कि जिस मा0 मंत्री ने बाहर इस प्रकार की घोषणा की हो यहां जवाब भी उसी का होना चाहिए न कि किसी दूसरे मंत्री का, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को इस मामले की क्या जानकारी है। माननीय गौरी शंकर जी ने इस प्रकार की कोई घोषणा की है तो जवाब भी उन्हीं का होना चाहिए, इससे स्थिति मान्यवर अधिक स्पष्ट हो सकेगी कि उन्होंने ऐसा किन परिस्थितियों में किया या नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

मा0 शतरुद्र प्रकाश जी आपने भी अखबार पढ़ा ही होगा, इसमें कोई ऐसी नीतिगत बात नहीं की गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय शतरुद्र जी जो कह रहे हैं, उसमें बल है कि मा0 राजस्व (राज्य) मंत्री ने जिन बातों का उल्लेख सदन के बाहर किया है, अगर वह स्वयं यहां पर आकर स्थिति स्पष्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मान्यवर, इनके सुझाव को मद्देनजर रखते हुए आप विचार कर लें और मा0 राज्य मंत्री जी स्वयं इस पर अपनी बात यहां भी स्पष्ट कर दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह–

मैं मान्यवर, केवल इस औचित्य के प्रश्न तक सीमित रहते हुए कि मा0 मंत्री जी ने केवल किसी के पूछने पर कि बटाई सम्बन्धी कानून क्या समाप्त कर दिया गया तो उन्होंने केवल यह कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो यह कोई ऐसी नीतिगत घोषणा नहीं की गयी है सदन के बाहर। मान्यवर इसमें भ्रम यह हुआ कि एक अध्यादेश राजस्व विभाग की ओर से जारी हुआ और वह केवल जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित था इसलिए किसी ने उनसे पूछ लिया कि क्या ऐसी बात है, उन्होंने सदाशयता में कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है तो मान्यवर, यह ऐसी कोई नीतिगत बात की घोषणा नहीं है, इसलिए यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री उपाध्यक्ष–

बटाई व्यवस्था वैसी ही बनी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसमें कोई नीतिगत घोषणा कहां से हो गयी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, आप सुनने की कृपा करें। इसी सदन के अन्दर सरकार में एक ही विषय पर दो बातें कहकर कि जनपद बस्ती की तहसील नौगढ़ व डुमरियागंज की लगभग 20 लाख जनता में एक भयंकर तनाव पैदा कर दिया है। और आपस का सौहार्द समाप्त हो गया है। मान्यवर, 26 फरवरी, 1986 को एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में इसी सदन में मा0 राजस्व राज्य मंत्री ने कहा कि 1976 में राजस्व परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गयी थी, जिला पुनर्गठन समिति, उसने यह संस्तुति की है कि बस्ती जिले में बांसी को, आगरा में फिरोजाबाद को, गोरखपुर में महराजगंज को, मिर्जापुर में राबर्टसगंज को जिला बना दिया जाय। उस प्रश्न में यह अनुपूरक प्रश्न भी पूछा गया था कि इनको जिला कब बनाएंगे, तो उत्तर मिला था कि जिस समय वित्तीय संसाधन होंगे, इनको जिला बना दिया जायगा।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में नियम 241 के अन्तर्गत एक याचिका जो श्री प्रेम शंकर त्रिपाठी, श्री भृगुनन्दन त्रिपाठी, श्री किताबुउल्ला, श्री अमर नाथ पाण्डेय आदि की थी, जो मैंने 5 सितम्बर, 1985 को सदन में उपस्थित की थी। उस याचिका के सम्बन्ध में याचिका समिति ने दिनांक 1 सितम्बर, 1986 को प्रस्तुत अपने द्वितीय प्रतिवेदन में कहा है कि जिला पुनर्गठन समिति द्वारा बांसी (बस्ती), फिरोजाबाद (आगरा), महराजगंज (गोरखपुर), राबर्टसगंज (मिर्जापुर) व गाजियाबाद (मेरठ) जिलों के सृजन की संस्तुति की गयी है, इसमें जनपद बस्ती को विभाजित कर बांसी को नया जिला बनाना वित्तीय संसाधनों के अभाव में फिलहाल सम्भव नहीं है। परन्तु इसी सदन में वर्ष 1987-88 के बजट के प्रस्तुत करते समय मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि सिद्धार्थ नगर (नौगढ़-बस्ती) को नया जिला गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार इस सदन में एक ही विषय पर सरकार ने दो प्रकार की सूचनाएं देकर सदन को भ्रमित किया है, जिससे बांसी, नौगढ़ और डुमरियागंज तहसीलों की 20 लाख जनता में परस्पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और आपस का सौहार्द समाप्त हो गया है। मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित करें कि वह अपनी नीति स्पष्ट करें कि बांसी के स्थान पर नौगढ़ को जिला गठित करने का क्या औचित्य है और क्या कारण है

कि सरकार ने बांसी की घोषणा करके नौगढ़ को जिला बनाने की घोषणा कर दी है। इस समस्या का समाधान कराया जाय जिससे कि सदन में भ्रम की स्थिति दूर हो सके और 20 लाख जनता में उत्पन्न तनाव और शंकाओं का समाधान निकल सके।

श्री उपाध्यक्ष–

हरीश जी, आप नियमावली को देख लें, इससे कहीं पर संविधान का उल्लंघन नहीं होता, जहां तक प्रश्न है कि सरकार ने क्या किया है, उसके लिए आप नियमावली देख लीजियेगा, कोई दूसरा नियम मिल जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं भी उसी औचित्य के प्रश्न को दोहरा रहा हूं कि सदन के चलते सदन के बाहर नीति संबंधी घोषणाएं सरकार को नहीं करनी चाहिए। अब यह विवाद का प्रश्न है कि जो घोषणाएं मा0 मुख्य मंत्री जी और राज्य मंत्री सदन के चलते बाहर करते हैं, वे नीति संबंधी हैं या नहीं। मान्यवर, 4 तारीख को मा0 मुख्य मंत्री जी ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश संयुक्त कर्मचारी परिषद् की आम सभा में एक नीति सम्बन्धी घोषणा कर दी। रैली से प्रतिबन्ध उन्होंने शायद अपनी मीटिंग करने के लिए हटाया था। मान्यवर, वहां पर उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं, उनको वहीं सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो सुविधाएं महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों को दी जाती हैं, जिसमें आवास भत्ता, दैनिक भत्ता आदि की सुविधाएं हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि एक जुलाई, 1987 से ये सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी। मेरी जहां तक जानकारी है, इस सम्बन्ध में नगर महापालिकाओं के कर्मचारियों के वेतनमान और सुविधाएं तय करने में कुछ मानक हैं और 1981 में इसी तरह का एक शासनादेश जारी हुआ था जिसमें ये मानक बनाये गये थे। यह श्री नृपेन्द्र मिश्र, विशेष सचिव का दिनांक 2 नवम्बर, 1981 का जी0 ओ0 नं0 जी–1–1797/दस-208-81 है। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा एक नीति सम्बन्धी घोषणा है क्योंकि महानगरों में वेतनमान क्या होंगे और उसके बाद अन्य नगरों में वेतनमान क्या होंगे, यह नीति सम्बन्धी मामला है कि कौन से नगर "ए" श्रेणी के होंगे, कौन से "बी" श्रेणी के होंगे, इसमें केन्द्र सरकार से राय मशवरा किया जाता है और केन्द्र सरकार नगरों का वर्गीकरण करती है। मुझे उनकी इस घोषणा से एतराज नहीं है, लेकिन यदि उन्होंने घोषणा की है तो उसको सदन में बताना चाहिए था और सरकार ने इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है, यह भी सदन में बताना चाहिए था। सरकार को यह नीति संबंधी घोषणा सदन में करनी चाहिए थी। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, अन्य मंत्री मौजूद हैं, उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई? पहली जुलाई, 1987 से क्या-क्या सुविधायें देंगे? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इसकी जानकारी सदन को भी दी जाय।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सही है कि 4-7-87 को गोरखपुर में माननीय मुख्य मंत्री आये। यह भी सही है कि उन्होंने कर्मचारियों को सम्बोधित किया है। लेकिन, यह सही नहीं है कि जिस घोषणा का उल्लेख माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने किया, वैसा ही उन्होंने वहां कहा। कवाल टाउंस–कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ हैं, यह वह टाउंस हैं, जहां महानगर बन गये हैं, महापालिकायें बन गयी हैं। अब तो इसमें मेरठ भी बढ़ गया है, बरेली भी बढ़ गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें।

श्री हुकुम सिंह–

अब 8 कवाल टाउंस हो गये हैं। उन्होंने यह कहा था कि जो सुविधायें कवाल टाउंस में दी जा रही हैं, वह सभी महानगरों के कर्मचारियों को, जहां महापालिकायें बन गयी हैं, वहां के कर्मचारियों को दी जायेगी। मान्यवर, यह निर्णय वहां पर नहीं हुआ था, यह निर्णय सत्र आरम्भ होने के बहुत पहले ही हो चुका था। केवल जानकारी उन्होंने वहां दी। ऐसी बात नहीं कही कि समस्त कर्मचारियों को वह सुविधायें दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष–

बाकी सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा भी प्रश्न है। जो 52 माननीय सदस्य सदन की सेवा से निलम्बित चल रहे हैं, उनके संबंध में है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब उस पर तो सदन में तय हो चुका है, अध्यक्ष कक्ष में वह बात होगी। वहां उसे आप देख लीजियेगा। सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप मुझे अपनी बात कह लेने दें। यह अहम मसला है। सभी सदस्यों की भावनायें इससे जुड़ी हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब उस वक्त सदन का जो निर्णय था, उसी हिसाब से बात होगी। सदन के निर्णय पर चर्चा नहीं कर सकते। आप भी उस कमेटी में होंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, उसके बाद सदन में घोषणा यह हुई थी कि निलम्बित सदस्यों की वापसी के सिलसिले में एक बैठक होगी। बैठक बुलायी गयी किन्तु . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठें। मैंने कह दिया कि अध्यक्ष कक्ष में इस विषय पर बात होगी। उस कमेटी में आप भी जायेंगे, वहां बात कर लीजियेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अध्यक्ष कक्ष में हुई बात या वहां बनी कोई राय सदन की भावनाओं से ऊपर नहीं हो सकती। 29 तारीख को इस पर चर्चा हुई थी, उसमें सारे सदस्यों की भावना आ गयी थी कि उन निलम्बित सदस्यों का निलम्बन वापस किया जाय। सदन की जब भावना आ चुकी है, तब बैठक का बहाना लेकर इस मसले को टालना यह उचित नहीं है। सदन की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से चले, हर माननीय सदस्य यही चाहता है कि कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से चले। इसके सिलसिले में अगर सदस्यों का आचरण तय करने का कोई मसला आया है, वह भी तय किया जाय। जो सदस्य सदन की सेवा से निलम्बित चल रहे हैं, उनके आचरण को लेकर ही उन्हें निलम्बित किया गया है। अगर उस संबंध में भी बात होनी है, तो चूंकि उनसे संबंधित मामला है, इसलिए

उनका भी उस बैठक में रहना जरूरी है और, बैठक में वे तभी भाग ले पायेंगे, जब उनका निलम्बन वापस हो। बैठक की जहां तक बात है, जो बुलायी गयी थी, वह नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, अब उस बात को छोड़ दीजिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो बिन्दु उठाया है, वह नियम 300 के अन्तर्गत आता है, या नहीं, यह निर्णय आपके ऊपर है। मान्यवर, 52 सदस्यों को जो निलम्बित किया गया है सदन की सेवा है, उनके बारे में निर्णय लेने के लिए माननीय अध्यक्ष ने अपने चेम्बर में बैठक बुलायी थी, वह बैठक नहीं हुई। क्या निर्णय लिया गया है या क्या निर्णय होने जा रहा है, सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पेश कर कर रही है या नहीं? इस सम्बन्ध में हम लोगों को सूचना दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आपको जानकारी कर लेनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

एक बात सदन में उस वक्त तय हो चुकी है। अब इसे समाप्त करें।

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या-3 पुकारे जाने पर )

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या-3 ले ली गई है इसलिए कृपा करके आप बैठ जायं ।

**उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987**

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1987 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 29 जून, 1987 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 30 जून, 1987 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 4 जुलाई, 1987 को वापस प्राप्त हो गया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम-300 के अंतर्गत माननीय श्री हरीश जी व श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर तो आपने व्यवस्था दे दी लेकिन मेरे औचित्य के प्रश्न पर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी । माननीय संसदीय कार्य, राज्य मंत्री जी ने जो सूचना सदन में दी है क्या वह लिखित रूप में

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन्हें दी थी या फिर यह मौखिक रूप से कह रहे हैं । अगर सभी कर्मचारियों को समान रूप से वेतन देने की बात है तो वह नीति विषयक मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहली बार में ही कोई चीज नीति विषयक होती है, बार-बार उसी को कहने से वह नीति विषयक नहीं होती है ।

**कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं**

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे नियम-56 के अंतर्गत-13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लगे इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों की मरम्मत की सूचना है, श्री शारदा प्रताप की अघोषित विद्युत कटौती के विरोध में वकीलों द्वारा हड़ताल की है, श्री यदुनाथ सिंह, श्री सत्य प्रकाश विकल और श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी की वाराणसी घाटों में लाश जलाने की लकड़ी का अभाव की सूचना है, श्री अनुग्रह नारायण सिंह व श्री गोपाल दास यादव जी की इलाहाबाद के इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड सरल टेक्नोलाजी की यूनिटों के बन्द होने के सम्बन्ध में है, सर्वश्री शंतरुद्र प्रकाश, विजय सिंह राणा, बंगाली सिंह, किरनपाल सिंह व श्रीमती सरोज वर्मा की मेरठ में साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में है, श्रीमती सरोज श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी एवम् श्री अब्दुल कुरेशी जी की पन्तनगर विश्वविद्यालय में अव्यवस्था के संबंध में है, श्री सुखपाल पाण्डे जी की छोटेधरा की कटान से हरैया तहसील को क्षति के संबंध में है, श्री रिछपाल सिंह बंसल जी की सामाजिक वानिकी जनपद मेरठ में घोटाला के संबंध में है, सर्वश्री रामआसरे वर्मा, काशी सिंह एरी, हरिशंकर तिवारी, रामपाल वर्मा, कामेश्वर उपाध्याय और श्री अच्युतानन्द तिवारी जी की शाहजहांपुर में भूकम्प के संबंध में है, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ अध्यापकों की समस्या के संबंध में है, श्री शफीकुर्रहमान बर्क मुरादनगर गाजियाबाद में शाही इमाम सैयद अब्दुला बुखारी के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में है और श्री मनोहर लाल जी, की उन्नाव के थाना पुरवा में पुलिस हिरासत में कैदी की मृत्यु के सम्बन्ध में है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सीआड योजना के तहत पूरे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इण्डिया मार्क-2 के बहुत अच्छे हैण्ड पम्प लगाये, लेकिन इसके मैन्टीनेन्स के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, जबकि जल निगम को इसका दायित्व सौंपा जाना चाहिए था, लेकिन उसने कह दिया कि इसके लिए हमारे पास फंड्स नहीं है । शासन ने 11 महीने पहले निर्णय लिया था कि पंचायती राज विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी जायेगी, लेकिन आज तक पंचायती राज विभाग ने कोई ऐसा तंत्र विकसित नहीं किया है कि सूचना कहां आयेगी । . . . .

मेरे अपने जिले के बारे में मेरी जानकारी है । इसके अलावा लखनऊ, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, उन्नाव, पीलीभीत और बरेली के बारे में अपनी निजी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि राजाज्ञा में आदेश है कि ग्राम प्रधानों को रुपया दिया जायेगा लेकिन ग्राम प्रधानों को रुपया दिया नहीं गया। आज तक किसी भी जिले में औजारों की किट्स पंचायत राज विभाग ने तैयार नहीं कीं । ग्यारह महीने हो

गये, आज तक किसी भी जिले में और प्रदेश में ऐसा तंत्र विकसित न होने का परिणाम यह है कि ग्रामीण अंचलों में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये उन्नत किस्म के हैण्डपम्प बिगड़े पड़े हैं। जिन पर हजारों लाखों रुपये खर्च कर चुके थे, वह हैण्डपम्प डैड पड़े हैं। इस सरकार के अन्दर कार्य पर नियंत्रण करने की शक्ति का अभाव हो गया है। पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में बिगड़े हुए हैण्डपम्पों के कारण जनता में घोर असंतोष व्याप्त है।

मेरी मांग है कि सरकार की ओर से वक्तव्य आना जरूरी है कि जो तंत्र 11 महीने पहले बनाने के आदेश दिये गये, वह अभी तक क्यों नहीं बना? ग्राम प्रधानों को अधिकार क्यों नहीं दिया गया? सरकार से वक्तव्य दिलायें, जिससे कि आगे की जानकारी मिल सके।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

सम्मानित सदस्य राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जिस समस्या का उल्लेख किया है, इससे पहले निर्माण का काम जल निगम कर रहा था, एक वर्ष तक जब निगम के पास ही जिम्मेदारी थी। जल निगम के बाद 7 स्थानों पर जल संस्थान को जिम्मेदारी दे दी गयी थी, अब एक नीति तमाम प्रदेश में अपनायी गयी है कि जो इन्सटीट्यूशन्स ब्लाक स्तर पर हैं, वहां पर हर ब्लाक में ऐसे जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है कि वह तमाम हैण्डपम्प के बारे में रख-रखाव कर सके, इसका प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व उन पर रहे। कुछ स्थानों पर नियुक्त की जा चुकी है, कुछ में व्यवस्था की जा रही है। सीतापुर और लखनऊ, जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, वहां दिखवा लेंगे कि वहां पर जल्द से जल्द व्यवस्था कर दी जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, ऐसा लगता है कि मैंने जो आपत्ति की थी और जो सूचना दी है, उसको माननीय मंत्री जी ने पढ़ा नहीं, कितना हास्यास्पद उत्तर उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी जल संस्थान को दी गयी है, उनको आदेश की भी जानकारी नहीं है। अगर जल संस्थान को जिम्मेदारी दी गयी है तो इससे बड़ा झूठ दूसरा हो नहीं सकता। मैंने 11 महीने पहले जानकारी दी, पंचायत राज विभाग को काम दिया गया था, पंचायत राज में और जल संस्थान में फर्क है। पंचायत राज विभाग ने आज तक कोई तंत्र विकसित नहीं किया है, नियुक्ति नहीं हुई है। एक भी औजारों की किट नहीं बनायी गयी है। मैं इनको सायंकाल तक का मौका देता हूं, पूरे प्रदेश में एक जिले की जांच करवा लें कि किट तैयार हो गयी है या नहीं, मैं सदन से क्षमा याचना कर लूंगा।

श्री हुकुम सिंह—

कहीं न कहीं हम न जानकारी का शिकार भी बन जाते हैं। मैंने पहले कहा कि दो व्यवस्थायें थीं जल निगम के माध्यम से और कहीं-कहीं जल संस्थान को दी गयी थी जैसे बुन्देलखण्ड में। तमाम बुन्देलखण्ड में गांव में भी जल संस्थान को जिम्मेदारी मैण्टीनेन्स की दी गयी थी। यही शब्द मैंने पहले भी कहे थे कि अब एकरूपता लायी गयी है, पंचायत राज विभाग को जिम्मेदारी दी जा रही है हर ब्लाक स्तर पर। एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है। जिला विकास खण्ड पर एक अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, कई नियुक्तियां कर दी गयी हैं और जहां ये नहीं हुई हैं वहां भी की जा रही हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने कहा था कि अभी तक एक भी किड तैयार नहीं हुए हैं, मेनटेनेन्स की व्यवस्था के मारे में जानकारी और दे दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब सब बतला दिया है, बस हो गया ।

श्री शारदा प्रताप—

मैं अघोषित विद्युत कटौती के संबंध में और लखनऊ जनपद में जो सिविल कोर्ट है जहां इसके कारण भारी संकट आया हुआ है पेय जल की समस्या को लेकर और सारा जन जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है, इस सदन को मैं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना दे रहा हूं । मान्यवर, स्थानीय कचेहरी पर पीने के पानी की घोर किल्लत है। 4 जुलाई को वकीलों ने इस सम्बन्ध में एक बैठक की और निर्णय लेकर न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया है।वकील लोग अदालतों का बहिष्कार कर रहे हैं, यह भी सूचना मिली है कि एक उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश श्री सैय्यद शगीर अहमद ने कचेहरियों का दौरा किया और मुन्सफी कचेहरी में और अन्य न्यायालयों के लिये आश्वासन दिया कि यहां पीने के पानी की व्यवस्था सही कर दी जायेगी, लेकिन आज तक उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया गया है। मान्यवर, कचेहरियों में देहातों से वादकारी आते हैं और यहां इतनी गर्मी में उनके लिये पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है । कलेक्ट्रेट और हाई कोर्ट के जितने भी कम्पाउन्ड हैं वहां आप दिखवा लीजिये कि किसी भी नल में पानी नहीं है जिसके कारण गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । लखनऊ सिविल कोर्ट के लिये एक 16 मंजिल की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है जिसमें तमाम न्यायालय ट्रान्सफर हो रहे हैं, वहां भी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वहां के वकील आन्दोलित हैं और जनजीवन क्षुब्ध है । अभी तक बादकारी गांव से आता है कि आज उसके मुकदमा का निपटारा होवा, लेकिन चूंकि वकील हड़ताल पर हैं इसलिये उसे मायूसी का सामना करना पड़ता है और धन और समय की भी हानि होती है ।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में आप सरकार से वक्तव्य दिलायें या फिर सदन की कार्यवाही को रोक कर इस विषय पर चर्चा करा दें ।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसका उन्होंने अपनी सूचना में भी उल्लेख किया है । अभी उन्होंने स्वयं ही बतलाया कि एक मा0 न्यायाधीश लखनऊ कोर्ट में स्वयं निकले और स्थलों का परीक्षण किया, वकीलों से भी मिले और इस संकट से उन्हें सुविधा दिलाने का भी आश्वासन दिया है । हमसे जो सहायता मांगी जायेगी, सरकार उसका पालन करेगी । वह सारा का सारा परिसर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो भी आदेश होंगे, उसका पालन हम करेंगे ।

*श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, दो-तीन दिनों से वाराणसी के शमशान घाट पर 200–250 लोगों के शव आ जाने से, मा0 शतरुद्र प्रकाश कह रहे हैं कि 700 शव आ जाने से वहां पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो लकड़ी 40 रु0 मन के हिसाब से मिलती थी अब वह 100 रु0 मन हो गयी है। एक किलो मीटर की परिधि में लाशें इधर-उधर पड़ी होने से पूरा जन-जीवन प्रभावित हो गया है और बुरा हाल है। काशी में लोग मरने के लिये ही आते हैं। लेकिन तपन के कारण आज ऐसी स्थिति हो गयी है कि बनारस का जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। और इसी कारण विद्युत शव दाह गृह बनाने की व्यवस्था हुई था, परन्तु कुछ लोगों ने विद्युत शव दाह गृह का विरोध किया था और इस कारण विद्युत शव दाह गृह नहीं बन पाया और और लकड़ी ही जलाने वाली प्रथा है।

मान्यवर, मैं डा0 राम मनोहर लोहिया जी के साथ वहां पर गया था और घाटों पर उनके साथ घूमा था और जानकारी हासिल की थी। बड़े से बड़े लोग मिले हैं। लेकिन वह यही चाहते हैं कि वह वहां पर मरें। बहुत से लोग आजमगढ़, मिर्जापुर से आते हैं और बिहार से भी आते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उनके शव यहां पर जलाये जायें, जिससे वह मोक्ष प्राप्त हों, ऐसी भावना है। इसलिये सदन को चाहिये कि वह शासन को निर्देश दे जो विद्युत शव दाह गृह करोड़ों रुपया लगाकर बनाया जा रहा था, उसको बनाया जाये। आज भी वहां पर डोमराज है, निश्चित रूप से उनकी हैसियत काशी नरेश से कम नहीं है। उनके पास पैसा है और एम0एल0ए0 बनकर आते हैं। रजनीकान्त दत्त ने उस विद्युत शव दाह गृह को बनने का विरोध किया था मैं चाहता हूं कि आप जिलाधिकारी को निर्देश दें कि जो वहां पर लकड़ी का अभाव है, उसकी पूर्ति करें। लकड़ी का भाव 40 रुपये मन से 100 रुपये मन हो गया है, तो उस भाव को 40 रुपये पर लावें और लकड़ी का प्रबन्ध करें। अगर इस विषय पर चर्चा न हो सकती हो तो कम से कम जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये जायें कि वहां पर लकड़ी की व्यवस्था करा दी जाये।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या दमदमी कक्षा का दफ्तर बदल कर वहां पर चला गया है।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी, सूखे और लू की चपेट में आ जाने से बहुत सी मौतें हो रही हैं। विभिन्न अंचलों में लोगों को लू लगने से उनकी मौतें हुई हैं। वाराणसी और उसके आस-पास के इलाकों में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है और मान्यवर उनकी लाशें हरिश्चन्द्र घाट और मणि-कर्णिका घाट पर एकत्र हो गयी हैं। आज स्थिति यह है कि वहां पर मरने वालों की संख्या सामान्य से 4-5 गुनी हो गयी है और मान्यवर इसके पीछे कारण क्या है, जो वहां पर इतनी मौतें हो रही हैं? देहातों अंचलों में भीषण लू से दस्त, हैजा, तेज बुखार तेजी से फैल रहा है और उनके उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं। चिकित्सा के अभाव में न मरने वालों को बचाया जा पा रहा है न मरने वालों का दाह संस्कार हो पा रहा है। जो लाशें पिछले तीन दिनों में पंजीकृत हुई हैं, उनकी संख्या 713 है। मान्यवर, यह स्थिति दो घाटों की है और न जाने कितने लोगों का संस्कार दूसरे घाटों पर और दूसरे तरीकों से हो गया होगा, जिसका कुछ पता नहीं है। वहां पर लाशों का जमाव हो गया है। लू के कारण देहाती अंचलों में लोगों के मरने की शिकायत मिली है, वहां पर इलाज

का कोई साधन नहीं है और लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सदन का कार्य स्थगित करा करके इस पर चर्चा करा दें।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैंने नियम 56 में इसी विषय को उठाया है। वाराणसी का ताप-47 डिग्री सेलसियस से 40 डिग्री सेलसियस तक पहुंच गया है। मान्यवर, विद्युत आपूर्ति समाप्त हो गयी है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। एक ओर तो जल निगम ने देहातों में पेयजल आपूर्ति विस्तार किया है और परन्तु बिजली नहीं मिल पा रहा है, इस कारण पानी नहीं मिल पा रहा है। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की दवा उपलब्ध नहीं है। गरीब आदमी को जब दाना नहीं मिलेगा उसको पानी नहीं मिलेगा तो और इस कारण वह लू की इस तपन को सह नहीं सकता है, इसलिये मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। तीन दिन में वाराणसी के हरिश्चन्द्र एवं मणिकार्णिका घाट पर आने वाले मरने वालों की संख्या 713 पहुंच गया है, तो मान्यवर, कितनी भीषण स्थिति पैदा हो गयी है। इसलिये आप सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि वह बनारस के लिये एक विशेष दल भेजे, वहां की जलापूर्ति ठीक करे, स्वास्थ्य विभाग को चुस्त करे गांवों और शहरों में देखे कि जो भूखे और नंगे लोग मर रहे हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उनका दाह संस्कार सरकार अपने जिम्मे ले। इन शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस विषय पर आज का कार्य स्थगित करके चर्चा करा दें और शासन को निर्देश दे दें कि वहां लोगों को अकाल मृत्यु से बचाने के लिये उनके लिये पूरी व्यवस्था करे।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोक पति त्रिपाठी)—

श्रीमन् उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा वहां पर लकड़ी की व्यवस्था कर दी गई है और अब वहां पर लकड़ी की कोई समस्या नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर 40 रुपया मन लकड़ी का भाव रखा गया है, इसको कम दिया जाय। तो इसको हम दिखवा लेंगे जितना भी कम किया जा सकेगा, कम कर दिया जायेगा।

जहां तक पेयजल की समस्या का सवाल है वाराणसी में 79 नलकूपों का जलस्तर नीचे चला गया है, वह कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की योजना के अन्तर्गत वाराणसी में एक मालवीय पुल है, इसकी 15 करोड़ रुपये की लागत है उसके समीप बदेनी के पास एक पम्प हाउस बनने जा रहा है जिससे वहां पर पानी की व्यवस्था होने जा रही है। श्रीमन् काशी में जल संकट से कोई नहीं मरेगा क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी गंगा मैइया बह रही है।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, वहां पर पानी का स्तर नीचे चला गया है, यह बात नहीं है। वहां पर हैजा और कई अन्य बीमारियों से लोग मर रहे हैं, कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है जिससे मरते हुये लोगों को बचाया जा सके। मरे लोगों का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है। इसलिये इस पर चर्चा की हमने मांग की है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड रूरल टेक्नालाजी, इलाहाबाद की सात यूनिटें क्रमशः चरखा, आर0 आई0 ई0, कारपेन्ट्री, ब्लैकस्मिथी, एच0 एम0 बी0, आटो, सोलरएनर्जी, टूल एण्ड डाई तथा अपोलो फर्म यूनिटें एक एक अवैध

रूप से बन्द कर दी गई है। इनमें काम करने वाले सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं और सड़कों पर घूमने लगे हैं। उनके परिवार के हजारों लोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इस संस्थान के गेट पर लोग धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 जुलाई से इस संस्थान में प्रवेश होना था, उसे स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ पूरे शिक्षा जगत में सत्र प्रारम्भ हो गया है किन्तु उक्त संस्थान में हड़ताल के कारण पढ़ाई का कार्य बन्द हो गया है और हजारों छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। वहां के 15-16 वर्षों से कार्य कर रहे हैं मजदूरों के सामने जीवन-यापन का कोई साधन नहीं रह गया है। इसलिए मान्यवर, आप इस विषय पर आज सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने और तत्काल अवैध रूप से बन्द यूनिटों को खुलवाने की आपसे मांग करता हूं।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, अभी माननीय अनुग्रह नारायण सिंह ने इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग और रूरल टेक्नालोजी के कर्मचारियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया है। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार लघु उद्योग और प्राविधिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कालेज तथा रूरल टेक्नोलोजी के प्रधानाचार्य एक तानाशाह रवैया अपना कर वहां के कर्मचारियों और मजदूरों ने मनमाने ढंग से इस कारखाने का बन्द कर दिया जिससे वहां के हजारों आश्रित परिवार के लोग भूख से मर रहे हैं। मान्यवर, दूसरी तरफ केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा विदेशों से भी भारी धन-राशि सहायता के रूप में इसे दी जा रही है उसके बावजूद वहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसलिये इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न को उठाते हुये मैं अनुरोध करता हूं कि वहां के प्रधानाचार्य को आदेश दिये जायं कि वहां के कर्मचारियों को शीघ्र वेतन दिया जाय। यह अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है इसलिए इस पर यहां पर चर्चा कराई जाय।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है (व्यवधान) मान्यवर, 10 बजे यह मिला है तो जिले से जानकारी प्राप्त करनी होगी तभी सूचना दी जा सकती है। इसलिये समय लगना स्वाभाविक है।

श्री गोपाल दास यादव–

पिछले 6 महीने से वहां के लोग अनशन कर रहे हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, वहां के कर्मचारियों को दो महीनों से वेतन नहीं मिला है। जिसके कारण वह गेट पर धरना दे रहे हैं और वहां पर प्रवेश नहीं हो पा रहा है। जो 8 जुलाई से कक्षायें शुरु होने वाली थी वह भी बंद हो गयी हैं इसलिये इस पर सरकार से वक्तव्य दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरठ के मामले में शतरुद्र प्रकाश जी आपने सूचना दी है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, 4 जुलाई को मेरठ में जो पहले सांप्रदायिकता की आग जल रही थी उसी में ब्रह्मपुरी थाने के अंतर्गत किसनपुरी में एक 50 साल के वृद्ध को जिंदा जला कर मार डाला गया है। जानकारी मिल रही है कि उसी के आधार पर इस समय वहां हिंसात्मक वारदातें जारी हैं जो एक चिंता की बात है। यह पूरे प्रदेश के लिये एक सवाल खड़ा हो गया है। 4 महीनों से मेरठ में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है और इस प्रदेश का पूरा प्रशासन इसमें असफल हो रहा है। लोग जिंदा जलाये जा रहे हैं, दिनदहाड़े आग लगाई जा रही है, करोड़ो रुपयों की संपत्ति वहां पर जल कर नष्ट हो गयी है। मुझे पता लगा है कि छोटे-छोटे सिपाही और दरोगा बदले जा रहे हैं। वहां का डी0 आई0 जी0 बदल गये, पुलिस कप्तान बदल गये, डी0 एम0 बदल गये, एस0 पी0 बदल गये, यहीं नहीं मेरठ के ही कारण डी0 जी0 पी0 बदल दिये गये और मेरठ के ही कारण उत्तर प्रदेश के गृह सचिव बदल गये। तो इन सब को हटाने के बाद भी आज सरकार वहां पर हिंसा को रोक नहीं पा रही है तो अब तो सिर्फ मुख्य मंत्री ही बचे हैं। अभी वहां हिंसा जारी है तो अब एक ही इलाज है कि जब तक श्री वीर बहादुर सिंह इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक वहां सांप्रदायिक हिंसा नहीं रुकने वाली है। इस सरकार का वहां पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। केन्द्र और राज्य सरकार के बीच में टकराव हो गया है। केन्द्रीय मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई और यहां के मुख्य मंत्री परस्पर विरोधी आदेश दे रहे हैं जिसके कारण मेरठ का प्रशासन कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। पी0 ए0 सी0 और पुलिस को लगाने के संबंध में केन्द्रीय मंत्री और मुख्य मंत्री के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस समय तमाम प्रशासनिक रद्दोबदल के बाद भी यह सरकार हिंसा नहीं रोक पा रही है तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? पी0 ए0 सी0 और पुलिस के मनमाने आतंक के बाद भी वहां हिंसा नहीं रुकी है। तो मेरठ की घटनाओं को लेकर यहां पर श्वेतपत्र आना चाहिये ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि किसकी वजह से यह सब हुआ है, उसमें कौन-कौन अफसर हैं, किन-किन का उसमें हाथ है। अतः इस सवाल पर आज सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

श्रीमती सरोज वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि मेरठ का मामला कोई छोटे महत्व का नहीं है। इस समय देश के सामने और उत्तर प्रदेश के सामने और जितने प्रश्न हैं उनमें सबसे अहम सवाल है। आज 4 महीने हो गये वहां पर दंगे हो रहे हैं इसमें चर्चा भी बहुत हो चुकी है लेकिन स्थिति वहीं की वहीं है। आज सारा प्रशासन 4 महीने से ठप्प हो गया है हम लोगों ने बहुत कहा तो सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और अब अपने आप मेरठ के डी0एम0 को बदल दिया। डी0 एम0 जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, इसलिये जिले में जो होता है उसकी जिम्मेदारी उसकी होती है। पुलिस को फायरिंग करने के आदेश डी0 एम0 के आदेश पर होते हैं। फायरिंग से न मालूम कितने बेगुनाह लोग वहां मारे गये हैं। मेरठ के डी0 एम0 को हम लोगों के कहने पर नहीं बदला लेकिन अब पता नही किस मजबूरी में बदल दिया है और उनको उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल्स का प्रबंध निदेशक बना दिया गया है जबकि उनको निलम्बित किया जाना चाहिए था और इन्हीं को नही बल्कि मेरठ के सभी अधिकारियों को निलम्बित करके कोई कदम उठाया जाना चाहिए था। वहां के डी0 एम0 का ट्रान्सफर किया जो

सरकार की कमजोरी और नाकामी का प्रतीक है। इसलिए वहां के लोगों के दिलों में सरकार के प्रति नफरत, साम्प्रदायिक हिंसा, घृणा बढ़ती जा रही है और दो सम्प्रदाय एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और दिलों में नफरत की खाई बढ़ती जा रही है। यह आग मेरठ से निकलकर दिल्ली में पहुंच गयी थी और अब मेरठ के गांवों में पहुंच रही है, इसलिये आपको इसमें निर्णय लेने की घड़ी आ गयी है। आज सरकार की, सत्ता पक्ष की, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मेरठ में जहां इतना बड़ा दंगा हुआ, मृत्यु का ताण्डव नृत्य हुआ उसके ऊपर सरकार को शर्म आनी चाहिए। औरत की इज्जत जाती है तो हिन्दू और मुसलमान है यह नही एक गैरत की इज्जत जाती है। जहां लड़के की मौत होती है, किसी को मारा जाता है तो हिन्दू है या मुसलमान यह नही है बल्कि माता की कोख खाली होती है यह देखा। मान्यवर, यह दंगे जो वहां के गुंडे होते हैं वह कराते हैं और इन दंगों में भुगतती सामान्य जनता है और सामान्य जनता का सबसे अधिक नुकसान होता है। इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि अपने स्वार्थों को छोड़कर, वोट की राजनीति को छोड़कर, ढुलमुल नीति को छोड़कर यह जो दंगे हो रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है, इसकी जड़ कौन है, इन बातों का जब तक पता नहीं लगायेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा और जिस तरह हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में जैसे पंजाब में हिन्दू और सिक्ख एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं, यह आपकी नीति रही, तो मेरठ भी ऐसी आग बन जायेगा जिसमें आप ही नही, देश की सरकार ही नही बल्कि देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा जरूर कराई जाये।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरठ में दंगा भड़का और साम्प्रदायिक दंगा, तो यह बात आपने, सदन ने मानी। प्रश्न यह है कि दंगा भड़कने के बाद वहां शांति आयी, उसके बाद दुबारा दंगा भड़कने की स्थिति अब वहां आयी और दंगा भड़क रहा है। पंजाब में जो शुरू में हुआ था तो चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि पंजाब में विदेशी शक्तियां सक्रिय हो रही हैं और दंगे को काबू में नही लाये और आज तक नही लाये। इस संबंध में कहा गया कि यह मानसिकता हो जायेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक दंगा, मेरठ का दंगा जो शहर का है, यदि इस पर सौहार्द्रपूर्ण विचार नहीं किया गया तो आज मेरठ शहर का दंगा पूरे उत्तर प्रदेश और देश का दंगा बन जायेगा और इसका यदि परीक्षण नहीं कराया जायेगा तो यह पंजाब के बाद दूसरी समस्या देश के लिये हो जायेगी। मान्यवर मेरा कहना है कि जब यहां इस पर बहस करते हैं और इस पर बाहर बहस करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि साम्प्रदायिक फिलास्फी पर बहस कर रहे हैं। वहां की वस्तुस्थिति जो है, वहां की घटना के बारे में एक सच्चाई की बात नहीं करना चाहते हैं बल्कि मान्यवर, इससे काम नही चलेगा, हमें सच्चाई देखनी पड़ेगी और हमारा निश्चित मत है और वहां के नागरिकों से आप जाकर पूंछे उनसे भी यही जानकारी मिलेगी कि इन दंगों में विदेशी शक्तियों का पूरी तरह से हाथ है, यही ताकतें इनमें पूरी तरह से सतर्क हैं और उनके षड्यंत्रों से यह दंगे भड़काये जा रहे हैं। तो शतरुद्र प्रकाश जी ने जो श्वेत-पत्र जारी करने की बात कही है, मैं उसका पूरा समर्थन करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि मेरठ के दंगों के बारे में एक विस्तृत श्वेत-पत्र सरकार की ओर से शीघ्र जारी किया जाए। जब तक सरकार इस पर गम्भीरता से विचार नहीं करेगी और इसकी जड़ खोजने का प्रयास नहीं करेगी, समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

जैसा कि सभी सम्मानित सदस्यों को विदित है यहां पर मेरठ के प्रकरण पर घंटों बहस हो चुकी है। शान्त व्यवस्था बनाने पर प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तथा दूसरे प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से सतत सचेष्ट और सतर्क हैं। स्थिति पर हम कड़ी नजर रख रहे हैं। जिस बड़े स्तर पर यह दंगा शुरु हुआ था, उसमें समय तो लगता ही है और पिछला यदि हम इतिहास उठाकर देखें, तो मान्यवर, हमें क्षमा करेंगे आपके शासन काल में करीब आठ-नौ महीने अलीगढ़ का दंगा चला था. . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश–

तो आप वही स्थिति लाना चाहते हैं। यह उसका रिकार्ड तोड़ना चाहते हैं, यह शर्म की बात है। 8 महीने के मुताबिक अभी 4 महीने कम हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

यह मैं नहीं कहता हूं। यह घटना थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई। शासन उसमें पूरी सतर्कता बरत रहा है। माननीय सदस्य बहुत उत्तेजित हो गये। हमारी यह मंशा नहीं है। हमने तो केवल याद दिलाया कि किस भारी पैमाने पर यह दंगे शुरु हुए और 4 महीं अभी तो दो-ढाई महीने ही इसे हुए हैं। इसमें शासन की नीयत बिल्कुल साफ है, शासन और प्रशासन दोनों इस बात के निरन्तर प्रयास में हैं कि जल्दी स्थिति नियन्त्रण में हो और इस एक घटना के अलावा, जो प्रश्न उठाया है, पिछले 40 घंटों में कोई घटना नहीं हुई है और स्थिति पूर्णतया नियन्त्रण में है। मैं चाहता हूं कि आगे कोई घटना न हो और सारे नागरिकों तथा राजनैतिक दलों का हमें पूर्ण सहयोग मिले।

श्री फजलुल बारी–

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर समस्या है. . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था नहीं है, आप किताब उठाकर देख लीजिए।

श्री फजलुल बारी–

आप मेरी बात तो पहले सुन लें, व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है तो आप उसे रद्द कर दें। आप इसपर गौर करके व्यवस्था दे दें। इसका हल निकलना चाहिए। जनता पार्टी ने भी गलती की है, लेकिन उसे आप मिसाल बना रहे हैं, यह ठीक नहीं है। आप व्यवस्था इस बात की दें कि सदन का एक गुप्त उपवेशन (सेक्रेट सेशन) तुरन्त बुला लिया जाए, जिसमें इसके प्रास एण्ड कांस पर पूरी बहस हो जाए कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन सी ऐसी साजिशें हैं, जिनकी वजह से यह दंगे हो रहे हैं।

*श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि जनता पार्टी के शासन काल में दंगे 8 महीने चल गये। इन राज्य मंत्री जी को उसकी सही जानकारी नहीं है और जानबूझकर अपनी कमजोरी छिपाने के लिए वह दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं जैसी कि सरकार की नीति है। जब एक तरफ मेरठ के प्रश्न को लेकर सदन ही नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूरा प्रदेश और देश चिन्तित है और यह भी स्पष्ट है मान्यवर, अप्रैल से लेकर अब तक जिस तरह से सारी दुखद घटनाओं का क्रम चल रहा है, जारी है उससे कोई भी इस देश और प्रदेश का नागरिक चिन्तित हुए बिना नहीं रह सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप व्यवस्था पर आएं ।

श्री रामनरेश यादव–

व्यवस्था पर ही कह रहा हूं मान्यवर, इस समय सरकार बिल्कुल फेल होती जा रही है, स्थिति को नियंत्रण में नहीं कर पा रही है, तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या ऐसी निकम्मी सरकार चलती रहेगी और जितनी घटनायें हुई हैं उसके संबंध में क्या कोई श्वेत पत्र सरकार की तरफ से जारी होगा ? इसको जारी न करने में क्या दिक्कत है ?

(व्यवधान)

चौधरी ताराचन्द सोनकर–

यह निकम्मी भाषा कैसे कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

सरकार के लिए निकम्मी कहा जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

निकम्मी सरकार को निकम्मी कहा जा सकता है ।

श्री राम आसरे वर्मा –

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरठ के दंगे तीन महीने से चल रहे हैं सरकार की तरफ से चर्चा की बात कही गयी और कहा गया कि स्थिति नियंत्रण में है मान्यवर, ज्यों-ज्यों यह दवा कर रहे हैं मर्ज उतना ही बढ़ा है आज इसकी अहमियत को स्वीकार करते हुए जैसा शतरुद्र प्रकाश जी ने सुझाव दिया है कि श्वेत पत्र जारी किया जाए उससे मैं अपने को संबंद्ध करता हूं क्योंकि मेरा विश्वास है कि सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी इसलिए यह उससे बचना चाहते हैं । पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे चल रहे हैं . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप चर्चा कर रहे हैं या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यदि यह श्वेत पत्र नहीं जारी करते हैं तो एक गुप्त अधिवेशन ही बुला लिया जाए जैसा कि बारी साहब ने कहा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने श्वेत पत्र जारी करने का सुझाव रखा है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जैसी नियमों में व्यवस्था है कि जो बिन्दु उठाये जाते हैं उनको सुन करके उत्तर मिलना चाहिए यह सही है कि उत्तर के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता है कि वह क्या उत्तर दें । मान्यवर, कार्यस्थगन की चर्चा में एक ही बिन्दु सबने उठाया है। यह राष्ट्रीय घाती ताकतें कौन हैं इस संबंध में श्वेत पत्र की मांग की गई और वहां सबको सस्पेंड कर दिया गया (व्यवधान) और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वह मुख्यमंत्री की थी, तो उनको भी निकालना चाहिए था । राष्ट्रघाती ताकतों को निकालने के लिए जिससे पूरे प्रदेश में आग भड़क रही है पूरे प्रदेश में तनाव की स्थिति पैदा हो रही है जैसा कि उधर से भी कहा गया है कि कुछ लोगों द्वारा हमारे देश को अखंडित करने का सुनियोजित ढंग से प्लान बनाया गया है । तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं श्वेत पत्र जारी करने की मांग करता हूं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस समय कोई बिन्दु उजागर नहीं किया तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जो बिन्दु उठाये गये हैं क्या उनके उत्तर राज्य गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए । अगर देना चाहिए तो उत्तर दिलवायें और उन्हें उत्तर देने का निर्देश दें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा –

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने अभी श्वेत-पत्र जारी करने की बात कही और यह कहा कि वह कौन-कौन सी वजह है कि मेरठ में साम्प्रदायिक विद्वेश की भावना फैल रही है । अप्रैल से लेकर अब तक उस पर काबू क्यों नहीं पाया गया है और काबू न पाने में सरकार की कौन-कौन सी विफलतायें रही हैं । कौन-कौन से लोग हैं जो इस साम्प्रदायिक विद्वेष को फैलाने के लिए दोषी हैं इस पर सरकार की तरफ से श्वेत-पत्र की मांग की गयी है । तो इसमें कौन सी बात ऐसी है जिसको सरकार बताना नहीं चाहती है और गोपनीय बात है । 14 अप्रैल से लेकर आजतक सरकार ने समय-समय पर सदन में यह आश्वासन दिया है कि मेरठ की स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है किसी प्रकार कोई घटना घटित नहीं होगी ।

अब मेरठ में पुनः हिंसा फैलने के कौन-कौन से कारण हैं ? हमको जानकारी मिली है कि तीन चीजें हैं एक तो माननीया किदवई जी, दूसरे मुख्य मंत्री जी और तीसरे प्रशासन, इन तीनों में आपस में इतना मतभेद है और इन्हीं की वजह से मेरठ की स्थिति भयानक होती जा रही है । यह गंभीर प्रश्न है, यदि मेरठ में साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना मुख्य मंत्री, श्रीमती किदवई और प्रशासन की वजह से फैलती गयी तो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जायेगी । इसलिए व्यवस्था के प्रश्न के रूप में मैं जानकारी चाहता हूं कि श्वेत-पत्र जारी किया जाय । गृह मंत्री जी ने श्वेत-पत्र के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा आखिर में इतना कह दिया कि जनता पार्टी के शासन में अलीगढ़ में दंगा हुआ और यह कह दिया कि स्थिति नियंत्रण में है और 40 घंटे के भीतर कोई घटना नहीं हुई है। तो क्या अगले 40 घंटों में कोई घटना घटित नहीं होगी। ऐसी असमंजस की स्थिति है । आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें कि मेरठ की स्थिति नियंत्रण में लाने में और मेरठ के बारे में श्वेत-पत्र जारी करने में क्या कठिनाई है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, जहां तक आपने असमंजस की बात कही है तो यह सत्य से परे है। केन्द्रीय मंत्री, मुख्य मंत्री और प्रशासन में कोई तालमेल नहीं है यह बात सत्य से परे है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मान्यवर, इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है सारे तथ्य आ चुके हैं। जांच बैठी हुई है। जुडीशियल इन्क्वायरी हो रही है। मान्यवर, उच्चस्तरीय जांच समिति श्री ज्ञान प्रकाश जी की अध्यक्षता में हो रही है उसकी रिपोर्ट भी अतिशीघ्र आने वाली है। इन सब बातों को देखते हुए श्वेत-पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(शोर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, यह बहुत गंभीर घटना है। माननीय काम चलाऊ राज्य मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। मैं चला आ रहा हूं। इस घटना का पूरे प्रदेश पर प्रभाव पड़ रहा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

चर्चा तो हो चुकी है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

इसका गांव-गांव पर असर पड़ रहा है और स्थिति खराब हो रही है।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, राज्य गृह मंत्री जी ने कहा कि दंगा शांत है तो फिर दंगा शांत होने के बाद दोबारा क्यों भड़का है ?

श्रीमती सरोज वर्मा—

मान्यवर, गृह मंत्री जी ने कहा कि इस पर चर्चा हो चुकी है तो चर्चा तो हो चुकी है लेकिन दंगा भी एक बार कई बार हो चुका है और लगातार हो रहा है। यही आपका हाल रहा तो आगे भी दंगा होगा। इसमें आप भी खत्म हो जायेंगे और हम भी खत्म हो जायेंगे। मेरठ के बारे में चर्चा खत्म हो चुकी है लेकिन मेरठ का दंगा खत्म नहीं हुआ है। हम लोगों की मीटिंग थी। यहां पर नोटिस जारी की गयी कि मेरठ की स्थिति चिन्ताजनक है आप वहां नहीं जा सकते और आपने हम लोगों को, सब जानकारी होते हुए भी यह सूचना दी कि सरकार के तीन मंत्री मेरठ गये हैं।

वहां की हालत चिन्ताजनक है, आज भी हालत गंभीर बनी हुई है कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए चर्चा होनी बहुत जरूरी है आपने कुछ अधिकारियों की सूची दे दिया। मेरा कहना यह है कि जितनी गल्ती उनकी थी उससे ज्यादा इस सरकार की है इसलिए वीर बहादुर की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी घटना मेरठ की है इसके लिए लिए मैं मांग करती हूं कि इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और श्वेत-पत्र जरूर जारी होना चाहिए।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष:–

मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव की सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

**श्री शतरुद्र प्रकाश –**

यह सरकार साम्प्रदायिक हिंसा रोकने में विफल रही है इसलिए मैं 5 मिनट के लिए सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सरकार की विफलता के खिलाफ मैं अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

आपने चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की है इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम आसरे वर्मा–

सरकार इस मामले पर कोई वक्तव्य नहीं देना चाहती है और न ही अपनी विफलताओं पर इस्तीफा ही दे रही है, इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा भी सदन त्याग कर चले गये। कतिपय निर्दलीय सदस्य भी सदन से उठकर चले गये )

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा लगातार बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बर्क जी, आप बैठें, मनोहर लाल जी, आप भी बैठें ।

**वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान**
**अनुदान संख्या–10–उर्जा विभाग**

*ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10–उर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,69,72,73000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, इस संबंध में मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जितना इस वर्ष विद्युत उत्पादन बढ़ा उससे अधिक उसकी मांग भी बढ़ गयी जिसके कारण अधिक विद्युत उत्पादन के बावजूद भी. . . . .

(श्री शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना भाषण जारी रखें । अब हम भोजनावकाश के लिए उठते हैं ।

(सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न होने के कारण श्री उपाध्यक्ष ने 1 बजकर 42 मिनट पर भोजनावकाश हेतु सदन को स्थगित कर दिया । भोजनावकाश के उपरान्त सदन की कार्यवाही 2 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन का कार्य 5 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुआ ।)

श्री सुनील शास्त्री--

श्रीमन्, जहां तक विद्युत उत्पादन का प्रश्न उत्तर प्रदेश में रहा इस वर्ष हम लोगों ने पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक विद्युत का उत्पादन किया, चाहे वह तापीय विद्युत हो, चाहे वह जल विद्युत, जहां पिछले वर्ष 12,300 के आसपास मिलियन यूनिट उत्पादन कर पाये, इस वर्ष हम लोगों ने 14,400 मिलियन यूनिट से अधिक उत्पादन किया । लेकिन श्रीमन् अधिक उत्पादन होने के बावजूद भी विद्युत की मांग इतनी तेजी से इस वर्ष बढ़ी, जिसका अनुमान पहले से भी था, क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रोजेक्शन किया जाता है, उसके अनुसार वर्ष 86-87 और 87-88 दोनों ही ऐसे वर्ष हैं जिसमें विद्युत की मांग अधिक बढ़ेगी और उसके विपरीत जो हमारी क्षमता है अधिष्ठापित क्षमता, उसको बढ़ाने का हम जरूर प्रयास कर रहे हैं । लेकिन वह इतनी नहीं है कि विद्युत की मांग पूरी तरह से हम कर सकें । यहां पर लोगों ने इस वर्ष का लक्ष्य 17,900 मिलियन यूनिट का रखा है, यह तभी संभव होगा अगर हम अपनी मशीनों को 50 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर की क्षमता पर चलायें । अभी तक हम लोगों का जो प्लांट लोड फैक्टर रहा, वह 45-46 प्रतिशत रहा अप्रैल, मई और जून का । यही नहीं श्रीमन् मार्च, 80 के पश्चात् फरवरी, मार्च और अप्रैल, 87 में ही, तीनों महीने लगातार हम लोगों का प्लांट लोड फैक्टर 50 प्रतिशत से अधिक रहा और हमारा प्रयास इस बात का है कि 50 प्रतिशत का जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको हम प्राप्त कर सकें । इसमें जो बहुत अच्छी उपलब्धि रही, वह यह कि जो तेल की खपत हमेशा हर वर्ष बहुत अधिक होती थी प्रति मिलियन यूनिट, वह श्रीमन् 18.8 से घट कर 13.4 पर पहुंच गयी । इसी के साथ-साथ जो आगजिलरी कंजम्पशन होता था, विद्युत गृहों में जो बिजली जलती है, उसमें भी कमी आई, वह 13.6 से 11.6 पर आ गयी और इसके द्वारा 200 मिलियन यूनिट की बचत हुई ।

इस समय हम लोग इस बात का विशेष प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी पुरानी इकाइयों को, जो हमारा एक नवीनीकरण का कार्यक्रम है, आधुनीकरण का जो कार्यक्रम है, उसके तहत उनमें जल्द से जल्द काम करके हम उन मशीनों के प्लांट लोड फैक्टर की क्षमता बढ़ा सकें और उनसे अधिक से अधिक उत्पादन करें । यहां पर हमारी 27 इकाइयों में से 22 ऐसी इकाइयां हैं जोकि 16 वर्ष से 20 वर्ष तक की पुरानी हैं और इन इकाइयों में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, हमें प्रयास करना होगा कि कैसे हम इन मशीनों के रिनोवेशन का कार्य कर सकें। हमारी 157 करोड़ की एक योजना मंजूर हुई है, जिसमें 94 करोड़ रुपया राज्य सरकार को देना है, शेष जो है भारत सरकार का अंश होगा । इस तरह से हम लोग कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में हम सभी मशीनों का जो कार्य है, वह पूरा कर लें ।

यहां उदाहरण के लिए एक मशीन का जिक्र करना होगा । जो हमारा हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह है उसमें जो इकाई सं0 7 है 110 मेगावाट की, उसमें हम 36 प्रतिशत उत्पादन कर पाये लेकिन आज हम उसके द्वारा लगभग 64 प्रतिशत का उत्पादन कर रहे हैं । इसी तरह से ओबरा की इकाई सं0 7 में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसी प्रकार से और भी मशीनें हैं जिन पर हम लोगों ने कार्य किया है और इस तरह से हमारी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार हम अधिक से अधिक इनके द्वारा विद्युत उत्पादन करेंगे । मैं बताना चाहूंगा कि 1987 में हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, हमने 41.8 का तापीय उत्पादन किया जो 64 प्रतिशत है । यह आशा की किरण हमारे सामने दिखाई दे रही है और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनका अग्जिलरी कंजम्पशन अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक उसका उत्पादन बढ़ायें और अपना जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है 50 प्रतिशत का, उसको प्राप्त करें।

हमारी इस वर्ष की औसत मांग बहुत अधिक रही, जुलाई में भी 62 से 63 मिलियन यूनिट प्रतिदिन रही जब कि पिछले वर्ष 42 से 44 मिलियन यूनिट प्रतिदिन थी और यही कारण है कि हम लोग एनुअल मेंटिनेंस के लिए अपनी मशीनें मई-जून में खोलना चाहते थे लेकिन हम लोग समय से मेंटिनेंस नहीं कर पाये और बीच-बीच में जब मशीनें 2–3 या 4 दिन के लिए बन्द हो गयीं तो उसकी वजह से बीच-बीच में काफी परेशानी उठानी पड़ी । रिहन्द का जलाशय 831.1 फीट था और इस समय 1.1 फीट पानी हमारे पास है । उसका जलस्तर 850 फीट से अधिक था परन्तु इस समय बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसका कारण यह है कि 18 से 20 जून के पास वर्षा शुरू हो जाती थी लेकिन अबकी बार अभी तक वर्षा शुरू नहीं हुई है और हम जलाशय नहीं भर पाये हैं और एक गम्भीर संकट हमारे सामने उपस्थित हो गया है और इसी कारण हम बहुत कम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं और इसको पीक आवर्स में करते हैं, प्रातः 6 से 10 के बीच और रात्रि को 6 से 10 के बीच में इसकी व्यवस्था करते हैं क्योंकि हमारे जो तापीय विद्युत गृह हैं जैसे एन0आई0पी0सी0 ओबरा, अनपारा आदि ये इसी जलाशय से जुड़े हुए हैं और अगर यह वर्षा आने वाले दिनों में न हुई तो एक गंभीर संकट उत्पन्न हो जायेगा और हम जो तापीय उत्पादन कर रहे हैं उसमें भी बहुत सोचना पड़ेगा कि कैसे हम विद्युत का उत्पादन करें।

हम लोगों की अपनी जो पारेषण की व्यवस्था है उसको भी हम लोगों ने मजबूत करने की चेष्ठा की और पारेषण की ओर हम इसलिए ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं कि तापीय विद्युत गृहों से अधिक उत्पादन हो सके । श्रीमन्, मुख्य पारेषण के लिए अलबत्ता हमारे पास संसाधनों की कमी रही, इसके लिए 900 करोड़ रु0 की आवश्यकता थी, इसके विपरीत हमको 500 करोड़ रु0 ही आवंटित हो सके हैं लेकिन फिर भी हम लोगों की चेष्टा है कि इस व्यवस्था को मजबूत करें, हमारी जो स्थिति है वह जो 400 के0वी0 की 7 यूनिट्स हैं, उन्हें मजबूत करें और साथ ही हम लोगों ने एम0 बी0 ए0 कैपिसिटी की 3,120 सर्किट के0 बी0 को लगाने पर विचार किया है और इसी सिलसिले में मैं यह बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने 800 के0 बी0 की पारेषण लाइन बनाने का भी निर्णय लिया है इधर आनपारा से उन्नाव और उधर टेहरी से मेरठ के आसपास तक जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हो गयी है और श्रीमन् देश में पहली यह ऐसी बड़ी लाईन होगी, जिसे केन्द्रीय विद्युत गृह से ही हम इरेट करेंगे। साथ ही मान्यवर, हमारी जल विद्युत योजना जो हैं, उस पर भी

विशेष ध्यान दे रहे हैं और आज हमारी जो कुल क्षमता है, वह कुल 1422 हजार मेगावाट है, जबकि हमने जब अध्ययन किया और इससे पहले की जो योजनाएं बनाई गयीं उसके अनुसार लगभग 15 हजार मेगावाट से 20 हजार मेगावाट जल विद्युत के माध्यम से की जा सकती है लेकिन इसमें सबसे बड़ी कठिनाई जो आती है वह यह कि इसके निर्माण में काफी समय लग जाता है। 7 वर्ष तो कम से कम और अधिक से अधिक करीब 10-12 वर्ष लग जाते हैं और साथ ही धनराशि जो हम एलोकेट करते हैं, उसमें भी लागत काफी आती है और इसके विपरीत जहां तक तापीय विद्युत की बात है, वहां पर समय भी कम लगता है लगभग 48 से 56 महीने और लागत भी कम लगती है, लेकिन तापीय विद्युत में जो अन्य प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, कोयले की शिकायत बहुत होती है, कभी तेल कम पड़ जाता है और कभी कोयला कम पड़ जाता है और इन चीजों के प्रयोग के कारण विद्युत की लागत भी बढ़ जाती है, परन्तु जल विद्युत में यह सारी परेशानियां नहीं होती हैं और दूसरे लागत भी तापीय विद्युत से कम आती है और तापीय विद्युत-गृहों से प्रदूषण भी काफी मात्रा में होता है, जो जल विद्युत में नहीं होता है।

एक बात और बताना चाहूंगा कि एक समझौता भारत के प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी व रूसी नेता श्री गोर्बाचोव के बीच टेहरी योजना के संबंध में हुआ है, जिसे हम शीघ्र ही प्रारम्भ करने जा रहे हैं और इस संबंध में कई बैठकें भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य विद्युत परिषद् के बीच हो चुकी हैं और इसमें एक निगम का गठन करके सारे कार्यों को उसके तहत हमें चलाना है और इसकी लागत करीब 2,400 करोड़ आयेगी और इसमें हम 4 मशीनें 250 मेगावाट की लगायेंगे और लगभग 4 मशीनें रिवर्सेबिल सिस्टम में रखेंगे क्योंकि जब मांग हमारी पीक पर होती है, उस समय इनका इस्तेमाल करेंगे और जब विद्युत की मांग कम होती है तब दूसरी रिव र्सेबिल टरबाईन का इस्तेमाल करेंगे। और मान्यवर जब हमारी टेहरी योजना प्रारम्भ होगी तो यह पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के काफी हिस्से को कवर करेगी। कोटेश्वर बांध से हमें 400 मेगावाट की सहायता मिल सकेगी और साथ ही जो कुल मिलाकर लगभग 2400 मेगावाट हमारा उत्पादन होगा, इन सबसे। साथ ही हम लोग आगे का प्रयास यह भी कर रहे हैं कि विश्व बैंक इस संबंध में हमारी पूरी सहायता करे और उसने विश्वास भी दिलाया है कि हम इस ओर पूरी गम्भीरता से सोचेंगे और जहां तक हो सकेगा अधिक से अधिक सुविधा देने के प्रयास करेंगे।

यहां पर 370 करोड़ रुपये की लागत से जो हमारी गढ़वाल में श्रीनगर विद्युत परियोजना है, उस पर हमने अपना प्रस्ताव विश्व बैंक के सामने रखा है। उनकी टीम ने अध्ययन किया है और हमें विश्वास है कि जो 320 मेगावाट की क्षमता की श्रीनगर जल विद्युत योजना होगी, उसके लिये हमें विश्व बैंक से सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा हरदुआगंज में जो हमारा पुराना पावर हाउस "ए" था, जिसमें 3 मशीनें 30-30 मेगावाट की थीं, उनके ब्वायलर के आधुनिकीकरण के लिये योजना दी है। इसके साथ ही ओबरा का जो हमारी कोल हैण्डलिंग प्लांट है उसको मजबूर करने के लिये, ताकि ओबरा की पांचों मशीनों को सही कोयला मिल सके, उसके भी हमने प्रस्ताव विश्व बैंक के सामने रखा है। एक दिक्कत ओबरा में यह रही है कि वहां पर 5 मशीनें 200 मेगावाट की हैं, लेकिन वहां जो कोल हैण्डलिंग प्लान्ट डिजाइन किया गया है, वह अच्छे

कोयले के हिसाब से डिजाइन किया गया है, लेकिन हुआ यह कि कोयला डी और ई ग्रेड का आता है, जिससे पांचों मशीनें पूरे लोड से नहीं चलाई जा सकती हैं। केवल 150 मेगावाट की चार मशीनें चलाई जा सकती हैं। इसको सुदृढ़ करने के लिये हमने प्रस्ताव बनाकर विश्व बैंक को भेजा है। इसके अतिरिक्त 1990 और 2000 के बीच में हम लोगों का जो प्रस्ताव है, उसके तहत 5854 मेगावाट की क्षमता और बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें 2050 मेगावाट तापीय विद्युत से और 3804 मेगावाट जलीय विद्युत से होगा, लेकिन कठिनाई यह आती है कि जो संसाधन हैं, जो धनराशि है, उसकी बड़ी भारी कमी हमारे सामने आती है। लेकिन हमारा यह प्रयास होगा कि इन योजनाओं में आनपारा-बी, ऊंचाहार विस्तार और परीक्षा विस्तार योजना, इन तापीय विद्युत योजनाओं को विस्तृत करके हम अपनी क्षमता बढ़ाएंगे। इसी प्रकार जलीय विद्युत योजना में लखवार व्यासी, श्रीनगर, टेहरी-प्रथम, कोटेश्वर, मनेरी भाली, टेहरी, विष्णु प्रयाग, पाला मनेरी और लोहारी नागपाल योजनाएं हैं, ये सभी जलीय विद्युत योजनाएं हैं जिनके लिये हमारा पूरा प्रयास होगा कि इनको पूरा करें।

यहां एक बात और बताना चाहूंगा कि जिन तापीय विद्युतगृहों के नवीनीकरण का काम हमने हाथ में लिया और जिन जलीय विद्युत गृहों का काम हाथ में लिया है वे हैं पथरी, खटीमा, रामगंगा आदि। जहां इन मशीनों ने काम किया है, वहां यह देखने को मिला है जहां-जहां हमने नवीनीकरण का काम किया है, वहां अधिक उत्पादन हुआ है। श्रीमन्, यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि विद्युत उत्पादन जो था, वह हमारी मांग के विपरीत कम रहा। इसलिये पिछले वर्ष जो औसत उपलब्धि थी, उसके तहत मांग अधिक नहीं थी, इसलिये उनका पारेषण अच्छा रहा, लेकिन इस वर्ष जैसा कि मैंने शुरू में कहा उपलब्धि अधिक रही लेकिन फिर भी विद्युत की आपूर्ति हम सुचारु रूप से सुनिश्चित नहीं कर सके और बहुत जगह हमें आपात्कालीन कटौती करनी पड़ी। कारण मैं यहां बताना चाहूंगा कि वर्ष 1985-86 में कुल 16145 मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्धि रही और इस वर्ष 18328 मिलियन यूनिट उपलब्धि रही, लेकिन श्रीमन्, आप औसत देखें तो जहां 1985-86 में 44 मिलियन यूनिट की उपलब्धि रही, वहीं इस वर्ष 50 मिलियन यूनिट की उपलब्धि रही, इस प्रकार 6 मिलियन यूनिट की अतिरिक्त उपलब्धि रही। फिर भी विद्युत की कमी महसूस की गयी। इसी कारण से हमें समय समय पर आपात्कालीन विद्युत कटौती करनी पड़ी।

श्रीमन्, हमारा लक्ष्य है 17,916 मिलियन वर्ष 1987 में, वह करेंगे। उसके अतिरिक्त जो हमारे यहां लगभग 4000 मिलियन यूनिट प्राप्त होगा, उस हिसाब से उपलब्धता लगभग 21,927 मिलियन यूनिट का अनुमान हमने लगाया है और हम आशा करते हैं कि इस वर्ष हमारे पास लगभग 60 मिलियन यूनिट प्रति दिन औसत बिजली की उपलब्धता रहेगी, जिससे कम से कम विद्युत की कटौती करेंगे। मान्यवर, इस समय प्रदेश में सूखे की स्थिति के कारण एक निर्णय करना पड़ा कि हम जो बड़े-बड़े उद्योगों को बिजली दे रहे हैं, उनके ऊपर बिजली की कटौती करनी पड़ी। यह आवश्यक था। एक ओर जहां पीने के पानी की कमी थी, वहीं दूसरी ओर किसान भाइयों को सिंचाई के लिये उनके ट्यूबवेल को बिजली देना आवश्यक था। तो, इस तरह से हम लोगों ने अपनी सभी मेजर औद्योगिक ईकाइयों को, चाहे वह फर्टीलाइजर हो, सीमेंट

हों, चाहे वह पेपर हो, चाहे रबर हो या टेक्सटाइल हो, चाहे जूट हो, सौ प्रतिशत की कटौती कर लगभग 8.2 मिलियन यूनिट प्रतिदिन की बचत की है, जिसको हम कृषि क्षेत्र में जहां पर काफी दिक्कत है पानी की, वहां पर हम उसे डाइवर्ट करेंगे।

हमारे सामने बहुत बड़ा लक्ष्य इस वर्ष के लिये निर्धारित है, हमें श्रीमन् 530 मेगावाट बढ़ाना है। इसमें आनपारा की तीसरी इकाई 250 मेगावाट की है, टांडा की 110 मेगावाट की है, ऊंचाहार की पहली इकाई 210 मेगावाट की है, दिसम्बर, 1987 के पहले लक्ष्य है कि चालू कर देंगे। जहां तक इसकी इस्टेबिलिटी का प्रश्न है, कार्मशियल लोड के लेने के बाद, मार्च, 1988 में सही मायने में यह विद्युत उत्पादन के लिये उपलब्ध हो सकेंगी। लेकिन, चालू करने का लक्ष्य हमने निर्धारित कर दिया है। उसकी प्राप्ति के लिये एक जुलाई को एक उच्चस्तरीय बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी उ0 प्र0 सरकार के और राज्य विद्युत परिषद् के और भारत सरकार के वहां पर मौजूद थे। उसमें हम लोगों ने निर्धारित की सभी तिथियां, उसके अनुसार तय किया गया कि जो सप्लायर्स हैं, जैसे आई0 एल0 कोटा है, इंग्लिश इलेक्ट्रिक कम्पनी, एच0 सी0 एल0—इन सबको काफी जोरदार शब्दों में कहा गया कि जो समय आपके लिये निर्धारित है, उसी के तहत आप काम पूरा करें। जिससे इन मशीनों को चालू करके, जो पूरे देश की क्षमता बढ़ानी है, जिसमें उ0 प्र0 का हिस्सा 530 मेगावाट को बढ़ाने का है, उसको पूरा कर सकें। आनपारा बी0 के लिये ओ0 ई0 सी0 एफ0 से लोन एग्रीमेंट श्रीमन् हम लोगों ने साईन कर लिया है। कोशिश इस बात की है कि दिसम्बर 1987 या जनवरी, 1988 में आनपारा का काम टर्न के बेसिस पर, जो जापानीज कम्पनी से बात चल रही है, टर्न के बेसिस पर, 48 से 50 महीने के बीच पहली इकाई आनपारा बी0 की, जो पांच सौ मेगावाट की होगी, चालू करें। केन्द्रीय सरकार द्वारा जो निर्मित हमारी परियोजनायें हैं, उनमें भी हम लोगों का यह प्रयास है कि जल्द से जल्द जितना हम उनको सहयोग दे सकें, उ0 प्र0 सरकार की तरफ से, वह दें। उनकी भी मांग जल्द से जल्द पूरी हो।

जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रश्न है, हम सदन को बता चुके हैं और हम जानकारी देना चाहेंगे कि 64 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य इस सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह है कि हम 80 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर देंगे। एक बात जिसको मैंने पहले कहा था, जो हमारी परिभाषा है, 2 परिभाषा हैं— एक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा है और एक लाईन बिछाकर विद्युतीकरण की है। केन्द्रीय प्राधिकरण 72000 गांवों का विद्युतीकरण कहता है, लाईन बिछाकर लगभग 40 हजार गांवों का किया है। क्योंकि अगर गांवों के पास से कोई ट्यूबवेल कनेक्शन ले, तो केन्द्रीय प्राधिकरण की परिभाषा में उसको मान लिया जाता है कि उसका विद्युतीकरण हो गया है। 1987-88 के लिए जो लक्ष्य तय किया गया है उसमें हमने 4800 गांवों में विद्युतीकरण का रखा है और 3914 हरिजन बस्तियों का रखा है तथा 20,500 निजी नलकूपों का लक्ष्य रखा गया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ग्रामों में जो हम विद्युतीकरण करेंगे, उसे हम लाईन बिछाकर ही करेंगे तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत जो आता है, उसे भी हम लाइन बिछाकर करेंगे। 1 अप्रैल, 1959 तक 836 गांवों में बिजली पहुंचाई गई थी, आज 31 मार्च, 1987 तक हम 72 हजार गांवों में हम बिजली पहुंचा चुके हैं। 1959 में कोई भी हरिजन बस्ती में बिजली नहीं पहुंचाई गई थी, आज लगभग

39 हजार 200 से भी अधिक हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हुआ है। जिस समय राज्य विद्युत परिषद् का गठन हुआ था उस समय केवल 2800 नलकूप थे और आज 5,42,500 नलकूप हैं।

आज बिजली एक बहुत ही आवश्यक चीज है, इसके बिना न कृषि का विकास हो सकता है और न ही औद्योगीकरण का विकास हो सकता है। आज छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों को इसकी ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए हमारा प्रयास यह रहना चाहिए कि अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन कैसे हो सकता है ताकि जो विद्युत की मांग हो, उसे हम पूरा कर सकें। 1987-88, 1988-89 इन दो वर्षों में हमें बिजली की थोड़ी बहुत कमी रहेगी, लेकिन जिस प्रकार हम इस समय विद्युत ग्रहों का निर्माण कर रहे हैं और केन्द्र सरकार प्रयास कर रही है, उनके चालू होने से हमें काफी सहयोग मिलेगा। हम आशा करते हैं कि नरौरा एटोमिक पावर प्लान्ट व उरुई गैर टर्बाइन एन0 टी0 बी0 सी0 के तैयार हो जाने से भी हमें बिजली उपलब्ध हो जायेगी। सिंगरौली की दूसरी इकाई 500 मेगावाट की और रिहन्ड की एक और यूनिट हमारे पास उपलब्ध हो जायेगी। मैं आशा करता हूं कि हमारे जो प्रतिनिधि, जो स्वयं गांवों से आये हैं, अपने ठोस सुझावा देंगे ताकि विद्युत आपूर्ति की जो हमारी जिम्मेदारी है, उसे पूरा कर सकें।

विद्युत वितरण की जो हमारी व्यवस्था है, 15 इकाईयों को हम ले रहे हैं, जिस पर 80 करोड़ रुपए की लागत आयेगी। लखनऊ को हमने टाटा कन्सलटेन्सी को दिया है, उन्होंने शायद पूरा कार्य कर लिया है, इससे विद्युत वितरण व्यवस्था में काफी सुधार आयेगा। कानपुर के लिए जो हमारा ओ0 डी0 ए0 है, उसके तहत हमें लगभग 50 करोड़ की सहायता प्राप्त होगी, इसी प्रकार जो अन्य योजनायें हैं, वहां भी हम इसका कार्य अच्छी कन्सलटेन्सियों को देकर वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करवायेंगे। इसमें लगभग हमें 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, अगर हम ग्रामीण विद्युत वितरण व्यवस्था को लें तो उसी पर हमें 500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जिस समय विद्युत परिषद् का गठन हुआ था, उस समय 11 के0 वी0 की लाईनें थी और उनका क्षेत्र 18000 सर्किट किलोमीटर था। और एल0 टी0 लाइन जो छोटी लाइन थी, जिसके द्वारा बिजली देते हैं, उनकी लम्बाई 2000 सर्किट किलोमीटर की थी, इसलिये जो लाइन लासेज होते हैं, वह भी कम थे, चोरी भी कम थी, 11 किलोवाट की जो लाइन होती है, उसमें कटिया डालकर चोरी नहीं हो सकती है, लेकिन उस समय 18 हजार सर्किट किलोमीटर थी 11 किलोवाट की लाइन और 2000 सर्किट किलोमीटर थी एल0 टी0 लाइन, इस समय 11 किलोवाट की लाइन 18 हजार के बजाय 1,50,000 सर्किट किलोमीटर है और एल0 टी0 लाइन 2 हजार के बजाय 1,70,000 सर्किट किलोमीटर है, जिससे लाइन का खर्चा बहुत बढ़ गया है। मेरठ में सरधना नामक स्थान पर 1 करोड़ 8 लाख रु0 से एक पाइलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, इसमें हम लाइन को परिवर्तित कर देंगे जिससे किसी प्रकार की चोरी भी न हो सके और जब हाई वोल्टेज की बिजली ट्रांसमिट होगी, तो सर्किट लास भी कम होगा।

श्री विजय सिंह राणा –

चोरियों का क्या होगा, यह जो खम्भे तक चुरा कर बेच लेते हैं, इनके बारे में भी बताइये ?

श्री सुनील शास्त्री–

इस संबंध में तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो "रेड पार्टीज" हैं "फ्लाइंग स्क्वाड" हैं, उसके तहत हम लोगों ने कई स्थानों पर रेड किया और बहुत से उपभोक्ताओं को पकड़ा भी और 3 करोड़ रु0 से अधिक की धनराशि की वसूली भी की लेकिन फिर भी इतना कहना चाहूंगा कि आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। जहां पर भी आपको महसूस हो, नई टैक्निक ऐसी है कि इसके द्वारा बहुत सी चीजें कर सकते हैं और चोरी को रोक सकते हैं। मुझे आशा है कि आपका सहयोग मिलेगा तो चोरी को भी कम कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण विभाग है ऊर्जा का, इस पर अपने सुझाव दें, आपके सुझाव बहुमूल्य होंगे तथा और भी सुधार करने का प्रयास करूंगा।

*श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10-ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

आज के अत्याधुनिक और वैज्ञानिक युग में विकास और प्रगति का मूल स्रोत ऊर्जा है, विद्युत है। आज उत्तर प्रदेश जैसा प्रान्त, जो कि एक कृषि प्रधान प्रान्त है, जहां के 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और कृषि उत्पादन पर ही जीवन निर्भर करता है प्रदेश का, यहां के उद्योगों के उत्पादन से उपभोक्ता का जीवन निर्भर करता है, आज उस प्रदेश में ऊर्जा की व्यवस्था खराब है। विद्युत आपूर्ति की दशा में अगर देखा जाय तो स्वतंत्रता के 40 वर्ष के बाद, 1959 में विद्युत परिषद् की स्थापना के बाद आज 1987 में 28 वर्ष की यात्रा पूरी हो चुकी है, यह विद्युत परिषद्, ऊर्जा विभाग 1700 करोड़ रु0 के घाटे के सिवाय कुछ नहीं दे सका है। ऊर्जा मंत्री जी से मेरा आग्रह है धरातल पर खड़े होकर सोचें तो देखेंगे कि गत वर्ष उन्होंने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि 1992 तक हम प्रदेश के सारे गांवों का विद्युतीकरण कर देंगे लेकिन जिस धीमी गति से उनका यह विभाग चल रहा है, जिस गति से विद्युत परिषद् कार्य कर रहा है, निश्चित लगता है कि 1992 क्या, यह शताब्दी समाप्त हो जायगी लेकिन प्रदेश के आधे गांवों का भी विद्युतीकरण नहीं हो पायेगा। मान्यवर, जनतंत्र में चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या चाहे विरोध पक्ष के लोग हों, यह सबकी जिम्मेदारी है कि मिल कर विचार करें कि सरकार की गलत नीतियों, किसान विरोधी आचरण और ऊर्जा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार जो सुरसा की तरह मुंह उठाये खड़ा है, इसको कैसे सही ढंग पर लाया जा सके।

आज 1986-87 में विद्युत वर्ष मनाया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 1986-87 में सारे घाटे पूरे कर दिये जायेंगे। लेकिन आज सरकार की आर्थिक असफलता, विभाग के अधिकारियों की लापरवाही ही इसकी निष्क्रियता की द्योतक है। पिछले समय के मुकाबिले में विद्युत परिषद् में घाटा का रिकार्ड बढ़ा है। आज प्रदेश को 650 करोड़ रु0 का घाटा इसने उपहार स्वरूप में दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिषद् को प्राप्त होने वाली धनराशि 1168 करोड़ रु0 थी जबकि परिषद् को 101 करोड़ रु0 की हानि हुई, लेकिन सरकार के अभियन्ताओं, अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी ।

वर्ष 1986-87 में लगभग 600 करोड़ रु0 से अधिक का घाटा उठाना पड़ा । इसके अतिरिक्त 125 करोड़ रु0 तक अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण से आया, लेकिन वेतन पुनरीक्षण तो एक बात हुई, लेकिन चाहे जो हानि होती है, विद्युत परिषद् ने सारा घाटा दूर करने के लिये किसानों को निशाना बनाना है । यह विभाग अपने में सुधार करना नहीं चाहता है, इसकी कमियों को दूर नहीं किया जाता है, सब कुछ वसूल करने के लिये इसे किसान ही मिला है । 28 पैसे प्रति हा0 पा0 में वृद्धि कर दी गयी थी, किसान यह भार वहन भी कर लेता यदि विद्युत परिषद् विद्युत आपूर्ति अच्छे ढंग से करता । लेकिन मान्यवर, यह ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग विद्युत के लिये तरसने लगे हैं । मैं बधाई देता हूं कि पूरे किसान का असन्तोष श्यामली में उभर कर आपके सामने आया । श्यामली में किसानों की अप्रसन्नता सामने आयी और विद्युत मंत्री जी को उस राशि को घटाना पड़ा । श्यामली में जो संकेत उठा था वह इस विभाग के निठल्लेपन का प्रमाण था ।

इस विभाग द्वारा संचालित 11 परियोजनाओं की दुर्गति है जिसमें 7 जलीय परियोजनायें हैं और 4 तापीय परियोजनायें हैं । दुर्भाग्य की बात यह है इस विभाग का कार्य समय पर पूरा नहीं हो सकता है जिसके कारण 3600 करोड़ रु0 की हानि हो गयी है । मिर्जापुर में आनपारा योजना जिसका कि अभी मंत्री जी ने जिक्र किया 1979 में केन्द्रीय योजना आयोग ने उसकी स्वीकृति दी थी । उसकी प्रस्तावित लागत थी 227·19 करोड़ रु0 यह योजना 1984 तक पूरी हो जानी चाहिये थी, लेकिन अभी तक यह परियोजना में एक ही इकाई काम कर पायी है, यह इसकी निष्क्रियता का परिणाम है और लागत अब बढ़कर 657·74 करोड़ रु0 तक पहुंच गयी है । आनपारा की दूसरी परियोजना की दुर्दशा यही थी । वर्ष 1981 में यह परियोजना स्वीकृत हुई थी, लेकिन एक हजार मेगावाट की 2 इकाइयों वाली यह परियोजना सरकार की लापरवाही के कारण विलम्ब का शिकार बन गयी है और अनुमान है कि इसकी लागत 416·1 करोड़ से बढ़कर 1050·5 करोड़ तक पहुंच जायेगी और योजना का काम ढंग से शुरू नहीं हुआ है । फैजाबाद में स्थापित होने वाली टांडा तापीय परियोजना की भी मान्यवर वही दुर्गति है । 440 मेगावाट की 4 इकाइयां लगनी थीं । यह परियोजना मान्यवर 1979 में मंजूर की गयी और इस परियोजना की अनुमानित लागत 159·25 करोड़ रुपये आंकी गयी और इस परियोजना को 5 वर्ष में पूरा होना था, लेकिन अभी तक एक भी इकाई पूरी नहीं हो पायी है, और कोई भी इकाई चालू नहीं हो पायी है और इसकी पुनरीक्षित लागत 390 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है। मान्यवर, 1980 में स्वीकृत चकेरी ऊंचाहार (रायबरेली) तापीय परियोजना कराह रही है, माननीय मंत्री जी दम भर रहे हैं, लेकिन जो अन्दरूनी हालत है, वही उसको जान सकते हैं । 7 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन एक भी इकाई पूरी नहीं हुई है । शुरू में 206 करोड़ रुपये होने का अनुमान था, लेकिन इस पर 450 करोड़ व्यय हो चुका है ।

मान्यवर, यही हालत जल विद्युत परियोजना की है, 1979 में शुरू की गयी 4 इकाइयों की 304 मेगावाट क्षमता वाली मनेरी भाली परियोजना की पहली इकाई सितम्बर, 1986 में चालू हो जानी थी, लेकिन जिस दुर्गति को वह प्राप्त हुई है, उससे 1992 से पहले वह चालू नहीं हो सकेगी । मान्यवर, विलम्ब का दुष्परिणाम यह है कि उसकी लागत 82.63 करोड़ से बढ़कर 213 करोड़ तक पहुंच गयी है। वैसे भी अभी तक इस परियोजना पर 99.43 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है जब कि लक्ष्य 82.63 करोड़ रुपये का ही था । मान्यवर, 480 मेगावाट की विष्णु प्रयाग परियोजना 1988 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अनुमान है कि वह 1993 तक पूरी नहीं हो पायेगी और जब तक इसकी लागत 101 करोड़ से बढ़कर 370 करोड़ तक पहुंच जायेगी ।

मान्यवर, 72 मेगावाट की खारा परियोजना को पूरा होने का लक्ष्य 1984 तक था, लेकिन आज 1987 चल रहा है और अभी उसके पूरे होने में बहुत समय है और ज्ञात हुआ है कि 1999 तक ही वह पूरी हो पायेगी और तब तक इसकी लागत 60.74 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ तक पहुंच जाने की सम्भावना है। 420 मेगावाट की व्यास परियोजना निर्धारित समय के अन्दर नहीं पूरी हो पायेगी और उसकी लागत 150 करोड़ से बढ़कर 425 करोड़ रुपये तक हो जायेगी । प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना टेहरी परियोजना है, जिसमें केन्द्रीय सरकार भी सहायता दे रही है और रूस भी सहायता देगा, गोर्बाचोव भी सहायता देंगे, इस परियोजना को 1989 में पूरा होना है, लेकिन इस समय तक वह परियोजना पूरी नहीं हो पायेगी और शुरू में इस पर 198 करोड़ रुपया खर्च आंका गया था और अभी तक उस पर 224 करोड़ रुपया व्यय किया जा चुका है लेकिन यह परियोजना को 3 वर्ष तक पूरे होने की आशा नहीं है, ऐसा विशेषज्ञों का अनुमान है और अनुमान है कि इस योजना के पूरे होने तक 1066 करोड़ रुपये व्यय हो जायेंगे । मान्यवर, इसी प्रकार से पावा मनेरी और श्रीनगर की परियोजनायें हैं, इसकी लागत 403 करोड़ रुपये से 750 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की संभावना है । मान्यवर, एक ओर तो 1700 करोड़ रुपये का घाटा सारी परियोजनाओं पर विलम्ब के कारण और अफसरों की लापरवाही के कारण हो रहा है और जनता त्राहि-त्राहि कर रही है ।

मान्यवर, भारत के नियंत्रक महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड को निकम्मा बिजली बोर्ड कहा जा सकता है । वह आगे मंत्री को ही आंकड़ों के जाल में उलझाये हुये हैं । लूट मची हुई है । यह केन्द्रीय महालेखाकार का ब्यौरा है । माननीय ऊर्जा मंत्री कई बार कह चुके हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में कोई नई परियोजना चालू नहीं की जायेगी । इसलिये कि उन्हें इन योजनाओं के लिये 5008 करोड़ रुपयों की आवश्यकता थी । 3440 करोड़ रुपये उन्हें स्वीकार किये गये जिसमें से 1424.8 करोड़ रुपये तापीय विद्युत तथा 563.9 करोड़ रुपये जल विद्युत योजनाओं के लिये दिया गया । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में 16 सौ मेगावाट का लक्ष्य पूरा नहीं होगा और 1990 तक मांग और उत्पादन के बीच 1 हजार मेगावाट का अन्तर आयेगा । 1986-87 में जो ब्यौरा आपने केन्द्रीय सरकार को भेजा वह 2387 करोड़ का था उसमें बिजली विभाग के लिये 722 करोड़ रुपये हैं और इस हिसाब से 1989-90 तक

2800 करोड़ रुपया से अधिक उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं चाहिए था तो इस तरह से नियोजन से जो धनराशि मांगी गई है वह नई योजनाओं के लिये नहीं है तो फिर किसके लिए है ?

आज विद्युत की चोरी की बात कही जा रही है । आज दूसरों का चरित्र सुधारने की बात कही जाती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत की चोरी करना बहुत गम्भीर बात है । उत्तर प्रदेश का यह मंत्रालय और उसकी यह सरकार स्वयं विद्युत की सबसे बड़ी चोरी कर रही है । मान्यवर, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय वाष्प विद्युत कारपोरेशन की स्थापना इसलिये की थी कि जिन प्रदेशों की बिजली की कमी हो जाय इससे उसकी पूर्ति कर दी जाय । इस आशय से नेशनल थरमल पावर कारपोरेशन सिंगरौली में 1 अप्रैल, 1982 में कायम किया गया जिससे पंजाब, हरियाणा, जम्मू काश्मीर और उत्तर प्रदेश आदि को बिजली की आपूर्ति की जाती है । इसके द्वारा उत्पादित बिजली का 45 प्रतिशत उत्तर प्रदेश द्वारा लिये जाने का ठेका हो गया था । यह ठेका पिछले मार्च में समाप्त हो गया था और आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका नवीनीकरण नहीं कराया । बिजली जलाता रहा और उसकी दर भी 37 पैसे के स्थान पर 60 पैसे ली जा रही है । इस तरह से सुचारु रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिजली की चोरी की है । फिर विद्युत बोर्ड ने स्वयं इस संस्थान का 70 करोड़ रुपये का बिल का बकाया कर रखा है । यह चोरी है । इसलिये स्वयं चोरी करने वाले को दूसरे की शिकायत करने का कोई औचित्य नहीं है । आज स्थिति यह है कि जितनी बिजली उत्तर प्रदेश में पैदा होती है यदि उसे किसानों तक पहुंचाया जाय, उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाय तो उनको पर्याप्त लाभ होगा । उत्पादन केन्द्र से जितनी बिजली रवाना होती है लाइन लासेज, ट्रांसफारमर की गड़बड़ी (इस समय 3 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफ़रान जाहिदी पीठासीन हुए ।) विभागीय दोष या इंजीनियरों की अयोग्यता का दुष्परिणाम यह है कि जितनी भी बिजली पहुंचाई जाती है उसका आधा ही उपभोक्ताओं तक पहुंच पाती है । केसा के सम्बन्ध में स्वयं महालेखाकार ने कहा है कि उसका हिसाब ठीक न रखने के कारण ऐसा है । जब दिल्ली और बम्बई में विद्युत वितरण की हानि 6/7 प्रतिशत है तो उत्तर प्रदेश में 19.4 तथा 21.3 प्रतिशत होने का क्या कारण है ?

मैं माननीय मंत्री जी को पिछले वर्ष के कुछ आंकड़े दोहराना चाहूंगा । जो इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर में प्राप्त उर्जा के सम्बन्ध में है । इलाहाबाद में ऊर्जा में 224.2 रही । लेकिन ऊर्जा जो वहां से बिकी वह 150.1 रही, हानि जो हुई वह 71.1 हुई । इसी प्रकार बनारस में ऊर्जा जो प्राप्त हुई वह 289.5 और जो बिक्री हुई वह 116.3 रही और जो हानि हुई वह 170.2 की हुई । गोरखपुर में प्राप्त ऊर्जा जो हुई वह 231.3 और जो उर्जा बिकी वह 122.5 रही और हानि जो हुई 108.8 की रही । इस हिसाब से जितनी उपभोक्ता और किसानों को दी है उतनी ही हानि हुई है ।

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि हानि होने का कारण कोयले की खराबी और तेलों की गड़बड़ी रही है । तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज यदि आंकड़ों को देखा जाय तो 1 लाख 52 हजार से भी अधिक लोगों की एक लम्बी फौज विद्युत विभाग में है जिसमें से 50 हजार से अधिक लोग इस काम में लगे हुये हैं जो केवल कोयला और इंधन की व्यवस्था देखते हैं । केन्द्रीय अधिकारियों ने बताया

है कि कोयला खदानों पर उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी तैनात हैं तो या तो वह मटरगस्ती करते हैं या फिर खदानों का निरीक्षण नहीं करते हैं । यह नहीं देखते हैं कि आखिर यह कैसे खराब कोयला मिल रहा है । तेल के संबंध में मेरा स्पष्ट आरोप है कि उसकी चोरी होती है, उसमें पानी भर कर सप्लाई किया गया है । यह तमाम आंकड़े और रिपोर्ट हैं जिसके कारण यह घाटा हो रहा है । और इसी वजह से उत्पादन में कमी आ रही है तो इस प्रकार जो घाटा हो रहा है उसको उपभोक्ताओं से पूरा नहीं किया जा सकता है ।

घोषणा की गयी थी कि 1982 तक किसानों को बिजली दे दी जायेगी और हर गांव में बिजली पहुंच जायेगी । तो उस संदर्भ में अगर किसी भी जिले को ले लिया जाय तो 1984 में शासन की यह नीति रही कि प्रत्येक विकास खण्ड में 10 गांव सभाओं को विद्युतीकरण किया जायेगा लेकिन 1986 में उसे काट कर 5 गांव सभाओं का विद्युतीकरण किया जायेगा लेकिन 1986 में उसे काट कर 5 विद्युती-करण होगा । मेरा स्पष्ट आरोप है कि यह सरकार, यह मंत्रालय और विद्युत परिषद् उत्तर प्रदेश के एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं कर रही है । किसी परिवार में जिसमें 10 लोग हों अगर उस परिवार के एक मुखिया को खाना खिला दिया जाय और अच्छे कपड़े पहना दिये जायें तो उसके बाद डींग मारी जाय कि सब को खिला दिया है तो यह कहां तक सही है? एक गांव के लड़के का विवाह हो गया और उसकी बारात में सब लड़के चले जायें तो उसमें डींग मारा जाय कि सबका विवाह हो गया है तो यह बिलकुल गैर-जिमेदाराना बात होगी क्योंकि जो बात ऊर्जा मंत्री जी कर रहे हैं उसमें गांव सभा के मुख्यालय से बिजली पहुंच रही है बाकी जो उसके पुरवे हैं वहां बिजली नहीं मिल रही है । उन पुरवों की आबादी उस गांव सभा से ज्यादा होती है । तो मुट्ठीभर लोगों को इससे फायदा मिल रहा है जैसे एक परिवार के एक व्यक्ति को खाना खिला देने से सब को खाना खिला दिया है नहीं माना जा सकता है और सब उससे खुशहाल नहीं हो सकते हैं उसी प्रकार गांव के मुख्यालय पर बिजली भेजने से सब को बिजली नहीं मिल जाती है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मयंकर सिंह जी आपको 20 मिनट हो चुके हैं ।

श्री मयंकर सिंह–

पिछले वर्ष ऊर्जा मंत्री जी ने कुछ बातें कही थीं । आपने कहा था 3 महीने के अंदर नलकूपों के कनेक्शन के संबंध में कहा था कि इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि निजी नलकूपों के लिये किसानों को जगह जगह जो जाना पड़ता है अब वह वहीं पर सब डिविजन आफिसर को अधिकार दे दिया गया है कि किसानों को कनेक्शन मांगने के लिये दौड़ना नहीं पड़ेगा । यह बात आपने पिछले बजट के दौरान कही थी । लेकिन मान्यवर, किसी भी माननीय सदस्य से इस पक्ष के या उस पक्ष के पूछा जाए तो मालूम होगा कि आज किसान डेढ़-डेढ़ और दो-दो वर्ष से चक्कर काट रहा है, लेकिन उसको कनेक्शन नहीं मिल पाया है । इस सरकार की नीति ही इतनी दोषपूर्ण है कि हमारे किसान सालों-साल बिजली दफ्तर के चक्कर काटते हैं लेकिन उसको बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाता है । घाटे का एक कारण यह भी बताते हैं कि गांवों में बिजली भेजते हैं, लेकिन किसान कनेक्शन नहीं लेते हैं जबकि

वास्तविकता इसके विपरीत है और वह यह है कि किसानों को सारे प्रयासों के बावजूद वर्षों दौड़ने के बाद ही बड़ी मुश्किल से कनेक्शन मिल पाते हैं । अशिक्षित, गरीब और भोले-भाले किसानों के साथ यह ज्यादती नहीं तो क्या है ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय तपस्वी पिता के पुत्र रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि आपका सारा मामला क्रेडिट पर चल रहा है । जैसे एक फोर्ड कम्पनी थी, कार की एक बड़ी और ख्याति प्राप्त वह कम्पनी था। एक बार एक आदमी फोर्ड कम्पनी के मैनेजर के पास पहुंचा और उसने कहा कि हमें 20 गाड़ियां चाहिए । आप हमें उनका ट्रायल दें दें और गाड़ियां दे दें । वह खरीददार और कम्पनी मैनेजर एक कार पर ट्रायल के लिए चले, वह कार 20/25 किलोमीटर चलने के बाद रुक गई। खरीदने वाले ने कहा कि बड़े ताज्जुब की बात है नामी फोर्ड कम्पनी की गाड़ी रास्ते में कैसे रुक गई। मैनेजर को भी बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ । किन्तु जब उस गाड़ी का बोनेट खोलकर देखा गया तो देखा कि उस कार में इंजन ही नहीं है । खरीदार ने मैनेजर से पूछा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब कार में इंजन ही नहीं था तो यह 20-25 किलोमीटर कैसे चल गई, तो मैनेजर ने कहा कि इतना तो वह फोर्ड कम्पनी के क्रेडिट पर चल गई। वही हालत हमारे मंत्री जी की है, इनकी भी गाड़ी अपने स्व0 पिता के क्रेडिट पर चल रही है, किन्तु अब अधिक दिन चलने वाली नहीं है। हम सब भी उस रिश्ते से दूर नहीं हैं, जिस महापुरुष ने इस देश में 'जय किसान' का उद्घोषणा किया था, उसको देखते हुए जो नीयत और दृष्टि आपकी किसानों की ओर है, उसके लिए आपको ब्लेम नहीं किया जा सकता है कि वह विद्युतीकरण के मामले में दर-दर की ठोकरें खा रहा है ।

आपका बकाया होता है तो आप उसके बिजली की लाईन काट देते हैं और जब बिजली किसान की काटी गई है तो वह समझ लेता है कि हमारा डिस्कनेक्शन हो गया अब आगे पैसा नहीं आएगा, किन्तु फाइनल डिस्कनेक्शन नहीं होता है। 10 महीने बाद उससे मिनिमम चार्ज लिया जाता है, तो वह शहर को दौड़ता है और कहता है कि हमारी तो बिजली काट दी गई थी उसे वहां मालूम होता है कि वह फाइनेल डिस्कनेक्शन नहीं हुआ था। आपने पिछली बार सदन में आश्वासन देते हुए कहा था कि इसके अतिरिक्त जो डिस्कनेक्शन होते हैं, वहां पर भी हमारे किसानों को बड़ी कठिनाई होती है। किसान समझते हैं कि हमारा परमानेन्ट डिस्कनेक्शन हो गया है, लेकिन लाईन वगैरह न हटाये जाने के कारण यह फाईनेल डिस्कनेक्शन नहीं माना जाता है, अब हम इसको ठीक करेंगे। इसको आज एक वर्ष हो गये, और किसान की यह परेशानी आज भी अपनी जगह पर है। 1 लाख 12 हजार लोगों के विद्युतीकरण का जो सपना है, मेरी समझ में नहीं आता है कि वह कौन सा तरीका है, जिससे यह पूरा हो गया। मेरी ही विकास क्षेत्र में 100 गांव सभाएं हैं, जिनमें से मात्र 10 में विद्युतीकरण है और 5 में किया जाएगा। तो इस हिसाब से तो 20 वर्ष चाहिए। तो क्या सन् 87 और 2000 के बीच में 20 वर्ष का गैप है।

श्री अधिष्ठाता–

आप दुबारा भी इस पर बोलेंगे, इसलिए अब ज्यादा समय नहीं लें और अब खत्म करें।

श्री अरविन्द तिवारी–

श्रीमन्, आपके प्रति आभार सहित मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन और इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अंधकार में प्रकाश करना दुनिया का सबसे कठिन काम है हमें फख्र है कि हमारे ऊर्जा मंत्री जिस जिम्मेदारी से मंत्रिमंडल के विभागीय दायित्वों को निभा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए वह बधाई के पात्र हैं। वैसे यह विषय गम्भीर है इस पर चर्चा करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि 1 अप्रैल, 1973 को जब तक प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में राज्य विद्युत परिषद् रहा उत्तर प्रदेश का प्लान्ट लोड फैक्टर 50 प्रतिशत से कम नहीं रहा। लेकिन मान्यवर, जब से राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता तन्त्र के पन्जे में जकड़ा तब से मान्यवर, उत्तर प्रदेश का प्लान्ट लोड फेक्टर 50 प्रतिशत से कम हो गया। मान्यवर, कोल इण्डिया लिमिटेड के सी0 एम0 डी0 महानन्द झा का कहना है कि एन0 टी0 पी0 सी0 की डी ग्रेड का और रिहन्द को एफ ग्रेड का कोयला भेजा जाता है, जबकि मान्यवर रिहन्द का प्लान्ट लोड फैक्टर कम ही है और एन0 टी0 पी0 सी0 का प्लान्ट लोड सेक्टर अच्छा है। वास्तविकता तो यह है कि हमारे प्रबन्ध तन्त्र के कौशल में कमी है।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि 17 फरवरी, 1981 को माननीय बृह्मदत्त जी ने कहा था कि इस उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत परिषद् विभाग के कार्मिक विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा। मान्यवर, पब्लिक इण्टरप्राइजेज ब्यूरो की रिपोर्ट है कि प्रति पांच सौ कर्मचारियों पर एक पर्सनल अफसर हो लेकिन मान्यवर राज्य विद्युत परिषद् में एक लाख 20 हजार के करीब कर्मचारी हैं और इन पर केवल चालीस पर्सनल अफसर हैं। इस तरह से कोई कार्य बेहतर नहीं हो सकता है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि सन्1949 में कार्मिक अधिकारी का वेतन सहायक अभियन्ता से रु0 100/-ज्यादा था लेकिन आज कार्मिक अधिकारी अभियन्ता से सहायक अभियन्ता की तनख्वाह ज्यादा हो गई है। मान्यवर, 1969-1974-1979 में पे कमेटी बैठी थी और इसके अलावा जे0 बी0 पन्त और आर0 के0 टण्डन तथा एस0 के0 टण्डन की कमेटियां भी बैठी थीं मान्यवर, इन्होंने यह सिफारिश की कि कार्मिक अभियन्ता और सहायक अभियंता के वेतन में कोई विसंगतियां नहीं है लेकिन मान्यवर, दबाव में आकर के राज्य विद्युत परिषद् ने अभियन्त्रण संघ को 90 करोड़ के करीब एरियर का भुगतान किया। जिन मुद्दों से मान्यवर विभाग संभल सकता था वहीं ध्यान नहीं दिया गया।

श्रीमन्, वर्क मैन कम्पन्सेशन एक्ट में प्राविधान है कि 30 दिन में मुआवजा दिया जाना चाहिये। मान्यवर, 10 वर्षों से मुआवजे के मामले लम्बित हैं। मान्यवर, उस एक्ट में प्राविधान है कि यदि 30 दिन के भीतर यदि मुआवजा नहीं मिलेगा तो धनराशि जो मुआवजे की है वह 10 गुना मय ब्याज अदा की जाएगी। मान्यवर, अगर वह लोग अदालत का दरवाजा खटखटा दें तो इन्हें इतनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी कि विद्युत परिषद् की हालत खराब हो जाएगी और शक्ति भवन की ईंटें बिक जावेंगी। इसी प्रकार मान्यवर, कहना चाहूंगा कि फैक्ट्रीज एक्ट 1949 है उसमें यह व्यवस्था है कि पांच सौ कर्मचारियों पर एक वेलफेयर आफिसर होगा लेकिन निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने कर्मचारी राज्य विद्युत परिषद् में हैं, लेकिन उन पर सिर्फ 10-12 वेलफेयर आफिसर हैं। माननीय बृह्मदत्त जी ने एक लिखित समझौता किया था 18 यूनियनों

से कि हम कार्मिक विभाग का पुनर्गठन करेंगें और उसको जिला स्तर पर लायेंगें और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने स्वयं 1982 के प्रथम सत्र के द्वितीय शुक्रवार के प्रश्न संख्या 36 के संदर्भ में कहा है कि एन0 टी0 पी0 सी0 का पैटर्न यहां लागू करेंगें । उनका यह सोच और विचार बहुत बढ़िया था। लेकिन आज तक पुनर्गठन और वेतनमानों का मामला पेंडिंग है जबकि हमारे माननीय मंत्री जी खुद पर्सनल विभाग से बहुत समय तक सम्बद्ध रहे हैं । मैं बहुत अदब के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस बजट में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये 80 फीसदी करने की बात कही गयी है, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी इसके लिये बधाई के पात्र हैं । यह इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार किस प्रकार से ग्रामों के विकास के लिए और उनको सुविधा पहुंचाने के लिये और बेहतरी के लिये चिंता करती है । मेजों को थपथपाने की आवाजें । एक निवेदन मैं श्रीमन् और करना चाहता हूं कि सिंचाई और ऊर्जा विभाग एक दूसरे के पूरक हैं । आप इन दोनों विभागों के सचिव एक हो सकते हैं तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि इन दोनों विभागों के मंत्री भी एक हों । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय शास्त्री जी को ऊर्जा के साथ सिंचाई विभाग भी दें ताकि यह जो समस्यायें पैरेलल चलती हैं वह हल हो सकें और शामली की चर्चा न हो, किसानों की चर्चा न हो । मैं इस सदन का एक जूनियर सदस्य हूं । मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं:-

मुझे सराहो और मेरे हमराह चलो,
मैंने एक शम्मा जलायी है हवाओं के खिलाफ ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय उर्जा मंत्री जी ने जो बजट रखा है और माननीय मयंकर सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है तो उस कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की मैं निंदा करता हूं । माननीय विद्युत मंत्री जी ने पिछले साल बड़े दंभ से कुछ घोषणायें की थीं और श्रीमन्, इस साल भी कुछ लंबी चौड़ी घोषणायें कर दी हैं । मैं उनसे 2 सवाल जानना चाहता हूं उनका उत्तर वे अपने प्रत्युत्तर भाषण में देने की कृपा करें । आज जितने भी ट्रांसमिशन सब स्टेशन हैं प्रदेश भर में उनके आवक और जावक मीटर दोनों ही खराब पड़े रहते हैं । 29 दिसम्बर, 1986 को जब माननीय मुख्य मंत्री जी आगरा मंडल की 20 सूत्रीय बैठक में गये थे तो मैंने उनके सामने कहा था । उस वक्त मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया था कि आवक और जावक मीटर आगरा और फिरोजाबाद में जो खराब हैं उनकी स्थिति एक हफ्ते में आ जानी चाहिये और माननीय सदस्य के सहयोग से इसका परीक्षण कर लें। लेकिन दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि न तो मंत्री जी का और न माननीय मुख्य मंत्री जी का विद्युत परिषद पर कोई नियंत्रण है । बिजली उत्पादन के जो आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं वह सारे के सारे झूठ का पुलिंदा है । इसी के कारण लंबी चौड़ी घोषणाओं के बावजूद रोस्टरिंग की प्रक्रिया विद्युत परिषद् में 24 घंटे लगी रहती है और इनकी सारी घोषणायें फीकी पड़ रही हैं ।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि उत्पादन, वितरण और बिक्री तीनों के आंकड़े उपलब्ध करें तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे फिरोजाबाद में 54 फीसदी बिजली की चोरी होती है । मैंने बार-बार कहा लेकिन आज तक जांच नहीं हुयी । मैं रिकार्ड्स के आधार पर साबित करना चाहता हूं कि 46 प्रतिशत आपकी बिक्री है । आपके ट्रांसमिशन सब स्टेशन जो हैं वहां से बिजली बेची जाती है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी आवक और जावक मीटरों के बारे में एक जांच कमेटी नियुक्त करेंगे जो प्रदेश भर के स्टेशनों की जांच करे और रिपोर्ट दे कि क्या स्थिति है । वह आप को अच्छी तरह से प्रमाणित करके बताये कि आवक और जावक मीटरों की असल में क्या स्थिति है और इनमें क्या गड़बड़ियां हैं और मान्यवर, इतना ही नहीं, यह मैं ही नहीं कह रहा हूं आपके अनेक यूनियन से रिप्रेजेन्टेशन देकर कहा कि आंकड़े झूठे हैं यह श्रीमन, मैं निवेदन करना चाहता हूं । एक तो आप इसका खुलासा कर दें और दूसरा मेरा निवेदन यह है कि बिजली आप देंगे तो पैसा लेंगे लेकिन किसान को वर्ष के तीन महीने भी आप बिजली नहीं देते हैं और उनसे आप बिजली का चार्ज वसूल करते हैं । यह किस नियम के तहत करते हैं । यह भी मालूम होना चाहिए । किसानों के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कह देते हैं कि हम किसानों को 24 घंटे बिजली देंगे, 22 घंटे बिजली देंगे और कभी किसानों से कहते हैं कि 12 घंटे बिजली देंगे लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी माननीय सदस्य बता दें कि उनके किसानों को बिजली कभी भी आपकी घोषणा के अनुरूप कितने घंटे मिली है ।

मान्यवर, फिरोजाबाद जैसे शहर में 286 यूनिट बड़े उद्योग लगे हुए हैं और हजारों छोटे-छोटे उद्योग लगे हुए हैं उनको ठीक से बिजली नहीं मिल पा रही है । इसका नतीजा है कि फिरोजाबाद की हालत खराब है । पानी के मामले में भी हालत बहुत खराब है । आगरा फिरोजाबाद आदि सारी जगह पर पानी का अकाल इसलिए है कि उन्हें बिजली नहीं मिल रही है । श्रीमन्, आपने अपने भाषण में एक मेरठ की चर्चा तो कर दिया कि एक एल0 टी0 लाइन की जो छोटी लाइन थी बड़ी लाइन से जोड़ रहे हैं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि बिजली की जो लाइनें आगरा फिरोजाबाद में आज से 40 वर्ष पुरानी होंगी उन लाइनों को ठीक करने के लिए क्या व्यवस्था की है। इन पर बिजली का लाइन लास 33 प्रतिशत है। जितना बड़ी लाइनों का एक साल में जितना रुपया आप लेते हैं एक विद्युत सब स्टेशन का उतने ही अनुपात में रुपया देकर के आप इन बिजली की लाइनों को ठीक कराने का काम करें तो आये दिन जो लोकल फाल्ट होते हैं, लीकेज होती है और जो बिजली की मरम्मत में बिजली पकड़ कर बहुत से लोग मर जाते हैं इन कठिनाइयों पर कुछ हो सकता है लेकिन श्रीमन्, आपके विद्युत परिषद् के कर्मचारियों और आपके अभियन्ता स्तर के लोग, इन सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग यूनियनें और विद्युत परिषद् की अलग यूनियन और इसके बाद श्रीमन् आपके आर्डर के परिपालन के लिए जब अधिशासी अभियन्ता किसी भी सब-स्टेशन को कोई आर्डर देगा और यूनियन के लोग उनके खिलाफ हल्ला मचायेंगे तो आपका आर्डर धरा रह जायेगा । आपके यहां कोई फाल्ट बिना 20 रुपये लिए ठीक नहीं होता, बिना रिश्वत लिये कोई लाइन जोड़ने नहीं जाता । अभी बड़े गर्व के साथ माननीय सदस्य बोल रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने हृदय पर हाथ रखकर कोई भी

माननीय सदस्य बता दें कि किसी को बिजली मिली है बिना पैसे दिये, किसी की नल-कूप की लाइन बिना पैसे के जोड़ी गयी है। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को सामान पैसा दिये नहीं मिलता है।

श्री देवेन्द्र पाण्डे—

मेरे यहां लगी है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

आप बिजली के तार बिजली के खम्भे, बिजली का सारा सामान अपने पैसों से उठाकर ले गये होंगे। बिजली वालों ने आपको उठाने का पैसा न दिया होगा। आप तो सत्तापक्ष के विधायक हैं आपकी मंत्री जी ने विशेष मदद कर दी होगी। लेकिन जो हकीकत है वह मैं बता रहा हूं।

मान्यवर, आपके अधिकारी बैठे हुए हैं विभाग के, मैंने जब आपके क्षेत्रीय अभियन्ता से कहा कि जूनियर इंजीनियर बिजली का सामान लाने पर कमीशन देता है इनका जो सेन्ट्रल स्टोर है उसको कमीशन देकर सामान आता है बिना कमीशन के उसको सामान नहीं मिलता है, जो सेन्ट्रल स्टोर कानपुर से सामान ले जायेगा वह वहां कमीशन देकर आयेगा। इसलिए यह सारा का सारा कमीशन पर टिका हुआ है फिर जूनियर इन्जीनियर किसान से पैसा मुनाफा करके लेता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह बुनियादी चीज है पहले आप इन कमीशनों को दूर करिये। जब तक यह खामियां हैं तब तक आपकी सारी योजनाएं धराशायी होंगी। मान्यवर, फिरोजाबाद ग्रामीण फीडर से चल रहा है। आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने बड़े-बड़े शहर हैं, छोटे-छोटे गांव और बड़े-बड़े गांव हैं, उनके साथ आपका सौतेला व्यवहार चला आ रहा है, इनको एक पैसा लाइन ठीक करने को नहीं दिया जाता है। मान्यवर, जब तक बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है तब तक इनको एक पैसा न दिया जाय। इसी के साथ ही मैं माननीय मयंकर सिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो ऊर्जा विभाग का बजट प्रस्तुत किया है सदन में, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। श्रीमन्, मैं ज्यादा विस्तार में न जा करके और न ही आंकड़ों के जाल में अपना व आपका समय नष्ट करके, केवल जो आम जनता से जुड़े हुए पहलू हैं, उस पर कुछ रोशनी डालना चाहूंगा, आपकी आज्ञा से। मान्यवर माननीय विद्युत मंत्री जी बहुत भले आदमी हैं, बहुत ही ईमानदार, नेक, सच्चरित्र, सक्षम मंत्री हैं और कुछ काम करने की उनके अन्दर लालसा भी है और करते भी रहे हैं। लेकिन श्रीमन् वह कारण आज की तारीख तक मैं नहीं समझ पाया कि इसके बावजूद भी दिन-प्रतिदिन विद्युत् की समस्या बद से बदतर होती जा रही है। जहां तक विद्युत परिषद् की बात है, उसके बारे में जिक्र करना मैं समझता हूं कि

उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । सारी अर्थ-व्यवस्था इस प्रदेश की चौपट कर दिया विद्युत परिषद् ने और मैं समझता हूं कि अब मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि अब तो इन्सान की ताकत के बाहर है कि विद्युत परिषद् में कुछ सुधार हो जाय । हां ऊपर से कोई दैवी शक्ति कुछ इच्छा करे और सद्बुद्धि दे दे, तो मैं समझता हूं कि कुछ सुधार हो सकता है श्रीमन् । हाथी सफेद हो, काला हो, अब किसी की हिम्मत नहीं है उसको पालने की ।

आज विद्युत दर बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुपात में जो सही व्यवस्था किसानों को और शहरी नागरिकों को मिलनी चाहिए, उसमें धीरे-धीरे कमी होती जा रही है। बिल बिजली के बढ़े हुए, अनाप-सनाप आते हैं । उसको ठीक करवाने में आम जनता को जो परेशानी उठानी पड़ती है, वह केवल भुक्त भोगी ही जान सकते हैं। पहले तो किसान ही गाली देता था, पहले केवल छात्र ही गाली देते थे, अब तो परिवार का हर सदस्य गाली देता है, चाहे वह बुजुर्ग हो, चाहे वह महिला हो, चाहे वह बच्चा हो । श्रीमन्, आज हिन्दुस्तान में हमारे टेलीविजन के द्वारा एक बहुत बढ़िया सीरियल "रामायण" दिखाया जा रहा है । लोग बाग आतुरता से उस दिन और समय की प्रतीक्षा करते हैं । जब सुबह साढ़े 9 बजे इतवार का दिन आता है और सारे परिवार के लोग टेलीविजन के सामने आकर बैठते हैं कि अब रामायण का सीरियल देखेंगे और केवल ठीक साढ़े 9 बजे बिजली गायब हो जाती है । लोग कहते हैं कि शास्त्री जी चले गये । उस समय सारा परिवार शासन को कोसता है । श्रीमन्, ठीक उस समय बिजली जायगी, जब लोग रामायण का सीरियल देखने बैठेंगे। श्रीमन्, आज बिजली से पानी की समस्या भी जुड़ी हुई है । बिजली गयी, जल संस्थान ने काम करना बन्द कर दिया । पहले ओवर हैड टैंक बनाये जाते थे, तो उस समय बिजली चली जाने के बाद आधे घंटे तक पानी आता था । लेकिन आज आप अन्दर ग्राउन्ड टैंक बना रहे हैं, बिजली गयी, पानी की सप्लाई भी तत्काल चली गयी । आपने घोषित कर दिया कि इतने बजे से इतने बजे तक बिजली बन्द रहेगी, तो उस समय लोग मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि इतने समय तक बिजली नहीं रहेगी । लेकिन 4-4, 5-5 घंटे तक बिजली का उस समय चला जाना, जब लोगों को पानी की विशेष रूप से आवश्यकता रहती है, एक बड़ी प्राब्लम क्रियेट हो जाती है । श्रीमन्, प्रदेश में रास्ते जाम हो गये, अर्थियां जलाई गईं जन प्रतिनिधियों की और बदसलूकी भी हुई सिर्फ इसलिए कि बिजली की व्यवस्था करने में खराबी थी और आज बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आगरे में तो वैसे भी पानी की कमी है इसलिए जिस समय वहां पर दो घंटे पानी आता है उस समय बिजली की कमी न हो क्योंकि बिजली न आने से जल संस्थान का काम भी बन्द हो जाता है और अन्डर ग्राउन्ड टैंक्स और सब-स्टेशन भी बन्द हो जाते हैं । आगरा एक पर्यटन स्थल है और वहां पर विदेशी और देशी पर्यटक भी आते हैं । आप जेनरेटर लगा नहीं सकते आगरे के अन्दर क्योंकि आपने कानून बना दिया है कि जनरेटर लगाने से उसके धुंए से ताजमहल को खतरा हो सकता है। आगरे में जनरेटर लगेगा नहीं, पानी मिलेगा नहीं, बिजली मिलेगी नहीं तो क्या स्थिति होगी वहां पर इसका अन्दाजा आप खुद लगा सकते हैं ।

माननीय वर्मा जी ने एक बात कही कि बिजली की चोरी बहुत हो रही है । यह बात सही है कि बिजली की चोरी बिना अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत

के नहीं हो सकती और उसका पेमेन्ट, उसका पूरा खर्चा आम नागरिकों को, जनता को देना पड़ता है । आप यह देखें, अगर अधिकारियों से बात करें तो वे कहते हैं कि हमारे पास केबिल नहीं हैं, हमारे पास खम्भे नहीं हैं । हमारे पास बड़ी क्षमता के ट्रान्सफार्मर नहीं हैं और अगर कर्मचारियों से बात करें तो वह कहते हैं कि हमारे पास दस्ताने नहीं हैं, फ्यूजवायर नहीं हैं, सीढ़ी नहीं है। श्रीमन्, आज अगर किसी मोहल्ले में बिजली चली जाती है तो उस मोहल्ले के लोग 5-5 रु0, 10-10 रु0 चन्दा जमा करके 100-50 रुपये बिजली कर्मचारी को देते हैं तब कहीं जाकर बिजली ठीक होती है पोल से । अभी हमारे विद्युत मंत्री जी ने एक अपील की जनता से कि बिजली का कम प्रयोग करें, मितव्ययिता करें । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब बिजली मिल ही नहीं रही है तो मितव्ययिता कहां से करें ।यह तो आपने जले पर नमक छिड़कने वाला काम किया है । क्या ही अच्छा होता कि पहले हम खुद मितव्ययिता कर लेते और उसके बाद किसानों और आम जनता से निवेदन करते कि बिजली कम खर्च करें । सबसे पहले प्रदेश में जो बड़े-बड़े विभाग हैं, कार्यालय हैं, बड़े-बड़े मंत्री अधिकारी बैठे हुए हैं, इनके एयरकंडीशनर बन्द होने चाहिए थे, कूलर बन्द करने चाहिए थे, केवल पंखे से काम चलाते । उसके बाद हमारा हक बनता था कि जनता से यह कहने का कि बिजली कम खर्च करें । हमें पहले आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा उसके बाद जनता के ऊपर इसका असर भी पड़ेगा । यह बात ठीक है कि हमारे पास आज उतनी बिजली नहीं है, जितनी होनी चाहिए और जितनी की जरूरत है लेकिन जितनी भी बिजली है उसको हम सबको चाहे वह आगरे का रहने वाला हो चाहे गोरखपुर का रहने वाला हो, सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करें तो जनता को कष्ट नहीं होगा। कष्ट तब होता है जब बिना बताये बिजली काट देते हैं, अगर घोषित करके बिजली काटें तो इतना कष्ट न हो। बिजली बहुत कम समय के लिए आती है और बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है और यदि उसको ठीक कराने हेतु कार्यालय में जांय, तो आगरे शहर से 5 किलोमीटर दूर बिजली का कार्यालय बनाकर बैठे हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि शहर के बीच में कार्यालय बना लें, सिर्फ जनता के डर की वजह से वे शहर से बाहर कार्यालय बनाकर बैठे हुए हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे अधिकारियों के कार्यालय शहर के अंदर बनवायें जायं। आगरा कोई सब स्टेशन तो वहां से हटा दिया लेकिन वहां के अधिकारी केवल इसलिए वहां विभिन्न कार्यालय नहीं बनाना चाहते हैं कि आम जनता उन्हें वहां परेशान करेगी । जो मानवीय समस्याएं हैं, इस पर पूरा प्रदेश इनके लिए बराबर है, 12 करोड़ जनता इसके लिए बराबर है और इनसे मैं उम्मीद करता हूं जैसा कि इनके परिवार का जो पूर्व का शानदार इतिहास रहा है, उसके अनुसार प्रदेश के हर आदमी का ध्यान रखना इनका परम-कर्तव्य है। इसके साथ ही श्रीमन् मैं एक बार फिर मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र से संबंधित केवल 2 मिनट में समस्या रखना चाहता चाहता हूं, जिससे सभी मुत्ताफिक होंगे । वह यह कि सन् 1985 से मान्यवर बिजली की चोरी खूब बढ़ी है । बिजली जब आ जाती है तो लोग कांटा लगाकर ले लेते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आजमगढ़ के निवासी भी चोरी से काफी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब उनसे कहा जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो वह कहते हैं कि हम क्या करें दरख्वास्त देते हैं, लेकिन बिजली लगती ही नहीं, बिजली विभाग वाले कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, बिजली ही चाहिए न, तुम्हारी बिजली की जरूरत हम पूरा करेंगे और तुम हमें पैसा देते रहना और जब कोई बिजली चुराने वाला पैसा बंद कर देता है तो उसे उड़नदस्ते वालों से पकड़ा देते हैं । मान्यवर, इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं सन् 1985 में बिजली के व अन्य जिले के अधिकारियों को लेकर बैठते और उनसे काफी प्रयास के बाद यह तय हुआ कि बिना रिश्वत के बिजली जो लगा लेना चाहते हैं, लगवा दिए जायेंगे । तब मान्यवर, ब्लाक मोहम्मदपुर ग्राम मगरावा जहां का मैं रहने वाला हूं एक कमेटी बनायी और एक मोटर साईकिल वाले स्कूल के क्लर्क को यह जिम्मेदारी सौंपी कि तुम सब गांव वालों की तरफ से काम करो। सब के फार्म भरे गये, बिल जमा करना था तो 5-7 फोन करने के बाद तब जाकर बिल जमा हुआ, अब स्टीमेट नहीं आ रहा था । फिर सलाहकार समिति में जब पहुंचे, फिर वहां पर अधिकारियों से बात हुयी, तब उन्होंने स्टीमेट दिए वह भी बड़े रांग स्टीमेट दिए जो जायद था वह प्लस जो रिश्वत का था, वह मिलाकर सारा स्टीमेट आया, जनता ने जब फिर इस मामले को सलाहकार समिति के दरम्यान उठाया तो सही स्टीमेट के हिसाब से पैसा जमा किया गया और यह पैसा फरवरी, 1987 से जमा है । फिर जिला अधिकारी व अन्य अधिकारियों को घेर-घारकर बात की कि यह लोग कोआपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं । जिलाधिकारी के काफी प्रयास के बाद भी बिजली घर के कर्मचारी व अधिकारी जब उपलब्ध नहीं हुए तो वह भी खामोश होकर बैठ गये । तो मान्यवर आज यह कैसी स्थिति है ।

एक गांव की बिजली मेरे काफी प्रयास के बाद नहीं लग पा रही है, और मैं समझता हूं कि अगर मैं 1990 तक एम0 एल0 ए0 रह गया तो शायद जब तक उस गांव के कनेक्शन लग जाएं लेकिन हमारे यहां गरीब 100 गांव पड़ते हैं और मैं समझता हूं कि इन 100 गांवों में लगवाने के लिए मुझे 100 बार एम0 एल0 ए0 बनना पड़ेगा, तब जाकर उन गांवों में कनेक्शन मिल पायेंगे । इन सारी बातों को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से सुझाव के रूप में यही कहना चाहूंगा कि अगर वह गांवों से व शहरों से बिजली की चोरी को रोकना चाहते हैं तो यह नये कनेक्शन लगवाने की जमानत जनता को दे दें, तो इनसे चोरी से बिजली इस्तेमाल नहीं होगी और फिर मैं भी अपनी कांस्टुएंसी में बिजली की चोरी को नहीं होने दूंगा। मान्यवर, एक हरिजन बस्ती है खालिसपुर, दो साल हो गये वहां पर बिजली का खम्भा गड़े हुए, लेकिन आज तक वहां न तार लगाये गये और न लाईन दी गयी क्योंकि वहां के लोगों ने इनकी मुंह मांगी रिश्वत नहीं दे सके और वहां पर तैनात लोगों से काफी विनती की जाती है, तब भी उनके कानों के तले जूं नहीं रेंगती ।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमको वह जगह बता दें, वह अधिकारी और वह पोस्ट बता दें, जिनके साथ कोआपरेट करने के लिये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तैयार हो तो किसके यहां शिकायत की जाय ताकि परेशानी दूर हो जाय । हमारे यहां बलरामपुर में एक रिजवायर में बिजली रहती है । उसके बारे में बिजली विभाग वाले

जबाव देते हैं कि यहां से बिजली शहर को नहीं बल्कि सुल्तानपुर या रायबरेली को दी जायगी । इससे वहां की जनता में असंतोष फैला हुआ है । यदि हमारे यहां अंधेरा हो जाता है और बगल में बिजली है तो ऐसी व्यवस्था करें कि हमें भी वहां से उस रिजवायर से बिजली मिल जाया करे । इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने की इजाजत दी, इसके लिए आभारी हूं । मा0 ऊर्जा मंत्री ने आज जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, वक्ताओं ने विद्युत परिषद् की आलोचना की है कि इसकी हालत बहुत खराब है, खर्चा बहुत बढ़ रहा है, कर्ज भी बढ़ा है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिये कि हमारा प्रदेश और देश एक विकासशील देश है । इसका अभी तक पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है और आज भी बिजली विभाग का जो काम हमारे पर्वतीय क्षेत्रों पर चल रहा है, उसमें मैं देखता हूं कि बड़े-बड़े खम्भों की ढुलान हो रही है और काम चल रहा है उसकी भारी कीमत देनी पड़ती है । अभी बिजली विभाग ने जो काम किया है और कर रहा है उसकी वसूली नहीं हुई है । मैं समझता हूं कि पूरी तरह से जब देश और प्रदेश में बिजली आ जायगी, तभी यह देखा जा सकता है कि खर्च तो लगा दिया, अब वसूली किस प्रकार से हो सकती है और उस समय जबकि विस्तार की आवश्यकता नहीं रहेगी और सब जगह बिजली हो जायगी तो उस समय यह घाटा इस प्रकार नहीं रहेगा या रहना नहीं चाहिए जैसा आज है ।

मान्यवर, मैं टेहरी बांध के संबंध में यहां पर जैसा कि मा0 मंत्री जी ने भी कहा है, जो कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं, उन मा0 सदस्य ने भी कहा है, मान्यवर, मैं इस सदन के सभी मा0 सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वे टिहरी आएं और देखें उस नगर को जो टेहरी बांध गढ़वाल का सबसे बड़ा नगर है, वह 12 हजार की आबादी की टिहरी नगर टेहरी परियोजना में पूरी तरह से डूब जायगा । इसमें 23 गांव पूरी तरह से डूब जाएंगे, 73 आंशिक रूप से डूबेंगे और कुछ गांव विभाग ने कालोनी के लिए लिये हैं।

मैं आपके माध्यम से शासन से कहना चाहता हूं कि इस टेहरी बांध परियोजना पर आज से 15 साल पहले 197.1 करोड़ रुपये व्यय होते, जिस पर आज 2000 करोड़ रुपये लगेंगे । तो मान्यवर, इसी के मुताबिक वहां के लोग जो विस्थापित हैं, या होने जा रहे हैं, उनको जो विस्थापित भत्ता या मुआवजा देते हैं, या जो सुविधा दी जाती है, उनका अनुपात भी उसी दर से बढ़ना चाहिए । मान्यवर, यह विभाग जो अपना काम करता है भवन बनवाता है, उसमें जो ईंटा, सीमेंट और लोहा आदि लगाता है, विस्थापितों को भी उसी सामान की आवश्यकता पड़ती है तो स्वाभाविक रूप से पुनर्वासित लोगों के लिये भी कीमतें बढ़ती हैं । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि इस परियोजना में जन-प्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है । मान्यवर, हमारे यहां स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जब टिहरी आयी थीं, उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि इस योजना में जो टिहरी बांध कन्ट्रोल बोर्ड है या जैसा कि मा0 मंत्री जी ने कहा कि अब निगम बनाया है, उसमें जन-प्रतिनिधियों को

सम्मिलित किया जाना चाहिये। जो अधिकारी लोग हैं वह अपने मन से यह तय कर देते हैं कि यह गांव आंशिक है यह अपूर्ण रूप से डूबे क्षेत्र में से है। जो आबादी है वह घाटियों में बसी हुई है वहीं सबसे अच्छी जमीन होती है, सिंचित जमीन होती है और जो गांव ऊपर है उसका मुख्य रोजगार का साधन है वह खत्म हो जायेगा। वे अगर आंशिक डूब में रह जायेंगे तो उससे बड़ी कठिनाई होगी और हो रही है। भिलगंना नदी के किनारे जो गांव हैं, विभाग ने आंशिक रूप से डूब क्षेत्र में लिया। उठड़, पिपोला, नन्दगांव, बड़कोट, खण्ड, दंवल, घोन्टी, आदि तीखी टीले पर बसे हुए हैं। अगर वहां पर जलाशय बनता है, ये गांव नीचे जलाशय में आ जायेंगे उनका मुख्य रोजगार का साधन, खतम हो जायेगा। इन गांवों को टिहरी बांध परियोजना बनाने से पहले पुनर्वासित कर देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपने भाषण को सीमित करें।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, 45 वर्ग कि0 मी0 के क्षेत्र में यह बांध बनेगा और हमारा तमाम जो संबंध उस क्षेत्र से है, वह कट जायेगा। देश हित के लिये हम समझते हैं कि इससे देश का भला होगा। हमारे लोग विस्थापित हो रहे हैं, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। मैं अनुरोध करूंगा कि इन विस्थापितों को समुचित मुआवजा मिलना चाहिये और खेती आदि रोजगार के साधन मुहैया होने चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए, बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने प्रस्तुत विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का और जो माननीय श्री मयंकर सिंह ने प्रस्तुत बजट पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात न कहकर, मैं लखनऊ जनपद के अपने उस क्षेत्र का, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उसके बारे में कहना चाहूंगा।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की विद्युत समस्या के बारे में माननीय मंत्री जी से समय-समय पर अनुरोध करता रहा हूं। मैं सदन के संज्ञान में इस बात को भी लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ-लखनऊ जनपद के 6 ब्लाक ऐसे हैं, जिसमें विद्युत वितरण इलेक्ट्रिक कोआपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से किया जाता है और बाकी विद्युत वितरण का कार्य उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के माध्यम से होता है। यहां विद्युत परिषद् के कतिपय सब स्टेशन की स्थिति का हवाला देना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक सब स्टेशन गहरु है, जो केवल इन्डस्ट्रियल स्टेट के लिये बनाया गया था। परन्तु उस सब-स्टेशन से देहात को भी बिजली सप्लाई की

जाने लगी । मान्यवर, वहां पर 2 फीडर हैं । एक चन्द्रावल फीडर, दूसरा बनी फीडर । मान्यवर, स्थिति यह है कि चन्द्रावल फीडर खराब पड़ा हुआ है । बनी फीडर के माध्यम से ही दोनों फीडरों को बिजली दी जाती है । मान्यवर, स्थिति यह है कि 16 अप्रैल को गहरु सब स्टेशन पर जो 3 एम0 वी0 ए0 का ट्रांसफारमर था, वह चल गया । मैंने मंत्री जी से इस संबंध में अनुरोध किया, मंत्री जी के साथ 28 तारीख को बैठक हुई, जिसमें विद्युत परिषद् के कुछ सदस्य और वहीं के कुछ अधिकारी आये । माननीय मंत्री जी को इस बात का शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मेरे अनुरोध पर उन्होंने वहां पर 3 एम0 वी0 ए0 का ट्रान्सफारमर लगा हुआ था, गहरु सब स्टेशन में, वहां के लिये 5 एम0 वी0 ए0 का ट्रांसफारमर नैनी से मंगाने की व्यवस्था करायी । वह ट्रांसफारमर पहली तारीख को आ जाना चाहिये था, लेकिन 5 तारीख को आया । 12-14 दिन तक वह वैसे ही पड़ा रहा वह ट्रांसफारमर चलाया नहीं गया, प्लेटफार्म पर चढ़ाया नहीं गया । मान्यवर, जब मैंने इस संबंध में किसानों को लेकर घेराव की धमकी दी, क्योंकि वहां तमाम फसल कट चुकी थी, तमाम फसल लगी हुई थी, थ्रेचिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, तब कुछ असर हुआ । विद्युत परिषद् के कुछ अधिकारियों ने जाकर उस ट्रांसफारमर को चलाने का काम किया । मान्यवर, अब भी स्थिति यह है कि फिर भी वितरण व्यवस्था सही नहीं है । मैं वहां की स्थिति के बाबत यह भी बताना चाहूंगा कि समेसी पावर हाउस का समेसी फीडर खराब है, इटौंजा का फीडर खराब है । मैं यह कहना चाहूंगा कि जो फीडर खराब हैं, जो पुराने हैं, तकनीकी खराबियां हैं, वहां आधुनिक ढंग के फीडर लगवाये जायं, ताकि विद्युत वितरण ठीक ढंग से किया जा सके । लखनऊ राजधानी के कृषकों को विद्युत सही ढंग से मिल सके। तालकटोरा पावर हाउस से फतेहगंज को 33 के0वी0 की लाईन लगी हुई थी, लेकिन वहां पर तार कट गये हैं, खम्भे लगे हुए हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर लाईन लगा दी जाय ताकि भविष्य में यदि कभी आवश्यकता पड़े तो फतेहगंज पावर हाउस से बिजली मिल सके। गहरु सब स्टेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि इसे केवल इण्डस्ट्रियल स्टेट के लिए ही सुरक्षित रखा जाय और बंथरा में, जैसा कि आपके साथ मीटिंग के दौरान वार्ता हुई थी, एक सब स्टेशन की स्थापना कर दी जाय देहात के लिए ताकि वहां के कृषकों को बिजली मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री अजीत सिंह सेठी–**

मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । यह सही है कि कुछ समय पहले से बिजली की बढ़ोत्तरी हुई है और उससे कार्य क्षमता भी बढ़ी है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और श्री शाह, चेयरमैन , विद्युत परिषद् की प्रशंसा करता हूं। 1959 में विद्युत परिषद् का रूप सामने आया, उस समय इसकी क्षमता बहुत थोड़ी थी । उस समय केवल 263 मेगावाट थी और आज इसकी क्षमता 4504 मेगावाट हो गई है। इसको दो हिस्सों में बांट दीजिए पहला थर्मल और दूसरा हाईडिल। थर्मल में ओबरा, हरदुआगंज पनकी पारीछा

---

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनपरा "ए" आर0पी0एच0 आदि को मिलाकर कुल क्षमता 3082 मेगावाट है और और हाईडिल में रिहन्द, रामगंगा, यमुना, चीला, खोदरी मनेरी भाली आदि को मिला कर कुल क्षमता 1422 मेगावाट है। इसके बावजूद भी अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे यहां विद्युत का उत्पादन कम है। इस समय जो नेशनल टैरिफ है वह 52 प्रतिशत है और हमारे यहां केवल 41 प्रतिशत है। यदि हम इसी को पूरा कर लें तो काफी समस्या विद्युत की हल हो जायेगी । लेकिन एक बात आवश्य कहना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र में जैसे रेनू सागर परियोजना है, इसकी क्षमता अधिष्ठापित क्षमता का 85 प्रतिशत उत्पादन है। यदि इसी क्षमता को हम भी पूरा कर लें तो विद्युत की समस्या समाप्त हो जायेगी। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि थर्मल विद्युत पर हमारा 60 से 70 पैसा प्रति यूनिट उत्पादन पर खर्च आता है और हाईडिल पर 52 से 55 पैसा लेकिन हाइडिल के लिए हमें प्रकृति निर्भर रहना पड़ता है, जैसा कि आप लोग भी इस समय सूरत हाल कुदरत के देख रहे होंगे, इसलिए यह जरूरी है कि हमें थर्मल पावर को बढ़ाना चाहिए। थर्मल पावर के लिए हमें सही कोयले का इन्तजाम करना चाहिए और जो हमारी परचेज कमेटी है, वह बहुत पुअर है, इसलिए इसको ठीक किया जाना चाहिए । इस परचेज सिस्टम में सबसे बड़ा "वे" का सवाल है । यह देखना चाहिये कि जितना कोयला कहा गया है, उतना वास्तव में मिलता भी है या नहीं । इस प्रकार जब आप थर्मल क्षमता को बढ़ायेंगे, तभी प्रगति होगी।

आप लगभग 4 हजार रु0 प्रति क्वि0 तेल परचेज करते हैं। अगर उसको खरीद कर इस्तेमाल न कर पायें, तो उचित नहीं है। मैं थर्मल पावर को बढ़ाने के लिये मा0 मंत्री जी को प्रेरणा पेश कर रहा हूं।

स्टाफ की पोजीशन आपके यहां ठीक नहीं है, 3 व्यक्ति एक मेगावाट विद्युत के लिये होने चाहिये। यह क्षमता पूरी करने के लिये आपको समझना पड़ेगा।

मैं यह समझता हूं कि मित्तल कमेटी की रिपोर्ट को आप पूर्णतया लागू करने की कोशिश करें तो सही होगा।

भण्डारण के ऊपर भी दो शब्द कह दूं। इस पर भी आपका व्यय होता है। आपके निर्देश तो इस सम्बन्ध में सही हैं, लेकिन वे प्रभावी होने चाहिए।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आपने प्रोडक्शन और वितरण को अलग-अलग किया है, वह तो ठीक है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल कन्ज्यूमर्स वितरण सोसायटीज बना दें, तो अधिक उचित होगा। वे अपने-अपने इलाके की देखभाल करेंगे और चोरी भी नहीं होने देंगी। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने इसको सम्भाला है, वह सही रास्ता है।

श्री सत्य प्रकाश बिकल—

मान्यवर, मैं अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे मा0 मयंकर सिंह के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है । विद्युत परिषद् ने यह वर्ष 1987 को ऊर्जा का वर्ष घोषित किया है। ऊर्जा के वर्ष कहने का मतलब तो यही होना चाहिए था कि क्या हम यह उम्मीद करें कि इस साल में इस वर्ष में प्रदेश की जनता को बिजली की किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं और उनकी मेहनत और ईमानदारी का प्रशंसक हूं मुझे खुशी हुई कि उन्होंने स्वीकार किया कि बिजली की उपलब्धता बढ़ने पर भी पूरी आपूर्ति नहीं दे पाये। उन्होंने यह बात बड़े

सन्तुलित शब्दों में कही है दबे शब्दों में कही है जबकि बिजली के संकट से पूरा प्रदेश आक्रोश की आग में जल रहा है। गांवों से लेकर शहरों तक बिजली का न मिलना और ब्रेक डाउन होना, इससे इस भयंकर गर्मी से परेशानी से किस प्रकार की हालत हुई है और जन प्रतिनिधियों को किस प्रकार अपमानित होना पड़ा है। मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय ऊर्जा मंत्री को उसकी भयंकरता सही का अनुमान होना चाहिये। लोगों में भयंकर आक्रोश है जबर्दस्त क्षोभ है। बिजली की जो बढ़ती हुई आवश्यकता है, वह मानव जीवन की आज सबसे बड़ी आवश्यकता विद्युत बन गयी है। जितनी विद्युत की आवश्यकता है, उतनी विद्युत की दुर्व्यवस्था है। इसी से बिजली का संकट पैदा हो रहा है। लगातार बिजली की आवश्यकता बढ़ रही है, उसके हिसाब से जनरेशन पूरा हो नहीं पा रहा है और मांग के बराबर बढ़ते जाने से जो गैप है, उसको पूरा कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उस पर विभागीय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिजली की चोरी होती है लाइने टूटी जर्जर पड़ी है मेहनत कोई करता नहीं। इस समय परिषद् 17 अरब के घाटे में है जबकि दरें सबसे ज्यादा है।

मैंने (आपकी बजट) पुस्तक पढ़ी, उसमें लिखा है कि 1990 तक विद्युत की कमी केवल 3-4 प्रतिशत ही कम रहेगी। यह अनुमान कई वर्ष पहले लगाया गया था। आज स्थिति यह आ गयी है कि आप कह रहे हैं कि 1990 तक विद्युत की कमी 3 और 4 प्रतिशत की जगह बढ़कर 9 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जबकि हमारे मंत्री जी को कहना पड़ेगा कह सकते हैं कि 9 प्रतिशत नहीं बल्कि अब 15 प्रतिशत की कमी विद्युत में आ गयी है। इसका कारण यह है कि आज जैसे-जैसे कोशिश की जा रही है विद्युत उत्पादन को बढ़ाने की, उससे कहीं ज्यादा विद्युत आपूर्ति की मांग बढ़ती चली जा रही है। इस परिपेक्ष में ऐसी योजना बनानी चाहिये कि विद्युत आपूर्ति मानक के अनुरूप बढ़ायी जा सके। आपने पुस्तक में बताया है कि मई, 86 में जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे में बिजली पौने 24 घण्टे दी गयी, जून में 23 घण्टे दी गई ऐसा इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। मैं समझता हूं कि कागज पर जो आंकड़े माननीय मंत्री जी आपको मिले हैं, आपने उसे पुस्तक में छाप दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। इससे ज्यादा गलत और दूसरा गलत आंकड़ा क्या हो सकता है। माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना मैं चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि इस वर्ष मई और जून में कितने घंटे लोगों को बिजली मिली है? मैं इस दृष्टि से दो-तीन बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चोरी, बिजली का छीजन तथा ऊर्जा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार यह सब अपनी चरम सीमा पर है। 266.92 करोड़ रु0 बिजली बोर्ड का उधार पड़ा है। बड़े-बड़े उद्योग घराने के ऊपर उधार का 65 करोड़ रु0 है सरकारी संस्थानों पर 67 करोड़ शेष है। अरबों रुपये उधार का पड़ा है जिसे आप वसूल नहीं कर पा रहे हैं। जबकि उत्पादन की लागत बराबर बढ़ती चली जा रही है। आपने 86-87 के वर्ष में हो 302.18 करोड़ का घाटा दे दिया है।

अब मैं अपने क्षेत्र आगरा की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहूंगा कि हर दिन वहां बिजली चले जाना आम बात है इसके लिए जितने कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार हैं उससे ज्यादा परिषद् और उसका सेन्ट्रल स्टोर जिम्मेदार है जो सामान सेन्ट्रल स्टोर से जाना चाहिए वह नहीं जा रहा है, यह सारे प्रदेश की समस्या है, केवल आगरा की

ही नहीं। आगरा में ट्रान्सफारमर की हालत जर्जर है उसके कारण कहीं न कहीं रोजाना ट्रान्सफारमर में विस्फोट हो जाता है फुंक जाता है और सारा इलाका गर्मी और अंधेरे में परेशान हो जाता है 50 प्रतिशत सब स्टेशन ऐसे हैं जहां ट्रांसफारमरों पर टी0. पी0एम0ओ0 नहीं लगे हैं जो लगे ही होने चाहिए। जरा सी खराबी होने पर पूरी लाइन काटनी पड़ जाती है कर्मचारी शट डाउन लेकर लाइन काट देते हैं। यदि टी.पी.एम. ओ0 सेन्ट्रल स्टोर से गये होते हैं तो जनता मुसीबत से बच सकती थी । आगरा को नई केबिलें उपलब्ध होनी चाहिए क्योंकि वहां कि केबिल जर्जर हो गई है। जल चुकी है। आपके यहां कितनी दुर्व्यवस्था है कि आगरा में आलमोनियम के तार करीब 20 किलो मीटर के माल गोदाम में पिछले 4 महीने से पड़े हुए हैं। उस तार को रेलवे से छुड़ाया नहीं गया है। डैमरेज चढ़ रहा है एक दिन नीलाम हो जायगा। एक लाख सात हजार उपभोक्ता आगरा में हैं किन्तु मीटर रीडर की संख्या वहां पर बहुत कम है जिसके कारण मीटर रीडिंग ठीक से नहीं हो पाती है बिल गलत आते हैं। 10 साल पहले भी 40 मीटर रीडर थे आज उतने ही हैं जबकि उपभोक्ता दुगुने से भी ज्यादा हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त।

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का हार्दिक समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूं। इसके लिये हमारे ऊर्जा मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं कि हर वर्ष ऊर्जा का प्रोडक्शन बढ़ा है और इसकी भविष्य में भी बढ़ने की पूरी सम्भावना है। जिस तरह से हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने किसानों की तरफ और कारखानों की तरफ बिजली देने में अपना पूरा ध्यान दिया है उसमें मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों की ओर भी वे उतना ही ध्यान दें जितना कि वे किसानों और कारखानेदारों का रख रहे हैं। आज के विद्यार्थी कल के देश के निर्माता होंगे। यदि उनकी शिक्षा में ऊर्जा न मिलने के कारण कोई विघ्न पड़ता है, तो उसके लिये जिम्मेदारी हम सब की होगी। यह ठीक है कि बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से वितरण प्रणाली चल रही है, उसमें बहुत सी अनियमिततायें हो रही हैं। उसके लिये माननीय मंत्री जी से दो चार बातें कहना चाहती हूं। मान्यवर, यह सही है कि इस साल मानसून के कारण पानी नहीं बरसा और वाटर लेविल नीचे जाने लगा है और बिजली की काफी परेशानी हुई है, लेकिन जो कुछ बिजली है, उसका ठीक प्रकार से वितरण हो तो उसकी कमी महसूस न हो । मैं बताना चाहती हूं कि जब कभी बिजली जाती है, किसी कारण से जाती है, तो उसके जाने का कोई समय नहीं है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अस्पताल में मरीज का आपरेशन हो रहा होता है और बिजली चली जाती है। बाजार खुले होते हैं और बिजली चली जाती है और जब मालूम किया जाता है तो कोई भी अधिकारी अपनी जगह पर नहीं मिलता है और अगर मिलता है तो वह एक दूसरे पर टाल देता है और वह बिजली जाने का कारण बताना नहीं चाहते हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि अगर किन्हीं 4 घन्टों में बिजली मिलनी है तो उसके घण्टे निश्चित होने चाहिए कि किस समय से किस समय तक बिजली मिलेगी।

मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहती हूं। मुरादाबाद में मार्केट बन्द होने का समय 8 बजे है और बिजली 7 बजे ही चली जाती है, और इस कारण कोई शापिंग नहीं कर पाता है और जो दुकानदार हैं उनकी दुकानदारी ठप्प हो जाती है। उनको बिजली का पूरा पैसा देना पड़ता है। इस कारण जनता में रोष है। मैं कहना चाहती हूं कि चाहे आप दो घण्टे बिजली दें, जितनी देर भी बिजली मिलनी हो, उसका समय निश्चित होना चाहिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई व्यक्ति दर्शक दीर्घा में बैठकर किताब पढ़ सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

किताब वगैरह न पढ़ी जायें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

फिर पढ़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसा कोई कार्य न करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आपके कहने का कोई असर ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

हाउस के अन्दर कोई लिखने पढ़ने का काम न करें, जिससे किसी माननीय सदस्य की रुचि उधर बढ़ जाये। जो गैलरी में बैठे हैं, वह किताब पढ़ने का काम बन्द कर दें, यदि कोई कर रहा हो।

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहती हूं कि मुरादाबाद में बर्तन बनाने का कार्य अधिक किया जाता है और भारत सरकार को इस कार्य से करोड़ों रुपये का फारेन एक्सचेन्ज प्राप्त होता है। इस बार जो आर्डर मिले हैं, वह बिजली पर डिपेन्ड करते हैं। तो मैं चाहती हूं कि कारखानेदारों को पूरी बिजली मिलनी चाहिये।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मेरे भाषण के बीच कई विघ्न आये हैं, उसका समय बढ़ा दें। दूसरी बात यह है कि बिजली की जो चोरी होती है, उसको रोकने का मैं एक सुझाव देना चाहती हूं। बिजली विभाग के क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी हैं, उनसे अधिकारी डरने लगे हैं। अगर वह चोरी पकड़ते हैं और उन पर एक्शन लिया जाता है तो वह हड़ताल कर देते हैं और उच्च अधिकारियों को मारने पीटने को उतारू होते हैं फिर भी और वह ही रहेंगे और अधिकारी का ट्रान्सफर हो जायेगा, तो मान्यवर, इन कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने की व्यवस्था की जाये जिससे चोरी कम हो सके। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्रीमती विजय लक्ष्मी–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं और आपने जो मुझे बोलने के लिये बहुमूल्य समय दिया है उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं।

विद्युत के सम्बन्ध में मैं इस सम्मानित सदन का समय दो मिनट लेना चाहूंगी और इस सम्बन्ध में दो-तीन उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं जनपद बलिया के बांसडीह निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आई हूं इसलिए मैं उस क्षेत्र के लोगों और वहां के किसानों की विद्युत सम्बन्धी परेशानियों से आपको अवगत कराना चाहती हूं।

मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांसहीह में जो ब्लाक भी है मैं जब उस ब्लाक का दौरा कर रही थी तो मुझे वहां पर देखने को मिला कि वहां पर जितने विद्युत के खम्भे और तार लगे हुये हैं वे टेढ़े हो गये हैं और कई जगहों पर बिजली के तार दो मंजिले मकानों और झोपड़ियों पर गिरे हुये हैं। इसको कोई वहां पर देखने वाला नहीं है। इन तारों को बच्चे छू सकते हैं, जानवरों गाय भैंसों का भी इससे वहां पर नुकसान न हो चुका है। जब इस सम्बन्ध में मैंने विद्युत विभाग के इंजीनियरों से शिकायत की तो यह बड़े दुख की बात है वे लोग इस बात को बड़ी लापरवाही से टाल देते हैं। इससे वहां के लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अगर माननीय सदस्यों से पूछने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो साधारण जनता की शिकायत का क्या असर होगा। मान्यवर, कहा जाता है कि हमारे पास सामान नहीं है और विद्युत कर्मचारियों की जो यूनियन है वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। मैंने अपने माध्यम से कई बार विद्युत विभाग के इंजीनियरों को बुलाकर विधिवत् रूप से इस बात का पता लगाया तो मुझे पता चला इन लोगों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। यह बड़े दुख की बात है कि आपके ही कर्मचारियों पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा तो विद्युत विभाग कोई उन्नति नहीं कर सकता है। इससे आप किसानों की परेशानियां दूर नहीं कर सकते। यह किसानों के लिये बड़ी चिन्ता का विषय है।

मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले बजट में आपने 5 गांव सभाओं का विद्युतीकरण का जो आश्वासन दिया था उसे आप पूरा नहीं कर रहे हैं। मेरे अपने ही विकास खण्ड में यह बिल्कुल निर्मूल है। आपका कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो किसानों से सम्बन्धित 2/3 परेशानियां मैंने आपके सामने रखीं, उन पर आप नियंत्रण कर लें तो आपका विभाग सराहनीय कार्य कर सकेगा। इस संबंध में मैं आपसे पुनः विनम्रता से निवेदन करूंगी कि हमारी विद्युत सम्बन्धी परेशानियों को ध्यान में रखते हुये उन पर शीघ्रातिशीघ्र आप कार्यवाही करें ताकि किसानों को राहत मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं।

(सत्ता पक्ष की तरफ से कई सदस्यों के खड़े होने पर तथा श्री हनुमान प्रसाद कुरील का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मेरा ख्याल है कि जो गिनती की गई है उसके अनुसार 22 आदमी इधर से और 5 आदमी उधर से इस विषय पर और बोलना चाहते हैं। इसलिये एक सदस्य को 5/6 मिनट ही दिया जा सकेगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर बोलें। जो लोग नहीं बोले उनको अवश्य मौका दिया जायेगा।

श्री पूरन सिंह माहरा–

यदि इधर से 27 हैं और उधर से 5 हैं तो इधर के लोगों को आप ज्यादा बुलवायें...

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

दमदमी टकसाल के लिये अलग से समय निर्धारित किया गया।

*श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय विद्युत मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करने का मौका दिया। मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह बात अपनी जगह पर सही है कि जितनी हमारे देश और प्रदेश में पापुलेशन बढ़ती जा रही है उतनी ही उसकी मांग बढ़ रही है सभी इसकी आवश्यकता को महसूस करते हैं। हर आदमी चाहे वह किसान हो मजदूर हों या बड़े अधिकारी सब चाहते हैं कि उसके घर में बिजली हो कूलर और पंखे चलें। किसान चाहता है कि उसके खलिहान में जो खेती का काम होता है वह सारा का सारा मशीन के द्वारा हो। इस वास्ते बिजली की पहले से बहुत ज्यादा मांग होने लगी है। मैं बधाई देता हूं अपने मंत्री जी को और शासन को जिन्होंने इसको पूरा करने की व्यवस्था की है। इतनी पापुलेशन बढ़ी है और इतनी आवश्यकतायें बढ़ी है उनकी एकदम पूर्ति होना मैं समझता हूं कि संभव नहीं है लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से मंत्री जी की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि वह पूरा हो। मुझे उम्मीद है कि जो हमारा प्रयास है उसमें उनको सफलता मिलेगी और एक दिन आयेगा कि हम सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे।

मान्यवर, यह ठीक है जो माननीय सदस्यों ने कहा कि विद्युत परिषद् में कमियां हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं, अधिकारियों की तरफ से कुछ काम ढंग से नहीं किया जाता है लेकिन जैसे-जैसे यहां पर सुझाव आते रहे और उसमें सुधार की आवश्यकता महसूस हुई तो उसको ठीक किया गया।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं जहां से आता हूं वह कानपुर का देहाती क्षेत्र है। मेरे यहां 17 ब्लाक हैं उसमें से एक ब्लाक ऐसा है, कपिन ब्लाक जो बहुत पिछड़ा है जिसमें आज तक बिजली नहीं गयी है वहां पर बिजली की बहुत आवश्यकता है इसलिये वहां बिजली लगाई जाय क्योंकि वह ब्लाक का इलाका प्राकृतिक रूप से निचला इलाका है जब बारिश होती है तो वह सारा का सारा ब्लाक पानी से भर जाता है और वहां के गांव टापू बन कर रह जाते हैं। आजकल मिट्टी के तेल की किल्लत चल रही है तो जब बरसात में गांव टापू बन जाते हैं तो वहां अंधेरा हो जाता है। वहां बिजली बिल्कुल नहीं है जिसके कारण किसानों को बड़ी परेशानी होती है जिसके कारण किसान दिन रात जागता रहता है इसके अलावा बिजली न होने से वहां कोई उद्योग धंधे भी नहीं लग सकते हैं। अगर कोई कुटीर उद्योग लगाना चाहे तो वह भी नहीं लग सकता।

पिछले दिनों यह निश्चय किया गया था कि 1 लाख 32 हजार कि0वा0 का एक पावर हाउस लगाया जायेगा मैंने उसके सम्बन्ध में पत्र भी लिखा तो मेरे को जवाब मिला कि उस पर अभी कुछ नहीं हुआ है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वहां 1 लाख 32 हजार कि0वा0 का बिजली घर लगा दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कुरील साहब जरा इधर भी देखें, समय का ध्यान रखें।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

हमारे यहां रसूलाबाद से असालतगंज तक पहले बिजली लगी थी, असालतगंज एक बहुत बड़ा कस्बा है जहां पर बाजार भी लगती है, काफी बड़ी वहां की आबादी है लेकिन बीच में तार चोरी हो गया उसके बाद कई बार कहा गया कि तार लगा दिया जाय लेकिन उसको कोई सुनता नहीं है। मैंने वहां के अधिशासी अभियंता से भी कहा लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसे ठीक करा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

इन शब्दों के साथ मैं माननीय विद्युत मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री मूल चन्द–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वास्तव में मंत्री जी चाहते हैं कि इस विभाग में प्रगति हो, मगर यह क्या करें मजबूर हैं। मजबूर इसलिये कि–

अफसर करें न अफसरी, दफ्तर करे न काम,
दास मलूका कह गये, ये सब हो गये बेईमान।

मान्यवर, मंत्री जी चाहते हैं कि इनके आदेश का पालन ईमानदारी से हो लेकिन इनके अधिकारी इनके आदेश का पालन नहीं करते हैं जो देश और प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है।

मान्यवर, समय कम है, इसलिये मैं अपने क्षेत्र के किसानों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आप ऐसे पिता के लड़के हैं जिनकी ईमानदारी की चर्चा विश्व के जर्रे-जर्रे में अंकित है और उनके आशीर्वाद से आपकी दुनिया में ख्याति बढ़ रही है, मैं आशा करूंगा कि ईमानदारी से इस देश के लिये जो विभाग आपको मिला है, यह ऐसा विभाग है जो इस मुल्क की रीढ़ कही जाये तो अतिश्योक्ति न होगी चूंकि इस देश की तरक्की इस विभाग पर निर्भर है। बिजली ऐसी महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें यदि आप बिजली की लाईन किसानों को देते रहेंगे तभी किसान प्रगति करेगा। आपके पिता जी ने नारा दिया था "जय जवान जय किसान" सीमा पर जवान और खेत में किसान। किसान इस देश की प्रगति की रीढ़ है। किसान की प्रगति के लिये आज आप बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि मंत्री जी आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को हिदायत दें कि देश और प्रदेश के किसानों के साथ वे बेईमानी न करें। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं-

गैर से क्यों खफा रहें, चर्ख क्यों गीला करें।
सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें।
रहेगी हवा के ख्यालों में ये बिजली,
ये मुफ्ते खाक फानी रहे या न रहे।

इसलिए मंत्री जी से निवेदन है कि प्रदेश के हित में, गरीबों के हित में आपने बिजली का जो उद्देश्य बनाया है उसमें आपके अधीनस्थ अधिकारी यदि आपका सहयोग करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तभी आप प्रदेश की तरक्की कर सकेंगे। इसलिए मैं क्षमा चाहते हुये अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

*श्री नरेन्द्र देव–

माननीय अध्यक्षता महोदय, आपने मुझे विद्युत विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

आज जब हम विद्युत विभाग पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारे विपक्षी सदस्य, माननीय विद्वान सदस्य एक पक्ष को अनदेखा करते चले जा रहे हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग अभी निर्माण की अवस्था से गुजर रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश में जितनी भौगोलिक विषमतायें हैं उनका सामना विद्युत विभाग को करना पड़ रहा है। जलवायु की विषमताएं हैं, उनका सामना विद्युत विभाग को करना पड़ता है। आज ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे महत्वाकांक्षी भी लिये जा रहे हैं तो प्रारम्भिक तौर पर हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम जब भी विद्युत विभाग की उपलब्धि और कमियों के बारे में चर्चा करें तो मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप इन मुद्दों को भी ध्यान में रखें। मैं विनम्रता के साथ कुछ अपने सुझाव भी देना चाहता हूं। आज राज्य विद्युत परिषद् में मैं समझता हूं कि योग्य अभियन्ताओं और अधिकारियों की कमी तो नहीं होनी चाहिये, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि यह ग्रामीण विद्युतीकरण जो चल रहा है, उसमें यह कभी मिर्जापुर का विद्युतीकरण करते हैं, फिर कूद कर कानपुर का विद्युतीकरण करते हैं, फिर कूदकर सीतापुर का करते हैं, फिर गढ़वाल पहुंच जाते हैं। यह समझते हैं कि इससे लासेस कम होंगे और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पूरा होगा। किन्तु मैं समझता हूं कि एक मैट्रिक पास इंसान भी इस नक्शे और कार्यक्रम को देखकर इसकी कमी को बता देगा।

जहां तक ग्राहक सेवा का सवाल है, विद्युत परिषद् की इसमें बड़ी जिम्मेदारी है। अब जो अधिकारियों ने 1972 से लगातार फोर्थ क्लास इम्पलाईज यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्तियों को रोककर जो कार्य किया है, मेरी समझ में नहीं आता है कि यह उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का उसने कौन सा व्रत लिया है। सीढ़ी उठाने वाला नहीं है, मीटर पढ़ने वाला नहीं है, खम्भे पर चढ़ने वाला नहीं है, किन्तु इंजीनियर प्रति माह एक दर्जन के हिसाब से बढ़ेंगे। विद्युत परिषद के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारियों को कम से कम यह संज्ञान होना चाहिए कि जब जिम्मेदारियां उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं, ग्राहकों की सेवा फोर्थ क्लास के कर्मचारी करते हैं । आज मैं कुछ मुद्दों पर ध्यान दिलाकर बैठना चाहूंगा । मिर्जापुर में तार और खम्भे साल के साल के अंतराल पर पहुंचते हैं । कभी तार पहुंचता है तो खम्भा नहीं पहुंचता है, जब खम्भा पहुंचता है तो तार गायब रहता है । इस प्रकार से जब वहां पर ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम है और अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं तो मैं यह कहने में नहीं हिचकता कि मेरे जनपद और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत विभाग ने अनियमितताओं का ढेर लगा रखा है । मेरे यहां मिर्जापुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर राबर्ट्सगंज है । मंत्री जी जब मिर्जापुर गये थे तो उन्होंने एक आदेश यह दिया था कि एक असिस्टेंट इंजीनियर विद्युत बिलों की शिकायत दूर करने के लिए तथा लोगों की दूसरी शिकायतें सुनने के लिए राबर्ट्सगंज में रहेगा । वह आदेश 3/4 वर्ष हुए उन्होंने दिया था, लेकिन इंजीनियर वहां नहीं गया । विद्युत राज्य मंत्री ने आदेश दे दिया इंजीनियर नहीं गया । आज भी राबर्ट्सगंज के आस-पास के इलाके के किसान अपने विद्युत बिल सुधरवाने सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं । अन्त में, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अपनी योग्यता के आगे प्रश्नचिन्ह मत लगवाइए आपकी योग्यता पर प्रदेश की जनता सन्देह कर रही है पहले उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद् के अधिकारी दौरा करते थे और अभाव के दिनों में दौरा तेज होता था, लेकिन 1986 और 1987 कम से कम दो वर्ष के आंकड़े उठाकर देख लें कि विद्युत परिषद् के अधिकारी एयर-कंडीशन में पूरी गर्मी भर बैठे रहे और उत्तर प्रदेश में कहीं अभाव वाले क्षेत्र में दौरा करने नहीं गए ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप खत्म करें ।

श्री नरेन्द्र देव—

विद्युत परिषद् के अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जनता में दौरे करें जनता से बात करें उनकी समस्यायें सुनें तभी इन समस्याओं का निदान हो सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय विद्युत मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

मान्यवर, मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे विद्युत के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर मैं 34-मुरादाबाद क्षेत्र से विधायक हूं वहां की कुछ समस्यायें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । मान्यवर, वहां की कुछ एक कस्बा है जिसकी आबादी करीब 20 हजार है वहां जल निगम की टंकी है, उसके एक किलोमीटर के फासले पर एक कस्बा पीपलसाना है वहां की आबादी करीब 15 हजार होगी यहीं का मैं रहने वाला हूं । मान्यवर, वहां लगातार बिजली का ब्रेक डाउन चला आ रहा है । बिजली का संकट है । मान्यवर, मैं दिनांक 22-4-87 को विद्युत उप संस्थान, सिड़ावली के जूनियर इंजीनियर श्री पी0 एल0 शर्मा को लेकर

अधिशासी अभियंता से मिला उन्होंने कहा कि इतना लम्बा ब्रेक डाउन क्यों चला आ रहा है मैंने अनुरोध किया कि इन दोनों कस्बों के 20 वर्ष पुराने तार बदलवा दीजिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि दोनों कस्बों के गले तार बदलवा दिये जायेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ । तब मैं दिनांक 1-5-87 को विद्युत मंत्री जी से लखनऊ में मिला उनसे शिकायत की लेकिन विद्युत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ । इसके बाद सूखा राहत की एक बैठक हो रही थी उसमें डी0 एम0 और पूरा प्रशासन बैठा था मैंने कहा कि विद्युत व्यवस्था में सुधार करवा दीजिए। वहां लोगों को पानी नहीं मिल रहा है दिनांक 8-5-87 को शिकायत की थी लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया कोई सुधार नहीं हुआ । मान्यवर, दिनांक 16-5-87 को मैं विद्युत उप-संस्थान सिढ़ावली पर गया वहां जाकर मैंने उनकी लोग बुक देखनी चाही तो जे0ई0पी0एल0 शर्मा एस0एस0ओ0 ओंकार और प्रमोद ने मेरे साथ बद्दतमीजी की और 33 बोल्ट के ट्रांसफार्मर पर मुझे धकेल दिया सौभाग्यवश मेरे शरीर में विद्युत प्रवाह नहीं हो सका और मैं बाल-बाल बच गया । मान्यवर, वहां से आने के बाद मैंने दिनांक 16-5-87 को अपराध संख्या-86/87 धारा 147/307 आई0पी0सी0 का भोजपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया । मान्यवर, 11 बजे मुकदमा लिखाया और यह लोग अपनी यूनियनों में गये, हड़ताल की धमकी दी प्रशासन पर, कलेक्टर पर दबाव दिए कि विधायक के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने मेरे खिलाफ एक मुकदमा अपराध संख्या तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन 147/353/332/452 थाना भोजपुर पर बारह घंटे बाद लिखा दिया । अपनी मांग के समर्थन में हमने बस अड्डा भोजपुर धरना दिया तथा शान्ति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे कि थानाध्यक्ष वादी बन गया और उसने हमारे खिलाफ एक मु0 अ0 स0 89 धारा 147, 353, 332, 341, 504, 506 आई0 पी0 सी0 को लिख लिया ।

अतः मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सिड़ावली उप संस्थान के कर्मचारियों को निलम्बित करने तथा मुकदमा वापिस लेने तथा पीपलसाना पर नया उप संस्थान बनाने की मांग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने माननीय ऊर्जा मंत्री श्री सुनील शास्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन बोलने के लिये अवसर दिया। सम्मानित सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने कोई प्रगति नहीं की है यह कहना सत्यता से परे है । जहां तक मेरी जानकारी है पिछले 2-4 वर्षों में प्रदेश में स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज और हैवी इण्डस्ट्रीज बढ़ी हैं। चाहे इंडो गल्फ फर्टीलाइजर्स हो या चाहे टैल्को हो, ऐसी बड़ी-बड़ी यूनिट्स हमारे प्रदेश में आ रही हैं और उनको बिजली मिल रही है तो यह एक कीर्तिमान है । इससे साबित होता है कि हमारे प्रदेश में बिजली उपलब्ध है । किसी इंडस्ट्री के लिये तीन चीजों की जरूरत होती है। एक तो टैक्निकल-नो-हाउ, दूसरे स्थान की तीसरे

बिजली की। टेक्निकल नो हाऊ कम्पनी के पास होता है, स्थान भी मिल जाता है लेकिन कोई इंडस्ट्री चालू तभी होती है जब इसको बिजली मिल जाती है । आज प्रदेश में तमाम इकाइयां कायम हो रही हैं इसलिये मैं मंत्री जी को पुनः बधाई देना चाहता हूं । उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं ।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में समन्वय की है । अगर इनमें समन्वय नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे । इस समय लाइन लासेज 20.67 परसेंट चल रहे हैं । पिछले 3-4 सालों से लाइन लासेज 20 और 21 परसेंट के बीच में चल रहे हैं। यह अधिक है इसको घटाया जाना चाहिये लेकिन यह घट नहीं पा रहा है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि लाइन समन्वय नहीं होगा यह ठीक नहीं हो पायेगा । 20 प्वाइंट प्रोग्राम में जिस तरह सरकार ने निर्देश दिया है कि चाहे गांव हों या शहर की मलिन बस्तियां हों पोल्स लगाये जायं लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। जब तक इनकी मानीटरिंग और रिव्यू नहीं होगा इसके रेजल्टस नहीं आयेंगे। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसके लिए कोई कमेटी स्टेट लेविल पर लासेज में कमी करके जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में समन्वय होना चाहिये । जब तक समन्वय नहीं होगा यह ठीक नहीं हो पायेगा । 20 प्वाइंट प्रोग्राम में जिस तरह सरकार ने निर्देश दिया है कि चाहे गांव हों या शहर की मलिन बस्तियां हों पोल्स लगाये जायं लेकिन इसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हो पा रहा है। जब तक इनकी मानीटरिंग और रिव्यू नहीं होगा इसके रेजल्टस नहीं आयेंगे । मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसके लिये कोई कमेटी स्टेट लेविल पर और डिस्ट्रिक्ट लेविल पर बनायें । जब तक इसके मानीटरिंग और रिव्यू की कमेटी नहीं होगी 20 प्वाइंट प्रोग्राम के अंतर्गत मलिन बस्तियों में पोल्स लगाना सम्भव नहीं होगा । चाहे लखनऊ या कानपुर हो या दूसरे शहर हों जिस तरह से ब्रेक डाउन होते हैं और 4-6 घंटे के लिये बिजली चली जाती है उससे बड़ी दिक्कत होती है । इसकी पहले से कोई सूचना वहां के रहने वालों को नहीं होती है । सबसे बड़ी परेशानी तो उस वक्त होती है जब वहां के रहने वाले बच्चों के यूनीवर्सिटी और डिग्री कालेजों के इम्तहान होते हैं । अगर 6 घंटे के लिये बिजली चली गयी और उसकी सूचना लाउडस्पीकर या अखबारों द्वारा नहीं दी जाती है तो विद्यार्थियों को बड़ी मुश्किल होती है । मैंने पहले भी कहा था कि ट्यूबवेल और हासपिटल्स के लिये राउंड दि क्लाक बिजली की सप्लाई होनी चाहिये । अस्पतालों में आपरेशन हुआ करते हैं अगर बिजली 4-5 घंटे के लिये चली गयी तो सर्जन हेल्पलेस हो जाते हैं । इसलिये अस्पतालों और ट्यूबवेल्स के लिये इंडिपेंडेन्ट फीडर होना चाहिये । जब तक इनका फीडर अलग नहीं होगा समस्या हल नहीं होगी । सबसे बड़ी प्राब्लम यह है कि लखनऊ और अन्य शहरों में, पुराने लखनऊ में आजकल डी0 सी0 को ए0 सी0 में बदला जा रहा है । दे आर स्वीचिंग फ्राम डी0 सी0 टु ए0 सी0 । इसमें 6-6 महीने लग जाते हैं और गलियों तथा घरों में अंधेरा रहता है । मेरा कहना है कि 1 या 2 हफ्ते में डी0 सी0 से ए0 सी0 में चेंज कर देना चाहिये नहीं तो बहुत प्राब्लम होगी ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् के दिवालिये पन की बात कही जाती है । यह कहा जाता है कि राज्य विद्युत परिषद् की फाइनेंशियल कंडी-

शन खराब है । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत सी संस्थाओं पर एरियर्स बाकी हैं। 67 करोड़ रुपये तो केवल गवर्नमेन्ट्स आफिसेज पर बाकी हैं। 53 करोड़ रुपये नगर पालिकाओं और वाटर वर्क्स पर बाकी हैं। तो जब तक इनकी फाइनेन्शियल पोजीशन की यह हालत बनी रहेगी तब तक इनका काम चलने वाला नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं कि बैंक में बिल्टी पड़ी रहती है और यह फाइनेंस की वजह से नहीं छुड़ा पाते हैं इसलिए इस तरफ ध्यान ले जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गलियां बहुत ज्यादा हैं । इनके बड़े ट्रान्सफारमर इन गलियों में काम नहीं करते हैं इसलिए छोटे ट्रान्सफारमर इन गलियों में लगाये जांय ।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें । (व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र—

खासतौर से संजय गांधी इंस्टीट्यूट में जो सबस्टेशन लग रहा है, दूसरा सीतापुर रोड पर है, उसको लगाने की बहुत जरूरत है । लखनऊ में मान्यवर, लेसू है . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री सुख पाल पाण्डे—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि हमारे मित्र ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए आपने मुझे समय दिया है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रदेश में विद्युत की जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है । यह बात सही है कि आज गांवों में लोग बिजली के लिए तरसते हैं और यहां पर हम लोग एयरकंडीशन में बैठे हुए हैं । हम लोगों को आज यह सरकार के लोग खराब करते जा रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों की आलोचना कर रहे हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बाहर तो लू लगती है, टुटही साइकिल लेकर चलना पड़ता है और यहां एयर कंडीशन में हमारे मित्र बैठे हुए हैं । मान्यवर, आज जो स्थिति बिजली की प्रदेश में है उसे सब लोग जानते हैं । आज गांवों में नलकूप नहीं चल रहे हैं, ट्रान्सफारमर जल गये हैं तो उनको बनाने वाला कोई नहीं है, भ्रष्ट अधिकारियों को प्रोत्साहन मिल रहा है । मैं तो शास्त्री जी का बहुत आभारी हूं । मैं तो यह समझता था कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं, ईमानदार परिवार से जुड़े हुए हैं और ईमानदार हैं भी लेकिन जितने भ्रष्ट आदमी हैं उनको संरक्षण देते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आती है ।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज चाहे अलीगढ़ हो, चाहे हरदुआगंज हो और चाहे पनकी हो, 2 वर्षों में कितनी बार आग लगी है, करोड़ों रुपयों की क्षति हुई है वह क्षति अधिकारियों की वजह से हुई है, उनकी हेरफेर में हुई है । जिसकी क्षतिपूर्ति करना इस प्रदेश के लिए बड़ा कठिन है । मैं तो यह समझता था कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री से जब ट्रेन दुर्घटना हुई थी तो एक आदर्श

स्थापित किया था और त्याग पत्र दे दिया था तो मैं समझता था कि माननीय शास्त्री जी यह दुर्घटना होने के बाद अपने मंत्रिपरिषद् से इस्तीफा दे देंगे और अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे लेकिन बात बदल गयी है ।

मान्यवर, मैं इनका बहुत आदर करता हूं आज भी लोग इनका विरोध करते हैं तो मैं उनका समर्थन करते हुए यह कहता हूं कि इतने बेइमान आदमी नहीं हैं जितना आप लोग कह रहे हैं । मान्यवर, हमारे जिले में गांवों में फर्जी विद्युतीकरण हुआ है, मैंने शास्त्री जी को लिखकर दिया है उन्होंने कहा कि विजलेंस से जांच करायेंगे लेकिन जब ट्रान्सफर का वक्त आया तो औद्योगिक क्षेत्र में उन लोगों को पोस्ट किया । मैं नहीं कहता कि उन्होंने किन कारणों से किया उन पर दबाव पड़ा या प्रभाव पड़ा । मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं आज प्रदेश में पोल बनाने की आपकी फैक्ट्रियां हैं आज वह सारी फैक्ट्रियां खराब हालत में चल रही हैं, पोल नहीं तैयार हो रहे हैं और जो प्राइवेट कम्पनी बिजली के पोल बनाती हैं वह आपको कमीशन देने के बाद भी फायदे में चल रही हैं इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए । मान्यवर, जब जनता पार्टी की सरकार थी उस समय सन् 80 में गांवों में विद्युतीकरण किया गया था खम्भे खड़े किये गये थे, तार लगाये गये थे बिजली के विक्रमजोत से दुबौलिया बाजार तक । लेकिन आज वह खम्भे कहां गये तार को खींचकर अरगनियां बना ली गयी तार को बेच लिया, आज प्रदेश में, गांव-गांव में बहुत सी ऐसी जगहें हैं, जहां पर खम्भे गड़े हुए हैं, तार लगे हुए हैं, लेकिन हमारे शास्त्री जी आज उन ट्रान्सफारमर में कनेक्शन नहीं दे सके ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बस्ती जिले में आज भी 4 हजार गांव ऐसे हैं, जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है । आज आप कोटा बनाये हुए हैं कि एक-एक विधान सभा क्षेत्र में 3 और 4 गांवों का विद्युतीकरण करेंगे । तो इस तरह से आप 4-5 गांव लेकर कब तक विद्युतीकरण कर सकेंगे ? हमारे जनपद में एक मखौड़ा ऐतिहासिक स्थान है, जहां पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, वहां पर एक पावर हाउस 1977 में मंजूर हुआ था, लेकिन आज तक वहां पर पावर हाउस नहीं बन सका है । 133 के0 वी0 का सब-स्टेशन मुहद्दीनपुर, हरैया और डुमरियागंज में बनाने के लिए दिल्ली कमीशन ने मंजूर किया था, वहां पर वह सब-स्टेशन नहीं बनाया गया, बल्कि जहां पर दिल्ली कमीशन ने नहीं मंजूर किया था, वहां पर बनाया गया । मान्यवर, मैं माननीय शास्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस खानदान के हैं, जिनके बारे में हम लोग स्मरण किया करते हैं, आपको उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए, ताकि इस प्रदेश का कुछ कल्याण हो सके । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, मैं माननीय विद्युत मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में, उनकी घोषणाओं का स्वागत करता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के 80 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण 1990 तक करायेंगे । इसके लिए मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनका अभिनन्दन करता हूं । इसके साथ ही साथ मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने हमारे सोवियत संघ के समझौते के तहत उत्तर प्रदेश को एक इतनी बड़ी योजना दी है, जो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में आज कठिनाई हो रही है, ऊर्जा का अभाव पैदा हो रहा है, उस समस्या का निश्चित रूप से इस योजना से निकराकरण होगा । मान्यवर, हम गांव के निवासी हैं, हम लोग गांव के विद्युतीकरण के संबंध में जिले की विद्युत सलाहकार समिति में बैठकर निर्णय लेते हैं, और वहां पर हम लोग उसके कार्यान्वियन के संबंध में भी देखते हैं । मान्यवर, उसमें कुछ खामियां हैं । मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर गांवों में विद्युतीकरण की महत्वपूर्ण योजना है और गांवों में विद्युतीकरण हो रहा है, लेकिन गांवों में किसानों को स्वयं अपनी बैल गाड़ियों और ट्रैक्टरों से खम्भे लादना पड़ता है, जबकि इसके लिए हमारे सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है। मान्यवर, गांव के किसान लोगों को इसका कोई पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है । वे लग स्वयं बिजली के तार और अन्य सामानों को लाद कर ले जाते हैं । वे लोग स्वयं खम्भों को खड़ा करते हैं । मान्यवर, वे खम्भे सीधे मिट्टी में गाड़ दिये जाते हैं, उनमें न सीमेन्ट का प्रयोग किया जाता है और न ही मिट्टी का प्रयोग किया जाता है । मान्यवर, गांव के लोगों को हर साल दैवी आपदाओं का मुकाबिला करना पड़ता है । मान्यवर, हर साल दैवी आपदाओं में जब आंधी आती है, तो वे खम्भे गिर जाते हैं या झुक जाते हैं । ऊर्जा के अभाव के कारण प्रदेश के किसानों के खेतों में पानी नहीं मिल पाता है । मान्यवर, गांवों में बिजली के तार चोरी हो जाते हैं ।

मान्यवर, माननीय कौशल जी ने शहर के बारे में चित्रण किया था और कहा था कि बिजली के अभाव में लोग टेलीविजन पर रामायण का सीरियल नहीं देख पाते हैं। मान्यवर, मैं गांव का चित्रण करना चाहता हूं । गांवों में किसान जब अपने खेतों में पानी लगाने के लिए जाता है, विद्युत चली जाती है और 4-4 दिन तक किसानों को पानी नहीं मिलता है, उनका श्रम बेकार चला जाता है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो ट्रान्सफार्मर्स की कमी है, उसको पूरा किया जाय और जो ट्रान्सफार्मर्स लगाये भी जाते हैं वे इतने घटिया स्तर के लग जाते हैं कि उन पर तेल गिर जाता है और बिजली की सप्लाई बन्द हो जाती है । मान्यवर, कानपुर देहात में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिजली के खम्भे तो लगे हैं लेकिन सप्लाई नहीं है जैसे कि शिवराजपुर, शिवली, काशीपुर तथा औरैया आदि । वहां के लोग रास्ता देख रहे हैं कि कब बिजली मिलेगी । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें । मान्यवर, मेरे पास सुझाव तो और भी बहुत से थे और उन्हें मैं देना चाहता था परन्तु समयाभाव के कारण मुझे अपनी बात यहीं समाप्त करनी पड़ रही है। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

जो सुझाव बाकी रह गये हैं वे लिखकर मंत्री जी को भेज दीजिए ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल खाद्य तथा रसद विभाग का बजट है और जैसी कि परम्परा है कि जिस विभाग का बजट होता उसका लिटरेचर 24 घंटे पहले मिल जाता है लेकिन अभी तक लिटरेचर नहीं मिला है । आप माननीय मंत्री जी को निर्देशित कर दें कि वे लिटरेचर तो रखवा दें ।

श्री अधिष्ठाता—

शासन को चाहिए कि वे तवज्जह कर लें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं मा0 मयंकर सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोगों ने बिजली की समस्याओं एवं कमी की बात कही, बिजली की कटौती की बात कही । माननीय मंत्री जी ने इलाहाबाद को कटौती मुक्त जिला घोषित किया लेकिन आज भी वहां पर 4-6 घंटे से 14 घंटे तक प्रतिदिन बिजली की कटौती होती है और ग्रामीण क्षेत्रों की हालत और भी ज्यादा खराब है । आज विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी के कारण वहां की जनता बहुत ही असंतुष्ट और आक्रोशित है और किसी भी दिन, कोई भी दुर्घटना हो सकती है । पिछले 16 जून को जब हम लोग तमाम नागरिकों के साथ 15 घंटे कटौती होने के बाद गये तो बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री पी0 सी0 अग्रवाल जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में सतर्कता विभाग द्वारा जांच जारी है और उनको प्रोन्नति देकर प्रमुख अभियंता बना दिया गया है के यहां गये हालांकि जोन/नया जोन बनाने की बात कही गई है वह अभी आपके और तिवारी जी के बीच में ही रुका हुआ है लेकिन उनको पहले ही प्रमुख अभियन्ता का पद दे दिया गया और वह एक दल विशेष की राजनीति कर रहे हैं । उन्होंने अपने कार्यालय में आग लगाकर झूठ मुकदमा बनाने की कोशिश की । पिछले 3 दिन से इलाहाबाद के क्षेत्र दारियाबाद में जो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर बिजली नहीं रही । बिजली की स्थिति सबसे ज्यादा खराब होती जा रही है बिजली लास के कारणों को देखें कारण इलाहाबाद में 3 करोड़ यूनिट बिजली आती है और केवल लगभग 1 लाख 80 हजार की बिलिंग होती है और बाकी सब बिजली लास में जा रही है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे बिजली लास को देखें और इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी तब तक हम लोग रोते रहेंगे और जनता परेशान रहेगी लेकिन अब जनता यह सुनने वाली नहीं है कि बिजली की कमी है या अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, वे कहते हैं कि हम बिजली का बिल देते हैं, हम बिजली का पैसा देते हैं हमको किसी भी हालत में बिजली चाहिए इसके लिए जनता ने हमको और आपको घेरना शुरू किया है और धीरे-धीरे स्थिति यह आयेगी कि हमारा और आपका रास्ता चलना दुशार हो जायेगा इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो चीजें आपके सामने आयें, जो श्री अग्रवाल जोन के मुख्य अभियन्ता के भ्रष्टाचार के मामले आपके सामने आयें, उन पर आप तत्काल कार्यवाही करें नहीं तो कोई यह नहीं देखेगा कि आप किसके पुत्र हैं, किस परिस्थिति में हैं और बड़े ईमानदार हैं । आप पर लांछन आयेगा । साथ ही साथ जनता कार्यवाही करने पर उतारू हो जायेगी और कार्यवाही कर भी रही है ।

मान्यवर, इलाहाबाद जोन बनने की बात जो शासन द्वारा स्वीकृत हो गयी है, वह विभाग में लटकी न रह जाए, जल्द से जल्द क्रयान्वयन प्रारम्भ कर दिया जाए ताकि वहां के लोगों को कुछ आसानी हो सके ।

श्री महमूदुल हसन अंसारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने इस बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं । मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं समझता हूं कि उससे जनता को काफी सहूलियत मिलेगी और अगर माननीय मंत्री जी इसी तरह से इस ओरख्याल करते रहे तो आइंदा भी बहुत सी सुविधाएं हम लोगों को मिलती रहेंगी । इसके साथ ही मान्यवर अफजलगढ मेरा क्षेत्र है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां बिजली की बहुत कमी है, साथ ही साथ वहां पर जो बिजली का पावर हाऊस है, वहां पर तो बिजली बराबर रहती है, लेकिन शहर में नहीं रहती, इसका मान्यवर, प्रबन्ध किया जावे और मान्यवर कालागढ़ डैम अफजलगढ़ से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है और मान्यवर जहां पर बिजली बनती है, वहां के आस-पास के क्षेत्रों में तो कम से कम 24 घंटे बिजली रहती है, इसलिए अफजलगढ़ को भी 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए और मान्यवर यह बात बहुत पहले से सुनने में आ रही है कि नगरपालिका शेरकोट में एक नया बड़ा बिजलीघर बनाया जायेगा, लेकिन इस ओर अभी तक तो कोई कार्यवाही शायद हुयी नहीं है, इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस ओर भी अपनी पूरी तवज्जो दें ताकि वहां पर बिजलीघर स्थापित हो सके और वहां के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें ।

मान्यवर, हमारे यहां रामजी काला एक गांव है, जहां पर बहुत से फार्म्स हैं, जिनमें ट्यूबवेल लगे हुए हैं, परन्तु वहां पर बिजली न मिलने से जो वहां के निवासियों को फायदा पहुंचना चाहिए था वह नहीं पहुंच रहा है । साथ ही मान्यवर बिजनौर जिले में हैण्ड लूम का काम बहुत होता है, लेकिन वहां पर भी बिजली सही तरीके से न मिल पाने की वजह से उनके सनत पर काफी असर पड़ रहा है, अगर सरकार वहां के सनत को जिंदा रखना चाहती है तो वहां पर पूरे तौर पर बिजली की व्यवस्था की जाए ताकि इनकी परेशानी दूर हो सके और अगर यह सुविधा न दी गयी तो उन्हें बड़ी परेशानी हो जायेगी । और मान्यवर हमारे यहां के किसानों को भी खासतौर से बिजली सही वक्त से दी जाए और बिजली के वहां के जो अधिकारी व कर्मचारी हैं उनको कड़ी से कड़ी हिदायत देकर उनकी तवज्जो दिलाई जाए । साथ ही बिलों में जो गड़बड़ियां होती हैं, उन्हें ठीक कराने में बहुत दिक्कत होती है और उनका काफी पैसा इस सिलसिले में बरबाद होता है । आखिर में मैं फिर माननीय मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर उनकी इसी तरह से बराबर तवज्जो बनी रही तो प्रदेश जरूर इस ओर बहुत तरक्की करेगा और उससे प्रदेश की जनता को काफी फायदा पहुंचेगा ।

डा0 बंगाली सिंह–

मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी आपके विभाग में बिजली की चोरी का होना एक आम बात

है, इस लिए मैं आपको इस ओर एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप जैनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन व ट्रांसमिशन यह तीन अलग-अलग विभाग और खोल दें वह यह देखें कि कितनी बिजली पैदा हुयी और कितनी सप्लाई हुयी और उसके हिसाब से कितनी धनराशि आयी, वह यह देखे । अगर आप यह व्यवस्था कर देंगे तो जो दिन पर दिन घाटे का बजट जो बढ़ता जा रहा है, उसमें कमी आयेगी और चोरी भी तुरन्त खत्म हो जायेगी और आपके चीफ इंजीनियर का आज हाल यह है कि वह अगर किसी लाईन मैन का ट्रांसफर करना चाहे तो उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वह लाईन-मैन का ट्रांसफर कर सके । कि किसी लाईन मैन या पैट्रोमैन का ये ट्रान्सफर कर सकें । ये ट्रांसफर करेंगे तो खुद हट जायेंगे, वह आदमी नहीं हटेगा ।

मान्यवर, अगर यूनियनबाजी खतम नहीं होगी, तो तब तक यह विद्युत विभाग ठीक होने वाला नहीं है । जनता आपको गाली दे रही है और देती रहेगी । पूरे प्रदेश में तार इतने ढीले हैं कि आये दिन खलिहानों में आग लगती रहती है । बच्चे तारों से चिपक कर मरते रहते हैं और छप्परों में आग लगती रहती है । यह काम लाइनमैन और पैट्रोमैन करते हैं । मान्यवर, गत दिनों पहले से टाइम लेकर हमारे सासनी के लोग सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर से मिले, वहां उन्होंने बताया कि सासनी कस्बे के तार बहुत ढीले हैं । उनसे कई आदमी मर चुके हैं । आये दिन घरों में आग लगती है, वहां जो अधिकारी मिले श्री जितेन्द्र सिंह, उन्होंने गाली दी और सबसे बाहर निकलने के लिए कहा और एक व्यक्ति राकेश कुमार के साथ दुर्व्यवहार किया । जब यहां पर प्रश्न किया गया तो उत्तर आया जी नहीं, जी हां । मैं कहना चाहता हूं कि आपके अधिकारी बेल-गाम हो गये हैं, आप इस विभाग में सुधार करना चाहते हैं लेकिन ये अधिकारी आपकी नैया डुबो देंगे । आप ऐसे महापुरुष के सुपुत्र हैं, जिन्होंने पूरे हिन्दुस्तान में नाम किया। अगर आप इस विभाग की प्रगति चाहते हैं तो अपने अधिकारियों पर अंकुश रखिये । जब तक इन पर अंकुश न होगा इस प्रदेश में विद्युत विभाग का भला होने वाला नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया । मैं विद्युत के विषय पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहती हूं । मान्यवर, अभी जो विद्युत का बजट इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत है, उस पर विपक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव आया है, मान्यवर, मुझे मजबूरी में यह विचार करना पड़ रहा है कि जितनी उनकी मांग है, वह भी पूरी नहीं है। मैं इस प्रस्तुत बजट का स्वागत करती हूं। मान्यवर; समय थोड़ा ही मिलेगा, मैं कुछ विशेष बात कहने के लिए खड़ी हुई हूं । मैं इस सदन में जब कुछ कहती हूं तो यहां पर सम्मानित पूरा सदन होता है और इसके अतिरिक्त हमारे बायीं ओर सभी अधिकारीगण जो जिम्मेदार हैं, कामों को पूरा करने के लिए, उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है मा0 मंत्री जी के द्वारा कि उन बातों सुनें और मा0 विधायकों की समस्याओं को समझें और यह सुनिश्चित करें कि नियमों के आधार पर जो वास्तव में ऐसी समस्यायें हैं, जिनको दूर करने की जरूरत है, उनको जरूर दूर करें। मान्यवर, विद्युत का उत्पादन बढ़ा है और विद्युत के माध्यम से ही आज भारत देश और भारत देश के अन्दर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अन्दर ग्रामीण अंचलों में विकास हुआ है, यह निःसंदेह सत्य है । हम यह नहीं कहते कि सारा काम हुआ है, लेकिन

यह भी नहीं कहना चाहिए कि कुछ नहीं हुआ है । आज जितने भी ग्रामों में विद्युतीकरण हुआ है, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि कुछ और हरिजन बस्तियों में विशेष रूप से प्रगति हुई है । एक चीज मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मेरे संज्ञान में भी है कि जब ग्रामीण विद्युतीकरण की बात होती है तो अगल बगल से जो ट्यूबवेल भी निकल जाते हैं, और उनमें बिजली होती है तो ग्राम में विद्युतीकरण हुआ मान लिया जाता है, उससे पूरा नहीं पड़ता है ।

मान्यवर, बिजली 3 जगह खर्च होती है घरों में, खेतों में, गलियों में और कारखानों में, हर जगह खर्च होती है । मान्यवर, खेतों को पानी पहुंचाने के सिलसिले में भी जो प्रक्रिया अपनायी जाती है उसके संबंध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि विशेष रूप से सर्दियों में जब पानी की जरूरत होती , आधी रात को ठिठुरती हुई सर्दी में खेतों के लिए पानी देने की अनुमति प्रदान होती है कि इतने घंटे रात्रि में पानी मिलेगा । उस समय किसान ठिठुरती हुई सर्दी में खेत में पानी लगाते हैं तो और भी ठिठुरते हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूंगी कि कारखाने में रात में बिजली दें, क्योंकि वह एक भवन के अन्दर होता है । लेकिन, किसानों को दिन में पानी दें । मानवता के आधार पर किसान भी इन्सान है उसको भी सर्दी लगती है, उसका भी ध्यान रखना हमारा काम है ।

मान्यवर माननीय मंत्रीगण बैठे हुए हैं, हमारी बायें तरफ अधिकारीगण भी दीर्घाओं में बैठे हुए हैं, हम कहते हैं, वह सुन लेते हैं लेकिन हर साल इतना ही होता है, नतीजा कुछ नहीं निकलता । मान्यवर, ग्रामीण विद्युतीकरण कहां-कहां है, इस संबंध में आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि कुछ क्षेत्र गांव से लेकर शहरीकरण में आ गये हैं, अरबन एरिया में उनको माना गया । मान्यवर, मैं पिछले 25-30 वर्षों की कहानी बता रही हूं लेकिन आज भी वहां पर ग्रामीण विद्युतीकरण है । जब किसानों को रात में पानी के लिए बिजली मिलती है, सम्मानित अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि उसी समय में उस अरबन एरिया में जहां खेती ही नहीं है, वहां बिजली मिलती है । जब वास्तव में बिजली की जरूरत होती है, बिजली नहीं मिलती है । मान्यवर, इस चीज को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो इतने वर्षों से गांव अरबन एरिया में आ चुके हैं, जहां ट्यूबवेल नहीं देते हैं, जहां अब अन्य ग्रामीण इलाकों की भांति सुविधा नहीं देते हैं, वहां आधी रात को बिजली देने का क्या औचित्य ? रात में 2 से 3 बजे तक या 3 से 5 बजे तक बिजली वहां मिलेगी भी तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है । बच्चे पढ़ नहीं सकते, सब उस समय सोते हैं । रात का बिजली का कोटा अवश्य पूरा हो जाता है, लेकिन किसी का कार्य पूरा नहीं होता है । इन बातों की ओर से खासतौर से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है । मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी । मैं तो बिल्कुल डिस्पिलिंड सोल्जर की तरह हूं, आप कहेंगे तो मैं फौरन बैठ जाऊंगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक चीज और कहना चाहती हूं कि बिजली की कटौती होती है लेकिन दिन में 2 बजे 1 बजे बिजली जलती है उसको रोकने में कोई कटौती नहीं होती है । मान्यवर, जिस समय सूर्य भगवान की किरणें प्रकाश फैलाया करती हैं उस समय बिजली जलाने की जरूरत नहीं है । मैंने इस बारे में माननीय मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था, लेकिन उनके यहां से कोई उसका उत्तर नहीं आया और उसका कुछ नतीजा भी निकला नहीं दिखाई देता । मैं आपके माध्यम से पुनः मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि सदन में यदि कोई भावना प्रकट की जाती है, उसमें सत्यता है और नियम के आधार पर वह कार्य हो सकता है, तो उस काम को निश्चित रूप से पूरा होना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय आपका आभार प्रकट करते हुए माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करती हूं । धन्यवाद ।

श्री आसान सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय ऊर्जा विभाग के मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर एवं बजट पर माननीय मयंकर सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । श्रीमन्, जैसा कि अभी माननीय सदस्य मूल चन्द्र जी ने कहा माननीय शास्त्री जी एक आदर्श पुरुष के पुत्र हैं लेकिन मान्यवर अब प्रदेश के किसानों को निराशा होती जा रही है जो आशा प्रदेश के किसानों ने माननीय शास्त्री जी से लगाई थी, उसकी आशाओं पर पानी फिर रहा है। आज जब सूखे की स्थिति चल रही है किसान-एक-एक बूंद के लिए तरस रहा है और बिजली के लिए तरस रहा है। लखनऊ में एक सेकेण्ड के लिए भी बिजली नहीं जाती, लेकिन गांवों में खेत तक पानी ले जाने तक बिजली 10 बार आती है और 10 बार चली जाती है, इसलिए मेरी मांग है कि जितने घंटे बिजली देने का वायदा किया गया है, उतने घण्टे बिजली गांवों में लगातार दी जानी चाहिए । आज जो सफेद हाथी बैठे हुए हैं, इन पर आपका कोई अंकुश नहीं है, जब तक इन पर अंकुश आप नहीं लगायेंगे, तब तक बिजली में कोई सुधार होने वाला नहीं है । लाखों रुपये की चोरी हो रही है । कनेक्सन देने से लेकर भुगतान करने तक हर स्तर पर पैसा लिया जाता है । कनेक्सन के लिए एप्लाई करो, पैसा लिया जाता है, बिजली का भुगतान करो, पैसा लिया जाता है, ट्रान्सफारमर खराब हो जाता है और उसे रि-कनेक्ट करने पर पैसा लिया जाता है, और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कनेक्शन के लिए कोई एप्लाई ही नहीं करता, मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए आप स्वयं और आपके अधिकारी पहल नहीं करते हैं । यहां एयर कन्डीशन कमरों में बैठे रहते हैं लेकिन मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जिस दिन इस प्रदेश व देश का किसान जाग जायेगा तो आपके इन एयर कन्डीशनों को आग में जला देगा । माननीय शास्त्री जी आप एक ऐसे बाप के बेटे हैं, जिन्होंने एक रेल दुर्घटना के ऊपर केन्द्र से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए आप को भी इस प्रदेश की कुर्सी को ठोकर मार देनी चाहिए या फिर इन सफेद हाथियों पर अंकुश लगाना चाहिए । 1985-86 तक जिन गांवों में हमारे यहां विद्युतीकरण हुआ है, वह सिर्फ आपके कागजों में हुआ है । हमारे यहां इटावा जिले में दो आफिसर हैं एक है शिव कुमार शर्मा और दूसरा है मोहम्मद इदरीश । ये वर्षों से वहां पर जमे हुए हैं । इन दोनों ने सारे विभाग को खोखला कर दिया है । वहां पर बिजली की चोरी करवाते हैं, अवैध कनेक्शन व पावर कनेक्शन दे रखे हैं और उनसे माह-

वारी पैसा लेते हैं । कई कनेक्शन पकड़े भी गये, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । हमारे क्षेत्र विधूना में 2 परसेंट विद्युतीकरण है और आप 80 परसेंट की बात करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं । मैंने श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय जी को बुला लिया है ।

(व्यवधान) (श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय जी बोलने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता–

श्री असान सिंह जी जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री असान सिंह–

इसके साथ ही मैं मा0 मयंकर सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, मैंने श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय को बुला लिया है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट की चर्चा में बोलने का अवसर दिया । मैं मा0 ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और श्री मयंकर सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

विद्युत विभाग में माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जलाभाव, कोयले का अभाव तथा कर्मचारियों की हड़ताल इन तीनों समस्याओं के रहने पर भी विद्युत की समस्याओं को हल करने में जितनी कामयाबी हासिल की है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । इसी के साथ तीन बातों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । विद्युत की समस्या को हल करने के लिए जिस तरह से विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है, उसी तरह वितरण व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए । अगर आप इन दोनों समस्याओं को हल कर लेते हैं तो विद्युत की चोरी पर भी रोक लगायी जाय । अक्सर देखा गया है कि आपने इस ओर भी कदम उठाया है । एक सचल दस्ता आपने बना रखा है । हम यह नहीं समझ पाते हैं कि जब यह चोरी पकड़ने के लिए क्षेत्र में भेजा जाता है और चोरी पकड़ जाती है तो स्थानीय कर्मचारी, जिनके क्षेत्र में विद्युत की चोरी होती है, उपभोक्ता को तो दंडित किया जाता है, लेकिन वह कर्मचारी दण्डित नहीं होता है । जब विद्युत उपभोक्ता दण्डित किया जाय तो कर्मचारी और अधिकारी भी दण्डित किए जाने चाहिए ।

जहां तक विद्युत वितरण का सवाल है, फैजाबाद मण्डल में बहराइच और गोण्डा है । ये दोनों जनपद विद्युत वितरण प्रणाली में उपेक्षित रहे हैं, इनको समानता नहीं मिल पायी । गोण्डा में जब बिजली चली जाती है तो प्रभारी मंत्री से शिकायत करते हैं तो वे कहते हैं कि बिजली मिलेगी । मेरा कहना है कि आप सुल्तानपुर में, फैजाबाद में, प्रतापगढ़ में, बाराबंकी में खूब बिजली दें, लेकिन बहराइच और गोण्डा के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है । मेरे यहां डुमरियाडीह नामक स्थान पर सब-स्टेशन

स्वीकृत हुआ, निशानदेही वगैरह सब हो गयी, लेकिन सब-स्टेशन आज भी नहीं बन रहा है । हमारे मंत्री जी, जो प्रभारी मंत्री भी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि डुमरियाडीह पर विद्युत के सब-स्टेशन का निर्माण करायें, जिससे ग्रामीण विद्युतीकरण भी सही तरीके से हो सके । ग्रामीण विद्युतीकरण और हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण दोनों ही महत्व रखते हैं । अक्सर देखा जाता है कि हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण के नाम पर एक लट्टू बल्ब लटका दिया जाता है, हम स्विच आन करके चले आते हैं । बाद में उस बस्ती के नजदीक जो पुरवा होता है, वहां तक विद्युत पहुंचा दी जाती है चाहे वहां एक ही घर हो, पूरी बस्ती में विद्युतीकरण नहीं होता है । सामान्य बस्ती के विद्युतीकरण के बारे में कहना चाहता हूं सत्ता पक्ष के लोग भी हैं और विपक्ष के भी हैं । हम जो भी प्रस्ताव देते हैं, क्या पता दूसरे जनपदों में ऐसा है या नहीं, वहां के अधिकारी ने अपने पास एक प्रस्तावित सूची बना रखी है, उनका कहना है कि माननीय विधायक जो भी प्रस्ताव देंगे, अगर हमारी सूची के अन्तर्गत आता है तो विद्युतीकरण करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे ।

यह सूची किस आधार पर बनायी गई और कहां से बनाई गई है, यह हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन माननीय विधायक गण जो कि जन प्रतिनिधि हैं, अगर एक ब्लाक में 25 गांव लिए गये हैं तो उसमें उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि विधायकों की चाहे इधर का विधायक हो या उधर का विधायक हो, विधायकों की संस्तुति के आधार पर विद्युतीकरण किया जाना चाहिए । जहां भी विद्युतीकरण हो उस क्षेत्र के विधायक को वहां पर वरीयता नहीं दी जाती है बल्कि अधिकारियों के द्वारा प्रस्तावित सूची को अपना मापदण्ड बना लिया जाता है ।

विद्युत की चोरी के बारे में कहना चाहता हूं कि बिजनेस घरानों में जितना वे लोग चाहते हैं उतना ही उनका बिल आता है, लेकिन साधारण नागरिक बिजली के भुगतान से परेशान है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षण चाहता हूं कि विद्युत की कटौती सूचना पहले से होनी चाहिए और सूचना में कटौती के लिए जो समय निश्चित किया जाय, बस उतने समय के लिए ही बिजली कटौती की जानी चाहिए । मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मा0 मयंकर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । बजट के लिए पूरा दिन होता है, पूरा दिन में चार घण्टा का समय दिया जाता है । आज यह बजट 2.45 पर शुरू हुआ और 6.45 तक इसके चार घण्टे पूरे होते हैं । जो माननीय सदस्य रह गये हैं और बोलना चाहते हैं, उनको आप बुलवा लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता--

हां, हम कर देंगे, आप बैठें । जो मा0 सदस्य अपने सुझाव नहीं दे सके, वह अपने लिखित सुझाव दे दें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मंत्री जी तो पूरा बोल चुके, वे अपना समय हम लोगों को दे दें ।

(श्री मयंकर सिंह के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने के प्रयत्न पर)

(व्यवधान)

श्री समर पाल सिंह–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सदन की उपस्थिति से विदित है कि चार घण्टे के समय में आप एक को इधर से और एक को उधर से बुलवाते हैं, तो ऐसे तो सारे ही उधर वाले बोल लेंगे । इसलिए उधर से एक और इधर से आप चार को बोलने का मौका दीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

संख्या तो उधर की ज्यादा है ही, तो बिना बुलवाये ही साथ उठवा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्रीमती चारुशीला –

मान्यवर, हम लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए ।

श्री हरदेव–

सदन में आप बोलने नहीं देंगे तो यहां हरदेव के सिवाय और कौन बोलेगा ? आप चेयर पर कई दिनों से बैठ रहे हैं और आज तक आपने हमें बोलने का मौका नहीं दिया है चाहे कोई बजट रहा हो ।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 हरदेव जी, आप बैठिए ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

हम एक घण्टा समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं तो क्या आप समय नहीं बढ़ायेंगे ? मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इस बजट पर मा0 सदस्यों को बोलने के लिए एक घण्टा का समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 पाण्डेय जी, आप बैठिये, यह ठीक नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

मान्यवर, मुझको कृषि के बजट पर भी बोलने नहीं दिया गया और आज भी नहीं बोलने दिया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये । मैंने श्री मयंकर सिंह जी को बुला लिया है । हरदेव जी आप बैठिये ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, एक घन्टा और समय दे दें । प्रस्ताव करा दें ।

श्री मैनेजर सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इसी सदन में इसी आसन से माननीय होती लाल अग्रवाल जी ने यह व्यवस्था दी थी कि जो बोलना चाहते हैं, वह लिखकर दे दें और वह कार्यवाही का भाग बन जायेगा । ऐसा पहले हुआ है तो आप भी वही कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

जी नहीं ।

एक सदस्य–

मान्यवर, सुझाव तो उसी प्रकार पड़े रह जाते हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, इसलिये बोलने का मौका दे दें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, पूरा सदन चाहता है ।आप समय बढ़ा दें । यह अपनी आलोचना से बचने के लिये कम से कम समय में बजट पास करा लेना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

पाण्डेय जी, आप बैठें ।

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो भी माननीय सदस्य इस कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोले हैं ....

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

मान्यवर, आप मुझे बोलने का अवसर दें । यह बड़ा महत्वपूर्ण बजट है और आप बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं । अगर आप बोलने का समय नहीं देंगे तो मैं सदन का त्याग करूंगा ।

(श्री भगवानदीन कुशवाहा सदन त्याग कर चले गये)

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, इधर के माननीय सदस्यों ने और उधर के माननीय सदस्यों ने माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा रखे गये अनुदान प्रस्ताव पर आलोचनायें और सुझाव दिए हैं मैं उन सभी का आभारी हूं । मान्यवर, एक अनुरोध यह है कि यहां पर एक मात्र परम्परा यह रही है कि बजट का विषय आ गया और उस पर कुछ आलोचना हो गयी और कुछ सुझाव आ गये और सभी लोग सुनकर चले गये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए । इस मंत्रि परिषद् में तमाम ऐसे ऐसे श्रीमान हुए हैं, जिन्होंने इतिहास बनाया है । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यथास्थिति बाद का अनुसरण ऊर्जा मंत्री जी छोड़ दें और कुछ नयी परम्पराओं को जन्म दें । मान्यवर, अंग्रेजी काल में विद्युत उपभोक्ता और विद्युत विभाग के बीच जो समझौता हुआ करता था वह एक पक्षीय हुआ करता था, लेकिन हमारे देश को आजाद हुये इतने वर्ष हो गये हैं, परन्तु आज भी एक तरफा समझौता होता है । उपभोक्ता जब जाता है तो वह पूरी तरह से सरकार के लिये रहन हो जाता है, लेकिन विभाग कोई शर्त स्वीकार नहीं करता है कि कितने घन्टे बिजली दी जायेगी, इसलिये मेरी स्पष्ट मांग है कि इस विषय पर यह एक तरफा अनुबन्ध प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये । सरकार भी यह वायदा करे कि किसानों की, उपभोक्ताओं को और उद्योगों को कितनी बिजली देंगे और "जितनी बिजली उतना दाम" की नीति लागू करें । मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि किसानों को इस तरह से एक तरफा अनुबन्ध में पीसा जा रहा है । दो-चार घन्टे बिजली देकर उनसे वसूली की जा रही है । यह उचित नहीं है क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा तो देश और प्रदेश खुशहाल होगा और इस तरह से पूरा देश ऊपर उठेगा । इस सपने को पूरा करने के लिये किसान की खुशहाली के लिये एक-तरफा अनुबन्ध समाप्त किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसान के ऊपर 25 हार्स पावर, 50 हार्स पावर और 75 हार्स पावर का लोड है। मीडियम 50 और हाई हार्स पावर है। कोई भी किसान जो 50 हार्स पावर को कम करना चाहता है तो उससे 400 रुपये प्रति हार्स पावर लिया जाता है और यदि वह उसे बढ़ाना चाहता है तो कोई परेशानी नहीं होती है। यदि किसान इस लोड को 15/20 हार्स पावर करना चाहता है, कम करना चाहता है तो उससे वही भारी वसूली की जाती है। उसी हार्स पावर पर रखकर वह अपनी तबाही करे, उसके पास उतनी पूंजी नहीं होती है कि वह उसे दे सके। यदि सिंचाई के लिये उसके पास 25 हार्स पावर का कनेक्शन है और उससे यदि आधा हार्स पावर भी विद्युत घर के उपयोग के लिये लिये हुए है तो 25 हार्स पावर में उसे जोड़कर जो लोवर होता है उसको मीडियम किया जाता है और ऐसी स्थिति में उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। यह किसान के लिये अच्छी बात नहीं है। किसानों के प्रति शासन को उदार रहना चाहिए क्योंकि वह अन्नदाता है। ईमानदारी की बात तो यह है कि चाहे सीमा पर लड़ने वाला जवान हो या मंत्रि-परिषद् में बैठे लोग हों, चाहे प्रयोगशाला में बैठा वैज्ञानिक हो या किसी विद्यालय में बैठा विद्यार्थी हो सभी के लिये रोटी वही किसान देता है। अगर यह कहा जाय कि प्राणी-मात्र की रक्षा में या तो ऊपर भगवान है और नीचे किसान है तीसरा कोई नहीं है, तो यह अत्युक्ति नहीं होगी। इसलिये किसान के प्रति सरकार का उदार दृष्टिकोण होनी चाहिए। किसान दुखी रहे यह उचित नहीं है। क्योंकि भारत माता ग्राम-वासिनी कही गई है।

मान्यवर, जितनी बिजली उतना दाम की नीति के साथ-साथ मैं कुछ और सुझाव भी माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। वर्तमान विद्युत परिषद् जो है वह उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही है। इस परिषद् को भंग करके किसी ऐसी संस्था का गठन किया जाय जिस पर अभियन्ता या किसी वर्ग विशेष का एकाधिकार न हो। दूसरी बात इस परिषद् में किसानों, मजदूरों या विभिन्न श्रेणी के मजदूरों को चयनित किया जाय क्योंकि वह भी इस व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। विद्युत उत्पादन, वितरण तथा लाइन लोसेज के क्षेत्र में मानक मापदन्डों का पालन न होने पर सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के ऊपर दन्ड की व्यवस्था की जाय। विभाग में पुलिस की देखरेख में सचल दल बना दिया जाय और इस सम्बन्ध में चोरी या लापरवाही करने वालों अधिकारियों और कर्मचारियों को कठोर दन्ड दिया जाय और ऐसे लोगों को जो ऐसी गड़बड़ी रोकने में सहायक सिद्ध हों, उन्हें पुरष्कृत किया जाय।

विद्युत की वसूली के बारे में कहना चाहूंगा कि विद्युत की जो बकाया राशि हो उसे सख्ती से वसूल किया जाय। आज विद्युत का 266.92 करोड़ रुपया बकाया है। इसमें से कृषि उद्योग में 33.66 प्रतिशत बकाया है जब कि शेष 66.33 प्रतिशत सरकारी या बड़े उद्योगों पर है और उसके बाद लघु उपभोक्ता आते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि बड़े उद्योगपतियों से वसूली की जाय जिनका बकाया में बहुत बड़ा हिस्सा है किसानों के ऊपर माननीय मंत्री जी कृपा करें, ऊपर से भगवान की कृपा होने लगी है कुछ जगहों में फुहार पड़ रही है, इसलिये किसानों के ऊपर जो वसूली है उसमें उपीड़न न करें उदारतापूर्वक सुविधाजनक रूप से वसूली उनसे करें। बड़े उपभोक्ताओं से वसूली करेंगे तो उससे लाभ ज्यादा होगा

ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष पुरुष्कार, पदोन्नति की व्यवस्था हो जिनके कार्यकाल में परिषद् को अतिरिक्त लाभ उत्पादन और राजस्व के क्षेत्र में हुआ हो ।

ठेकेदारी प्रथा के तहत मजदूरों की सप्लाई तत्काल बंद हो यथा-संभव ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत कम काम कराये जायं । फर्जी कार्यों हेतु भुगतान की जानकारी हेतु खुफिया विभाग को चुस्त कर कठोर कार्यवाही की जाय ।

खराब उपकरणों की सप्लाई करने वाली फर्मों पर गुणवत्ता की कमी होने पर भुगतान रोक कर जुर्माना किया जाय एवं अच्छे कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

प्रत्येक अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निजी संपत्तियों का ब्यौरा परिषद् को प्रस्तुत करने के लिये आदेश पारित किये जायं ।

स्टेशनरी व्यवस्था, माल की ढुलाई व्यवस्था एवं रेलवे विभाग के माल की सुपुर्दगी लेने सम्बन्धी व्यवस्था में सुधार हो।

परिषदीय वाहनों के निजी प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय ऐसा सिद्ध होने पर ड्राइवर सहित अधिकारियों को दण्ड दिया जाय । मनोरंजन गृह, बाजार, स्कूल एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर परिषदीय वाहनों के पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी को दंडित किया जाय ।

अधिकारियों के वेतन सम्बन्धी बकाया बिलों एवं यात्रा बिलों का अंकेक्षण एक विशेष अंकेक्षण दल से कराया जाय एवं वित्तीय नियमों की परिधि के बाहर स्वीकृत मदों के बिल निरस्त किये जायं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपा कर समाप्त करें ।

श्री मयंकर सिंह–

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निजी कार्य में न लगाया जाय ।

लेखा शाखा को चुस्त बनाने के लिये स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान हो, उन्हें वित्तीय अनियमितताओं के होने पर कार्यवाही करने का अधिकार दिया जाय । उनके कार्यों का मूल्यांकन अभियंताओं के स्थान पर लेखाधिकारियों द्वारा किया जाय ।

इसके साथ ही साथ मान्यवर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लाक पर जूनियर इंजीनियर नियुक्त करने की योजना है उसी तरह से बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिये भी योजना बनाई जाय उसमें इस क्षेत्र को भी जोड़ लिया जाय । आज जो बड़े उद्योगों में काफी बड़ी धनराशि वसूल होने से पड़ी हुई है उसमें और कितना समय लगेगा, कौन-कौन अधिकारी वित्तीय अनियमितता के लिये दोषी हैं उन्हें दंडित किया जाय । इस प्रकार में अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों को पर्याप्त बिजली दी जाय और उन पर जो बकाया है उसकी वसूली में उत्पीड़न न किया जाय।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मा0 विद्युत मंत्री को पुकारने पर)

श्री कनक सिंह–

मान्यवर, आपने कहा था कि अपने सुझाव दें दें उसे हम किसे दें । आपने एक मिनट भी बोलने का अवसर नहीं दिया इसलिये मैं वाकआउट करता हूं ।

(श्री कनक सिंह भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का चाहे वह इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हों जिन्होंने विद्युत जैसे महत्वपूर्ण बजट पर यहां पर सुझाव दिये आभारी हूं । यहां पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जहां तक विद्युत की प्रगति की बात है जहां दो वर्ष पूर्व हम केवल 31.2 प्रतिशत विद्युत उत्पादन कर रहे थे अपनी तापीय विद्युत में उसमें पिछले वर्ष हमारा 41.2 प्रतिशत लोड फैक्टर रहा और इस वर्ष मार्च के बाद तीन महीनों में 45.6 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर प्राप्त किया है और हमारा लक्ष्य इस वर्ष 50 प्रतिशत तक प्राप्त करने का है । श्रीमन्, यहां हमारे एक माननीय सदस्य श्री तिवारी जी ने सिगरौली और अन्य विद्युतगृहों का जिक्र किया, अन्य माननीय सदस्यों ने भी यहां कहा, मैं बताना चाहता हूं कि यहां 27 इकाइयां हैं जो ओबरा, हरदुआगंज, पनकी और दूसरे पावर हाउसेस में हैं। इन सभी में जो हमारी इकाइयां हैं वह पुरानी हैं और उनमें 22 इकाइयां 16 से 20 वर्ष पुरानी हैं। नया तापीय विद्युतगृह परीक्षा, पनकी विस्तार योजना और आनपारा, इन तीनों का क्रमश: उत्पादन 50.1 प्रतिशत 56.9 प्रतिशत और 71.7 प्रतिशत हो गया है जो इस बात का प्रतीक है कि हमारी जो नई मशीनें हैं उन पर हम जो कार्य कर रहे हैं, जो नई तकनीक है उसका प्रयोग करके अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन कर रहे हैं ।

अभी हमारे माननीय सदस्य मयंकर सिंह ने परीछा के बारे में जिक्र किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि परीक्षा की दोनों इकाइयां 110 मेगावाट की जिनमें समय-समय पर खराबी आती गयी थी जिनमें सुधार किया और अभी हाल में एक बड़ी खराबी के कारण जो उत्पादन बंद हो गया था लेकिन हमारी परीछा की पहली इकाई 16 जुलाई से पुन: विद्युत उत्पादन शुरू कर देगी। उसके बाद दूसरी और तीसरी इकाई 30 सितम्बर के बाद से उतादन शुरू कर देगी। यही नहीं पंकी की जो हमारी यूनिट्स दो हैं 32-32 मेगावाट की उन पर तेजी से कार्य कर रहे हैं जिससे एक इकाई हमारे बीच इसी वर्ष उपलब्ध हो जायेगी ।

(इस समय 6 बजकर 21 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए ।)

श्रीमन्, आनपारा की तीसरी इकाई के बारे में यहां जिक्र किया गया तो मैं बताना चाहूंगा कि यह दिसम्बर 1987 तक उपलब्ध हो जायेगी और इस प्रकार आनपारा योजना से 630 मेगावाट की पूरी क्षमता वर्ष 1988 में प्राप्त होने लगेगी ।

मान्यवर, यहां पर ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में सभी सदस्यों ने कहा, तो मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो है उसके द्वारा जनपद के हर विकास खण्डों की विद्युतीकरण की योजनायें तैयार की जाती हैं जो भारत सरकार को भेजी जाती हैं और वहां से वह योजनायें स्वीकार होने के पश्चात् हम उस पर अपना कार्य प्रारम्भ करते हैं। यह योजना 50 लाख रुपये के आसपास होती हैं और इसमें समय 4–5 वर्ष का निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत ऐसे हमारे विकास खण्ड हैं जहां ऐसी योजना लागू करने का प्रयास किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम जो 5–7 वर्ष में कहते हैं कि विद्युतीकरण कर लेंगे तो वह इन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत ऐसी योजना भी इसमें शामिल हैं। श्रीमन्, जहां हम शतप्रतिशत विद्युत उत्पादन करने जा रहे हैं वहीं हमने एक लक्ष्य भी निर्धारित किया है और मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे ग्रामीण

विद्युतीकरण निगम द्वारा योजनाएं स्वीकार हो जाती हैं और धन उपलब्ध होगा तो हम अधिक से अधिक गांवों का विद्युतीकरण कर सकेंगे।

मान्यवर, श्री अजीत सिंह ने मित्तल कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा तो मैं उनसे सहमत हूं क्योंकि मैंने स्वयं देखा है बाहरी देशों में 18 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है और उस पर एक व्यक्ति निर्धारित होता है और ओबरा परियोजना में एक मेगावाट पर 6 से 9 व्यक्तियों की संख्या आती है। लेकिन इनकी मित्तल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें विस्तार से इसका जिक्र किया गया है और उन्हीं संस्तुतियों पर आनपारा और टाण्डा योजनाओं में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार जो नियुक्तियां की गयी हैं वह मित्तल कमेटी की अनुशंसा के अनुसार की गयी हैं। ओबरा में भी हमने कोशिश इस बात की की है कि वहां पर भी कुछ लोगों को वहां से हटाकर बेहतर स्टाफिंग पैटर्न बनाएं। जहां तक बिजली की कमी की जो बात है, मैं यह बात अपने माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि वर्ष 83-84 में हमारे बीच केवल 24 लाख उपभोक्ता थे और आज 86-87 में 30 लाख उपभोक्ता हैं और कनेक्टेड लोड 6200 मेगावाट का है, जो भार 7700 से अधिक है। यह बात सही है कि विद्युत की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। यदि आप पिछले वर्ष को उठाकर देखें तो करीब 450 मेगावाट की अतिरिक्त मांग बढ़ी है और उसके विपरीत केवल आनपारा की 210 मेगावाट की एक मशीन मिली। तो मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। जैसे 20,000 ट्यूबवेल कनेक्शन देने की ही बात है, तो यदि हम 10 हार्स पावर के हिसाब से भी औसत लगाएं तो हमें 2 लाख की और आवश्यकता पड़ जाती है। किन्तु हमारे लिए यह भी सम्भव नहीं है कि हम विद्युत उपभोग पर किसी प्रकार का कोई अंकुश लगाएं कि किसानों अथवा घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली न दें या उसे सीमित कर दें। हमें विकास करना है तो हमें बिजली उनको उपलब्ध ही करानी होगी और साथ ही साथ हमारा यह भी प्रयास है कि लाईन-लास में कैसे सुधार करें, उन कमियों को दूर करें और उस परिपेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा कि जो नवीनीकरण कार्यक्रम है, उसके अन्तर्गत हम अपने प्लान्ट लोड फैक्टर को 45.5 तक ले जा सके हैं। हमें उम्मीद है जैसा हमने अपना टार्गेट बनाया है यह और अधिक बढ़ेगा और हम अपने उद्देश्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे।

जहां तक घाटे का जिक्र किया गया है, मैं यह कहना चाहूंगा कि घाटा जो है वह रुपया 1700 करोड़ का है, लेकिन घाटे में जो ग्रामीण विद्युतीकरण का अंश है, जिसमें राज्य विद्युत परिषद् को सब्सिडी देनी पड़ती है, उसके अन्तर्गत हमें करीब 1 हजार करोड़ रुपया देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हमारे ऊपर जो ऋण है, जो उत्तर प्रदेश सरकार से मिला है, उसके ऊपर ब्याज हमारे ऊपर उसी समय से शुरू हो जाता है जब ऋण दिया जाता है और परियोजनाओं में अमूमन 5–7 साल का समय निर्माण कार्य में लगता है। इस प्रकार हमें उससे आय होना 5–7 साल बाद शुरू होता है। तो जो हम ऋण लेते हैं, उसमें हमारे सामने कुछ कठिनाई पड़ती है। जब उत्पादन ही नहीं है और हम ब्याज देंगे तो वह हमारे लिए परेशानी की बात हो हो जायेगी। किन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण राज्य सरकार को यह करना पड़ता है और हमें भी मजबूरी में लोन सरकार से लेना ही पड़ता है और हमें अतिरिक्त वित्तीय भार को सहन करना पड़ता है। हमने 86-87 से कैपटलाईजेशन को लागू किया है, जिससे ऋण का भार इन्ट्रेस्ट हमारा थोड़ा कम पड़ेगा और हमारा घाटा भी कुछ कम होगा।

एक बात और मैं आपके बीच कहना चाहूंगा, पर्वतीय क्षेत्र के विधायकगण यहां इस बजट पर बोलना चाहते थे, लेकिन समयाभाव के कारण नहीं कह सके, मैं उनसे विशेषकर बताना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में लघु विद्युत गृहों का निर्माण कार्य हमने अपने हाथ में ले लिया है और तेजी से कार्य कर रहे हैं। इस हेतु एक निगम का गठन किया गया है, जो छोटे यानी लघु विद्युत गृहों के निर्माण कार्य को पूरा करेगा। इस समय हमारे बीच 20 ऐसे लघु जल विद्युत गृह हैं। इनमें से 5 विद्युत गृह निर्माणाधीन हैं और इनके पूरे हो जाने से 5 मेगावाट की क्षमता और बढ़ेगी और जो हमारी प्रस्तावित योजना है 20 मेगावाट की है जब हम योजनाएं और बढ़ाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां विद्युत की बहुत कमी है। लघु जल विद्युत गृहों का निर्माण हो जाएगा, तो उन क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी। मान्यवर, 7वीं पंचवर्षीय योजना में 125 करोड़ रुपये का पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्राविधान किया गया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 4 हजार 335 गांव 3 हजार 400 हरिजन बस्तियों में 500 निजी नलकूपों का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, वर्ष 1985-86 में राजस्व का निर्धारण 664 करोड़ का था इसके विपरीत 641 करोड़ की वसूली हुई। इस वर्ष राजस्व का निर्धारण 890 करोड़ किया गया जिसमें 825 करोड़ की वसूली हुई। मान्यवर, जो बकाया है वह 225 करोड़ से बढ़कर 266 करोड़ हो गया है। यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि जहां हमारे निजी नलकूपों के ऊपर 7 करोड़ की बकाया धनराशि है लेकिन हम वसूली के लिए कोई भी दबाव नहीं डाल रहे हैं क्योंकि सूखा है हम किसानों का ध्यान रखते हुए ऐसा कर रहे हैं, और कोई भी कड़ी कार्यवाही हम नहीं कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि 63 करोड़ रुपया जो बड़े उद्योग हैं उन पर बकाया है, 38 करोड़ रुपया छोटे उद्योगों पर बकाया है इसमें उन्होंने स्थगन आदेश ले रखे हैं इसमें हम प्रयास इस बात का कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें फैसला हो ताकि वसूली की जा सके। मान्यवर, छोटे और मध्यम उद्योगों पर 26 करोड़ रुपया बकाया है उत्तर प्रदेश शासन के जल संस्थान और जल निगम विभाग का जहां तक प्रश्न है इसमें 52 करोड़ रुपया बकाया है। मान्यवर, इनकी बिजली भी हम नहीं काट सकते हैं क्योंकि इसका सीधा सम्पर्क हमारी जनता से है हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि बकाया धनराशि की वसूली कर सकें। सिंचाई विभाग पर 15 करोड़ रुपया बकाया है, जिसकी वसूली के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं इसमें हमने मुख्य मंत्री जी से भी कहा है उन्होंने आदेश दिए हैं।

सिंचाई विभाग से बकाया धनराशि प्राप्त हो इसमें कोशिश इस बात की की जाएगी कि बकाया धनराशि 325 प्राप्त की जा रही है। इसमें निर्देश दिए गये हैं कि बकाया धनराशि वसूल की जाए। इसमें केवल 50 करोड़ का अन्तर रहा है ज्यादा अन्तर नहीं हुआ है। मान्यवर, लखनऊ के लिए टाटा कन्सल्टेंसी के द्वारा पूरी वितरण व्यवस्था के सुधार के लिए कहा गया है। वाराणसी और कानपुर के वितरण व्यवस्था के सुधार के बारे में प्रयास किया गया है। वाराणसी की वितरण व्यवस्था के सुधार के बारे में भी टाटा कन्सल्टेंसी तथा कानपुर वितरण व्यवस्था के सुधार के बारे में ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया है इन दोनों बड़े शहरों में लाइन बिछी है। अभी हमारे वर्मा जी ने आगरे के बारे में कहा लाइन लांसेस आगरा में है और

करीब 32 प्रतिशत है जब कि 20 प्रतिशत हमारे प्रदेश का है तो उससे अधिक है इसको कम करने के लिए आगरा और आस-पास के कस्बों के लिए एक योजना तैयार कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त यहां पर माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उन्होंने बहुत सी योजनाओं के नाम गिनायें हैं और कहा है कि उनकी निर्माण की धनराशि बढ़ती चली जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन निरन्तर इस बात का प्रयास कर रहा है कि भारत सरकार या प्लानिंग कमीशन या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से हमारी योजनाओं की क्लियरेंस मिल जाय। बहुत सी योजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गयी है। लेकिन कुछ जल विद्युत परियोजनाओं के लिए थोड़ी सी रुकावट है। क्योंकि इन योजनाओं के लिए वन विभाग से क्लियरेंस लेनी है इसमें से थोड़ी सी रुकावट है, इसके लिए हमारी निरन्तर बातचीत हो रही है। हमारे माननीय सुखपाल पांडे जी आ गये हैं उन्होंने एक जिक्र किया था कि रेल दुर्घटना पर मेरे स्वर्गीय पिता जी ने इस्तीफा दे दिया था और 2 अग्निकाण्ड तापीय विद्युत गृह में हुये हैं तो मैं यहां पर क्यों बैठा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सुखपाल पांडे जी बहुत सम्मानित सदस्य हैं पता नहीं वह कैसे भूल गये। 1983 और 1984 में ओबरा में जब अग्निकाण्ड हुआ तो मैं श्रम विभाग का मंत्री था ऊर्जा विभाग मेरे पास नहीं था इसलिए सुखपाल पाण्डे जी को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए थी।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी बैठ जायं तभी तो स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री सुनील शास्त्री–

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी ने इलाहाबाद के बारे में जिक्र किया, इलाहाबाद के कुछ और हमारे माननीय सदस्यों ने मुझे लिखित रूप में दिया है कि इलाहाबाद की विद्युत व्यवस्था काफी खराब है। इसको अगर नहीं ठीक किया गया तो वहां जन आक्रोश उत्पन्न हो जायगा। मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं इसको देखूंगा और जो भी अधिकारी वहां पर अधिक समय से हैं और जिन अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता की जांच चल रही है तो उनको वहां नहीं रहने देंगे। इलाहाबाद में जरूर परिवर्तन करेंगे क्योंकि वह हमारा महत्वपूर्ण शहर है। वहां पर अगर बिजली के लिए जनाक्रोश उत्पन्न होता है तो वह हमारे लिए शोभा की बात नहीं है। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से देखूंगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो पूरी तरह से उसको रिकांस्टीट्यूट करूंगा। इलाहाबाद जोन का भी जिक्र आया तो वह जो प्रस्ताव है वह विचाराधीन है उसको स्थगित किया है। राज्य विद्युत परिषद् की आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं है कि हम नये नये जोन खोलते जायं। क्योंकि इधर के और उधर के माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह सफेद हाथी है तो यह सम्भव नहीं है कि आर्थिक स्थिति की कठिनाई होते हुए भी अधिक जोन खोलते चले जायं। जोन खोलने से रिकरिंग खर्च बढ़ जायगा। लेकिन जहां तक जोन्स को निरस्त करने की बात है तो प्रस्ताव निरस्त नहीं किया गया है उसको केवल स्थगित किया है। पहले हमारा प्रयास होगा कि मंडल स्तर पर मुख्य

क्षेत्रीय अभियन्ता कार्यालय स्थापित किये जायं। इसमें झांसी भी है, फैजाबाद और मुरादाबाद भी है, इलाहाबाद और गाजियाबाद में भी इस पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे लाइन लासेज के बारे में भी बहुत सी बातें कही गयीं। प्लानिंग कमीशन ने भारत सरकार ने जो अध्ययन किया है उसकी जो 1986-87 की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने हमारे लाइन लासेज 17 परसेंट दिखाये हैं जबकि हमारा अनुमान है कि यह 20 परसेंट है। तो जो उन्होंने बताया है तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब तथा राजस्थान और तमिलनाडु आदि जो राज्य हैं इनके लिए जो भारत सरकार ने आकलन किया है उसके अनुसार यह 17 परसेंट से अधिक है। उत्तर प्रदेश में इन राज्यों से कम लाइन लासेज हैं। हमारा प्रयास है कि इसे और मजबूत करें। जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जो उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने की सिस्टम है इन दोनों को मजबूत करने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अगर सम्भव हो सका तो हमारी जो तकनीकी हानि है केन्द्र विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के तहत 13 से 14 प्रतिशत होनी चाहिए उसको भी प्राप्त करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि जो हानि है उसको कम से कम करें ताकि राष्ट्रीय औसत से कम रहे।

यहां पर अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं प्रदूषण के संबंध में एक महत्वपूर्ण कार्य हम लोग इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसीपिटेट का लखनऊ में कर रहे हैं। पनकी का जहां तक प्रश्न है उसके लिए भारत सरकार ने अपनी अनुमति दे दी है वहां पर भारत सरकार के द्वारा इस योजना को लगायेंगे इसके साथ ही हरदुआगंज और ओबरा है उसके लिए भी लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसके लिए भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायें और इसको भी उसके अन्तर्गत लेकर इस कार्य को पूरा करें। मैं इन शब्दों के साथ अपने सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत से सुझाव यहां पर रखे। जहां तक विद्युत विभाग का प्रश्न है, मैंने पहले ही कहा कि केवल इसी वित्तीय वर्ष में ही नहीं अगले वित्तीय वर्ष में भी बिजली की कठिनाई रहेगी। क्योंकि हमारी मांग बढ़ती जा रही है और उत्पादन क्षमता उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है।

जो हमारी परियोजनाएं हैं उन पर तेजी से कार्य जरूर कर रहे हैं लेकिन एक निर्धारित समय 40 महीना, 50 महीना, 56 महीने का समय होता है उसके अनुरूप ही उसको पूरा कर सकते हैं। इसमें समय जरूर लग रहा है लेकिन अगला वर्ष हमारे लिए जैसा विकल जी ने कहा ऊर्जा वर्ष के रूप में रहेगा। प्लान्ट लोड फैक्टर्स अधिक से अधिक रहें इसलिए 50 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है। अगले वर्ष भी मैं आशा करता हूं कि आज इस वर्ष के मुकाबले बढ़ेगा और अधिक होगा। मांग भी अगर बढ़ती जायेगी तो उसकी भी पूर्ति करने का प्रयास हम इसी तरह से करेंगे ताकि अधिक से अधिक सन्तोष हम अपने उपभोक्ताओं को दे सकें। जैसा रघुवर दयाल जी ने इन गोइंग और आउट गोइंग मीटर की बात कही जो हमने रिआर्गनाइज किया है उसमें हम लाभ केन्द्र निर्धारित कर रहे हैं। जब इन प्राफिट सेन्टर्स को बना लेंगे तो उनका संदेह दूर हो जायेगा। फिर जिस क्षेत्र में लाभ केन्द्र बनेगा उस क्षेत्र के अधिकारियों को हम पूरी

तरह से जिम्मेदार ठहरायेंगे कि इतनी बिजली हमने दी है उसका राजस्व हमें चाहिए। इसके साथ किसानों को कनेक्शन देने की बात कही गयी है जो हमारी वन विन्डो कंसेप्ट प्रणाली है उसको भी हम चालू कर रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत सामने आ रही है क्योंकि हमारे सभी कर्मचारी और अधिकारी लोग जो हैं वह ऐसी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं कि अगर कोई नई प्रणाली लगायी जाती है तो उनको थोड़ा सा कष्ट पहुंचता है लेकिन इसमें हम लोगों ने दृढ़ कदम उठाये हैं और हम वन विन्डो कन्सेप्ट को जरूर चालू करेंगे। जैसा हमारी माननीय सदस्या तिवारी जी ने कहा, लखनऊ में इसको चालू करने का काम शुरू किया गया है। हमें विश्वास है कि उपभोक्ताओं को इससे लाभ मिलेगा। ताकि अधिक से अधिक हम उपभोक्ताओं को सन्तोष पहुंचा सकें और उनकी जो कठिनाई है उसको दूर कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह कटौती के प्रस्ताव को वापस करें क्योंकि विद्युत ऐसे विभाग के साथ कटौती ठीक नहीं है। जो उधर के सदस्यों ने कहा उसमें कटौती की बात जरूर कही। कटौती, जहां तक बजट का प्रश्न है उसके साथ न जोड़ें। क्योंकि बजट में कटौती की जायेगी तो जो कुछ हम करना चाहते हैं वह पूरा नहीं कर पायेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री सुखपाल पाण्डेय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक तो मुहद्दीपुर का पावर हाउस जो 132 के0 वी0 का है और जो हरैया का पावर हाउस जो 132 के0 वी0 का है और मखौड़ा का जो 33 के0 वी0 का है, ये सब दिल्ली कमीशन से कब स्वीकृत हुए थे और कब इसका निर्माण कराया गया था? इसमें कौन सा कमीशन द्वारा स्वीकृत नहीं है? गांवों में जहां-जहां पर खम्भे लगे हुए हैं, तार खिंचे हैं, उनमें कहां-कहां पर ट्रान्सफारमर नहीं लगे हुए हैं। उनमें ट्रांसफारमर लगवाकर माननीय मंत्री जी उसे कब तक चालू करवा देंगे? तीसरा प्रश्न हमारा मान्यवर यह है कि जो पावर हाउस बन्द पड़े हैं और आप कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहे हैं, उन पावर हाउसों को आप कब तक चालू करवा देंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, जहां तक हरैया की बात है, उसके सम्बन्ध में तकनीकी रिपोर्ट वगैरह अपेक्षित है। जैसे ही वह हमारे समक्ष पेश हो जायगी। तब हरैया सब-स्टेशन का काम हम अपने हाथ में लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मयंकर सिंह, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

(श्री मयंकर सिंह के खड़े होने पर)

श्री औसान सिंह–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमारे यहां 25 नलकूप विश्वबैंक परियोजना से 25 मार्च, 1986 को पूरे हो चुके हैं और इन पर विद्युत लाइन भी बिछ चुकी है, लेकिन अभी तक इसमें विद्युत की आपूर्ति नहीं की गयी है। उसमें विद्युत

आपूर्ति कब तक कर देंगे? दूसरा बेला में जो पावर स्टेशन है, वह बहुत दिनों से बन्द पड़ा है, उसके बारे में मैंने माननीय मंत्री जी को लिख कर भी दिया था, लेकिन अभी तक उसे चालू नहीं किया गया, उसको चालू कराने के लिए माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

उसके बारे में माननीय मंत्री जी जांच करा लेंगे, इसमें स्पष्टीकरण की कोई बात नहीं है।

श्री सुनील शास्त्री–

माननीय औसान सिंह जी ने दो बातें रखी हैं, उसको मैं दिखवा लूंगा।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया था कि जब हाइड्रो-इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाते हैं, तो उसमें कास्ट अधिक आती है और थर्मल में कास्ट कम आती है। इस समय मौजूदा समय पर क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रति मेगावाट इन्सटाल्ड कैपेसिटी पर, सिंचाई के लाभ को छोड़ कर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक में तथा थर्मल में क्या-क्या लागत आती है? दूसरे जो पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा लगाये गये प्लान्ट हैं, तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा लगाये गये हैं, इन दोनों का तुलनात्मक प्लान्ट लोड फैक्टर क्या-क्या है? इन दोनों का आप मान्यवर बता दें, फीगर्स हों, तो फीगर्स दे दें।

श्री सुनील शास्त्री–

जहां तक नेशनल थर्मल कारपोरेशन का सम्बन्ध है, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। आनपारा में हमारा 70-71 प्रतिशत रहा, जो कि सिंघरौली से ज्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा आपने हाइड्रो-इलेक्ट्रिक की कास्ट के बारे में जानकारी चाहा था। उसकी लागत एक करोड़ पर मेगावाट आती है। जिसके बारे में मेरे पास इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है, वह मैं बाद में सूचना दे दूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि 1990 तक जो पहले अनुमान था कि 3–4 प्रतिशत की ही कमी रह जायेगी लेकिन पैसा न मिलने के कारण बिजली की कमी 1990 तक 9 प्रतिशत तक चली जायेगी 3–4 प्रतिशत से बढ़कर तो बिजली की मांग को देखते हुए इस 9 प्रतिशत की बढ़ी हुई कमी को कम करने के लिए आपका विद्युत परिषद् या सरकार क्या कर रही है?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमारी जो योजना थी पंचवर्षीय योजना उसमें 5 हजार 8 करोड़ का आवंटन होना चाहिए था लेकिन उसमें से 3 हजार 440 करोड़ ही आवंटित हुआ है और इसी के कारण जो हमारा लक्ष्य था 2 हजार मेगावाट का उसको हमें 1562 मेगावाट की क्षमता तक सीमित करना पड़ा है, यही कारण है कि जो अनुमान 3–4 प्रतिशत का था वह बढ़कर 9 प्रतिशत हो गया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस रफ्तार से, जिस तेजी से हमारे केन्द्रीय सरकार द्वारा नये-नये पावर स्टेशन निर्मित किये जा रहे हैं उनके द्वारा यह समय के अन्दर पूरा हो सकता है और हो सकता है कि इसको हम और जल्दी पूरा कर लें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मयंकर सिंह जी, आप वापस ले रहे हैं?

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासनों को देखते हुए कटौती के प्रस्ताव पर पूरा बल देता हूं और अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इसको पास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

**(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)**

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धन-राशि के अतिरिक्त 1,69,72,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से सम्बद्ध सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा गुटबन्दी के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा**

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, अवध विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में नियम 52 की चर्चा का प्रारम्भ मैं बड़े ही भारी मन से कर रहा हूं। 4 मार्च, 1975 को अवध विश्वविद्यालय की स्थापना की अधिसूचना से फैजाबाद मण्डल के लोगों को बहुत हर्ष हुआ था लेकिन मान्यवर, मैं बड़े ही दुख के साथ कहना चाहता हूं कि शुरू से ही यह विश्वविद्यालय राजनीति का शिकार बन गया और इस विश्वविद्यालय के द्वारा तिरष्कृत लोगों, को, रिटायर लोगों को वाइस चांसलर बनाने का काम किया गया और उसी का नतीजा है कि डा0 सुरेन्द्र सिंह प्रथम वाइस चांसलर नियुक्त किये गये, उनकी सिफारिश टी0 एन0 कौल, जो उस समय भारत के राजदूत थे अमेरिका में, उनके द्वारा की गई। उसके बाद जब तमाम शिकायतें आईं तो डा0 ए0 पी0 मेहरोत्रा को यहां का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया जिसके लिए सरला ग्रेवाल ने सिफारिश की, जो पी0 एम0 कार्यालय में थीं, उसके बाद जब वह हटाये गये तो तीसरे वाइस चांसलर श्री ए0 सी0 बनर्जी नियुक्त किये गये। उनके ऊपर कृपा है हमारे मौजूदा नेता सदन और मुख्यमंत्री जी की। इस तरह से अवध विश्वविद्यालय राजनीति का शिकार हुआ और इसीलिए वहां पर धन का अपव्यय और गबन होता रहा और नियुक्तियों में मनमानी की जाती रही। इसलिए शुरू से वहां पर अराजकता का वातावरण रहा जिससे शिक्षा में निरंतर गिरावट आयी और मान्यवर आज से 19 वर्ष पूर्व जब मैंने इस संबंध में नियम 52 के अन्दर इस सदन के अन्दर चर्चा शुरू की थी तो उस समय यहां पर जनता पार्टी की सरकार थी और इस सरकार ने इसी सदन में उस समय यह आश्वासन दिया था कि इन गम्भीर अनियमित्तताओं की जांच की जायेंगी और जो उस समय विशेष सचिव, शिक्षा श्री मुकर्जी थे, उनको सौंपी गयी और जांचोपरान्त जब उन्होंने पाया कि वास्तव

में इसमें बहुत गम्भीर अनियमितताएं हैं, तभी सरकार ने उस समय एक आयोग इस मामले में गठित किया जो मान्यवर, अवध विश्वविद्यालय जांच आयोग के नाम से जाना गया और इस जांच आयोग का प्रतिवेदन सन् 1979 में आ गया था। मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से अध्याय–1 के प्रथम पेज पर दी गयी संस्तुतियों की कुछ लाइनों को पढ़ना चाहूंगा, उसके पहले पैराग्राफ में है कि "वर्ष 1977-78 में राज्य सरकार को अवध विश्वविद्यालय के कुप्रशासन, निधि के गबन और अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग किये जाने की गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार ने इन बातों की जांच कराने के लिए श्री एस0 के0 मुकर्जी, विशेष सचिव, शिक्षा विभाग को तैनात किया था। श्री मुकर्जी ने कहा "कि विश्वविद्यालय में प्रत्यक्षत: कुछ अनियमिततायें और गड़बड़ियां हुयी हैं।" अन्त में उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंतिम पैरा में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:–

> "पूर्ववर्ती बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह दृढ़ मत है कि मामले की सत्यता मालूम करने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 8 के अधीन जांच करने की आवश्यकता है।"

2–श्री एस0 के0 मुकर्जी की उपर्युक्त सिफारिश के परिणामस्वरूप शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, ने अधिसूचना संख्या 349/पन्द्रह-10-78-251-77, दिनांक 16 मार्च, 1978 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 (यथा पुन: अधिनियमित और संशोधित) की धारा 8 की उप धारा (1) के अधीन एक जांच आयोग नियुक्त किया। अधिसूचना इस प्रकार है:–

> "चूंकि अवध विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से संबंधित मामलों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुयी हैं, जिनमें उक्त विश्वविद्यालय के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध पदीय स्थिति और प्राधिकार का दुरुपयोग करने के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं;"

3–अतएव अब उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1974) द्वारा यथासंशोधित और पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, 1973) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, निदेश देते हैं कि निम्नलिखित व्यक्ति, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से जो आयोग कहा गया है, अर्थात्:–

(1) न्यायमूर्ति श्री बी0 बी0 मिश्रा (अवकाश प्राप्त) 8, फैजाबाद रोड, लखनऊ–अध्यक्ष।

(2) श्रीमती (डा0) हेमलता स्वरूप, प्राचार्या, आचार्य नरेन्द्र देव महापालिका महिला महाविद्यालय, कानपुर–सदस्य।

(3) श्री बी0 एल0 शाह, कोषागार निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-सदस्य (पदेन)।

अवध विश्वविद्यालय का जिसके अन्तर्गत उसका भवन, कार्यालय, प्रयोगशाला पुस्तकालय और उसकी अन्य संस्थायें भी हैं, निरीक्षण करेंगे और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की भी जैसा कि आगे उल्लिखित है, जांच करेंगे।

मान्यवर, इस मामले में उन्होंने अपनी जांच रपट दी, लेकिन उसके अनुसार जो आयोग की संस्तुतियां थीं, क्रियान्वयन नहीं किया गया, नतीजा यह हुआ कि जितनी शिकायतें उस समय थीं, उनमें रुकावट आने के बजाए और दिन दूनी रात चौगनी गिरावट बढ़ती गयी और डाक्टर सुरेन्द्र सिंह जो वहां से हटाये गये थे और उनके स्थान पर ए0 पी0 मेहरोत्रा साहब आए, लेकिन मान्यवर कुछ ही दिनों के बाद डा0 सुरेन्द्र सिंह को राजनीतिक दबाव के कारण सरकार ने फिर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का वाइस-चांसलर बनाना चाहा तो इस विश्वविद्यालय के टीचर्स व छात्रों ने जब विरोध किया, तब सरकार की फिर हिम्मत नहीं पड़ी । फिर मान्यवर पी0 ए0 हाउस में तैनात श्रीमती सरला ग्रेवाल की सिफारिश पर विश्वविद्यालय में श्री ए0 पी0 मेहरोत्रा को बैठा दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जब सरकार ने अवध विश्वविद्यालय में सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षाएं करानी चाही और उनको मौका दिया तो 1984-85 में मान्यवर, जिस तरह से अवध विश्वविद्यालय के पर्चे आउट होते थे, सी0 पी0 एम0 टी0 के पर्चे आउट कराए गये, उसकी जांच हुई और सरकार को लाखों रुपये खर्च करके दोबारा पर्चे छपवाकर परीक्षाएं दोबारा करवानी पड़ी। इसी कांग्रेस सरकार ने उस विश्वविद्यालय की इन्क्वारी करवाई और मेरा आरोप है कि उस इन्क्वारी की रिपोर्ट भी इस सदन के पटल पर इसलिये नहीं रखी गयी, क्योंकि रख देने से बहुत से कांग्रेसियों की शकल नंगी होकर सामने आ जायगी। इस तरह से शिक्षा संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। उसके बाद मान्यवर, डा0 ए0 सी0 बैनर्जी नियुक्त किये गये। आप उन्हें प्रकांड विद्वान कहेंगे, शर्माजी जबाब देंगे तो कहेंगे कि वे संस्कृत में पी0 एच0 डी0 हैं, लेकिन यह पी0 एच0 डी0 उन्हें भारत के किसी विश्वविद्यालय से नहीं मिली। जिस तरह से डा0 सुरेन्द्र सिंह अमेरिका से फर्जी डिग्री लेकर आए, डा0 ए0 सी0 बैनर्जी ने इंगलैंड की किसी संस्था से यह डिग्री हासिल की है। यह इनकी शैक्षिक योग्यता है।

मान्यवर, इन सारी बातों का नतीजा यह है कि आज अवध विश्वविद्यालय नकलचियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है । आज जो भी चाहे वहां से जितनी भी उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कर सकता है, अगर उसके पास पैसा हो, वह गुण्डा हो या उसका राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव हो तो कान्फडेंशियल सेक्शन में वहां पहले से जमा उत्तर पुस्तिकाओं को बाहर से उत्तर पुस्तिकाएं ले जाकर उनको रिप्लेस कर सकता है और फिर से रखवा सकता है और मान्यवर, जैसे 1977 में मैंने विधान सभा में सबूत पेश किया था, उसी तरह से आज भी आपकी सेवा में तीन उत्तर पुस्तिकाएं भेज रहा हूं, जो अवध यूनीवर्सिटी की हैं और मेरे पास आ गयी हैं। यह इस बात का सबूत है कि जो भी जब चाहे, जितनी भी उत्तर पुस्तिकाएं चाहेगा, उसे मिल जाएंगी, बस पैसा, प्रभाव या गुण्डों का संरक्षण चाहिए। ये तीन चीजें जिसके पास है, वाइस चांसलर बैनर्जी साहब उसको ये उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करा देंगे। मान्यवर, इस विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जितने भी डिग्री कालेज हैं, 26 या 27 हैं जो कुल 6 जिलों में हैं, मेरी चुनौती है, मा0 मंत्री जी को कि सबसे यह विश्वविद्यालय खुला है और इन सारे डिग्री कालेजों ने काम करना शुरू किया है, आप रिपोर्ट मंगा लें और देखें कि नकल करने वालों को पकड़ने में उस समय से आज तक कितने अध्यापक बदनाम हुए हैं, कितनों के हाथ पैर टूटे हैं। आप उन पर अंकुश इसलिये नहीं लगा पाते हैं कि उन गुण्डों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उन्हीं का वर्चस्व अवध विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डिग्री कालेजों में भी है । मई 9, 1987 को साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद में सुबह

की पहली शिफ्ट में 127 लोगों को एक्सटर्नल स्क्वायड ने रंगे हाथों पकड़ा था। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी सामूहिक नकल होती है इन विश्वविद्यालयों में । मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि पैसा हो, प्रभाव हो, गुण्डा हो या किसी का सामाजिक या राजनीतिक प्रभाव है तो पुनर्मूल्यांकन के नाम पर आप जितने चाहें उतने नम्बर बढ़वा सकते हैं। मान्यवर, मैं केवल कुछ उदाहरण, आपकी अनुमति से इसके बारे में पेश करना चाहूंगा।

मान्यवर, यह 27-2-86 को अवध विश्वविद्यालय से कामता प्रसाद और सुन्दर लाल साकेत महाविद्यालय फैजाबाद को कापियों के रिवैलुएशन के लिए दी गयी स्लिप है । प्राचीन इतिहास में श्री अजय कुमार सिंह जिसका रोल नं0 25564 था को पहले उस विषय में शून्य नम्बर मिला, लेकिन पुनर्मूल्यांकन के बाद उसे 22 नम्बर मिले । मैं पूछना चाहूंगा कि किसी दूसरी यूनीवर्सिटी में या इतिहास में पहले कभी किसी लड़के को पहले शून्य मिला हो और उसके बाद दूसरे में 22 नम्बर मिला है? एक पर्चे में शून्य और रिवैलुएशम में 22 नम्बर मिल जायेगा । इसी तरह से एक दूसरा यह रिवैलुएशन का होता है 13-6-86 का। मैं कुछ उदाहरण स्वरूप बताना चाहूंगा। एम0 ए0 पूर्वार्द्ध राना मानवेन्द्र सिंह रोल नं0 21060 अंग्रेजी चतुर्थ पत्र पहले शून्य नम्बर मिला था, रिवैलुएशन में 37 नम्बर मिल गया। माननीय उपाध्यक्ष जी आप उस आसन पर बैठे हैं, माननीय मंत्री जी से पूछें कि किसी पर्चे में पहले लड़के को अंग्रेजी जैसे पत्र में शून्य नम्बर मिला हो उसके बाद रिवैलुएशन में शून्य की जगह 37 नम्बर मिल जाय । उसे मानमीय मंत्री जी क्या कहेंगे ? पूर्वार्द्ध एम0 ए0 सालिग राम वर्मा रोल नं0 21138 अंग्रेजी चतुर्थ पत्र पहले 17 नम्बर मिले, फिर रिवैलुएशन में 40 नम्बर हो गया। उसी तरह से बी0 ए0 प्रथम उदय राज रोल नं0 25687 अर्थशास्त्र पहले शून्य नम्बर फिर 8 नम्बर रिवैलुएशन में हो गए । एम0 ए0 पार्ट वन मनोहर लाल रोल नम्बर 20692 हिन्दी प्रथम पत्र पहले 13 नम्बर फिर बढ़कर रिवैलुएशन में 24 नम्बर हो गए। उसी तरह से रोल नम्बर31094 के छात्र को जीव विज्ञाम सेकेंन्ड पेपर में पहले 7 नम्बर मिले फिर रिवैलुएशन में बढ़कर 26 हो गए । एम0 एस-सी0 प्रथम गणित मसूदल हुसैन रोन नं0 42533 गणित पंचम पत्र पहले 17 नम्बर मिले रिवैलुएशन में 63 नम्बर हो गये। उसी तरह से बी0 ए0 पार्ट-2 के अभ्यर्थी बृजेश कुमार सिंह रोल नं0 34658 अंग्रेजी सेकेण्ड पहले एक नम्बर मिला फिर रिवैलुएशन में 13 नम्बर हो गए। उसी तरह से बी0 एस-सी0 पार्ट-2 यज्ञ नारायण सिंह विज्ञान के सेकेंड पेपर में पहले एक नम्बर मिला रिवैलुएशन में 16 नम्बर हो गए । वनस्पति विज्ञान में एक को पहले 4 नम्बर मिले, फिर रिवैलुएशन में 24 हो गए । राम किशोर वर्मा बी0 ए0 रोल नम्बर 41360 थर्ड पेपर में पहले 24 नम्बर मिले, फिर रिवैलुएशन में 44 हो गये। उसी तरह से उमेश कुमार शुक्ल रोल नम्बर 34926 अंग्रेजी सेकेंड पेपर में पहले शून्य नम्बर मिला, फिर रिवैलुएशन में 13 हो गए । राजीव राम रोल नं0 34950 अंग्रेजी भाषा पहले 4 नम्बर मिले, फिर रिवैलुएशन में 14 हो गए । इसी तरह से जगत नरायण सिंह रोल नं0 34411 पहले शून्य नं0 मिला, सैन्य विज्ञान में, फिर रिवैलुएशन में 12 हो गये।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी 20 मिनट हो गये हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, इसी तरह से जिस अभ्यर्थी को 4 नम्बर मिले रिवैलुएशन में 21 हो गये । जिसको पहले 24 नम्बर मिले, रिवैलुएशन में 37 नम्बर हो गए । इसी तरह से तमाम अभ्यर्थियों के रिवैलुएशन में नम्बर बढ़े हैं। मान्यवर, इनकी भी फोटोस्टेट कापियां मेरे पास हैं, मैंने सारे नहीं पढ़े हैं, मैं यह सारा विवरण आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूं, आप इसे मंत्री जी को दिखवायें। जवाब में माननीय मंत्री जी से इतना जरूर चाहूंगा कि इस पर पूरी तरह से प्रकाश डालें । अगर माननीय मंत्री जी दुनिया के किसी भी विद्यालय का उदाहरण दे दें जहां जीरो नम्बर से बाद में बढ़कर 37 नम्बर हो गये हों तो मैं अपनी सारी बात वापस ले लूंगा । अगर यह नहीं हो सकता है तो आप समझें कि भ्रष्टाचार का यह जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है । मैं बताना चाहूंगा कि जनता पार्टी ने कह दिया था कि इस तरह के मामले अनियमितता नहीं है, भ्रष्टाचार के सबसे अहम बिन्दु हैं। आप इसकी जांच करायें और जो भी दोषी पाये जायं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करायें । मान्यवर, इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि रिवैलुएशन में नम्बर बढ़ जाते हैं तो तब टोटल मार्क्स में फर्क पड़ जाता है और यदि घट गये तो वाइस चान्सलर बुलाकर दरख्वास्त लिखाता है सम्बन्धित छात्र से कि मेरा मस्तिष्क बिगड़ जायेगा यदि यह नम्बर चढ़े तो इसलिए वही पुराने नम्बर चढ़ा दिये जाते हैं। इतना नहीं एक ही रोल नम्बर दो लड़कों को दे दिये जाते हैं। 1985-86 में गनपत सहायक डिग्री कालेज से एम0 ए0-1 (प्राचीन इतिहास) में राहुल राज नामक लड़का बैठा, उसको वही रोल नम्बर दिया गया जो इसी कक्षा और इसी विषय में शमीम नामक विश्वविद्यालय के बाबू को दिया गया जो महाराणा प्रताप डिग्री कालेज सुल्तानपुर से बैठा था। राहुल राज शुरू से ही थ्रू-आउट फस्ट क्लास लड़का था। राहुल के नम्बर शमीम में चढ़ा दिए गए, यह ज्यादती राहुल राज के साथ इसलिए की गई कि उस समय गोपन सैक्शन का इन्चार्ज मंसूर खान का वह रिश्तेदार था। इसके अलावा जब रि-वैल्युएशन की बहुत शिकायतें हुईं तो बैक पेपर चालू कर दिया गया। बी0 एस-सी0 पार्ट-1 व बी0 एस-सी0-2 में एक साथ एडमीशन दिया गया जबकि बी0 एस-सी0 पार्ट-2 में प्रेक्टिकल होते हैं, अटेन्डेन्स होती है, लेकिन अवध विश्वविद्यालय की वाइसचांसलर गुण्डागर्दी व राजनैतिक दबाव से सत्र समाप्ति के बाद एडमीशन दिलवा देता है। इसके कई उदाहरण हैं। उसकी भी दो प्रतियां आपके पास भेज रहा हूं ऐसे 38 मामले हैं।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

रिसर्च की फर्जी डिग्रियां यहां पर मिल रही हैं। कई मंत्री लोगों को भी इस तरह की डिग्री मिल चुकी है इस विश्वविद्यालय से । बी0 एड0 के एडमीशन में तमाम घपले हैं। यूनीवर्सिटी ने भी इसके लिए एक कमेटी बैठाई, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 13 आदमियों को गलत एडमीशन दिया गया और उनके रिजल्ट रोक दिये जायं, इसके बावजूद भी उनके रिजल्ट निकाल दिया गया। गनपत सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुल्तानपुर में बी0 एस-सी0 में कम्प्यूटर साइन्स है, लेकिन वहां पर कम्प्यूटर नहीं है। 1985-86 में बिना प्रेक्टिकल के लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर

रिजल्ट निकाल दिया गया। इस वर्ष भी प्रेक्टिकल हेतु श्री ए0 के0 गुप्ता जो एक्जामिनर नियुक्त किये गये थे, उन्होंने फर्जी अंक देने से मना कर दिया । अवध यूनीवर्सिटी में सारे अध्यापकों ने परीक्षार्थियों का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि वहां पर कई अध्यापक नकल करते लड़कों को पकड़ने पर मारे गये और कई लोगों को संघातिक चोटें आईं, लेकिन वहां के वाइस चान्सलर ने क्लर्कों से परीक्षायें लिवाई हैं। बोर्ड आफ स्टडीज के बाहर से इग्जामिनर्स एप्वाइंट किये हैं। बाबू गाड़ियों में कापियां लेकर जाता है, लोगों को साथ ले जाता है और जहां भी कापियां जंचवाता है, मनमाने नम्बर दिलवाता है। अवध विश्वविद्यालय की अनफेयर मीन्स की कमेटी ने जो सजा दी, वाइज चान्सलर ने उसे मनमाने ढंग से समाप्त कर दिया।

वर्ष 1986 में के0 एस0 साकेत महाविद्यालय को बांटनी विषय की परमीशन मिली, लेकिन 85 से ही कक्षायें शुरु हो गयी, जब आंबजेक्शन हुआ और रिजल्ट रोका गया तो वाइस चान्सलर साहब का दबाव पड़ा और उन्होंने रिजल्ट को डिक्लेयर करा दिया।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको आधा घण्टा हो गया, एक घण्टे की चर्चा है, क्या पूरा एक घण्टा आपको ही दे दूं? अब आप समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैंने तो नियम 52 में नोटिस दी थी। आपको अधिकार था ढाई घण्टे की चर्चा दे सकते थे, लेकिन आपने विषय की महत्ता को समझा नहीं। यदि आपकी तरफ से ही उधर के करप्शन को संरक्षण मिलेगा, तो क्या होगा ।

तो मैं कह रहा था कि बिना राजाज्ञा के ही अमान्य विषयों को खोलकर छात्रों से करोड़ों रुपया पुस्तकालय विज्ञान, बिजनेस मैनेजमेंट, पर्यावरण, फेमली प्लानिंग, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एण्ड लेबर, पत्रकारिता आदि विषय खोले गए और डिप्लोमा दिए गए और डिग्रियां दी गयीं । यू0 जी0 सी0 से लाखों रुपया धोखा देकर लिया गया । बी0 एन0 के0 बी0 डिग्री कालेज, अकबरपुर, के0 एस0 एस0 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, फैजाबाद, गोण्डा, बलरामपुर, के0 एन0 आई0, सुल्तानपुर आदि में अमान्य विषय हैं, इसलिए आडिट नहीं हो सकता और इस डिग्री को मान्यता भी नहीं है । करोड़ों रुपया लड़कों से ले लिया, यू0 जी0 सी0 से ले लिया, डिग्री दे रहे हैं और सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है । कतिपय प्रिन्सपलों ने एक बार बैठक में आने पर 25 हजार रु0 से लेकर 40 हजार रु0 तक का टी0 ए0 बिल लिया है । गेम्स फण्ड का आधा पैसा यूनिवर्सिटी में आता है, गबन करते हैं । बाबू नौनिहाल सिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे, एक बार गये थे, उनकी एक दावत में 20 हजार रु0 का खर्चा दिखाया है । जितने बाबू हैं उन्होंने इसी तरह के अवैध धन्धों से कोठियां खड़ी कर ली हैं । मास्टर भी हैं, जिन्होंने कोठियां खड़ी कर ली हैं और कारें भी ले ली हैं । अवध यूनिवर्सिटी में रेजीडेन्शियल साइड में जितने एप्वाइंटमेंट्स हुए हैं, यूनिवर्सिटी के स्टेच्यूट के खिलाफ किए गए हैं, अपात्र व्यक्तियों के एप्वाइन्टमेन्ट्स किए गये हैं । यह विश्वविद्यालय कांग्रेस पार्टी के लिये बूथ कैप्चर करने वाले वालंटियर्स तैयार करता है। सरस्वती के इन विद्या मन्दिरों में यह जहर घोलने का काम मत कीजिये, इस तरह के तत्वों को बढ़ावा मत दीजिये ।

एक ही मांग करके खत्म करता हूं कि 79 की जो आयोग की रिपोर्ट है, उसे सदन के पटल पर रखना चाहिये, उसे आपने क्यों नहीं रखा ? इसका जवाब दीजिये । उसकी संस्तुतियां क्यों नहीं लागू कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं ? इसके साथ ही कहना चाहता हूं कि मौजूदा वाइस चांसलर, जिनको शराब पीने से ही फुरसत नहीं मिलती, उनको हटाकर किसी शिक्षाविद् को बैठाइए । किसी आयोग का गठन कर दीजिये और जो मैंने कहा है तथा आरोप लगाये हैं उनकी जांच करा लें । अगर वे गलत निकलें तो जो भी सजा यह सदन देगा, मुझे स्वीकार होगी, लेकिन अगर सही है तो सरस्वती के मन्दिर का संचालन करने वाले की कुर्सी पर बैठने का आपको कोई हक नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, मैं अपने बुजुर्ग साथी मा0 तिवारी जी के विचार जो यहां पर उन्होंने अवध विश्वविद्यालय के बारे में रखे, उस पर यह कहना चाहता हूं कि अवध विश्वविद्यालय का बहुत ही अच्छा स्तर आजकल चल रहा है । उसके कुलपति के बारे में जो कहा गया

(व्यवधान)

बहुत बड़ा कलेजा चाहिये सच्ची बात सुनने के लिये, तो मान्यवर, कुलपति श्री बनर्जी के बारे में जो कहा गया है, उनकी योग्यता के बारे में जैसा कि मा0 तिवारी जी ने खुद ही कहा कि वे पी0एच-डी0 हैं लन्दन से लेकिन उसके साथ ही साथ दरभंगा विश्वविद्यालय से महामहोपाध्याय की डिग्री उनके पास है । इतना ही नहीं वे संस्कृत एकाडमी के भू0पू0 सदस्य भी रहे हैं । संस्कृत के बारे में प्रदेश के माने हुए अनेक विद्वान व्यक्तियों में, प्रोफेसरों में वे गिने जाते हैं ।

मैं अपनी पूरी बात कहने के पूर्व इतना निवेदन कर दूं कि संक्षेप में यदि कोई और भी साथी इस पर बोलना चाहें तो आप उनको भी सुन लें ताकि मैं फिर एक साथ ही सबका उत्तर दे सकूं और अपनी कह सकूं ।

श्री अमिताभ अनिल दुबे–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया । मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि प्रदेश में जितने भी कालेज या विश्वविद्यालय हैं उसमें परीक्षायें सम्य पर करायी गयीं, लेकिन जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा और उन्होंने शिक्षा के स्तर के बारे में यहां जो सवाल उठाया है कि आज उच्च शिक्षा में गिरावट आ रही है, यह एक गम्भीर मामला है । उत्तर पुस्तिकायें जगह-जगह मिल जाती हैं, यह बाबुओं का शासन है यह भी बड़ा गम्भीर मामला है, इससे छात्रों में और उनके अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त हो जाना स्वाभाविक है । मंत्री जी, आप इसकी जांच करावें । उ0प्र0 सरकार ने और महामहिम राज्यपाल ने जो मा0 सदस्य नामिनेट किये हैं विभिन्न यूनीवर्सिटीज में, आज वहां के कुलपति कोई भी बैठक नहीं बुलाते हैं जिससे कि जन प्रतिनिधियों को मालूम हो सके कि क्या हो रहा है या उनके गलत काम पर कन्ट्रोल किया जा सके ।

मैं चाहूंगा कि जिन सदस्यों को आपने नामिनेट किया है उनके चयन का कोई आधार होना चाहिये । बड़ी से बड़ी घटना रोकी जा सकती है । जो हम लोग यूनीवर्सिटी और कालेजों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हैं तब उस पर जांच होती है । जांच होकर जो रिपोर्ट आती है तो उस जांच-रिपोर्ट के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है ।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि जो भी यूनीवर्सिटी या कालेज हों जिनमें उत्तर पुस्तिकायें बाहर मिल जाती हैं, फर्जी अंकों की बढ़ोत्तरी की जाती है, यह एक गम्भीर मामला है क्योंकि इससे शिक्षा के स्तर में दिनों दिन गिरावट आती जा रही है। इससे शिक्षा में गिरावट आ रही है। इसको किसी स्तर पर भी क्षमा न किया जाये और कालेजों व विश्वविद्यालयों में शिक्षाविदों को ही वाइस चान्सलर बनाया जाये। मैं इस बात का समर्थन करता हूं।

(श्री हरि शंकर तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, यह बड़ा अहम् मसला है.....

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोरम के अभाव में सदन चलाया जा सकता है। इस समय सदन में कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

कोरम देख लिया जाये।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, जब मध्याह्न का अवकाश हुआ था, तो उस समय यह कहा गया था कि कोरम का सवाल नहीं उठाया जायेगा। यह तो हम लोग सरकार की साजिश के शिकार हो गये हैं। शासन के पक्ष के लोग नहीं हैं, यह बीमारी सरकार की है। कोरम का सवाल क्या है?

श्री सरदार सिंह–

सारे स्टेटमेन्ट्स पहले हो जाया करें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने तो पहले ध्यान ही नहीं दिया। जब बार-बार कोरम का सवाल उठाया जायेगा, तो उस पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा।

(कोरम के लिये घन्टी बजायी गयी)

(गणपूर्ति के लिये 5 मिनट तक घन्टी बजायी गई किन्तु गणपूर्ति न होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

5 मिनट तक घंटी बजाने पर भी कोरम पूरा नहीं हुआ इसलिए अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 33 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

6 जुलाई, 1987

## नत्थी 'क'

(देखिए नियम 29(4) के ता0 प्र0 सं0 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर)

विधान सभा में द्वितीय सत्र, 1987 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री राम आसरे वर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उत्तर का संलग्नक ।

उत्तर प्रदेश सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षक आर्गेनाइजेशन के पत्र दिनांक 14-4-1987 में उल्लिखित अन्य छः मांगें :—

1–शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को सेवा सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें सेवा सुरक्षा अधिनियम में सम्मिलित किया जाय ।

2–छात्र/छात्रा संख्या के आधार पर की जाने वाली छंटनी रोक कर वर्षों से कार्यरत स्थाई शिक्षकों/शिक्षिकाओं को सेवा सुरक्षा देते हुए समायोजित किया जाय ।

3–अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाय ।

4–शैक्षिक अर्हता, प्रशिक्षण एवं वरीयता के आधार पर सी0टी0 वेतनक्रम में पदोन्नति प्रदान की जाये ।

5–1974 की सीलिंग में किन्हीं कारणवश अनुदान सूची में आने से वंचित रह गए विद्यालयों को सम्मिलित किया जाय ।

6–सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी वेतन वितरण अधिनियम में सम्मिलित किया जाय ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

## नत्थी 'ख'

[देखिए नियम 38(2) के ता0प्र0सं0–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर।]

संलग्नक

वर्ष 1970 में वाराणसी में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण का गठन हो जाने के पश्चात जनपद वाराणसी की सड़कों पर बसों के परमिट की स्थिति—

| मार्ग का नाम | परमिटों की संख्या |
|---|---|
| 1—बाबतपुर—जमालपुर | 14 |
| 2—बाबतपुर—मड़ियाहूं | 01 |
| 3—बाबतपुर—कुरू | 13 |
| 4—वाराणसी—केराकत | 22 |
| 5—च्युरापुर—मड़ियाहूं | 04 |
| 6—चन्दौली—थानापुर | 01 |
| 7—चन्दौली—एवती | 01 |
| 8—चन्दौली—धरौली | 02 |
| 9—लेवा—इलिया | 04 |
| 10—चन्दौली—इलिया | 08 |
| 11—मढोही—चील्हघाट | 01 |
| 12—चौरी—चील्ह | 05 |
| 13—गोपीगंज—मिर्जापुर | 09 |
| 14—सेमराथ—मिर्जापुर | 05 |
| 15—महाराजगंज—मिर्जापुर | 05 |
| 16—करियांव—चील्ह | 04 |
| 17—वहीदानगर—चील्ह | 06 |
| 18—जघंई—ज्ञानपुर | 02 |
| 19—दुर्गागंज—ज्ञानपुर | 01 |
| 20—जंघई—चील्ह | 01 |
| 21—वाराणसी—दुर्गागंज | 04 |
| 22—वाराणसी—सुरियावां | 16 |
| योग .. | 129 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| मार्ग का नाम | परमिटों की संख्या |
|---|---|
| 23—वाराणसी—सीखड़वाया मड़वाडीह .. .. .. | 03 |
| 24—वाराणसी—सीखड वाया राजा तालाब .. .. .. | 01 |
| 25—वाराणसी—करैनीघाट वाया जनसा .. .. .. | 17 |
| 26—वाराणसी—कछवा रोड .. .. .. | 04 |
| 27—वाराणसी—महाराजगंज .. .. .. | 09 |
| 28—वाराणसी—चुनार घाट .. .. .. | 14 |
| 29—वाराणसी—बलुआघाट वाया जल्हूपुर .. .. .. | [illegible] |
| 30—वाराणसी—बलुआघाट वाया चौबेपुर .. .. .. | 01 |
| 31—वाराणसी—धौरहरा .. .. .. | 04 |
| 32—वाराणसी—गाजीपुर .. .. .. | 56 |
| 33—वाराणसी—शादियाबाद वाया सादात .. .. .. | 22 |
| 34—वाराणसी—बहरियाबाद .. .. .. | 12 |
| 35—वाराणसी—मेहनाजपुर .. .. .. | 06 |
| 36—वाराणसी—तरवा .. .. .. | 06 |
| 37—वाराणसी—चोचकपुर .. .. .. | 06 |
| 38—वाराणसी—जमानिया घाट .. .. .. | 05 |
| 39—वाराणसी—शादियाबाद वाया धुर्वाजुन .. .. .. | 05 |
| 40—वाराणसी—जलालपुर .. .. .. | 08 |
| 41—बबुरी—नई बाजार .. .. .. | 04 |
| 42—चकिया—रामनगर .. .. .. | 02 |
| 43—मिर्जापुर—गाजीपुर .. .. .. | 01 |
| 44—वाराणसी—करण्डा ब्लाक .. .. .. | 01 |
| 45—वाराणसी—मनिहारी .. .. .. | 04 |
| 46—वाराणसी—मिर्जापुर वाया जनसा .. .. .. | 10 |
| 47—राजा तालाब—बरैनी घाट .. .. .. | 01 |
| 48—रामपुर—रामनगर .. .. .. | 07 |
| 49—चन्दौली—वेन .. .. .. | 07 |
| योग .. | 237 |
| | +129 |
| | = 366 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0–52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर।)

विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या–52 के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

(13) महाविद्यालय में ऐसी परिपाटी बनाई गयी है कि स्थायी पदों के प्रति विधिवत चयनोपरान्त भी सर्व प्रथम अस्थायी नियुक्तियां प्रदान की गयी हैं और विश्वविद्यालय से इस चयन का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात परीक्षण काल पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। अस्थायी नियुक्ति की अवधि में पुराना वेतनमान लिया जाता है। आडिट में जो अभिलेख देखने को मिले उनके परीक्षण से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित अध्यापिकाओं को प्रत्येक के सम्मुख लिखित विवरण के अनुसार अपनी विधिवत मौलिक नियुक्ति की तिथि के पर्याप्त समय के पश्चात नवीन वेतनक्रम का लाभ दिया गया है जो अनियमित एवं आपत्तिजनक है। ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है स्पष्ट किया जाय और प्रत्येक शिक्षक को विधिवत चयनोपरान्त उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से प्रभावी नवीनतम वेतनक्रम (700–1600) का लाभ प्रदान करके उनका वेतन पुनरीक्षित किया जाय और इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का सत्यापन क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ से करवाकर आडिट को तदनुसार सूचित किया जाय—

| क्रम-सं0 | प्राध्यापिका का नाम | कार्यभार ग्रहण करने की तिथि | निर्धारित वेतन क्रम (700-1600) दिए जाने की तिथि | देय तिथि जब से प्राध्यापिका को नवीन वेतन क्रम का लाभ दिया जाता है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | श्रीमती सुधा रणजीत, प्रवक्ता हिन्दी। | 1–11–74 | 17–2–76 | 1–11–74 |
| 2 | कु0 सुमन मेहरोत्रा, प्रवक्ता बी0एड0। | 29–10–76 | 15–12–77 | 29–10–76 |
| 3 | श्रीमती कनक वर्मा, प्रवक्ता बी0एड0। | 26–10–74 | 30–11–76 | 26–10–74 |
| 4 | कु0 कनक चतुर्वेदी, प्रवक्ता बी0एड0। | 14–1–76 | 20–4–76 | 14–1–76 |

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय,

सीतापुर ।

महोदय,

आपको भली भांति जानकारी है कि ग्राम सभा मिरकल्लीपुर में मिरकल्लीपुर के नाम से ब्लाक परसेन्डी में शासन द्वारा जू0 हा0 स्कूल स्वीकृत है तथा उसका भवन भी स्वीकृत है । उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा से नजरी एवं विद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि मांगी गयी थी ।

भूमि प्रबंध समिति ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास करके गाटा संख्या 114 रकबा एक एकड़ मय नजरी नक्शा तथा संबंधित व्यक्तियों द्वारा बयान हल्फी सहित आपके कार्यालय को दिया था।

परन्तु जानकारी मिली है कि भूमि प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के विपरीत दूसरे स्थान व ग्राम में विद्यालय का भवन निर्माण होने जा रहा है वह स्था0 प्रा0 पा0 का प्रांगण है तथा उसका रकबा केवल 59 बिसवां है। जिसमें जनहित में दोनों विद्यालय चलकर सुचारु रूप से चलना संभव नहीं है। तथा भूमि से मिली आबादी के लोग भी भवन निर्माण से प्रभावित है तथा विरोध कर रहे हैं ।

ऐसी दशा में आपसे आग्रह है कि भवन पूर्व निर्धारित स्थान पर बनवाने की व्यवस्था की जाय । यदि ऐसा नहीं होता है और पूरी जानकारी हमको नहीं दी जाती है तो हम लोग 1 मई से आपके कार्यालय पर अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल, घेराव आदि करने का जनता द्वारा निर्णय लिया गया है । मुझे आशा है ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सहृदयता से विचार करके उचित निर्णय लेकर न्याय देने की कृपा करें।

दिनांक– 18-4-87

भवदीय,

ह0/-

ग्राम प्रधान

उलरूपुर पिरकल्लीपुर

न्याय प0 कला बहादुरपुर

वि0 ख0 परसेन्डी सीतापुर ।

उत्तर प्रदेश अभिलेखागार

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0 77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर ।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित डा0 दिनेश जौहरी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या–77 के उत्तर का संलग्नक

| क्रम-सं0 | सेवायोजितों के नाम | संवर्ग |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री देवेन्द्र सिंह | चतुर्थ श्रेणी |
| 2 | श्री गंगा प्रसाद | चतुर्थ श्रेणी (दैनिक वेतन पर) |
| 3 | श्री रूपचन्द | चतुर्थ श्रेणी (दैनिक वेतन पर) |
| 4 | श्री यादराम | चतुर्थ श्रेणी (दैनिक वेतन पर) |

सै0 सिब्ते रजी,
शिक्षा मंत्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0 123 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर का संलग्नक :—

| क्रम-सं0 | नाम | पदनाम | मूल निवास स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | (अ) वर्ष 1985–86 में नियुक्त व्यक्ति | | |
| 1 | प्रो0 आर0के0 सिन्हा | प्रोफेसर | द्वारा डा0 आर0एस0 तिवारी, रतन कुंज, 35, पुराना किला, लखनऊ। |
| 2 | प्रो0 यू0पी0 अरोरा | प्रोफेसर | ए-7, यूनिवर्सिटी टीचर्स फ्लैट, चैथमलाइन्स, इलाहाबाद—211002 |
| 3 | डा0 ए0के0 जेटली | अध्यापक | 160, सोंधी टोला, चौक, लखनऊ। |
| 4 | डा0 ए0के0 सिन्हा | प्राध्यापक | 233, ओल्ड बिरहाना, इलाहाबाद। |
| 5 | श्री राम मूर्तिलाल | लिपिक | ग्राम भीहौना, राजापुर बाग, उस्मानी, बदायूं। |
| 6 | श्री विनय कुमार मिश्रा | लिपिक | 580, साहूकार बरेली। |
| 7 | श्री अवधेश कुमार | लिपिक | 285, प्रेम नगर चौराहा, बरेली। |
| 8 | श्री तारा चन्द | लिपिक | ग्राम बासू बरोलिया, बदायूं। |
| 9 | श्री हरिपाल सिंह | लिपिक | ग्राम कटीगांव, पोस्ट खास, बदायूं। |
| 10 | श्री जुगल किशोर जोशी | लिपिक | कैन्ट, बरेली। |
| 11 | श्री रमेश चन्द्र सक्सेना | लिपिक | 17, खन्ना बिल्डिंग्स सुभाष नगर, बरेली। |
| 12 | श्री बी0के0 सक्सेना | लिपिक | 188, कुंवरपुर, बरेली। |
| 13 | श्री सोहन लाल | चपरासी | स्टाफ क्वार्टर बरेली कालेज, बरेली। |
| 14 | श्री देवेन्द्र सिंह | चपरासी | ग्राम डोडरा, बरेली। |
| 15 | श्री मनोहर लाल | चपरासी | ग्राम शिवदासपुर, पो0 कटरा, शाहजहांपुर। |

(ब) वर्ष 1986–87 में दिनांक 31 दिसम्बर, 1986 तक नियुक्त व्यक्ति

| क्रम-सं0 | नाम | पद | मूल निवास स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | डा0 दिलीप कुमार | सहायक निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा। | 13, पटेल नगर कालोनी, वाराणसी। |
| 2 | डा0 के0 पी0 सिंह | रीडर | ग्राम तिलारिया भउसिंहपुर, पो0 कसरा, जिला सुल्तानपुर। |
| 3 | डा0 रूदल प्रसाद यादव | रीडर | ग्राम बरगदही, पो0 बरात गांढ़ा वाया आनन्द नगर, गोरखपुर। |

सै0 सिब्ते रजी,
शिक्षा मन्त्री।

## नत्थी 'छ'

(देखिए अता0प्र0सं0–135 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर। )

आवास भत्ता पाने वाले विद्यालयों की सूची––

| क्रम-सं0 | पाठशाला का नाम | ब्लाक | क्रम-सं0 | पाठशाला का नाम | ब्लाक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | क0जू0हा0 स्कूल खैराबाद | खैराबाद | 35 | क0प्रा0पा0 हुसैनगंज | खैराबाद |
| 2 | जू0हा0 तरीनुपुर | ,, | 36 | ,, इस्माइलपुर | ,, |
| 3 | जू0हा0 सोहर | ,, | 37 | ,, नेवादा मन्सूरपुर | ,, |
| 4 | जू0हा0 तिलवारा | ,, | 38 | क0प्रा0पा0 अकबरगंज | ,, |
| 5 | प्रा0पा0 विनौरा | ,, | 39 | ,, मधवापुर | ,, |
| 6 | प्रा0पा0 कनवाखेरा | ,, | 40 | ,, उमरिया | ,, |
| 7 | प्रा0पा0 कासिमपुर | ,, | 41 | ,, बनहेटा | ,, |
| 8 | ,, रहीमाबाद | ,, | 42 | ,, अहाता कप्तान | ,, |
| 9 | प्रा0पा0 हाजीपुर | ,, | 43 | ,, नरही | ,, |
| 10 | प्रा0पा0 सहसापुर | ,, | 44 | क0प्रा0पा0 मिन्नापुर | ,, |
| 11 | ,, जमेयतपुर | ,, | 45 | ,, कचनार | ,, |
| 12 | ,, अकबरपुर खुर्द | ,, | 46 | ,, अंगरासी | ऐलिया |
| 13 | ,, चिलवारा | ,, | 47 | ,, सहरोई | ,, |
| 14 | ,, अकोइया | ,, | 49 | क0जू0हा0 खेमेसिया मठू | ऐलिया |
| 15 | ,, मुबारकपुर | ,, | 50 | प्रा0प0 नरीकलां | ,, |
| 16 | ,, रसोयोरा | ,, | 51 | ,, सलेमपुर | ,, |
| 17 | ,, सरैया मल्हुई | ,, | 52 | ,, मल्का नगर | ,, |
| 18 | ,, गद्दीपुर | ,, | 53 | ,, हैवपर | ,, |
| 19 | ,, धरैया | ,, | 54 | ,, अलरिपुर अलीरजा | ,, |
| 20 | ,, टिकरैया | ,, | 55 | ,, रामनगर | ,, |
| 21 | ,, रामकोट | ,, | 56 | ,, मिर्जापुर | ,, |
| 22 | ,, नेवादा मन्सूरपुर | ,, | 57 | ,, अमीन नगर | ,, |
| 23 | ,, वरसहिया | ,, | 58 | ,, पीतपुर | ,, |
| 24 | ,, परसेहरा | ,, | 59 | ,, जमटुआ | ,, |
| 25 | ,, रायपुर | ,, | 60 | ,, ढकिया | ,, |
| 26 | ,, करियामऊ | ,, | 61 | ,, पुरका | ,, |
| 27 | ,, दारा नगर | ,, | 62 | ,, मथाना | ,, |
| 28 | ,, ऐमीपुर | ,, | 63 | ,, प्रतापपुर | ,, |
| 29 | ,, इलसिया | ,, | 64 | ,, दामोदरपुर | ,, |
| 30 | ,, सराय युसुफ | ,, | 65 | ,, ककरहा | ,, |
| 31 | ,, तिडवाडिलौसा | ,, | 66 | क0जू0हा0 परसदा | मछरेहटा |
| 32 | ,, × | | 67 | प्रा0पा0 परसदा | ,, |
| 33 | ,, पहाडपुर कुलिया | ,, | 68 | ,, कटिया | ,, |
| 34 | जू0हा0 स्कूल, सरफापुर | ,, | 69 | ,, सकरारा | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | क0प्रा0पा0 सकरारा | मछरेहटा | 82 | प्रा0पा0 गढ़ी सेनपुर | मछरेंहटा |
| 71 | जू0हा0स्कूल टन्वखिजरिया | परसेण्डी | 83 | ,, टप्पा खजुरिया | परसेण्डी |
| 72 | ,, हरिहरपुर सोनारी | ,, | 84 | ,, मसेपुर | ,, |
| 73 | ,, बढ़ागांव | ,, | 85 | ,, महमूदपुर | ,, |
| 74 | ,, गोरिया कलां | ,, | 86 | ,, फजलिसपुर | ,, |
| 75 | प्रा0पा0 गुजरा | ,, | 87 | ,, गराईपुर | ,, |
| 76 | ,, अढ़ावल | ,, | 88 | ,, सैदापुर | ,, |
| 77 | ,, बढ़ा गांव | ,, | 89 | ,, मिर्जापुर | ,, |
| 78 | ,, नऊआमहमूदपुर | ,, | 90 | ,, गोरा अर्जुनपुर | ,, |
| 79 | ,, हरिहरपुर सोनारी | ,, | 91 | ,, गौरियागला | ,, |
| 80 | ,, खजुरिया आवासी | ,, | 92 | ,, नरसोई | ,, |
| 81 | ,, शाह महोली | ,, | | | |

विधान सभा उत्तर प्रदेश

(लिंक पेज 15 देखें)

मुख्यमंत्री कार्यालय

Khand _ Year _ Month _ Date

(Starting date)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

Khand _ Year _ Month _ Date

(Starting date)

불법 무단 배포 금지

यह पेज बदला जायेगा।

(This page is torn.)

उत्तर प्रदेश विधान सभा